खण्ड-409, अंक-6
बुधवार, 11 फाल्गुन, शक संवत् 1915
(2 मार्च, 1994 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1994)

खण्ड 409 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1994

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रश्नोत्तर	1–10
उपस्थित सदस्य	10–99
अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–2 के सम्बन्ध में नियम–49 के अन्तर्गत चर्चा की मांग .....(जारी)	10–99
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न .....(जारी)	100–102
अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–2 के सम्बन्ध में नियम–49 के अन्तर्गत चर्चा की मांग .....(जारी)	102
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	102–104
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	104–105
जनपद हरदोई के बिलग्राम क्षेत्र के ज्यूरी गांव के सामने पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	105–106
पौड़ी गढ़वाल में थैलीसैण तहसील के रौलीबग्वाड़ी ग्राम में भूस्खलन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	106
जनपद आगरा की तहसील किरावली स्थित देवनारी माइनर में रिसाव से रबी की फसल नष्ट हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	106–1-07
जनपद फैजाबाद के विकास क्षेत्र अमानीगंज (खण्डासा) के ग्रामों में पेयजल अभाव से उत्पन्न गम्भीर संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	107
मानिकपुर (बांदा) क्षेत्र के ग्रामों में भारी ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	107
जनपद वाराणसी के औराई थानान्तर्गत रज्जूपुर के निवासी श्री बाल कृष्ण बिन्द की हत्या एवं श्रीमती मालती धोबिन के साथ हुए बलात्कार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	108
जनपद नैनीताल के काशीपुर क्षेत्र में दो नाबालिग लड़कियों के अपहरण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	108–109
नियम 311 की सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित किये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न (जारी)	109–112
पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रदेश में दंगों को रोकने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गयी कार्य योजना की घोषणा सदन के बाद किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	112
औचित्य के प्रश्न की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	112

विषय	पृष्ठ-संख्या
वाहनों की जांच का काम केवल आर०टी०ओ० द्वारा कराये जाने के आदेशों के बावजूद पुलिस द्वारा जांच करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	116–117
पूर्वी उत्तर प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से विकसित करने हेतु गोरखपुर में प्रारम्भ की गई योजना के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	118
जल निगम द्वारा लगाये जाने वाले हैण्ड पम्पों के स्थल चयन का कार्य विधायकों से न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	118
पूर्वांचल विकास निधि के धन को अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से खर्च किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	118–119
एस०एस०पी० झांसी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न एवं सुरक्षार्थ गनर दिये जाने की मांग	119–120
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं .....(जारी)	120
श्री प्रणत पाल सिंह के साथ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने विषयक सूचना उठाने का प्रयास	120
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना .....(जारी)	121–130
नियम 311 की सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित किये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न	130–132
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	132–141
व्यापार एवं तटकर सामान्य समझौता के सन्दर्भ में विचाराधीन सर आर्थर डंकल के प्रस्ताव को अमान्य कर दिये जाने के सम्बन्ध में संकल्प की मांग ..	141–146
राज्य विधान सभा उत्तर प्रदेश के सदस्यों द्वारा अपनी चल एवं अचल सम्पत्ति का ब्योरा प्रस्तुत किये जाने विषयक संकल्प ..... (अस्वीकृत) ..	147–154
जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में पत्थर तथा दरी उद्योग में संलग्न श्रमिकों के घातक रोगों के उपचार की व्यवस्था के सम्बन्ध में संकल्प ....(अस्वीकृत)	154–160
प्रदेश के गावों में स्थित अनुसूचित जाति की बस्तियों को मुख्य मार्ग की सड़क से जोड़ने के सम्बन्ध में संकल्प .....(चर्चा जारी) ..	160–164
दिनांक 1 मार्च, 1994 को सदन में हुए आरोप प्रत्यारोप के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष द्वारा लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में सूचना	164
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	164
नत्थियां	165–174

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 2 मार्च, 1994

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अखलाख, श्री	मेरठ
अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अमरनाथ यादव, श्री	वाराणसी
इन्द्रदेव सिंह, श्री	बिजनौर
ओंकार सिंह, श्री	एटा
ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
गजराज सिंह, श्री	गाजियाबाद
घनश्याम शुक्ल, श्री	गोण्डा
चन्द विजय सिंह उर्फ बेबी राजा, श्री	मुरादाबाद
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर
तेजपाल सिंह, श्री	बिजनौर
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर
नरेन्द्र सिंह, श्री	मेरठ
नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री	कानपुर देहात
पुत्तू सिंह यादव, श्री	शाहजहांपुर
प्रवीण सिंह ऐरन, श्री	बरेली
बरकत अली खां, श्री	सुल्तानपुर
बालेश्वर यादव, श्री	देवरिया
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
मयंकर सिंह, श्री	बहराइच
मसूद अहमद, डा०	फैजाबाद
महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री	आगरा
मुलायम सिंह यादव, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	देवरिया
राम धनी, श्री	गाजीपुर
राम प्रसाद, श्री	बुलन्दशहर
राम सेवक सिंह, श्री	बदायूं
विक्रमा सिंह, श्री	बलिया
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता, श्री	गोण्डा
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीराम पाल, श्री	जालौन
सतीश कुमार, श्री	बिजनौर
समीर भाटी, श्री	गाजियाबाद
सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री	बांदा
सुरेश पासी, श्री	प्रतापगढ़
सुरेश प्रताप सिंह, श्री	मुरादाबाद
स्वयंम्बर चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 2 मार्च, 1994

विधान सभा की बैठक विधान सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6-ए के अन्तर्गत व्यापारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश

**1–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि नव गठित प्रदेश की सरकार ने प्रदेश में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 का क्रियान्वयन स्थगित कर दिया है ? यदि हां, तो इसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव)–

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत व्यापारियों के विरुद्ध मुकदमें न दर्ज कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

कीमतों पर नियंत्रण रखने और कालाबाजारी, चोरबाजारी रोकने के लिये विभिन्न कन्ट्रोल आर्डर्स के अन्तर्गत कार्यवाही करने तथा लाइसेन्स के प्रतिभूति की जप्ती लाइसेंस के संबंध में निरस्तीकरण की कार्यवाही तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6-ए के अन्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3, 7 और 6 की परिभाषा क्या है ?

दूसरा प्रश्न जो कहा है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के स्थगन के आदेश दिये गये हैं, तो उक्त की धारा 6-ए में संशोधन लाने के लिये क्या कोई विचार है ? यदि हां, तो वह कब तक लागू होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अन्तिम प्रश्न है पिछले वर्ष दिसम्बर और इस वर्ष जनवरी, फरवरी माह में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत पूरे प्रदेश में कितने मुकदमें दर्ज हुए और इसको सस्पेंड करने के बाद विभिन्न कंट्रोल आर्डर्स के तहत कितने मुकदमें प्रदेश में दर्ज हुए हैं ?

श्री बलराम यादव–

श्रीमन्, मैं अग्रवाल जी को बताना चाहता हूं कि इन्होंने जो संशोधन करने की बात कही, मैं समझता हूं कि इनकी मूल मंशा यह है कि इसी ऐक्ट में धारा 3/7 के क्रियान्वयन में जो स्थगन करने के कारण इनकी आशंका है कि प्रदेश में चोरबाजारी और कालाबाजारी बढ़ेगी तो इसके लिये जो अधिनियम उपलब्ध है उसकी धारा 6–ए के तहत प्रभावी कार्यवाही मौजूद है, इसलिये आशंका करना निराधार है।

मान्यवर, स्थगन के बाद यह जानना चाहते हैं कि इस ऐक्ट के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की गयी तो मैं बताना चाहता हूं कि दिसम्बर, 1993 से अब तक 340 लाइसेंस निलम्बित और 303 लाइसेंस निरस्त किये गये हैं । मान्यवर, माहवार विवरण इस प्रकार है––दिसम्बर में 150, जनवरी, 1994 में 179 और 15 फरवरी, 1994 तक 21 लाइसेंस निलम्बित किये गये हैं और इसी प्रकार माह दिसम्बर, 1993 में 80 जनवरी, 1994 में 200 तथा 15 फरवरी, 1994 तक 23 लाइसेंस निरस्त किये गये हैं...

श्री नरेश अग्रवाल–

मैंने जो प्रश्न पूछे थे, मान्यवर, वह अधूरे रह गये । मैंने तीन बातें और दो बातें मूल रूप से पूछी थी, क्योंकि सभी को मालूम है कि पांच साल यह सरकार चलेगी नहीं, तो यह आवश्यक वस्तु अधिनियम केन्द्र सरकार का है, उसको स्थगित करने से व्यापारियों को लाभ नहीं मिलने जा रहा है, यद्यपि उनकी मंशा व्यापारियों के हित की है, तो क्या वह इस अधिनियम की धारा 3-7 में कोई संशोधन प्रस्तावित करेंगे और राष्ट्रपति को भेजकर उसका क्रियान्वयन रोक देंगे ? इस आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3, 7 व 6(ए) की परिभाषा क्या है, जिसे यह स्थगित करने की बात कह रहे हैं ?

श्री बलराम यादव–

अग्रवाल जी की विद्वता से सभी परिचित हैं, बहुत अच्छे विधायक भी हैं और कानून के ज्ञाता भी हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन अधिनियमों के संशोधन की बात यह कह रहे हैं, मेरी जहां तक जानकारी है, ये अधिनियम सब केन्द्रीय सरकार के द्वारा बनाये गये हैं, और मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि जब यह बने थे–यह 1955 का समय का था–उस समय देश में खाद्यान्नों का भारी अभाव था । गांवों में पूजा-पाठ के समय ही अनाज का इस्तेमाल होता होगा । तो उस समय की चोरबाजारी और कालाबाजारी को रोकने के लिये यह बना था, किन्तु अब उसमें हम स्वावलम्बन की तरफ बढ रहे हैं। अतः इस समय इससे कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है । चोरबाजारी और कालाबाजारी की जो बात है, यह वस्तुओं की उपलब्धता के लिये बना था, इस समय इसका पुनरीक्षण होना जरूरी है और जो अधिनियम अब प्रदेश में लगाया गया है, इससे व्यापारियों या उपभोक्ताओं में से किसी का नुकसान नहीं होगा, बल्कि व्यापारियों का जो दोहन और शोषण होता था, उसको रोका गया है और आवश्यक वस्तुएं इस समय प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और यदि समस्या होगी तो सरकार उसकी तुरन्त व्यवस्था करेगी ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मंत्री जी ने यह कह दिया कि धारा 3 व 7 को स्थगित कर दिया गया है और 6(ए) के अन्तर्गत कार्यवाही के प्राविधान भी हैं, तो मंत्री जी पहले यह बता दें कि यह तीन और सात क्या हैं और क्या स्थगित कर दिया गया है और 6(ए) की धारा क्या है ? इसमें किस व्यवस्था को स्थगित किया गया है, यह मंत्री जी बता दें ? व्यापारियों के शोषण की चिन्ता तो इनको ज्यादा है, किन्तु जब से इन्हें स्थगित करने की घोषणा हुई है, चोरबाजारी और कालाबाजारी का बाजार प्रदेश में गर्म कर दिया गया है और उसके लिये सरकार ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है या नहीं की है ? जो अब तक इनके अन्तर्गत मुकदमें चल रहे हैं, उनके बारे में शासन की क्या नीति है ?

श्री बलराम यादव–

जब भी जो सूचना सदन चाहेगा, पूर्णरूप से पूरी सूचना उपलब्ध करा दूंगा । जहां तक इसकी धारा 3 का प्रश्न है, इसमें राज्य सरकार को कन्ट्रोल आर्डर बनाना है और धारा 7 में मुकदमा चलाये जाने का प्राविधान है इसमें केवल मुकदमा न चलाया जाय, यह स्थगन हुआ है । धारा 6 में यह है कि बरामद की

गई वस्तुओं को जब्त करने का अधिकार है । मान्यवर, जहां तक माननीय वर्मा जी, जो हम लोगों के वरिष्ठ भी हैं इन्होंने यह चिन्ता व्यक्त की है कि हम केवल व्यापारियों के प्रति शुभ चिन्तक हो गये हैं और व्यापारियों के हित की ही बात हम सोच रहे हैं । मान्यवर, ऐसा नहीं है कि हम व्यापारियों की ही बात सोचते हैं, पूरे प्रदेश का, प्रदेश की जनता के प्रति हम शुभ चिन्तक हैं । इस अधिनियम के स्थगन से जो व्यवस्था की गई है, वह अच्छी है । मान्यवर, आंकड़े अपने आप बोलते हैं मैं आंकड़ों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कितने छापे मारे गये और उसमें क्या-क्या हुआ ? इसी ऐक्ट के अन्तर्गत वर्ष 91 में 24,069 छापे पड़े, 1,526 प्राथमिक सूचना दर्ज हुई और 942 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये । वर्ष 92 में 18,621 छापे पड़े और मुकदमें 938 दर्ज हुए, 599 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये । वर्ष 93 में 12,163 छापे पड़े, प्राथमिक सूचना दर्ज हुई 577 और कुल 340 व्यक्ति गिरफ्तार हुए । इसी उत्तर के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि जो मुकदमे कचेहरी में गये उनमें जो सजा हुई है उसके परसेन्टेज के बारे में जरूर कहूंगा, कि एक परसेन्टेज से कम सजा हो पायी हो । जब छापे इतने पड़े और छापे पड़ने के बाद की स्थिति क्या होती है, मान्यवर, आप जानते हैं उन छापों से बचने के लिये व्यापारियों को क्या करना होता है ? मान्यवर, यह आंकड़े बोल रहे हैं । हमको तो यह लगता है कि यह मात्र व्यापारियों को शोषण और दोहन किया है । कालाबाजारी रोकने, चोरबाजारी रोकने का प्रयास किये जायेंगे इसकी जिम्मेदारी सरकार की है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा'–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से उत्तर के संबंध में माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने यह कहा है कि वर्तमान सरकार जो है, वह व्यापारियों की दुश्मन नहीं है, ठीक है, यह स्वागत योग्य है । इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो यह भारतीय जनता पार्टी की व्यापारियों के शुभ चिन्तक के रूप में टिप्पणी किया करते थे । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो आवश्यक वस्तु अधिनियम को स्थगित करने का निर्णय लिया है, वह निर्णय कब लिया है और उस निर्णय को लिये जाने के पूर्व 3/7 के जो मामले लम्बित थे क्या उनको भी व्यापारियों के शुभ चिन्तक होने के फलस्वरूप वापस लेने की सरकार कोशिश करेगी ?

श्री बलराम यादव–

अधिनियम का स्थगन 15-12-93 को किया गया । जो मुकदमे कचेहरी में चल रहे हैं वह तो चलेंगे ही । नये नहीं लिये जायेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह जानना चाहता हूं कि माननीय खाद्य मंत्री ने जो मूल उत्तर दिया है उसकी विसंगतियों की ओर मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत व्यापारियों के विरुद्ध मुकदमे न दर्ज किये जाने का निर्णय लिया है दूसरी तरफ अधिनियम की धारा 6(ए) के अन्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं । इसमें भी पेनाल्टी क्लांज है । उसका भी स्थगन किया है या मात्र धारा 6 का स्थगन किया है । दूसरा यह है मान्यवर, धारा 6 ए के क्रियान्वयन के बारे में जानना चाहता हूं कि मुकदमें दायर होंगे या नहीं । तथा स्टाक जब्त करने के बारे में क्या नीति होगी ? मान लीजिये स्टाक सीमा 10 कुन्तल है और माल 11 कुन्तल बरामद हुआ तो सारा माल जब्त कर लेंगे या जो अतिरिक्त माल है उसे जब्त करेंगे । दो बातों का मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, 6 ए के अन्तर्गत जो हमारी कार्यवाही है वह तो सुरक्षित है । मुकदमें दर्ज नहीं करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरे सवालों का सही उत्तर दिलवा दें । दाएं-बाएं भागने से क्या फायदा ? मैंने यह पूछा था कि 6 ए के अन्तर्गत मुकदमें दर्ज किए जायेंगे या नहीं । दूसरी बात मान्यवर, स्टाक जब्त करने का मामला है । स्टाक जब्त करने में निर्धारित सीमा से ऊपर जो माल पाया जायेगा वही जब्त हो जाएगा या पूरा माल जब्त होगा । इस बारे में शासन ने क्या व्यवस्था की है यह मंत्री जी को मालूम है या नहीं ? यह जनहित का महत्वपूर्ण मामला है अगर मंत्री जी को को सही जानकारी न हो तो इसको स्थगित कर दिया जाए ।

श्री बलराम यादव–

माननीय गुप्त जी तो हमारे विद्वान नेता हैं मैं कह रहा हूं कि 6 ए के अन्तर्गत मुकदमें पंजीकरण का कोई प्राविधान नहीं है । इसके लिए केवल सामान जब्त करने का प्राविधान है । इसमें जितना सामान निर्धारित सीमा से अधिक होगा वही सामान जब्त कर लेंगे ।

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी माननीय मंत्री जी शोषित और शोषण कर्ता में निराला सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे हैं । मैं समझता हूं कि न यह साइंस के हिसाब से व्यवहारिक है और न ही आपकी नीतियां के सुसंगत है । शोषित और शोषणकर्ता के हित अलग अलग होते हैं लेकिन मुझे अफसोस है कि इतने गम्भीर मसले की धारा 3 के अन्तर्गत जो कार्यवाही होती है उसे सरकार ने रोक दिया है । अभी तक जमाखोरी और कालाबाजारी का जिक्र होता रहा है लेकिन इससे भी गम्भीर मसला मिलावट का है । जनोपयोगी दवाओं में मिलावट होने से लोग बीमार हो जाते हैं । जो खाद किसान खेत में डालता है और इतनी मंहगी खाद जिसकी कीमत बाजार में 450 रुपये है और उसमें 100 रुपये की खाद मिलाई जाएगी तो किसान को नुकसान होगा । इन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण में कहा कि हम उत्पादकता बढ़ायेंगे, किसानों को लाभ देंगे । डीजल में आज मिलावट हो रही है और जितनी भी आवश्यक वस्तुएं है सभी में मिलावट हो रही है । आपने कहा कि सामान जब्त कर लेंगे । माननीय मंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा शायद यह आपकी पार्टी ने गलत वायदा किया है । क्या इतने महत्वपूर्ण मामले में जहां जन जीवन की सुरक्षा, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, जिससे पैदावार जुड़ी हुई है । धारा 3/7 जो आपने स्थगित की है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप अपने इस फैसले को वापस लेंगे, प्रदेश की गरीब जनता के हित में ।

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न पर काफी विस्तार से उत्तर आ गये हैं । फिर भी जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है उसका उत्तर दे दें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, यहं बिल्कुल दूसरा सवाल है ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, व्यापारियों ने सवाल पूछा है, किसान ने जो सवाल पूछा है उसका उत्तर आ जाने दें।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, हमारा मूल प्रश्न था कम से कम एक प्रश्न और पूछ लेने दें।

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने अपमिश्रण की बात कही है। अपमिश्रण के कारण जो कठिनाइयां समाज में आ रही हैं उसको दूर करने के प्राविधान हैं। 3/7 के अतिरिक्त जो अपमिश्रण के संबंध में प्राविधान है उसके अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, कन्ट्रोल आर्डर जो हैं वह इस अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत बने हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि विभिन्न कन्ट्रोल आर्डर्स के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अधिकार दिये गये हैं। अगर अन्य कन्ट्रोल आर्डर भी धारा 3 के अन्तर्गत बने हैं तो उनको स्थगित न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, माननीय अग्रवाल साहब ने धारा 3 के बारे में कहा है। मान्यवर, मैंने पहले ही इसके बारे में स्पष्ट कर दिया है कि जो अन्य धारायें हैं उनके अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मूल कन्ट्रोल आर्डर धारा–3 के अन्तर्गत बना है। जब आपने धारा 3 के अन्तर्गत कन्ट्रोल आर्डर को समाप्त कर दिया है तो अन्य कन्ट्रोल आर्डर को क्यों समाप्त नहीं किया गया है ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, जो समाज के लिये, हमारे व्यापारियों और उपभोक्ताओं के हितों के विरुद्ध जो धारायें थीं उन धाराओं में संशोधन किया गया है।

(अल्पसूचित ता० प्र० सं०–2 पुकारे जाने पर।)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न पर काफी समय हो चुका है। एक प्रश्न दिन भर नहीं हो सकता है। अब मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है इसके विरोध में मैं सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री नरेश अग्रवाल सदन त्याग कर चले गये।)

प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में उपभोक्ता वस्तुओं के जमाखोरी व कालाबाजारी पर नियंत्रण हेतु कार्यवाही करने के निर्देश

**2–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या सरकार को जानकारी है कि सरकारी घोषणाओं के बावजूद प्रदेश में चीनी और मिट्टी के तेल के भाव खुले बाजार में काफी बढ़े हैं और उनकी बड़े पैमाने पर कालाबाजारी हो रही है ? यदि हां, तो सही स्थिति क्या है और इसे रोकने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री बलराम यादव–

भारत सरकार द्वारा दिनांक 1-2-94 से उचित राशन दर की दुकानों से उपभोक्ताओं को वितरित कराये जाने वाले लेवी चीनी का मूल्य पूर्व निर्धारित 8.30 रु० प्रति कि० ग्रा० से बढ़ाकर रु० 9.05 प्रति कि० ग्रा० निर्धारित किये जाने के कारण, खुले बाजार में भी चीनी के मूल्यों में लगभग 8% की वृद्धि हुई है । मिट्टी के तेल का वितरण सरकारी दुकानों के माध्यम से ही कराया जाता है । अतः खुले बाजार में इसके मूल्य वृद्धि का कोई प्रश्न ही नहीं उठता चीनी व मिट्टी के तेल के कालाबाजारी के बारे में कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आये हैं । प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में उपभोक्ता वस्तुओं के जमाखोरी व कालाबाजारी पर नियंत्रण रखने हेतु विभिन्न कन्ट्रोल आर्डर्स के अन्तर्गत कार्यवाही करने के कड़े निर्देश जारी किये गये हैं ।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, इस एक वर्ष में चीनी के दाम बेतहाशा बढ़े हैं, चाहे कंट्रोल की चीनी रही हो, या बाजार की चीनी रही हो, लेकिन गन्ने के दाम नहीं बढ़े हैं । मान्यवर, जो चीनी के दाम बढ़ाये गये हैं, वह तो केन्द्र सरकार ने दो बार बढ़ाया, लेकिन खुले बाजार में आज चीनी 17 रु० किलो के भाव में बिक रही है । पहले कन्ट्रोल में रु० 6.95 प्रति किलो चीनी मिलती थी और अब रु० 9.05 प्रति किलो ग्राम में चीनी का भाव है, तो क्या सरकार उस रेशियो में गन्ने का दाम बढ़ायेगी या जिस रेशियो में गन्ने के दाम बढ़ायेंगे, उसी रेशियो में चीनी का दाम बढ़ायेंगे ? मान्यवर, केन्द्र सरकार तो राशन की दुकानों पर दाम बढ़ा देती है, लेकिन खुले बाजार में चीनी के दाम बेतहाशा बढ़ जाते हैं । यदि किसानों के गन्ने के दाम उसे पूरा न मिले, तो यह लम्बी जो मुनाफाखोरी मिल मालिकों की होती है, क्या इस पर सरकार का नियंत्रण मिल मालिकों पर रहेगा ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, अब गन्ने का दाम जिसको बढ़ाने की बात माननीय सदस्य कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे पहले ही एक साथ गन्ने के दामों में वृद्धि कर दी है और चीनी के दाम में जो वृद्धि होती है, वह शुक्ला जी जानते हैं । लेकिन गन्ने के दाम में वृद्धि एक साथ इस सरकार ने की है । जहां तक इन्होंने कहा है कि बेतहाशा वृद्धि हुई है और वृद्धि के कारण खपत और उत्पादन के आधार पर शादी-ब्याह के कारण मांग बढ़ी है, एक कारण यह भी है कि जो चीनी के कन्ट्रोल के दाम बढ़े हैं, मेरे पास 23, 24, 25 तक के आंकड़े हैं । लखनऊ में रु० 13.50 इस समय दाम है, जो 29-12-93 को रु० 12.50 था । खुले बाजार में भी अपने ढंग से इतनी छूट व्यापारियों की नहीं रहेगी, उस पर नियंत्रण रहेगा ।

श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में मिट्टी के तेल की कालाबाजारी नहीं हो रही है और पर्याप्त मात्रा में मिट्टी का तेल उपलब्ध है ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, यह प्रश्न चीनी के संबंध में था । मिट्टी के तेल के संबंध में कोई शिकायत अभी तक मुझे नहीं मिली है । अगर कोई इसकी सूचना दे दें कि मिट्टी के तेल की बिक्री बढ़े दामों पर हो रही है तो इसकी मैं जांच करवा लूंगा ।

श्री राजबली यादव–

7 रुपये में मैं खरीदता हूं मिट्टी का तेल मान्यवर ।

श्रीमती शशि बाला पुंडीर–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि शादी विवाह के कारण चीनी की डिमान्ड बढ़ी है । मैं कह सकती हूं कि किसी भी शादी विवाह वालों को चीनी नहीं दी जा रही है । हो सकता है कि माननीय मंत्री जी के पास शिकायत न आ रही हो। मैं सच बता रही हूं कि किसी को चीनी नहीं मिल रही है ।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें ।

श्रीमती शशिबाला पुंडीर–

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि चीनी की डिमान्ड बढ़ी है । इस कारण चीनी की कमी है । मैं कहना चाहती है कि दुकानों पर चीनी बिल्कुल नहीं है और काला बाजारी बिल्कुल नहीं रुक रही है और राशन कार्डों को रखे रहते हैं और फर्जी राशन कार्डों पर चीनी बेच रहे हैं और बाजार में चीनी महंगी मिल रही है ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, चीनी की मांग बढ़ी है और उसी के कारण मूल्य वृद्धि हुई है ।

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप रुक जायें । मैं आपको मौका दूंगा ।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है ।

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि शादी विवाह के कारण डिमान्ड बढ़ी है, तो मैं जानना चाहती हूं कि जब चीनी के रेट बढ़ाये जाते हैं तो क्या शादी विवाह और सामाजिक कार्यों में खर्च होने वाली चीनी को ध्यान में रखा जाता है ?

श्री बलराम यादव–

यह तो केन्द्र सरकार का विषय है । माननीय सदस्या को पता होगा ।

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, प्रश्न बहुत ही स्पष्ट है और माननीय मंत्री जी बार-बार अपने उत्तर में कह रहे हैं कि फेयर प्राइस शाप पर दाम बढ़े हैं, लेकिन माननीय शुक्ल जी ने जो प्रश्न किया है, वह बहुत स्पष्ट है कि सरकार की घोषणाओं के बाद भी प्रदेश में मिट्टी के तेल और चीनी के दाम बढ़े हैं और उसकी बड़े पैमाने पर काला बाजारी हो रही है। माननीय सदस्य की जिज्ञासा है और सदन की जिज्ञासा है कि जो काला बाजारी में चीनी और मिट्टी का तेल बिक रहा है, उसको रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ? अभी सत्ता पक्ष के एक माननीय सदस्य ने कहा कि 7 रुपये में मिट्टी का तेल खरीदता हूं। क्या माननीय मंत्री जी की जानकारी है कि पूरे प्रदेश में तीन महीने में कालाबाजारी रोकने के लिये कितने छापे डाले गये और उनके अन्तर्गत जब्ती की कार्यवाही कितने लोगों के विरुद्ध हुई ? मेरा दूसरा सवाल यह है कि बाजार में चीनी और मिट्टी के तेल की कालाबाजारी हो रही है तो अगर आवश्यक वस्तु अधिनियम स्थगित किया है तो शादी में मिट्टी का तेल नहीं उपलब्ध हो रहा है तो सरकार इनको उपलब्ध कराने का क्या उपाय कर रही है ?

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि कितने छापे डाले गये और उनमें क्या कार्यवाही की गयी और कालाबाजारी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, माननीय पाल साहब के प्रश्न के उत्तर में मैं यह कहना चाहता हूं कि नियंत्रित दुकानों से जो हम निर्धारित रेट पर चीनी वितरित करते हैं वह नियंत्रित रेट पर पूरे प्रदेश में मिल रही है। जहां तक खुले बाजार का प्रश्न है तो मान्यवर, नियंत्रित रेट पर उत्पादन का 40 प्रतिशत केन्द्र सरकार से प्राप्त करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से हम गांव और शहर में चीनी खाने के लिये उपलब्ध कराते हैं और 60 प्रतिशत खुले बाजार में प्रतिस्पर्धा के आधार पर चीनी बिकती है। जो हमारे नियंत्रित रेट से मिलने वाली चीनी और मिट्टी का तेल है उसके कंट्रोल में दिसम्बर, जनवरी और फरवरी के माह में कुल छापे मारे गये 2158, लाइसेंस निलम्बित किये 340 और लाइसेंस निरस्त हुए 303. मान्यवर, खुले बाजार में बढ़े दामों की बात हम स्वीकार कर चुके हैं कि 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हमारे प्रदेश का नियंत्रित चीनी का कोटा एक लाख है लेकिन कोटे के अनुसार उसकी आपूर्ति नहीं मिल पा रही है।

(अनेक सदस्यों द्वारा बोलने की अनुज्ञा मांगते रहने पर सदन में व्यवधान बना रहा)

श्री विरेन्द्र पाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य कालाबाजारी चोरबाजारी के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि कार्यवाही की मांग करने के लिये 3/7 के स्थगन के बाद कोई गुंजाइश नहीं है। माननीय मंत्री जी क्या यह सही है कि जनपद बुलन्दशहर और अन्य जनपदों के जिलाधिकारियों ने सरकार को पत्र लिखा है कि जब से 3/7 दफा का कार्यान्वयन स्थगित किया गया है तब से कालाबाजारी, चोरीबाजारी और मिलावट करने के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये कोई अस्त्र नहीं बचा है, उसके बदले में हम क्या करें, यह पत्र

आया जिसका जवाब अभी तक नहीं गया है । दूसरी बात जो इसी सवाल से संबंधित है । तेल और चीन की कालाबाजारी तो होती ही है ग्रामीणों का कोटा भी बहुत कम आता है और शहर का कोटा पूरा मिल जाता है यह जो नीति है सरकार की तेल और चीनी देने की, शहर के रहने वालों को पूरी चीनी देंगे, फालतू देंगे और गांव के रहने वाले को कम चीनी देंगे । कालाबाजारी का एक कारण यह भी है कि इसको दूर करने के लिये क्या सामान्य व्यवस्था लागू करेंगे ताकि देश के प्रत्येक नागरिक को चाहे शहर में रहता हो या गांव में रहता हो उसको बराबर की चीनी और मिट्टी का तेल उपलब्ध हो ।

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, जो किरन पाल सिंह जी ने चिन्ता प्रकट की है और जो उन्होंने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में चीनी की उपलब्धता पर यूनिट का अन्तर है तो हमने पहले भी कहा है कि हमारी मांग के अनुसार, प्रदेश की मांग की अनुसार अभी चीनी उपलब्ध नहीं हो पा रही है । हमारी मांग है, आवश्यकता है 60 हजार टन प्रतिमाह और हमें मिल रहा है 5557 टन । (व्यवधान) अभी इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है लेकिन उनकी बात से सहमत हैं कि दोनों में भेद है ।

(घोर व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, यह सरकार कालाबाजारी, चोरबाजारी और मिलावट करने वालों की हिमायती है और किसानों का शोषण कर रही है और उनको शोषण करने की पूरी छूट दी गयी है, मिलावट पर कोई रोक नहीं है, चोरबाजारी पर रोक नहीं है, इस पर कुछ कहने के लिये यह सरकार तैयार नहीं है, गरीब जनता का शोषण हो रहा है मैं और मेरा दल इसके विरोध में सदन का त्याग करता है ।

(श्री किरन पाल सिंह अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, मेरे तीन प्रश्न थे मैं उसका साफ-साफ जबाब जानना चाहता हूं । पहला तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी नीति बनायेंगे कि मूल्य वृद्धि के फलस्वरूप गन्ने और शक्कर के मूल्यों में समन्वय स्थापित हो सके ? जो शक्कर के दाम निर्धारित होते हैं क्या उसका गन्ने के मूल्य से समन्वय करेंगे कि जब शक्कर के दाम बढ़े तो गन्ने का दाम बढ़ जाये और जब गन्ने के दाम बढ़े तो शक्कर के दाम बढ़ जाय । क्योंकि इससे फायदा यह होगा कि शक्कर के दाम बढ़ेंगे तो गन्ने का दाम बढ़ जायेगा और शक्कर के दाम बढ़ेंगे तो गन्ने का दाम बढ़ जायेगा । मैं जानना चाहता हूं कि इस समय जो गन्ने का भाव है उसके हिसाब से 10 रुपये किलो से ज्यादा की चीनी नहीं मिलनी चाहिए ।

दूसरा प्रश्न यह है कि जो दाम आपने ज्यादा कर दिये हैं और कालाबाजारी हो रही है ज्यादा दामों पर उस पर नियंत्रण लगाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(व्यवधान)

तीसरा प्रश्न यह है कि मिट्टी के तेल की कालाबाजारी हो रही है तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि खुले बाजार में मिट्टी का तेल मिलने की सरकार कोई व्यवस्था कर रही है ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, शुक्ल जी ने जो कहा है चीनी और गन्ने के दाम में समन्वय निर्धारित कर दाम निर्धारित करने का उस सम्बन्ध में कहना है कि चीनी की कीमत निर्धारित करती है केन्द्र सरकार, यह वहीं से स्पष्ट होता है, दोनों का समन्वय स्थापित करके करते हैं, मैं उसमें ज्यादा नहीं कहता लेकिन जहां तक इन्होंने कहा खुले बाजार में, मिट्टी के तेल का वितरण शतप्रतिशत नियंत्रित दुकानों से वितरण प्रणाली के अन्तर्गत करते हैं उसमें परिवर्तन की कोई उम्मीद नहीं है ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप सब लोग बैठ जायें ।

अब मैं नत्थी (ख) का तारांकित प्रश्न संख्या–1 ले रहा हूं ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–2 के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा की मांग

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–2 पर चर्चा कराई जाय प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलते रहने पर घोर व्यवधान)

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्त जी आप मेरी भी बात सुनेंगे और नहीं सुनेंगे तो मैं स्थगित करता हूं, सारे प्रश्न रह जायेंगे ।

श्री राम विशुन आजाद–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, हम लोगों ने नियम–49 के अन्तर्गत इस पर चर्चा कराये जाने हेतु लिखकर के दे दिया है।

(विपक्ष के अनेक सदस्यों के एक साथ खड़े एवं बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, आज गांव में लोगों को चीनी तथा मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । इसकी कालाबाजारी चारों तरफ फैली हुई है और सरकार इसको रोकने में विफल हो रही है । मैं इसमें आधे घण्टे की चर्चा की मांग करता हूं ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

चूंकि आप लोग मुझे सुन नहीं रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं । इसलिये मैं सदन को एक घंटे के लिये स्थगित करता हूं ।

(इस समय 11 बजकर 39 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिये स्थगित कर दी ।)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में खेती उत्पादों तथा मिल में निर्मित आवश्यक वस्तुओं के कीमतों में संतुलन बनाये रखने की नीति

*1–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार प्रदेश में खेती उत्पादों तथा मिल में बनने वाली आवश्यक चीजों की कीमतों में संतुलन बनाये रखने हेतु किसी नीति पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उक्त नीति का क्या प्रारूप होगा तथा कब से लागू होगा ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

जी हां ।

नीति का प्रारूप अन्तरविभागीय विचार विमर्श के बाद तैयार हो सकेगा ।

अभी इसके लिये समय सारिणी निर्धारित नहीं हुई है ।

प्रदेश में एड्स रोग के लक्षणों से युक्त मरीजों की संख्या एवं परीक्षण की सुविधाएं

*2–श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा'–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में अब तक एड्स के कितने मरीजों की पहचान हो चुकी है ? क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश भर में ऐसे नाजायज तथा प्राइवेट ब्लड बैंक चल रहे हैं जहां रक्त की सभी प्रकार के परीक्षण की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है जबकि एड्स का खतरा हमारे देश और प्रदेश में सेक्स के मुकाबले रक्त से चार गुना अधिक है ? इन ब्लड बैंकों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? प्रदेश में कितने सरकार ब्लड बैंकों में रक्त परीक्षण की सभी सुविधा उपलब्ध हैं ?

श्री बलराम यादव–

प्रदेश में अब तक एड्स रोग के लक्षणों से युक्त 12 (बारह) मरीजों की पहचान हो चुकी है ।

स्वैच्छिक अथवा अनुदान प्राप्त रक्त कोषों एवं निजी रक्त कोषों के लिये निर्देश ज़ारी किये गये हैं कि वे औषधि एवं सौन्दर्य प्रशासन अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च, 1994 तक पंजीकरण आवश्यक रूप से करा लें अन्यथा उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी । रक्त कोषों के लिये उनके द्वारा रक्त वितरण से पूर्व हिपेटाइटिस, मलेरिया, सिफलिस एवं एच० आई० वी० परीक्षण भी अनिवार्य कर दिये गये हैं ।

31 मार्च, 1994 के बाद अपंजीकृत रक्त कोषों के विरुद्ध उक्त अधिनियम के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रदेश के 13 सरकारी ब्लड बैंकों जो क्षेत्रीय रक्त परीक्षण केन्द्र भी हैं, में रक्त परीक्षण की सभी सुविधा उपलब्ध है ।

नोट :–प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली के नियम–41 के अनुसार शेष प्रश्न उत्तरित माने गये ।

स्वास्थ्य सेवाओं को देहात तक पहुंचाने के संबंध में सरकार की कार्ययोजना

*3–श्री हृदय नारायण–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव सुदूर देहात तक पहुंचाने के संबंध में सरकार की क्या कार्य योजना है ?

श्री बलराम यादव–

सबके लिये चिकित्सा सुविधा को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिये 30,000 जनसंख्या पर मैदानी क्षेत्रों के लिये तथा 20,000 जनसंख्या पर पर्वतीय क्षेत्रों के लिये एक नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 5,000 जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों एवं 3,000 जनसंख्या पर पर्वतीय क्षेत्रों में एक-एक उपकेन्द्र तथा 1,00,000 की जनसंख्या पर एक-एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की नई सरकार की कार्य योजना है ।

तारांकित प्रश्न

भारत सरकार द्वारा निर्धारित फर्मों में परिवार नियोजन की माला-एन, माला-डी गोलियों का निर्माण

*1–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवार नियोजन की माला-एन, माला-डी का निर्माण कौन करता है तथा इस पर क्या प्रदेश सरकार का कोई नियंत्रण है ? यदि हां, तो क्या ? क्या प्रदेश सरकार द्वारा इसकी खराबियों की जांच की जाती है ? यदि हां, तो क्या प्रदेश में बदले हुए रंग की माला–एन तथा माला-डी की गोलियां पाई गयी हैं, यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

परिवार नियोजन की माला-एन, माला-डी का निर्माण भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गयी निम्नलिखित फर्मों द्वारा किया जाता है तथा इन पर प्रदेश सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है :––

1–मेसर्स यूफार्मा लेबोरेट्रीज बम्बई (महाराष्ट्र),

2–मेसर्स आई डी० पी० एल०, गुड़गांव (हरियाणा),

3–मेसर्स फार्मे शिया लिमिटेड सिकन्दराबाद, (आन्ध्र प्रदेश),

4–मेसर्स फ्राइमेक्स इन्टर नेशनल लिमिटेड, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गढ़वाल मण्डल की नदियों के पानी का सदुपयोग करने हेतु विचाराधीन योजनाएं

*2–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि रैपरियोजना एवं लस्तर वाया परियोजना, टिहरी गढ़वाल की सर्वे की गयी थी ? क्या यह सही है कि सर्वे करने के बावजूद भी दोनों परियोजनायें अधर में लटकी हुई हैं ? यदि हां, तो क्या इन परियोजनाओं को बनाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि गढ़वाल मण्डल में बहती नदियों के पानी का सदुपयोग करने के संबंध में कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

सर्वे करने के पश्चात् योजनायें प्रचलित विभागीय मापदण्डों के आधार पर उपयोगी नहीं पायी गयी। योजनायें उपयोगी उपलब्ध नहीं होने के कारण इनका निर्माण कराया जाना उपयुक्त नहीं है ।

गढ़वाल मण्डल में बहती नदियों के पानी का सदुपयोग करने हेतु यमुना घाटी में 10 तथा गंगाघाटी में 21 योजनायें सर्वे हेतु विचाराधीन हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर के कतिपय पेट्रोल पम्पों से लिये गये तेल के नमूने तथा मिलावट करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

*3–श्री तेजभान सिंह–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि सुल्तानपुर जनपद में वर्ष 1990-91 में एवं 1991-92 में किन-किन पट्रोल पम्पों से तेल के नमूने लिये गये हैं ? इनके क्या पणिाम आये हैं ? क्या जिनके नमूनों के मिलावट पायी गयी है, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

(क) जनपद सुल्तानपुर में वर्ष 1990-91 में 18 तथा 1991-92 में 6 पेट्रोल पम्पों से पेट्रोल/डीजल के नमूने लिये गये (सूची संलग्न है) ।

(ख) वर्ष 1990-91 में लिये गये नमूनों में से 6 पेट्रोल पम्पों के नमूने अपमिश्रित पाये गये । वर्ष 1991-92 में लिये गये 6 नमूनों के परिणाम प्रतीक्षित हैं ।

(ग) जी हां । आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत सम्बन्धित थानों में मुकदमें दर्ज कराये गये हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 165 पर)

प्राकृतिक रूप से उत्पन्न तेंदूपत्ते पर मण्डी शुल्क समाप्त करने की मांग

*4–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या कृषि मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि तेंदूपत्ता स्वयं प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है अथवा इसकी खेती या वृक्षारोपण किया जाता है ? यदि यह प्राकृतिक रूप से पैदा होता है, सरकार द्वारा इस पर मण्डी शुल्क लगाने का क्या औचित्य है ? क्या शासन तेंदूपत्ते पर से मण्डी शुल्क समाप्त करेगी ? ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राकृतिक उत्पादन है ।

मण्डी अधिनियम की धारा–2 (क) के अन्तर्गत दी गयी अनुसूची में वन उत्पाद की मद में तेंदूपत्ता विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद घोषित है । अतः निर्दिष्ट उत्पाद होने के कारण तेंदूपत्ते के क्रय विक्रय पर मण्डी अधिनियम की धारा 17 के प्राविधानों के अनुसार मण्डी शुल्क लिया जाता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनहित में तेंदूपत्ते पर मण्डी शुल्क समाप्त करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मण्डी शुल्क से प्राप्त धनराशि से मण्डी क्षेत्र में सार्वजनिक हित के विकास कार्य किये जाते हैं ।

जनपद उन्नाव की मौरावां आसीवन ब्रांच की मौरावां डी० वाई० द्वारा कतिपय गांवों तक पानी पहुंचाने की मांग

*5–श्री हृदय नारायण–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले की मौरावां आसीवन ब्रांच की मौरावां डी० वाई० में महारानीखेड़ा, अकोहरी, गुलरिहा जयसिंह खेड़ा आदि गांवों तक पानी नहीं पहुंचता है ? क्या सरकार ने वर्ष 1990-91 में रायबरेली जिले के बरदर नामक स्थान से सई नदी में लिफ्ट पम्प डालकर नरीचक रजबहा में पानी डालकर नरीचक रजबहा द्वारा मौरावां डी० वाई० के उक्त विशाल क्षेत्र में पानी की मात्रा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव तैयार किया था ? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

पानी आवश्यकतानुसार नहीं पहुंचता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई स्थित शारदा नहर (हरदोई ब्रांच) द्वारा नूरपुर व हथौड़ा तथा कई अन्य ग्रामों के किसानों की क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा देने की मांग

*6–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि 19-9-93 को जनपद हरदोई स्थित शारदा नहर (हरदोई ब्रांच) के मील 106 फर्लांग 5 में नहर की दायीं पटरी कट जाने से नूरपुर, हथौड़ा एवं अन्य कई ग्रामों के

किसानों की फसलें चौपट हो गयी थीं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा ग्रामवासियों को मुआवजा दिलाये जाने हेतु अक्टूबर, 93 के अन्तिम सप्ताह में जिलाधिकारी, हरदोई से अनुरोध किया गया था ? यदि हां, तो मुआवजे के भुगतान के बजाय 185 किसानों पर जुर्माने हेतु कार्यवाही करने का क्या कारण है ? क्या इस सिलसिले में 10 मृतक किसानों के नाम से भी नोटिस जारी की गयी है ? क्या मंत्री जी इस सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कराकर जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फतेहपुर की तहसील सदर व खागा के दक्षिण हिस्से में पलेवा हेतु पानी उपलब्ध कराने की मांग

*7–श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पलेवा व सींच के अवसर पर जिला फतेहपुर में स्थित लोअर गंगा व रामगंगा नहर इस समय बन्द है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि 20 दिसम्बर के बाद नहर में पानी छोड़ा जायेगा तथा पानी छोड़ने के बाद लोअर गंगा नहर से जहां रामगंगा नहर निकलती है वहां से 15 दिन रामगंगा नहर में पानी जायेगा ? क्या तब तक लोअर गंगा नहर बन्द रहेगी ? क्या ऐसी स्थिति में फतेहपुर व खागा तहसील के दक्षिण हिस्से में हजारों एकड़ भूमि पलेवा के लिये पानी न पाने की स्थिति में बिना बोयी रह जायेगी ? इसके लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

माह दिसम्बर में पश्चिमी इलाहाबाद शाखा रोस्टर के अनुसार 15-12-93 से 29-12-93 तक 15 दिवस चलना प्रस्तावित थी और इन तिथियों में यह नहर चलायी गयी है । 20 दिसम्बर, 93 के पश्चात् फतेहपुर शाखा रोस्टर के अनुसार 29-12-93 से 12-1-94 तक 15 दिवस चलना प्रस्तावित थी और इन तिथियों में यह नहर रोस्टर के अनुसार चलाई गई है ।

पलेवा और सींच के लिये रोस्टर में नहर चलना प्रस्तावित थी और रोस्टर के अनुसार नहर पलेवा और सींच के लिये चलाई गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, लखनऊ के अधीन कार्यरत कर्मचारियों की सेवा नियमावली

*8–श्री बदन सिंह तथा श्री ऊदल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, लखनऊ के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के लिये सामान्य सेवा नियमावली का अनुमोदन शासन द्वारा हो गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्या उक्त सेवा नियमावली को, जो कि उक्त निगम के निदेशक मण्डल की बैठक में दिनांक 15-4-93 में अनुमोदित होकर शासन में आयी है, को सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के मानक के अनुसार शीघ्र लागू करने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या और कब तक यह लागू होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इस निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों की जो सेवा नियमावली निगम के निदेशक मण्डल के अनुमोदनोपरान्त प्राप्त हुई है, उसे परीक्षणोपरान्त शीघ्र अन्तिम रूप दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद गोरखपुर की मण्डी समिति को हुई आय व्यय का विवरण

*9–श्री शिव प्रताप शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डी समिति गोरखपुर को विगत 3 वर्षों में शासन द्वारा तथा स्थानीय रूप से कितनी आय हुई ? क्या जितनी आय हुई है उसका 60 प्रतिशत संबंधित क्षेत्र में खर्च हुआ है ? यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में कितना काम हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच

*10–श्री मित्रसेन यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, उ० प्र० को दिनांक 20/21-8-93 को मुख्य चिकित्साधिकारी, फैजाबाद के विरुद्ध कोई शिकायती पत्र श्री विश्वनाथ शास्त्री, सांसद, श्री रामचन्द्र बख्श सिंह, एम० एल० सी०, तथा अध्यक्ष जिला परिषद्, फैजाबाद श्री अखंड प्रताप सिंह का प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायती-पत्र के मुख्य-मुख्य बिन्दु क्या हैं ? उन पर आज तक की जांच कार्यवाही की प्रगति क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी, फैजाबाद के विरुद्ध और कौन-कौन सी तथा किस-किस प्रकार की अनियमितताओं संबंधी जांच कार्यवाही शासन स्तर पर लम्बित है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

संदर्भित पत्र में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा० वी० पी० सिंह के विरुद्ध मुख्य रूप से निम्नलिखित शिकायतें हैं :–

1–महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के आदेश दिनांक 27-7-93 का उल्लंघन कर श्रीमती कैलाश पति स्वास्थ्य निरीक्षिका को टी० बी० क्लीनिक, फैजाबाद में होने वाली रिक्ति में न समायोजित करना ।

2–जनपद में कर्मचारियों को आतंकित कर अवैध धन की वसूली करना ।

3–स्थानान्तरण सत्र में नीतियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन कर कर्मचारियों को स्थानान्तरित करना एवं अवैध रूप से धन लेकर उसे संशोधित या निरस्त करना ।

प्राप्त शिकायती पत्रों पर मंडलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, फैजाबाद से जांच कराई गयी । प्राप्त जांच आख्या में डा० वी० पी० सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फैजाबाद को उच्चाधिकारियों के आदेशों के उल्लंघन का प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया और डा० सिंह का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया है । श्रीमती कैलाश पति स्वास्थ्य निरीक्षिका की टी० बी क्लीनिक फैजाबाद में तैनाती अविलम्ब करने के निर्देश महानिदेशक, परिवार कल्याण को दिये जा चुके हैं । डा० वी० वी० सिंह को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फैजाबाद के पद से संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य महानिदेशालय, लखनऊ के पद पर स्थानान्तरित कर दिया गया है । अपर निदेशक की जांच आख्या तथा डा० वी० वी० सिंह के स्पष्टीकरण पर महानिदेशक की आख्या प्राप्त की जा रही है । आख्या प्राप्त होने पर डा० सिंह को दण्डित किये जाने के संबंध में उपयुक्त निर्णय लिया जायेगा ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फैजाबाद के विरुद्ध मुख्य रूप से निम्नलिखित और शिकायतें हैं :—

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के आदेशों की अवहेलना करना, अस्पताल के कर्मियों को आतंकित करना, शासन की नीतियों का उल्लंघन करना, कर्मचारियों को स्थानान्तरित कर उनसे अवैध रूप से धन लेकर उसे निरस्त करना, घोर वित्तीय अनियमिततायें करना, सावन झूला मेला 1992, कार्तिक पूर्णिमा मेला 1992 तथा कार सेवा में शासनादेशों का उल्लंघन कर वित्तीय अनियमिततायें करना आदि ।

उक्त समस्त प्रकरण की विस्तृत जांच करायी जा रही है ।

उ० प्र० प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन द्वारा दुग्ध क्रय किये जाने का मानक तथा क्रय दर की जानकारी

*11–श्री चन्द्रभूषण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० में प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन द्वारा दुग्ध उत्पादकों से किस मानक से दुग्ध क्रय किया जाता है ? उसकी क्रय दरें क्या हैं ? क्या इन दरों में अन्य दुग्ध क्रय एजेन्सी (लिप्टन इण्डिया, गलैक्सो) के क्रय मूल्यों में अन्तर है ? यदि हां, तो क्या इस अन्तर को समान किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

दुग्ध उत्पादकों से दूध का क्रय प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन द्वारा नहीं बल्कि विभिन्न दुग्ध उत्पादक संघों द्वारा अपने क्षेत्र की दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाता है तथा उसका क्रय मूल्य दूध में उपलब्ध वसा एवं वसा रहित ठोस के प्रतिशत पर आधारित है जिसका मानक 6.5 प्रतिशत वसा तथा 9 प्रतिशत वसा रहित ठोस है विभिन्न दुग्ध सहकारी संघों के संबंध में दुग्ध मूल्य की क्रय दरें वर्तमान में निम्नवत हैं :—

क्रम संख्या	दुग्ध संघ/जनपद	दुग्ध क्रय दर (6.5 % वसा एवं 9.0% वसा रहित ठोस मानक पर (रुपये/कि०ग्रा०)

1	2	3
1	आगरा	5.50
2	अलीगढ़	5.50
3	इलाहाबाद	5.50
4	बदायूं	5.00
5	बलिया	6.00
6	बिजनौर	5.00
7	बाराबंकी	5.50
8	बुलन्दशहर	5.30
9	एटा	5.50
10	इटावा	5.50
11	फर्रुखाबाद	5.50
12	फतेहपुर	5.50
13	फिरोजाबाद	5.30
14	गाजियाबाद	5.50
15	गाजीपुर	6.00
16	हरदोई	5.50
17	जौनपुर	6.00
18	कानपुर	5.50
19	लखनऊ	6.00
20	मथुरा	5.30
21	मेरठ	5.30
22	मुरादाबाद	5.00
23	मुजफ्फरनगर	5.30
24	रायबरेली	5.50
25	सहारनपुर	5.30
26	सीतापुर	5.50
27	सुल्तानपुर	5.50
28	उन्नाव	5.50
29	वाराणसी	6.00
30	बरेली	5.00
31	शाहजहांपुर	6.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
32	पीलीभीत	5.00
33	फैजाबाद	6.00
34	गोण्डा	6.00
35	बहराइच	5.50
36	गोरखपुर	6.00
37	बस्ती	5.50
38	देवरिया	6.00
39	आजमगढ़	6.00
40	महराजगंज	6.00
41	सिद्धार्थनगर	6.00
42	मऊ	6.50
43	झांसी	5.50
44	जालौन	5.50
45	हमीरपुर	6.00
46	बांदा	6.00
47	लखीमपुर खीरी	6.00
48	रामपुर	5.00
49	मिर्जापुर	6.00
50	प्रतापगढ़	6.00
51	नैनीताल	6.00
52	अल्मोड़ा	6.00
53	पिथौरागढ़	6.50
54	देहरादून	6.50
55	श्रीनगर	6.50
56	टिहरी गढ़वाल	6.50
57	चमोली	6.50
58	उत्तरकाशी	6.50

उत्तर प्रदेश विधान सभा

लिप्टन इण्डिया तथा एटा जनपद के दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के दुग्ध क्रय मूल्यो में 20 पैसे प्रति किलोग्राम का मामूली अन्तर है किन्तु ग्लैक्सो इण्डिया के सापेक्ष सम्बन्धित दुग्ध संघ की दुग्ध क्रय दरों में कोई अन्तर नहीं है ।

आर्थिक एवं व्यवसायिक दृष्टिकोण से क्षेत्र तथा संख्या की स्थिति को ध्यान में रखकर दूध का क्रय मूल्य निर्धारित किया जाता है तथा निजी क्षेत्र के दुग्ध प्रतिष्ठानों की व्यवसायिक स्वतंत्रता के कारण उनके एवं सहकारी दुग्ध संस्थाओं के दुग्ध क्रय मूल्यों में समानता आवश्यक नहीं है ।

जनपद देवरिया में वर्तमान वित्तीय वर्ष में राजकीय नलकूप लगाने की योजना तथा असफल नलकूपों की मरम्मत शीघ्र करने की मांग

*12–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मार्च, 1994 तक कितने नये ट्यूबवेल लगाने की योजना है ? क्या पुराने खराब ट्यूबवेलों को ठीक कराने, नालियों की मरम्मत एवं नव निर्माण का कार्य भी कराया जायेगा ? क्या यह भी बतायेंगे कि देवरिया जनपद में कितने राजकीय नलकूप खराब चल रहे हैं ? क्या उनको शीघ्र ही ठीक कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 1993-94 में मार्च, 1994 तक कुल 91 नये नलकूप लगाने की योजना है ।

जी हां, जनपद प्लान एवं अन्य योजनाओं के वित्तीय प्राविधान के अनुसार पुराने असफल नलकूपों का पुनः निर्माण, नालियों (गूल) का जीर्णोद्धार एवं जल वितरण प्रणाली का नव निर्माण कार्य कराया जा रहा है ।

जनपद देवरिया में सप्ताहान्त दि० 27-1-94 को अस्थाई रूप से यांत्रिक दोष से 18 तथा विद्युत दोष से 32 नलकूप बन्द थे । उपरोक्त के अतिरिक्त जनपद देवरिया में 7 राजकीय नलकूप असफल हैं तथा 46 नलकूप परित्याग हेतु प्रस्तावित हैं ।

अस्थाई रूप से बन्द नलकूपों में से यांत्रिक दोष से बन्द 12 नलकूप तथा विद्युत दोष से बन्द 24 नलकूप दिनांक 3-2-94 तक चालू कर दिये गये हैं । शेष नलकूपों की मरम्मत प्रगति पर है ।

असफल नलकूपों में से एक का पुनः निर्माण वर्ष 1993-94 में किया जा रहा है तथा शेष 6 असफल नलकूपों का पुनः निर्माण आगामी जनपद योजनाओं से प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सरकार द्वारा वर्तमान समय में परखनली द्वारा संतानोत्पति की प्रक्रिया विषयक योजना की जानकारी

*13–श्री रणजीत सिंह जूदेव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या परखनली के द्वारा संतानोत्पति की प्रक्रिया में प्रयास करने के लिये और उन परिवारों के सुख में वृद्धि करने के लिये, जहां महिलायें सामान्य प्राकृतिक ढंग से बच्चे का जन्म नहीं देती हैं, सरकार के समक्ष कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उस योजना का प्रारूप क्या है ?

श्री बलराम यादव–

वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भावर क्षेत्र में पेयजल एवं सिंचाई सुविधा की व्यवस्था हेतु जमरानी बांध परियोजना को पूरा करने की मांग

*14–श्री बंशीधर राज–

क्या सरकार को जानकारी है कि भावर क्षेत्र के लिये पेयजल एवं सिंचाई की व्यवस्था हेतु जमरानी बांध परियोजना निर्माणाधीन है, जिससे सारे भावरी क्षेत्र की जीवन मरण का प्रश्न जुड़ा हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त योजना में करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी यह परियोजना वैसी की वैसी अधूरी पड़ी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे पूरा कराने हेतु लोक हित में प्राथमिकता देगी ? यदि हां, तो कब तक योजना पर कार्य शुरू किया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

इतना कहना सही होगा कि जमरानी बांध परियोजना के निर्माण के पश्चात् कथित भावर क्षेत्र भी लाभान्वित होगा ।

इस योजना पर कुछ कार्य हो चुका है । शेष कार्य परियोजना को पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार की स्वीकृति न मिलने के कारण रुका हुआ है ।

राज्य सरकार इस स्वीकृति को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है ।

परियोजना संबंधी अग्रिम कार्यवाही उक्त स्वीकृति तथा धन की उपलब्धता पर सम्भव होगी ।

जनपद महराजगंज के विकास खण्ड सिसवा, निचलौल के कतिपय ग्रामों में सिंचाई हेतु नलकूप लगाने की मांग

*15–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड सिसवा, महराजगंज के डढौली व गंगोली तथा विकास खण्ड निचलौल के ग्राम सभा जहदा, बरईपार, सुकरहट, बकुल्डीहा व रवतार कटका के असिंचित क्षेत्र को सिंचाई सुविधा देने हेतु नये नलकूप लगाने संबंधी आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

कथित ग्रामों का अधिकतर कृषि योग्य क्षेत्र नहर व राजकीय नलकूप के कमाण्ड में हैं ।

सिंचाई विभाग द्वारा नहरों से पानी उपलब्ध कराने तथा नहर काटने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग

*16–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नहरों के छोर तक पानी पहुंचे तथा नहर क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक खेत को निर्बाध रूप से पानी मिले इसके लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ? क्या सरकार के समक्ष नहर काटने वालों के खिलाफ और अधिक कड़ाई बरते जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सिंचाई विभाग नहरों तथा जलाशयों में उपलब्ध जल को रोस्टर के अनुसार अपने सिंचन क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र में पानी पहुंचाता है । नहरों के छोर पर पानी पहुंचाने के लिये उपलब्ध धनराशि के अनुसार नहरों की सफाई इनकी कटिंग पर नजर रखने तथा अवैध कुलाबों को हटाने की कार्यवाही भी सिंचाई विभाग करता है ।

नहर काटने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के आदेश हैं । ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध थाने में एफ० आई० आर० विभागीय कार्यवाही तथा तावान की वसूली की कार्यवाही भी की जाती है ।

*17–श्रीमती रानी देव लता–

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

सिंचाई विभाग उ० प्र० के अन्तर्गत आरक्षित अवर अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पदों पर पदोन्नति सम्बन्धी कार्यवाही

*18–श्री अजय कुमार पोइया– ,

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग, उ० प्र० के अन्तर्गत माह जुलाई, 1993 में जो पदोन्नतियां अवर अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर की गयी थीं, उसके चयन प्रक्रिया में जो विसंगतियां हुई हैं, आज तक अनेकों रिट पिटीशन एवं प्रत्यावेदन देने के बाद भी छूटे हुए पात्र लगभग 43 आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/जनजाति) के अभ्यर्थियों का पांच माह से अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात् भी पदोन्नति नहीं की गयी है ? यदि हां, तो पदोन्नति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या चयन समिति में सेवा नियमावली, 1993 के रूल 18 के आधार पर पदोन्नति क्यों नहीं की एवं विसंगतियां दूर करने के लिये आज तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पदों पर तदर्थ पदोन्नति संबंधी जुलाई, 1993 में जारी आदेशों के अतिरिक्त 38 आरक्षित पदों के संबंध में ऐसे आदेश होने शेष हैं ।

इन पदों पर भी नियमानुसार पदोन्नति संबंधी कार्यवाही प्रगति पर है ।

होम्योपैथिक चिकित्सा के अन्तर्गत प्रधानाचार्य व अधिकारियों का आरक्षण कोटा पूरा करने की मांग

*19–श्री छोटे लाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि होम्योपैथिक चिकित्सा के अन्तर्गत कुल कितने पद प्रधानाचार्य, शिक्षक तथा चिकित्सा अधिकारियों के शासन से स्वीकृत हैं उनमें से कितने-कितने पद अलग-अलग रिक्त हैं ? उक्त पदों में अनुसूचित जाति, जन जाति के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं ? क्या अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार विशेष भर्ती अभियान चलाकर कोटा पूरा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

प्रधानाचार्य के 10 पद, शिक्षक के 177 तथा चिकित्साधिकारी के 1124 पद एवं जिला होम्यो० चिकित्साधिकारी के 40 पद स्वीकृत हैं ।

प्रधानाचार्य के 4 पद, शिक्षक के 68 पद, जिला होम्यो० चिकित्साधिकारी का एक पद तथा चिकित्साधिकारी के 463 पद रिक्त हैं ।

अनुसूचित जाति के 123 व्यक्ति कार्यरत हैं, अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति कार्यरत नहीं है ।

जी नहीं ।

कालेज के प्राचार्य, प्रोफेसर, रीडर एवं प्रवक्ता के पद एवं चिकित्साधिकारियों के पद लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत आते हैं । आरक्षण कोटा पूर्ण करने के लिये नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

*20–श्री महेन्द्र सिंह माहरा (महू भाई)–

[दिनांक 1-3-94 को ता० प्र० सं० 6 द्वारा उत्तरित]

अतारांकित प्रश्न

जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल द्वारा घन्डियाल देवता के प्रांगण के निर्माण व समतलीकरण हेतु अनटाइड फण्ड (मुक्त कोष) से स्वीकृत धनराशि

1–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड कीर्तिनगर की पट्टी लोहा, जनपद टिहरी गढ़वाल में घण्टाकरण देवता (घन्डियाल देवता) के प्रांगण के निर्माण हेतु जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल के अन्टाइट फण्ड (अनुमुक्त कोष) से कितनी धनराशि दी थी ? क्या इस धनराशि का सही प्रयोग हुआ ? क्या प्रांगण का निर्माण किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जिला प्रशासन ने इस कार्य की जांच की ? यदि हां, तो जांच में क्या पाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

घन्डियाल देवता के प्रांगण के निर्माण/समतलीकरण हेतु वर्ष 1992-93 में जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल द्वारा रु० 40,000.00 की धनराशि अनटाइड फण्ड (मुक्त कोष) से स्वीकृति की गई थी ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

2–श्री मित्रसेन यादव–

[1ले सोमवार में अता० प्र० सं० 96 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद अल्मोड़ा के राजकीय इण्टर कालेज, जौरासी में मान्यता प्राप्त विषयों को पढ़ाने के लिए पदों को सृजित करने की मांग

3–श्री बची सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि राजकीय इण्टर कालेज, जौरासी, जनपद अल्मोड़ा को केवल विज्ञान वर्ग की मान्यता प्राप्त है ? यदि हां, तो क्या इस विद्यालय में एल० टी० वेतनक्रम में विज्ञान तथा गणित विषयों के पद आज तक सृजित नहीं किये गये है ? यदि हां, तो छात्र हितों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त पद कब तक सृजित किये जायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद अल्मोड़ा के राजकीय इण्टर कालेज, जौरासी में साहित्यिक वर्ग की मान्यता देने की मांग

4–श्री बची सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद अल्मोड़ा के राजकीय इण्टर कालेज, जौरासी में केवल विज्ञान वर्ग की मान्यता प्राप्त है, तथा साहित्यिक वर्ग की मान्यता दिये जाने हेतु विभागीय प्रस्ताव भेजने के साथ-साथ छात्र व अभिभावक लगातार मांग करते आये हैं ? यदि हां, तो इस सुदूर पिछड़े क्षेत्र के छात्रों को साहित्यिक वर्ग से शिक्षा देने के लिये सरकार इस इण्टर कालेज में साहित्यिक वर्ग की मान्यता कब तक प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

वित्तीय वर्ष 1993-94 में साहित्यिक वर्ग को मान्यता दिया जाना सम्भव नहीं है ।

सीमिति वित्तीय संसाधनों के कारण ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड थैलीसैण स्थित अम्बेदकर गांव बगण्यू (पिनाकोट) में सिंचाई गूलों का निर्माण तथा सिंचाई लक्ष्य की जांच

5–श्री रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड थैलीसैण स्थित अम्बेडकर गांव, बगण्यू (पिनाकोट) में कब और कितनी लागत से सिंचाई गूलें बनायी गयी हैं ? क्या यह सही है कि जबसे गूलें बनी हैं तब से आज तक उसमें एक बूंद भी पानी नहीं आया ? क्या यह भी बतायेंगे कि उक्त सिंचाई गूलों से कितनी भूमि की सिंचाई होनी चाहिए थी ? क्या यह अपने प्रथम चरण के लक्ष्य की पूर्ति कर सकी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसके लिये शासन द्वारा किसी को जिम्मेदार ठहराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड थैलीसैण स्थित अम्बेदकर गांव बगण्यू (पिनाकोट) में मार्च, 1993 तक रु० 1.92 लाख की लागत से 1.10 कि०मी० लम्बी गूलें (नहर) बनाई गई है ।

जी हां ।

उक्त नहर से खरीफ एवं रबी में कुल 6.34 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई प्रस्तावित थी ।

जी नहीं ।

कारणों की जांच की जा रही है । जांचोपरान्त ज्ञात हो सकेगा ।

6–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत व्यापारियों का उत्पीड़न न करने का निर्देश

7–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या आवश्यक वस्तु अधिनियम अथवा उसकी कतिपय धाराओं के क्रियान्वयन पर शासन द्वारा रोक लगा दी गई है ? यदि हां, तो इस बारे में शासन द्वारा जो शासनादेश अथवा विज्ञप्ति जारी की गयी है, उसकी एक प्रति क्या सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

व्यापारियों के अनावश्यक उत्पीड़न को रोकने के उद्देश्य से आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमें न दर्ज करने के आदेश जारी किये गये हैं । साथ ही जमाखोरी, मुनाफाखोरी रोकने के लिये विभिन्न कन्ट्रोल आर्डर के अन्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं । शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 2826/29-खा-7-93, दिनांक 15-12-93 की प्रतिलिपि सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 166–167 पर)

शारदा नहर, लखनऊ डिवीजन, लखनऊ में सिंचाई विभाग द्वारा कतिपय ग्रामों के किसानों को राहत देने और जल प्लावन समाप्त करने की मांग

8–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा नहर, लखनऊ डिवीजन, लखनऊ सिंचाई विभाग द्वारा पेकौली, परीवां, दुर्गागंज, नरदही, गनहरी, खैराकनकू, जल प्लावन पीड़ित किसानों को राहत देने व जलभराव समाप्त कराने हेतु शताब्दी ड्रेन का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसका कब तक निर्माण कार्य पूरा होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत असिंचित क्षेत्र में राजकीय नलकूप लगाने की मांग

9–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले के अन्तर्गत असिंचित क्षेत्र को सिंचित बनाने के लिये मौलाबाद मेझार, दौलतपुर, दोहरी, भिलवल, व्वाजा आल्हेपुर, तहवापुर, धौरहरा, लोदीकोट, भितरी, जसकापुर, रौनी, सरायरावत, खेरवा, थानपुर, लोहरोपुर भटौरा, सन्तोषपुर, सालपुर, वैरिहा, सराय निरहू, अमानपुर, सुकनुद्दीनपुर, लदईपुरवा, मल्हनपुरवा, निदूरी टिकुरी महानगर, भुलियामऊ, गुडपुरवा, हुसैनाबाद, इच्छापुरवा चकौरा, मल्हनपुरवा, आलापुर, रेहरा, कैथी मुस्तफाबाद, कोलवा तौलीचंदा, सीढ़मऊ आदि ग्रामों में राजकीय नलकूप लगाने की कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय नलकूप जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत होने पर लगाए जाते हैं ।

10–श्री विजय सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद सुल्तानपुर में शारदा सहायक खण्ड–49 के अन्तर्गत मस्टर रोल द्वारा कतिपय ड्रेनों की खुदाई का कार्य

11–श्री तेजभान सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सुल्तानपुर में शारदा सहायक–खण्ड 49 के अन्तर्गत ब्लाक जामो व शाहगढ़ में वर्ष 1991-92, 92-93 में चन्दौकी, बरौलिया, मसियांव, जलामा अहुरी ड्रेनों पर खुदाई की गई है ? यदि हां, तो वर्क आर्डर द्वारा किन-किन ड्रेन पर कार्य हुआ है और कितने-कितने धन का भुगतान हुआ है ? क्या मंत्री जी प्रत्येक भुगतान प्राप्त ठेकेदार का नाम, निवास, ड्रेन का नाम, वर्षवार सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? मस्टर रोल द्वारा किन-किन ड्रेनों की खुदाई की गई ? प्रत्येक कार्य पर हुए भुगतान का ड्रेन वाइज वर्ष क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्ष 1991-92 व 92-93 में ब्लाक जामो व शाहगढ़ में केवल मसियांव ताल ड्रेन तथा बरौलिया ड्रेन में खुदाई कार्य किया गया है । चन्दौकी, जलामा व अहुरी ताल ड्रेनों पर कोई खुदाई कार्य नहीं किया गया है ।

मसियांव ताल तथा बरौलिया ड्रेन पर कार्य हुआ जिस पर क्रमशः 22,396.00 तथा 10,022.00 रुपये का भुगतान किया गया ।

मा० सदस्य महोदय विस्तृत विवरण अपनी सुविधानुसार मा० मंत्री जी के कार्यालय कक्ष में देख सकते हैं ।

वर्ष 1991-92 व 92-93 में मस्टर रोल द्वारा ड्रेनों की खुदाई का कोई भी कार्य नहीं हुआ । अतः व्यय का प्रश्न ही नहीं उठता ।

12-13–श्री तेजभान सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद सुल्तानपुर की तहसील अमेठी ड्रेन मसियांव के अवशेष किसानों को प्रतिकर देने की मांग

14–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के सातवें बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–192 के उत्तर के संबंध में क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उक्त ड्रेन मसियांव के शेष किसानों का मुआवजा बांट दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? प्रश्नगत शेष ड्रेनों की भूमि अध्याप्ति कार्यवाही क्या पूर्ण हो गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कार्यवाही को पूर्ण होने में अभी कितना समय लगेगा ? प्रश्नगत सभी ड्रेनों के मुआवजा वितरण की कार्यवाही को मंत्री जी कब तक सुनिश्चित करा देंगे ? क्या मुआवजा वितरण भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही शीघ्र न करने व काश्तकारों का उत्पीड़न को देखते हुए जांच करके दोषी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

ड्रेन मसियांव से संबंधित शेष 214 कृषकों में से 76 कृषकों को दिनांक 12-5-93 से 4-1-94 के मध्य प्रतिकर वितरण किया गया । अवशेष 138 कृषकों में से 38 कृषकों को प्रतिकर वितरण विवादित होने के कारण नहीं हुआ है । अवशेष 100 कृषकों के प्रतिकर की धनराशि विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा चुकी है ।

गौरीपुर, हरदोइया, हरिकरनपुर तथा कमालपुर ड्रेनों की भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही अभी पूर्ण नहीं हुई है । गौरीपुर तथा कमालपुर ड्रेनों की अधिसूचना राजकीय गजट मे प्रकाशित न होने के कारण लैप्स हो गई । माह 2/94 में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी ने इस संबंध में विभाग को लिखा है । हरिकरनपुर ड्रेन के भू प्रस्ताव की त्रुटियों के निराकरण हेतु विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी तथा हरदोइया ड्रेन के भू प्रस्ताव के सत्यापन हेतु तहसीलदार अमेठी को लिखा गया है । जहां तक प्रतिकर वितरण का प्रश्न है, इस संबंध में कार्यवाही विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा वैधानिक कार्यवाही के उपरान्त की जाती हैं ।

जनपद सोनभद्र के दुद्धी विधान सभा क्षेत्र में वर्णित वर्षों में कतिपय योजनाओं में कराये गये कार्यों पर व्यय धनराशि का भौतिक सत्यापन

15–श्री विजय सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद सोनभद्र के दुद्धी विधान सभा क्षेत्र में गत तीन वर्षों (90-91, 91-92, 92--93) में जवाहर रोजगार योजना, दस लाख कूप योजना, पूर्वांचल निधि एवं अन्य विकास योजनाओं के तहत जो परियोजना निदेशक के माध्यम से खर्च किये गये हैं, उसका वर्षवार ब्यौरा किन-किन कार्यों पर खर्च करने का है । कितने कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं और कितने अधूरे हैं तथा कितने कार्यों पर धन डी० आर० डी० ए० के माध्यम से दिया गया है और वह धन खर्च न होने के कारण क्या हैं ? क्या सरकार इसका भौतिक सत्यापन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास एवं क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री श्रीराम यादव)–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बाराबंकी के गनेशपुर से सिरौली गुंग तक के बांध मार्ग को पक्का बनाने तथा बाढ़ से प्रभावित गांवों की सुरक्षा व्यवस्था की मांग

16–श्रीमती राज लक्ष्मी वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के गनेशपुर से सिरौली गुंग तक घाघरा नदी के दक्षिण तरफ बने हुये बांध एवं घाघरा नदी के बीच में बसे हुये गांव और उसकी बाढ़ से सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई ? क्या हर गांव को बांध से या सम्पर्क मार्ग से जोड़ा गया ? क्या पुलिया बनायी गयी जबकि यह बांध सड़क मार्ग में भी प्रयोग होता है जो बीच-बीच में कटा गया है ? क्या शासन द्वारा इसको पक्का मार्ग बनाने तथा बाढ़ से गांव की सुरक्षा व्यवस्था करने की कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

घाघरा नदी एवं सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित बन्धों के बीच बसे हुए बाढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों को बाढ़ के संकेत मिलते ही जिला प्रशासन यथावश्यक व्यवस्था करवा देता है । ऐसी व्यवस्था जिसके अन्तर्गत बन्धे आदि बनाकर इस क्षेत्र को बाढ़ से प्रभावहीन बना दिया जाय, फिलहाल करना सम्भव नहीं है ।

जी नहीं ।

बंधे पर पुलिया नहीं बनाई जाती । जल निकासी हेतु रेगुलेटर का निर्माण वांछित स्थानों पर किया गया है ।

बन्धे को पक्का मार्ग बनाने की सिंचाई विभाग द्वारा कोई योजना प्रस्तावित नहीं है ।

नदी व बन्धे के बीच बसे ग्राम नदी के बाढ़ क्षेत्र में स्थित हैं । अतः उनकी कोई सुरक्षा व्यवस्था करना संभव नहीं है ।

राज्य स्वास्थ्य परिवहन कर्मचारी तकनीकी संघ, उ० प्र०, लखनऊ के पत्रों पर कृत कार्यवाही की जानकारी एवं अभियन्त्रण सेवाओं में नीतिगत सुधार की मांग

17–श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री किशन लाल दिलेर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विभाग की अभियंत्रण सेवाओं में सुधार लाने के संबंध में वार्ता हेतु समय प्रदान करने के बारे में राज्य स्वास्थ्य परिवहन तकनीकी कर्मचारी संघ, उ० प्र० लखनऊ के 9-7-93, 18-7-93 के पत्रों सहित जुलाई, 93 से सितम्बर, 93 तक श्री राज्यपाल के सलाहकार एवं उनके स्टाफ आफिसर के माध्यम से तथा चिकित्सा अनुभाग–5 के अधिकारियों के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग, उ० प्र० सचिवालय को कब-कब पत्र प्राप्त हुये हैं ? इनमें से किस-किस दिनांक के पत्रों में सलाहकार एवं स्टाफ आफिसर ने आख्या देने हेतु आदेश दिये हैं तथा इन पत्रों में वार्ता हेतु क्या-क्या मुख्य बिन्दु उठाये गये हैं ? क्या स्वास्थ्य विभाग, उ० प्र० सचिवालय द्वारा तत्कालीन सलाहकार को या वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री जी को आख्या प्रेषित कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी उल्लिखित पत्रों पर आख्या प्राप्त करने एवं उक्त कर्मचारी संघ व पटुआ डांगर (नैनीताल) कर्मचारी

संयुक्त परिषद् के प्रतिनिधियों के साथ मंत्री स्तर पर वार्ता कर यूनियन के मांग पत्रों पर कार्यवाही करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां, उल्लिखित दोनों पत्रों सहित राज्य स्वास्थ्य परिवहन कर्मचारी तकनीकी संघ, उ० प्र० के पत्र दिनांक 19-7-93, 29-7-93, 17-8-93 एवं उनकी प्रतियां दिनांक 14-7-93, 24-7-93 एवं 20-8-93, 7-8-93, 28-8-93 को प्राप्त हुए हैं ।

पत्र दिनांक 9-7-93, 18-7-93, 29-7-93, 17-8-93 में मा० सलाहकार एवं स्टाफ आफिसर द्वारा आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे । उक्त पत्रों में मुख्य रूप से 10-15 वर्षों से तैनात अभियन्ताओं के स्थानान्तरण एवं अभियन्त्रण सेवाओं में नीतिगत सुधार के बिन्दु उठाये गये हैं ।

जी नहीं । मामले का परीक्षण किया जा रहा है ।

पूर्व में प्राप्त पत्रों पर मामले का परीक्षण कराकर नियमानुसार कार्यवाही कराई जायेगी । वार्ता हेतु यदि संघ से कोई पत्र प्राप्त होता है तो उस पर विचार किया जायेगा । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सोनभद्र के ग्राम कचनखा में राजकीय एलोपैथिक हास्पिटल में मुख्य चिकित्साधिकारी की नियुक्ति की मांग

18–श्री विजय सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के ग्राम कचनखा में राजकीय एलोपैथिक हास्पिटल कब से खुला है ? शासन द्वारा वहां पर एम० बी० बी० एस० डाक्टर की पोस्टिंग अब तक न करने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि उस अस्पताल में सन् 1978 से एक कम्पाउन्डर ही कार्यरत है, और उसके लड़के को भी वहां कम्पाउन्डर बना दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर उक्त हास्पिटल का कम्पाउन्डर तथा मुख्य चिकित्साधिकारी, सोनभद्र से किसी भी डाक्टर की नियुक्ति कराने की कार्यवाही करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद लखनऊ में प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग के अन्तर्गत कार्यरत श्री बी० के० भटनागर, अधीक्षण अभियन्ता, ऊपरी गंगा नहर आधुनिकीकरण मंडल–2 (विश्वबैंक) बुलन्दशहर के विरुद्ध जांच के आदेश

19–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ के अन्तर्गत कार्यरत श्री बी० के० भटनागर, अधीक्षण अभियन्ता, ऊपरी गंगा नगर आधुनिकीकरण मंडल–2 (विश्व बैंक), बुलन्दशहर के विरुद्ध डा० क्षत्रपाल सिंह, सांसद, बुलन्दशहर ने अपने पत्र दिनांक 19-10-92, 20-10-92, 12-9-92 को मुख्य मंत्री की लगभग 50 करोड़ रुपये के कार्य के फर्जी भुगतान तथा विश्व बैंक मिशन के टीम के प्रतिकूल टिप्पणी संबंधी पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उसमें उसकी बिन्दुवार स्थिति क्या है ? क्या यह सत्य है कि गम्भीर आरोपों के बावजूद उपरोक्त कार्यकारी को संवेदनशील पदों पर

रखा गया है ? यदि हां, तो किस अधिकारी के आदेश से ? विश्वबैंक मिशन की टीम ने उस पर क्या टिप्पणी की है ? क्या उसकी प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

शिकायती पत्र पर वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराने के आदेश दिये जा चुके हैं । जांच में आरोपों के प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने पर ही कार्यवाही अपेक्षित होती है ।

सम्प्रति प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद एटा में विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत माचुआ रजबहा, उपखण्ड एटा द्वारा कराये गये मिट्टी कार्य में कथित घपले की जांच के आदेश

20–श्री अवधपाल सिंह यादव–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद एटा में विश्वबैंक परियोजना द्वारा माचुआ रजबहा, एटा उपखण्ड एटा के द्वारा 58 से 76 किमी० पर एटा की सीमा पर कराये गये मिट्टी के कार्य में काफी घपला संबंधित अधिकारियों व ठेकेदार द्वारा मिलकर किया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने जा रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मामले में जांच के आदेश दिये जा चुके हैं ।

जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड म्योरपुर बमनी और दुद्धी में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा वर्णित वर्षों में कराये गये कार्यों को पूरा करने की मांग

21–श्री विजय सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड म्योरपुर बमनी और दुद्धी में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा गत तीन वर्षों में 90-91, 91-92, 92-93 में कौन-कौन कार्य अभी अधूरे हैं ? उक्त कार्य किस वर्ष में स्वीकृत हुआ था ? उक्त सभी अधूरे कार्य कब तक पूर्ण करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड सोनभद्र में विकास खण्ड म्योरपुर, बमनी तथा दुद्धी में वर्ष 90-91, 91-92, 92-93 के निम्न स्वीकृत कार्य अधूरे हैं :–

विकास खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष
म्योरपुर	प्रा० पां० पिपरी (प्रथम)	90-91
बमनी	प्रा० पा० घघरा	90-91
म्योरपुर	परनीबंधी	91-92
म्योरपुर	सांगोबांध तालाब	91-92
दुद्धी	मुरताुरुइयां बंधी	91-92

वर्ष 92-93 में उक्त विकास खण्डों में कोई नया कार्य स्वीकृत नही हुआ है ।

उक्त अधूरे कार्यों में से परनीबन्धी सांगों बांध तालाब तथा मुरता रूइयां बंधी का अवशेष कार्य 31-3-94 तक पूर्ण हो जायेगा ।

प्राइमरी पाठशाला पिपरी (प्रथम) व प्राइमरी पाठशाला घघरा का कार्य धनाभाव के कारण आरम्भ नहीं हुआ है। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, सोनभद्र से उक्त प्राइमरी पाठशाला निर्माण हेतु धन की मांग की गयी है। धन प्राप्त होने पर कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।

पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत श्रीनगर-बुधाणी-खिर्सु व पौड़ी कांसखेत–बांघाट मोटर मार्ग को पक्का करने की मांग

22–श्री हरक सिंह रावत–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत श्रीनगर-बुघाणी-खिर्सु, पौड़ी-कांसखेत-बांघाट मोटर मार्ग को पक्का करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो यह कब तक पक्का हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं। श्रीनगर-बूधाणी-सिर्खू मोटर मार्ग 4 कि०मी० तक पक्का है शेष 26 कि०मी० कच्चा है।

पौडी-कांसखेत-बांघाट मोटर मार्ग 11 किलोमीटर पक्का है शेष 27 किलोमीटर कच्चा है।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधन।

जनपद जौनपुर के तहसील व खण्ड बदलापुर के न्याय पंचायत जोखापुर के ग्राम सभा भेलुपुर की ग्राम समाज की भूमि में सरकारी ट्यूबल लगाने की मांग

23–श्री तेजभान सिंह तथा श्री जगदम्बा सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड बदलापुर, तहसील बदलापुर, जनपद जौनपुर के न्याय पंचायत, जोखापुर में कितने सरकारी ट्यूबवेल वर्ष 93 तक लगवाये गये हैं। यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी उक्त न्याय पंचायत के गांव सभा गौरा-भेलपुर के सरहद पर, जो कि श्री सभाजीत सिंह के घर के पीछे खाली पड़ी ग्राम समाज की जमीन पर एक सरकारी ट्यूबवेल लगवाये जाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

कोई नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्र के भू-गर्भ का पानी खारा बताया गया है।

जनपद सुल्तानपुर के सिंचाई खण्ड–49 में ड्रेनों की खुदाई पर हुए व्यय का विवरण

24–श्री तेजभान सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के सिंचाई खण्ड–49 में कितनी छोटी बड़ी खुदाई मशीन हैं ? उन पर वर्ष 1990-91, 91-92, 92-93 में प्रत्येक मशीन के रख-रखाव/ कल पुर्जों पर कितना खर्च हुआ है ? प्रत्येक मशीन द्वारा प्रत्येक वर्ष में कितना व किन-किन ड्रेनों की कितने कि० मी०

खुदाई की गयी है ? उन ड्रेनों की खुदाई पर कितना खर्च आया है ? उक्त विभाग द्वारा टेण्डर/वर्क आर्डर/मस्टर रोल द्वारा कितनी ड्रेनों पर खुदाई की गई ? उस पर कुल कितना धन खर्च किया गया है ? क्या मंत्री जी उक्त समस्त कार्यों का ब्योरा वर्षवार सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

शारदा सहायक खण्ड–49 में वर्तमान समय में निम्न 4 मशीनें हैं जिन पर वर्ष 1990-91, 91-92, 92-93 में प्रत्येक मशीन के रख-रखाव कल पुर्जों पर हुये व्यय का विवरण निम्नवत् है :–

मशीन नं०	वर्ष 90-91	वर्ष 91-92	वर्ष 92-93
वी० ई० एम० एल०–40	8124.50	28135.00	27543.44
वी० ई० एम० एल०–41	36381.85	18662.55	35062.22
प्रोक्कलेन नं०–2	206753.70	152695.45	211300.76
जे० सी० वी० म० नं०–30121	55121.10	42094.54	121738.46

प्रत्येक मशीन द्वारा उपरोक्त वर्षों में ड्रेनों की कि० मी० की खुदाई, खुदाई पर हुये व्यय तथा टेण्डर/वर्कआर्डर/मस्टररोल द्वारा 85 ड्रेनों की खुदाई पर हुये रु० 35.98 लाख के व्यय के विवरण मेरे कार्यालय कक्ष में प्रश्नकर्ता महोदय किसी भी कार्यदिवस में सुविधानुसार अवलोकित कर सकते हैं।

जनपद बांदा के विकास खण्ड मानिकपुर के कतिपय ग्रामों के राजकीय ट्यूबवेलों की मरम्मत कराने की मांग

25–श्री मन्नू लाल कुरील–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले के मानिकपुर विकास खण्ड के भौरी, सरैंया बाई का कुंआ, एकडड़ी बरुई बरगढ़ मोड़, छिउलहा आदि ग्रामों में शासन द्वारा ट्यूबवेल की बोरिंग वर्ष 91-92, 92-93 में कराई गई थी ? यदि हां, तो क्या वें ट्यूबवेल चालू हालत में हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त ट्यूबवेल ग्रीष्म ऋतु आने के पूर्व चालू हालत में आ जायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बांदा के चयनित अम्बेदकर ग्रामों को सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग

26–श्री मन्नू लाल कुरील–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद में अब तक कितने अम्बेदकर ग्रामों का चयन किया जा चुका है ? क्या उन ग्रामों में अब तक पेयजल, सम्पर्क मार्ग, विद्युतीकरण, चिकित्सा

की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी हैं ? यदि नहीं, तो उन चयनित ग्रामों में कब तक सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी ?

श्री श्रीराम यादव–

बांदा जनपद में 20 अम्बेडकर ग्रामों का चयन किया गया है ।

अधिकांशतः ग्रामों में वर्णित सुविधायें उपलब्ध करायी जा चुकी है ।

शेष अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु धन उपलब्ध करा दिया गया है ।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड गाजीपुर एवं कसमण्डा के ग्राम सभा-गाजीपुर व बमभेरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना

27–श्री श्यामलाल रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या–31/5-7-91-11/90, दिनांक 13 मार्च, 1991 के अधीन प्रदेश में 328 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की स्वीकृति के अनुसार अब तक कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शासन द्वारा खोले गये हैं ? यदि नहीं, तो संदर्भित स्वास्थ्य केन्द्रों के खोलने विषयक आवंटित धन किस मद में खर्च कर दिया गया है ? क्या सीतापुर जनपद की ग्राम सभा गाजीपुर विकास खण्ड सिधौली व ग्राम सभा बमभेरा विकास खण्ड कसमण्डा में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की शासन से स्वीकृति है ? यदि हां, तो सरकार उपरोक्त दोनों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को कब तक खोल देगी ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं । शासनादेश संख्या–31/5-7-11/90, दिनांक 13 मार्च, 1991 द्वारा 329 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की, स्थापना की स्वीकृति के आदेश जारी किये गये थे और सभी खुले हुए हैं ।

प्रश्नगत 329 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए स्वीकृति मात्र अनावर्तक व्यय की धनराशि महानिदेशक चिकित्सा स्वा० एवं परिवार कल्याण, उ० प्र० के वैक्तिक लेखा खाते में जमा है और आवर्तक तथा अन्य यथा आवश्यकतानुसार व्यय दिए जा रहे हैं ।

जी हां ।

प्रश्नगत दोनों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं ।

जनपद मुरादाबाद में उ० प्र० सरकार द्वारा नियन्त्रित पुरातत्व विभाग के अन्तर्गत कतिपय सम्पत्तियों की देख-रेख की मांग

28–श्री सत्य प्रकाश–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि सम्भल, जनपद मुरादाबाद में उ० प्र० सरकार द्वारा नियंत्रित पुरातत्व विभाग के अन्तर्गत कुछ सम्पत्तियां हैं ? यदि हां, तो उनकी देखरेख की सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि पुरातत्व विभाग की सम्पत्तियों में अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा तोड़-फोड़ व निर्माण कार्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो उसकी रोकथाम की क्या व्यवस्था की गई है ?

बेसिक शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री शारदा नन्द अंचल)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

तदैव-

तदैव–

तदैव–

जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर से सम्भल तक मध्य गंगा कैनाल नहर निर्माण योजना

29–श्री सत्य प्रकाश–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि मध्य गंगा कैनाल, गढ़मुक्तेश्वर से निकल कर सम्भल तक आने के लिए सन् 1978 में कोई नहर निर्माण योजना सरकार द्वारा प्रस्तावित हुई थी ? यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत कितना धन आवंटित किया गया और उस योजना पर अब तक कितना धन व्यय किया जा चुका है ? कुल कितना निर्माण कार्य किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो इस योजना के अन्तर्गत कितना स्टाफ बेकार पड़ा हुआ है तथा कितने समय से ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हमीरपुर की तहसील महोबा में अनाज मण्डी का निर्माण

30–श्री अरिमर्दन–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर की तहसील महोबा में काश्तकारों को उनकी फसलों का पूरा-पूरा लाभ दिये जाने के लिए इस जनपद के उक्त पिछड़े क्षेत्र में एक अनाज मण्डी कब तक बनवाई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

भूमि प्राप्त कर ली गयी है, निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड लखनऊ में प्रधान लिपिक का पद का सृजित न होना

31–श्री तेजभान सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड, लखनऊ में कार्यरत प्रधान लिपिक इस विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कब आये थे ? उक्त कार्मिक की प्रतिनियुक्ति की शर्तें क्या थीं ? क्या इन्हें इसी विभाग में समायोजित कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस कारण से ? उक्त प्रधान लिपिक लखनऊ में कब से कार्यरत हैं ? इनका स्थानान्तरण अन्यत्र न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री श्रीराम यादव–

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड लखनऊ में प्रधान लिपिक का कोई पद सृजित नहीं हैं। अतएव इस पद पर किसी कर्मचारी के कार्यरत होने का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद लखनऊ के अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई से सम्बद्ध जिला ग्राम्य विकास अभिकरण कार्यालय में दैनिक वेतन पर कार्यरत श्री अनिल कुमार मिश्र के अवशेषों का बकाया न होना

32–श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अनिल कुमार मिश्र, कनिष्ठ लिपिक/टंकण जो अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई लखनऊ सम्बद्ध जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ कार्यालय में दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं, के सम्बन्ध में श्री मिश्र द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका सं०–2993/92 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-5-92 की प्रतिलिपि प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो आदेश में क्या मामला है ? क्या माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में अवशेष देयकों के संबंध में श्री मिश्र के प्रार्थना पत्र दिनांक 29-5-92, 17-3-93, 8-11-93 एवं 23-12-93 प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो इन प्रार्थना पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई ? उच्च न्यायालय के आदेश का परिपालन अब तक न किये जाने के संबंध में दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जी नहीं।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 2993/92 पर पारित आदेश दिनांक 15-5-92 की प्रमाणित प्रति अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी।

श्री अनिल कुमार मिश्र ने अपने पत्र दिनांक 29-5-92 के साथ एक छाया प्रति उपलब्ध कराई।

माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बैन्च, लखनऊ ने उक्त रिट याचिका में दिनांक 15-5-92 को पारित आदेश में 6 (छः) सप्ताह के अन्दर प्रति शपथ पत्र दाखिल करने तथा उक्त निर्णय दिनांक 15-5-92 की अधिकृत प्रति प्राप्त होने की तिथि से 4 सप्ताह के अन्दर याची की जुलाई, 90 से अवशेष मजदूरी का भुगतान करने के निर्देश दिये थे।

जी हां, श्री मिश्र ने रिट पिटीशन में परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण लखनऊ के पत्रांक दिनांक 6-3-92 एवं प्रमाण पत्र दिनांक 27-11-90 को सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई, लखनऊ में कार्यरत रहने का मुख्य आधार बनाया। जिन्हें जांच करने पर परियोजना निदेशक ने अनाधिकृत रूप से निर्गत किये गये पाया गया। श्री मिश्र के प्रार्थना पत्रों पर उन्हें अधिशासी अभियन्ता कार्यालय के पत्रांक दिनांक 31-12-93 द्वारा अवगत करा दिया गया है कि इस विभाग में न तो उनकी नियुक्ति हुयी न उन्होंने कोई कार्य किया और न ही उनका वेतन/मजदूरी आदि देना अवशेष है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत खिर्खू–मासौ–पोड़ी ल्वाली मोटर मार्ग को पक्का कराने की मांग

33–श्री हरक सिंह रावत–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत खिर्खू-मौसौ-पौड़ी ल्वाली मोटर मार्ग को पक्का करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो यह कब तक हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

सीमित संसाधनों के कारण प्रश्न नहीं उठता है ?

जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रश्नगत मोटर मार्गों का निर्माण कराने की योजना

34–श्री हरक सिंह रावत–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पौड़ी गढ़वाल के कोलागढ़, जखणीघाट-व्यासघाट-, व्यासघाट-देवप्रयाग, मलेठी-जण्दादेवी, खण्डाह-गिरबांव, डाडानागराजा-धिण्डवाडा-गिदरासू, बूगांबैड-साकिनिखेत-कल्जीखाल, मोटर मार्गों के निर्माण की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण ।

गांधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय किंग जार्ज मेडिकल कालेज लखनऊ में आरक्षण नीति के अन्तर्गत फार्मेसिस्टों के रिक्त पदों पर चयन

35–श्री राम प्रताप सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांधी स्मारक एवं सम्बन्धित चिकित्सालय, किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में माह अगस्त, 1993 में फार्मेसिस्टों के रिक्त पदों हेतु भर्ती के लिए साक्षात्कार के आधार पर जो नियुक्तियां अभी नहीं हुई हैं, अब वर्तमान में लागू की गयी आरक्षण नीति के अन्तर्गत की जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

गांधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में फार्मेसिस्टों के जिन रिक्त पदों का साक्षात्कार अगस्त, 1993 में नियुक्ति हेतु किया गया था, उनकी नियुक्तियां पूर्व आरक्षण नीति के अन्तर्गत की जा चुकी हैं ।

उ० प्र० उद्यान निदेशालय के तत्कालीन निदेशक उद्यान (मै- शे०) द्वारा प्रश्नगत अवधि में की गयी नियुक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

36–श्री राम प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, 1993 से माह दिसम्बर, 93 तक उद्यान निदेशालय, उ० प्र० द्वारा उद्यान विभाग में कुल कितनी तदर्थ नियुक्तियां किन-किन पदों पर की गयी हैं ? क्या

उक्त नियुक्तियां शासन द्वारा प्रतिबन्धित अवधि में की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

प्रश्नगत अवधि में तत्कालीन निदेशक उद्यान (मै० क्षे०) द्वारा ज्ञात सूचना के अनुसार 139 नियुक्तियां की गयी थी । जिनका पदवार विवरण इस प्रकार है :–सहायक उद्यान निरीक्षक–17, पर्यवेक्षक–5, गणक–5, सहायक लेखाकार–8, कनिष्ठ लिपिक–1, माली–84, परिवार–12, नलकूप चालक–1, मैकेनिक–1, चौकीदार–1, ट्रैक्टर ड्राइवर–1, चपरासी–1, एपियरीकीपर–1, तथा प्रधान चौधरी–1,

जी हां ।

नियुक्तिकर्ता अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए प्रस्तावित दण्ड पर लोक सेवा आयोग की सहमति मांगी गयी है । जिसके प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल स्थित चैलूसैण चिकित्सालय में महिला डाक्टर की तैनाती की मांग

37–श्री हरक सिंह रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चैलूसैण चिकित्सालय, पौड़ी गढ़वाल में कोई महिला डाक्टर तैनात नहीं है ? क्या सरकार इनकी नियुक्ति करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां । चैलू सैण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में महिला चिकित्सक का पद सृजित न होने के कारण वहां महिला डाक्टर तैनात नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल की तहसील कोटद्वार में देवीखेत ग्राम को दौरी पम्पिंग पेयजल योजना में सम्मिलित किया जाना

38–श्री हरक सिंह रावत–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवीखेत पौड़ी गढ़वाल की पम्पिंग योजना का कार्य सरकार शीघ्र कराने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद पौड़ी की तहसील कोटद्वार में देवीखेत ग्राम को "दौरी पम्पिंग पेयजल योजना" में सम्मिलित किया गया है । इस ग्राम को लाभान्वित करने का प्रस्ताव है जो कि विद्युत आपूर्ति पर निर्भर करता है ।

निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उ० प्र० लखनऊ द्वारा आयुर्वेद औषधि निर्माण शाला लखनऊ के लाइसेन्स का नवीनीकरण किया जाना

39–श्री अवधपाल सिंह यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेद औषधि निर्माणशाला, लखनऊ को वर्ष 1977 से 1984 तक चलाने के लाइसेन्स किसके आदेश से दिया जाता रहा है ? वर्ष 1984 से 92 तक किसके कार्यकाल में लाइसेन्स वर्षवार जारी होना था और इसमें किसकी जिम्मेदारी बनती है ? क्या यह भी सही

है कि वर्ष 1984 से 92 तक कोई लाइसेन्स नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी बिन्दुवार जांच कराकर लाइसेन्स अधिकारी जो कि अनुज्ञा जारी करता है, उसे दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

लाइसेन्स प्राधिकारी/निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तर प्रदेश द्वारा ।

वर्षवार लाइसेंस जारी नहीं किया जाता है, बल्कि दो-दो वर्ष का लाइसेन्स नवीनीकरण किया जाता है । नवीनीकरण हेतु निर्धारित शुल्क अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला द्वारा जमा किया जाता है तथा नवीनीकरण लाइसेन्सिग प्राधिकारी द्वारा किया जाता है ।

पुनः लाइसेंस दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० आयुर्वेद, यूनानी विभाग में कार्यरत निदेशक के स्थान पर किसी अन्य अधिकारी की नियुक्ति करने की मांग

40–श्री अवधपाल सिंह यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि निदेशक, आयुर्वेद, यूनानी, उ० प्र० के विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनके स्थान पर किसी दूसरे अधिकारी या किसी आई० ए० एस० अधिकारी को नियुक्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

लखनऊ स्थित आयुर्वेद, यूनानी औषधि निर्माण शाला में पुलिस प्रवेश संबंधी आदेश की जानकारी

41–श्री अवधपाल सिंह यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेद, यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ में चल रहे कार्य को रुकवाने के लिये 2 जनवरी, 1994 को बाजार खाला थाने की पुलिस निर्माणशाला में गयी थी ? यदि हां, तो किसके आदेश से कार्य रुकवाने पुलिस गयी थी ? इस पूरे प्रकरण का ब्योरा क्या है ?

श्री बलराम यादव–

निर्माणशाला में पुलिस 2 जनवरी, 1994 को नहीं गयी थी । लाइसेन्स अधिकारी एवं निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उ० प्र० के लाइसेन्स निरस्त करने संबंधी आदेश दिनांक 8-12-93 के पृष्ठांकन के अन्तर्गत दिनांक 4 जनवरी, 1994 को पुलिस निर्माणशाला में गयी थी ।

राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ का लाइसेन्स संख्या–ए–55/77. लाइसेन्स के नवीनीकरण वर्ष 1985-86 से 91-92 हेतु मेसर्स–राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी औषधि निर्माणशाला द्वारा शुल्क निर्धारित समयान्तर्गत जमा नहीं होने के कारण, लाइसेन्स अधिकारी एवं निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उ० प्र० के आदेश दिनांक 8-12-93 द्वारा निरस्त किया गया था, परन्तु उक्त आदेश का कार्यान्वयन शासन के आदेश से स्थगित कर दिया गया है ।

जनपद लखनऊ स्थित औषधि निर्माणशाला का उत्पादन बढ़ाने विषयक प्रस्ताव की जानकारी

42–श्री अवधपाल सिंह यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि औषधि निर्माणशाला लखनऊ का लाइसेन्स रद्द करने सम्बन्धी आदेश तत्काल प्रभाव से राज्य सरकार ने स्थगित कर दिया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि सरकार की उक्त निर्माणशाला से एक करोड़ रुपये की दवा का उत्पादन होता है ? क्या इसे बढ़ाकर ढाई करोड़ रुपये तक करने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो उक्त महत्वपूर्ण निर्माणशाला, जहां सरकार उत्पादन क्षमता बढ़ा रही है ? क्या उसको निदेशक द्वारा बन्द करने का कार्य चल रहा है ? क्या सरकार उक्त निदेशक को तत्काल प्रभाव से वहां से हटाकर दण्डित करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

जी हां ।

निर्माणशाला का उत्पादन बढ़ाकर ढाई करोड़ रुपये तक करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हापुड़ में शव विच्छेदन गृह (चीर घर) स्थापित करने की मांग

43–श्री गजराज सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हापुड़ में कोई शव विच्छेदन गृह (चीरघर) शासन द्वारा स्वीकृत है ? यदि हां, तो उसका निर्माण न कराये जाने का क्या कारण है ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के महिला चिकित्सालय में अधिक समय से कार्यरत उपचारिकाओं के स्थानान्तरण की मांग

44–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महिला चिकित्सालय लखनऊ में कितनी उपचारिकायें ऐसी हैं जिन्हें उक्त चिकित्सालय में कार्य करते हुये दस वर्ष से अधिक समय हो गया है ? उक्त लम्बी

अवधि बीत जाने के उपरान्त भी उक्त उपचारिकाओं का उक्त चिकित्सालय से अन्यत्र किसी चिकित्सालय में स्थानान्तरित न किये जाने का क्या कारण है ? क्या उपचारिका संवर्ग के कर्मचारियों का स्थानान्तरण किये जाने का मामला शासन स्तर पर विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

महिला चिकित्सालय, लखनऊ में 8 ऐसी उपचारिकायें हैं, जो 10 वर्ष से अधिक समय से वहीं कार्यरत हैं।

जनहित में स्थानान्तरण नहीं किया गया।

आगामी स्थानान्तरण सत्र में इन कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत विचार किया जायेगा।

जनपद गोरखपुर के मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में कार्यरत सेनेटरी इन्सपेक्टर श्री इन्द्रदेव मिश्रा के अवशेष वेतन के भुगतान का आदेश

45–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री इन्द्रदेव मिश्रा सेनेटरी इन्सपेक्टर, कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर को जून, 93 से अब तक वेतन आहरित कराये जाने के कोई भी पत्र महानिदेशालय को मु० चि० अ० गोरखपुर से प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो क्या उन पत्रों के आधार पर वेतन आहरित करा दिया गया ? क्या यह सच है कि श्री मिश्रा को वेतन आहरित कराये जाने के आदेश शासन द्वारा मांगे गये हैं ? क्या शासन ने उक्त पत्रों के परिपालन में कोई भी निर्देश/आदेश महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को दिये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन श्री मिश्रा के वेतन आहरित न कराये जाने में दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलराम यादव–

जी हां। श्री इन्द्रदेव मिश्रा स्वास्थ्य निरीक्षक के अवशेष वेतन का भुगतान करने के आदेश शासनादेश सं०–150/ पांच–10-94–11 (125)/90 दिनांक 31-1-94 द्वारा जारी कर दिये गये हैं।

महानिदेशालय के पत्र दिनांक 17 फरवरी, 1994 द्वारा श्री मिश्रा को 30 जून, 1993 से वेतन आहरित किये जाने के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोरखपुर को दे दिये गये हैं।

वर्णित परिस्थितियों में किसी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बलिया के जिला आयुर्वेदिक अधिकारी को प्राप्त कराई गई दवाओं आदि का विवरण

46–श्री मुक्तिनाथ–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, बलिया को वर्ष 1990 से 1993 दिसम्बर तक कितनी दवायें किन-किन फर्म वालों से व कितनी दवा राज्य सरकार से मरीजों को आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों के माध्यम से बांटने हेतु मिली थीं ? क्या यह सही है कि उक्त आयुर्वेदिक अधिकारी द्वारा सारी दवायें बाजार में बेंच दी जाती हैं ? क्या सरकार इसका सत्यापन किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी बतायेंगे कि वर्ष 1990 से 1993 तक वर्षवार शासन से कितना-कितना पैसा, दवा खरीदने हेतु एवं कितना पैसा साज-सज्जा हेतु डी० ए० ओ० बलिया द्वारा प्राप्त किया गया है ? कहां-कहां पर उक्त धन खर्च किया गया है ?

श्री बलराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद मुजफ्फरनगर के श्री प्रेम पाल शर्मा के शिकायती पत्र की जांच हेतु प्रमुख अभियन्ता सिंचाई को निर्देशित किया जाना

47–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रधान मंत्री कार्यालय भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या 10-3-93/पी० एम०पी०/1/276036, दिनांक 16-2-93 के द्वारा प्रेमपाल शर्मा जिला मुजफ्फरनगर को सूचित किया गया है कि उनके दिनांक 5-2-93 के पत्र के सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु मुख्य सचिव, उ० प्र० सरकार, लखनऊ को लिख दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह पत्र शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में नियमानुसार शिकायतकर्ता से पूछतांछ एवं प्रकरण के निस्तारण की सूचना उसे दी गयी ? यदि नहीं, तो इसंका क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

शिकायती पत्र की जांच हेतु प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग को निर्देशित किया गया है । जांच अधिकारी द्वारा जांच के समय शिकायतकर्ता को शिकायतों की पुष्टि एवं साक्ष्य उपलब्ध कराने हेतु अवसर देने के लिए भी निर्देशित किया गया है ।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड मिल्कीपुर तथा खण्डासा के अधूरे सम्पर्क मार्गों को पूरा करने की मांग

48–श्री मित्रसेन यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत विकास खण्ड मिल्कीपुर और खण्डासा में स्थित कौन-कौन से सम्पर्क मार्ग एवं सड़के अधूरी एवं क्षतिग्रस्त हैं ? क्या यह सही है कि वहां आवागमन की जन सुविधा बाधित है ? क्या सरकार जनहित में उन अधूरे और क्षतिग्रस्त मार्गों के निर्माण की कोई कार्य योजना की प्राथमिकता निर्धारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

सूचना संलग्न है । सुविधाजनक आवागमन बाधित है ।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों के आधार पर अधूरे सम्पर्क मार्गों को पूर्ण कराने एवं क्षतिग्रस्त मार्गों के अनुरक्षण/मरम्मत हेतु स्थानीय आवश्यकतानुसार व धन की उपलब्धता के आधार पर योजना की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिये जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की शासी निकाय ही सक्षम है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 168–170 पर)

जनपद वाराणसी के ब्लाक बड़ागांव में एलोपैथिक अस्पताल बरहीं नेवादा का नाम "स्वर्गीय हाजी रज्जब अली मेमोरियल अस्पताल" रखा जाना

49–श्री ऊदल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एलोपैथिक अस्पताल बरहीं नेवादा, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी के निर्माण में श्री सगीर अली, श्री वशीर अली वगैरह ने एक लाख रुपये व दो बीघा जमीन दान में सी० एम० ओ०, वाराणसी को रजिस्ट्री करके इसलिये दी थी कि उक्त रा० एलोपैथिक अस्पताल का नाम उनके पिता स्व० रज्जब अली मेमोरियल रा० एलोपैथिक अस्पताल बरहीं नेवादा रखा जायेगा ? यदि हां, तो उक्त अस्पताल का नामकरण अब तक न करने का क्या कारण है ? क्या सरकार इसका नामकरण तुरन्त करने की आज्ञा प्रदान करेगी ? क्या इस अस्पताल में रहने का आवास तथा इसकी चहार दीवार बनाने हेतु धन की व्यवस्था भी सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

शासन को विज्ञप्ति संख्या–2280/5-7-200/80 दिनांक 20 अगस्त, 1992 द्वारा इस चिकित्सालय का नाम "स्वर्गीय हाजी रज्जब अली मेमोरियल अस्पताल, बरहीं नेवादा वाराणसी" रख दिया गया है ।

अस्पताल में आवासीय भवनों तथा चहारदीवारी के निर्माण की योजना जिला योजना के अन्तर्गत है । प्रश्नगत मामलों में जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति का अनुमोदन प्राप्त होने और उनके द्वारा आवश्यक परिव्यय की व्यवस्था किए बिना यह निर्माण कार्य सम्भव नहीं हैं ।

जनपद वाराणसी के ब्लाक पिंडरा के फूलपुर स्थित खराब नलकूपों की मरम्मत कराने की मांग

50–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पब्लिक नलकूप, फूलपुर, ब्लाक पिंडरा, वाराणसी 14 माह से खराब है ? यदि हां, तो इसको अब तक न बनाने का कारण क्या है ? क्या यह सही है कि राजकीय नलकूप पिंडरा, सिंचाई डाक बंगला पिंडरा व पब्लिक नलकूप, प्रथम पिंडरा, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी वर्षों से खराब होकर बैठ गया है ? यदि हां, तो इसे अब तक न बनाने का कारण क्या है ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने ता० 11-1-94 को जिलाधीश, वाराणसी को पत्र लिखा है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

कथित नलकूप दिनांक 28-1-94 से चालू बताया गया है ।

यह सही है कि राजकीय नलकूप पिंडरा अप्रैल, 93 से असफल है । पब्लिक नलकूप प्रथम पिंडरा सुधारात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत बताया गया है ।

यह सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा जिलाधिकारी, वाराणसी को इस सम्बन्ध में लिखा गया था । क्योंकि राजकीय नलकूपों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार हेतु वित्तीय प्राविधान जिला योजना से प्राप्त होने के निर्देश हैं । इसलिए अपेक्षित वित्तीय प्राविधान होने पर ही सिंचाई विभाग द्वारा कार्यवाही सम्भव है ।

जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र कोल असला में खराब नलकूपों को ठीक कराने की मांग

51–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सिंचाई अनुभाग–5 ने अपने अर्द्ध शा० पत्र संख्या 42, एम०एल०ए०/93–27–सिं०–5 दिनांक 5-1-94 के द्वारा प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 10-12-93 को श्री वी० एस० राय, मुख्य अभियन्ता, नलकूप (पूर्व) को विधान सभा क्षेत्र कोल असला–245 वाराणसी के खराब नलकूपों को ठीक कराने हेतु भेजा है ? यदि हां, तो अब तक कौन-कौन नलकूप ठीक कराये गये हैं ? क्या सरकार पूरी जानकारी सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जनपद वाराणसी के विकास खण्ड बड़ागांव के ग्राम रसूलहा, कुंडी–1, बसनी–1 व बेलवा तथा विकास खण्ड पिंडरा के ग्राम अन्जोरेपुर, मंगारी, रामपुर–1 के राजकीय नलकूप तथा फूलपुर का पब्लिक नलकूप ठीक करा दिये गये हैं, तथा चालू हैं ।

शेष नलकूपों के बारे में सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 171 पर)

52–श्री राम आसरे वर्मा–

[दि० 23-2-94 को अता० प्र० सं० 19, 21, 23, 29, 35 तथा 41 द्वारा उत्तरित]

जनपद चमोली गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड कर्ण प्रयाग स्थित ग्राम पिण्डवाली बड़ेथ अश्वमार्ग को मोटर मार्ग में बदलने की मांग

53–श्री रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड कर्णप्रयाग स्थित ग्राम पिण्डवाली, बडेथ, अश्वमार्ग को मोटर मार्ग मे परिवर्तित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस पर निश्चित अवधि के अन्दर कार्य पूरा होगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम पिण्डवाली तथा बड़ेथ हल्का वाहन मार्ग से जुड़े हैं ।

ग्राम विकास विभाग के अन्तर्गत ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा एवं लघु सिंचाई विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन का भुगतान

54–श्री तेजभान सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम्य विकास विभाग में कार्य प्रभारित अधिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों को कितना वेतन दिया जाता है ? शासकीय नियमानुसार एक कर्मचारी को न्यूनतम

कितना वेतन दिया जाना निश्चित किया गया है ? श्रम विभाग के आदेशानुसार एक कर्मचारी/श्रमिक को कितनी धनराशि प्रतिमाह देय है ? क्या यह सही है कि कार्य प्रभारित कर्मचारियों को ग्राम्य विकास विभाग में 250/- प्रतिमाह दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या कार्य प्रभारित कर्मचारियों को देय वेतन की धनराशि बढ़ायेंगे ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत ग्रामीण अभियंत्रण सेवा एवं लघु सिंचाई विभाग में कार्य प्रभारित अधिष्ठान में कोई भी कर्मचारी कार्यरत नहीं है । भूगर्भ जल विभाग में कार्यप्रभारित कर्मचारियों को समता समिति, उ०प्र० की संस्तुतियों पर लिए गये निर्णयानुसार शासनादेश संख्या–4709/54-3-89-566/89, दिनांक 27 जनवरी, 1990 द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमानों में देय वेतन/संहत वेतन का भुगतान किया जा रहा है ।

चूंकि उपरोक्त शासनादेश के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को पुनरीक्षित वेतनमान/संहत वेतन सीमा में अनुमन्य वेतन की धनराशि का भुगतान किया जाता है, इसलिए न्यूनतम वेतन दिये जाने अथवा श्रम विभाग के आदेशानुसार प्रत्येक कर्मचारी को प्रतिमाह देय धनराशि निश्चित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत कुष्ठ रोगियों को शिक्षा तथा उपचार की सुविधा

55–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि कुष्ठ रोगियों की सेवा और उपचार हेतु प्रदेश में कौन-कौन की सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं ? क्या सरकारी नौकरियों में इन्हें कोई वरीयता प्राप्त है ? यदि नहीं, तो इसके लिए सरकार की योजनायें क्या हैं ? प्रदेश में इनकी कुल संख्या क्या है ?

श्री बलराम यादव–

राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम शत प्रतिशत केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना है । भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के साथ इसके अन्तर्गत प्रदेश में कुष्ठ रोगियों का सर्वेक्षण रोग के संबंध में शिक्षा तथा उनके उपचार की सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं । कुष्ठ रोग की अधिक व्यापकता वाले जनपदों में बहुऔषधि उपचार पद्धति से उपचार भी किया जाता है ।

जी नहीं ।

ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

माह जनवरी 1994 तक उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार प्रदेश में कुल 2,60,820 कुष्ठ रोगी उपचार हेतु अभिलेखित हैं ।

जनपद अल्मोड़ा, रानीखेत को 'ए' श्रेणी का नगर घोषित करने की मांग

56–श्री बची सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि मंसूरी व नैनीताल नगर की ही तरह रानीखेत, जिला अल्मोड़ा भी एक प्रसिद्ध पर्यटन नगर है, जहां कर्मचारियों को आवास की भारी कठिनाई है व मकान किराये की

दरें भी बहुत ऊंची हैं ? यदि हां, तो क्या कर्मचारी हित में सरकार मंसूरी व नैनीताल की तरह रानीखेत को भी "ए" श्रेणी का नगर घोषित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

रानीखेत सिंचाई निर्माण खण्ड उपखण्ड चौखुटिया के अन्तर्गत ठेकेदारों के चेकों का आहरण रोकने की शिकायत

57–श्रीमती शशिबाला पुण्डीर–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 1991-92 मार्च में सिंचाई निर्माण खण्ड, रानीखेत उपखण्ड चौखुटिया के ठेकेदारों के चेकों का आहरण तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा रोक दिया गया था ? यदि हां, तो कब तक ठेकेदारों के चेकों का भुगतान अधिशासी अभियन्ता द्वारा किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

चेकों का भुगतान अधिशासी अभियन्ता के कार्यों की संदिग्धता तथा तद्विषयक जांच के कारण अभी रुका हुआ है । अतः अभी भुगतान का प्रश्न नहीं उठता ।

रानीखेत सिंचाई निर्माण खण्ड के उपखण्ड चौखुटिया में कार्यरत कतिपय अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण एवं निलम्बन

58–श्रीमती शशिबाला पुण्डीर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, 1993 में सिंचाई निर्माण खण्ड, रानीखेत के उपखण्ड चौखुटिया के कितने अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण (उत्तर), हल्द्वानी द्वारा किया गया था ? कितने अवर अभियन्ताओं ने अब तक अपना चार्ज हस्तगत नहीं किया है ? क्या उनके खिलाफ अधिशासी अभियन्ता द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार सिंचाई विभाग निर्माण खण्ड, रानीखेत के उपखण्ड चौखुटिया के चार अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण माह जून, 1993 में मुख्य अभियन्ता, उत्तर, हल्द्वानी द्वारा किया गया था, जिनमें से एक अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण मुख्य अभियन्ता, उत्तर हल्द्वानी द्वारा ही निरस्त कर दिया गया है । तीन स्थानान्तरित अवर अभियन्ताओं को कार्य मुक्त कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

59–श्रीमती शशिबाला पुण्डीर–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि अक्टूबर, 1992 में सिंचाई निर्माण खण्ड रानीखेत उपखण्ड चौखुटिया के चार अवर अभियन्ता निलम्बित किये गये थे ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त अवर अभियन्ताओं के आरोप पत्र प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत करने में अनावश्यक रूप से विलम्ब किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त आरोप पत्र प्रमुख अभियन्ता कार्यालय को कब तक प्रस्तुत कर दिये जायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

निलम्बित अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध आरोप पत्र प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में माह जनवरी, 1993 में प्रस्तुत किये गये थे, जिन्हें पुनः कुछ कमियों के निराकरण हेतु अधिशासी अभियन्ता को वापस कर दिया गया था । इन कमियों के निराकरण हेतु विभिन्न स्थलों पर निर्मित कार्यों का सत्यापन कार्यस्थल पर करने के कारण आरोप पत्रों को अन्तिम रूप देने में समय लग रहा है ।

कार्यों के स्थल सत्यापन के उपरान्त आरोप पत्र प्रमुख अभियन्ता कार्यालय को प्रस्तुत कर दिये जायेंगे ?

जनपद लखनऊ स्थित राजकीय औषधि निर्माणशाला के वर्तमान कार्यवाहक अधीक्षक के विरुद्ध आवास भत्ता लेने तथा रोगी पंजीकरण शुल्क जमा न करने के प्रकरण की जांच

60–श्री अवधपाल सिंह यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या वर्तमान कार्यवाहक अधीक्षक, राजकीय औषधि निर्माणशाला, लखनऊ ने फरवरी, 1985 से अक्टूबर, 88 तक सरकारी आवास में रहते हुये आवासीय भत्ता लिया है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उ०प्र० सचिवालय में प्रभारी चिकित्साधिकारी के पद पर 1985-86 व 1986-87 के दौरान नियमित रूप से रोगी पंजीकरण शुल्क नहीं जमा किया है ? यदि हां, तो इस संबंध में उक्त डाक्टर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं । वर्तमान कार्यवाहक अधीक्षक ने अगस्त, 1985 से मई, 1988 तक सरकारी आवास में रहते हुए आवास भत्ता लिया ।

जी नहीं । वर्ष 1985-86 व 1986-87 के दौरान रोगी पंजीकरण शुल्क जमा किया गया है किन्तु नियमित रूप से जमा करने के सम्बन्ध में जांच की जा रही है ।

अगस्त, 85 से जुलाई, 87 तक आवास भत्ते के रूप में भुगतान की गयी धनराशि की वसूली कर ली गयी है और अगस्त, 87 से मई, 1988 तक आवास भत्ते के रूप में भुगतान की गई धनराशि की वसूली के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद चमोली/गढ़वाल के अन्तर्गत कर्णप्रयाग डिम्पर-सिमली-शैलेश्वर मोटर मार्ग के निर्माण की मांग

61–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली/गढ़वाल के अन्तर्गत कर्णप्रयाग–डिम्पर–सिमली–शैलेश्वर मोटर मार्ग निर्माण हेतु किस सन् में स्वीकृति शासन द्वारा दी गयी थी ? पहाड़ की विषम परिस्थितयों को देखते हुये क्या इस मोटर मार्ग का निर्माण तत्काल किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु तत्काल धनराशि आवंटित की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

जी नहीं, वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण अभी सम्भव नहीं है। उपरोक्त कारणों से प्रश्न नहीं उठता है।

62–श्री राजेश कुमार–

[दि० 23-2-94 को अता० प्र० सं० 99 द्वारा उत्तरित]

जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों (डी० आर० डी० ए०) में नियुक्त कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनाने की मांग

63–श्री राजेश कुमार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों (डी०आर०डी०ए०) में सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारियों के सेवा नियम बना लिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सेवा नियम में डी०आर०डी०ए० के वरिष्ठ पदों, अपर परियोजना निदेशक, सहायक परियोजना अधिकारी (अनुश्रवण), परियोजना अर्थशास्त्री, सहायक अभियन्ता, लेखाकार पर सीधी भर्ती कर्मचारियों को पदोन्नति का अधिकार दिया गया है ? यदि सेवा नियम नहीं बनाये गये हैं, तो कब तक बना लिये जायेंगे ?

श्री श्रीराम यादव–

जी नहीं।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कार्मिक शासकीय सेवक नहीं हैं। अतः उनके बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अन्तर्गत शासन द्वारा सेवा नियमावली का गठन नहीं किया जाना है।

प्रदेश के जनपद बरेली, बदायूं, रामपुर तथा नैनीताल जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को मूल विभाग में वापस करने की मांग

64–श्री राजेश कुमार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के बरेली, बदायूं, रामपुर व नैनीताल जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों (डी०आर०डी०ए०) में कितने अधिकारी व कर्मचारी किस-किस विभाग के कितने वर्षों से प्रतिनियुक्ति (डेपूटेशन) पर तैनात हैं ? इन अभिकरणों में पांच वर्षों से अधिक से तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को मूल विभाग में वापस भेजने की शासन व जिला स्तर से क्या कोई कार्यवाही हुयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? इन अभिकरणों में प्रतिनियुक्ति (डेपूटेशन) से नियुक्ति अधिकारियों व कर्मचारियों के मूल विभाग में वापस जाने पर क्या सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारियों व अधिकारियों की पदोन्नति की जायेगी ?

श्री श्रीराम यादव–

प्रदेश के जनपद बरेली, बदायूं, रामपुर तथा नैनीताल, जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में क्रमशः 3, 4, 3, 6 अधिकारी तथा 3, 4, 3, 1 कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं। जिनमें से 12 अधिकारी ग्राम्य विकास से, 1 अधिकारी अर्थ एवं संख्या विभाग से 1 पशुपालन विभाग से, 1 कृषि सांख्यकीय तथा 1 अधिकारी ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग एवं 1 कर्मचारी ग्राम्य विकास विभाग से तैनात हैं 9 अधिकारी तथा 8 कर्मचारी का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक हो चुका है। अवशेष 7 अधिकारी

3 कर्मचारी । से 3 वर्ष की अवधि से कार्यरत हैं । जी हां । शासनादेश दिनांक 29 मई, 1993 द्वारा समस्त जिला अधिकारी/अध्यक्ष, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को निर्देशित किया जा चुका है कि अभिकरण में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को यथासम्भव उनके पैतृक विभाग में वापस कर दिया जाय । कार्यहित में यदि किसी कर्मचारी/अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर बनाये रखना अपरिहार्य हो तो, उनकी सेवा शर्तें उनके पैतृक विभाग से सम्पर्क करते हुए जारी कर ली जाय । आवश्यकतानुसार जिला स्तर के ग्राम विकास अभिकरण इसमें निर्णय लेने हेतु सक्षम है ।

जनपद गोण्डा की सुहेला झील से जल निकासी

65–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि गोण्डा के सुहेला झील से निकासी का रास्ता न होने के कारण किसानों की हजारों एकड़ फसल प्रतिवर्ष बर्बाद हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जल निकासी का रास्ता निर्माण कराने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद गोण्डा के सुहेला झील से जल निकासी हेतु सुहेला ताल ड्रेन का निर्माण हुआ है । ड्रेन का कुछ प्राकृतिक नाले के रूप में भी है । नाले के अन्दर व उसके आस पास सेवार, बेहया एवं जलकुम्भी पैदा हो जाने के कारण ड्रेन में पानी का बहाव अवरुद्ध हो जाता है ।

निकासी का रास्ता पहले ही निर्मित है । इसलिए इसके पुनः निर्माण का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मुजेहना में उच्चीकृत चिकित्सालय स्थापित करने की मांग

66–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मुजेहना में कोई उच्चीकृत चिकित्सालय नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार खरगूपुर टाउन एरिया में इट्टिया-थोक धानेपुर बाजार में उच्चीकृत चिकित्सालय खोलने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ० प्र० राजकीय आयुर्वेदिक यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ में लिपिक वर्ग के पद पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग

67–श्री मुक्तिनाथ–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि उ० प्र० राजकीय आयुर्वेदिक यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ में वर्ष 1993 में कुछ लिपिक वर्ग के पद रिक्त हुये हैं ? क्या यह सही है कि उपरोक्त निर्माणशाला में कई-कई वर्षों से लिपिक दैनिक वेतन पर कुछ कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनको रिक्त पद हुये भी उन पदों पर स्थाई करने की कार्यवाही नहीं की गयी है ? यदि हां, तो कब तक कार्यवाही की जायेगी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या उक्त निर्माणशाला, लखनऊ में रिक्त हुये पदों पर बाहर से लाकर तदर्थ कर्मचारियों व अन्य कर्मचारियों का समायोजन किया जा रहा है ? क्या नियम विरुद्ध कुछ लोगों का समायोजन भी किया गया है ? क्या सरकार दैनिक वेतन भोगी लिपिकों को ही

नियमानुसार पहले स्थाई करके ही अन्य कोई नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

लिपिक वर्ग का पद उ० प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि के अन्तर्गत है ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० आयुर्वेदिक यूनानी सेवाओं में कार्यरत लिपिक वर्ग में सामान्य, पिछड़ी, अनुसचित जाति का प्रतिशत

68–श्री मुक्तिनाथ–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० आयुर्वेदिक यूनानी सेवायें, लखनऊ से सम्बद्ध पूरे उत्तर प्रदेश में कितने तृतीय श्रेणी लिपिकीय वर्ग के कर्मचारी कार्यरत हैं ? इसमें से कितने रेगुलर, कितने तदर्थ, कितने दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि पूरे उ० प्र० लिपिक वर्ग स्थाई लिपिकों में से कितने जनरल और कितने पिछड़े वर्ग तथा कितने अनुसूचित जाति के कर्मचारी कार्यरत हैं ? इनका अलग-अलग प्रतिशत क्या है ?

श्री बलराम यादव–

उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, लखनऊ से सम्बद्ध पूरे उ० प्र० में तृतीय श्रेणी लिपिकीय वर्ग में कुल 348 कर्मचारी कार्यरत हैं ।

278 कर्मचारी रेगुलर तथा 70 तदर्थ रूप से कार्यरत हैं । जहां तक दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों का प्रश्न है, के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है ।

पूरे उत्तर प्रदेश में 278 स्थायी/अस्थायी (रेगुलर) लिपिकों में से 204 सामान्य, 54 पिछड़ी जाति एवं 20 अनुसूचित जाति के कर्मचारी कार्यरत हैं ।

इनका सामान्य में 74%, पिछड़ी जाति में 19% एवं अनुसूचित जाति में 7% है ।

उ० प्र० आयुर्वेदिक यूनानी सेवा में पिछड़े वर्ग का आरक्षण पूरा करने की मांग

69–श्री मुक्तिनाथ–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि निदेशालय आयुर्वेदिक यूनानी से सम्बद्ध पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग का आरक्षण कोटा शून्य के बराबर है ? क्या सरकार लिपिकीय वर्ग तृतीय श्रेणी के पिछड़े वर्ग का आरक्षण कोटा तत्काल पूरा करने की सीमा निर्धारित करते हुये इसे पूरा कराने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं, लिपिकीय वर्ग में आरक्षण कोटा शून्य के बराबर नहीं वरन् 19 प्रतिशत हैं।

शासनादेश के अनुसार नियुक्ति करते समय आरक्षण पूर्ण करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

जब नियुक्तियां की जायेंगी, शासनादेश के अनुसार आरक्षण का पालन किया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उ० प्र० आयुर्वेदिक यूनानी सेवाओं में कार्यरत श्री बी० डी० जोशी के विरुद्ध जांच आख्या का परीक्षण

70–श्री मुक्तिनाथ–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समाजवादी पार्टी विधान मण्डल के पत्र संख्या 311, दिनांक 9-6-93 को सलाहकार श्री आर० डी० सोनकर को दिनांक 9-6-93 व 313,सचिव चिकित्सा शिक्षा दिनांक 9-6-93 को पूर्व विधायक श्री राज नरायन विन्द व अन्य कुछ पूर्व विधायकों द्वारा लिखित शिकायती पत्र श्री बी० डी० जोशी पी० ए० आयुर्वेदिक यूनानी सेवायें, उ० प्र० से सम्बद्ध थीं, प्राप्त हुयी हैं ? यदि हां, तो क्या यह बतायेंगे कि अब तक उक्त शिकायती पत्र के माध्यम से जांच कराकर कार्यवाही न करने का क्या कारण है ? यदि कार्यवाही की जायेगी तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां।

शिकायती पत्र में उल्लिखित शिकायतों की विभागीय जांच करायी गयी हैं तथा जांच आख्या भी प्राप्त हो गयी हैं, जिसका परीक्षण किया जा रहा है तथा अग्रेतर कार्यवाही नियमों के अन्तर्गत की जायेगी।

71–श्री बैजनाथ रावत–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

निरनी पम्प कैनाल तथा केण्डौर डाल नहर के निर्माण के प्रस्ताव की जानकारी

72–श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन में निरनी पम्प कैनाल तथा केण्डौर डाल नहर बनाये जाने का कोई प्रस्ताव लम्बित है ? यदि हां, तो कब इसका कार्य शुरू हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम सम्भावां के कोटेदार के विरुद्ध प्रारम्भिक शिकायतों की जांच

73–श्री तेजभान सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगनाधिकारी, गौरीगंज, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री चन्द्रवली तिवारी व अन्य हस्ताक्षरकर्ता ग्राम सम्भावां, सुल्तानपुर का दिनांक 25-8-93, 24-12-93 का प्रार्थना-पत्र जिसमें मिट्टी के तेल, चीनी का वितरण न करने के शिकायत की गयी है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या कोई जांच आरोपियों के समक्ष की गयी है ? यदि हां, तो कब ?

यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त कोटे की सहकारी संघ, गौरीगंज को स्थानान्तरित करने के बाद भी दोषी कोटेदार को ही पुनः नाम बदलकर पुनः वितरक कर दिये जाने की शिकायत दिनांक 24-12-93 को जिला अधिकारी, सुल्तानपुर को श्री शिवसरन तिवारी, उप प्रधान ने की है ? यदि हां, तो क्या इस सारे प्रकरण की कोई जांच व कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उक्त शिकायतें परगनाधिकारी गौरीगंज एवं जिलाधिकारी सुल्तानपुर के माध्यम से परगनाधिकारी गौरीगंज को प्राप्त कराई गयी थी । आरोपों की जांच दिनांक 1-10-93 को की गई । जांच के समय शिकायतकर्ताओं में से सर्वश्री जय नारायन, सत्यनारायन, चन्द्रबली तिवारी एवं श्याम लाल उपस्थित थे ।

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायत की जांच कराई गई । पुराने कोटेदार की मां को पुनः कोटा दिये जाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं है । वर्तमान में ग्राम सभा सम्भावां का कोटा सहकारी संघ, गौरीगंज के ही पास है । चूंकि सहकारी संघ मिट्टी तेल का वितरण नहीं करता इस लिये ग्राम सभा का मिट्टी तेल का कोटा एक अन्य दुकानदार से सम्बद्ध कर दिया गया है ।

74–श्री तेजभान सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद पौड़ी गढ़वाल स्थित मै० शक्ति फिलिंग स्टेशन सतपुली लैन्सडौन के डीजल पम्प में मिलावट विषयक परीक्षण रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही

75–श्री हरक सिंह रावत–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सतपुली पौड़ी गढ़वाल के डीजल पम्प में मिलावट का मामला उनकी जानकारी में है ? क्या सरकार इस पर कोई कार्यवाही करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

मै० शक्ति फिलिंग स्टेशन सतपुली लैन्सडौन, पौढ़ी गढ़वाल पर उपलब्ध डीजल के स्टाक का नमूना दिनांक 19-2-94 को लेकर परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा को भेजा गया है ।

नियमतः विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा से विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने पर यथोचित कार्यवाही की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल प० इ० का० परसुन्डाखाल के जर्जर भवन के नव निर्माण हेतु अनुदान देने की मांग

76–श्री हरक सिंह रावत–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री अवगत कराने की कृपा करेंगे कि प०इ०का० परसुन्डाखाल, पौड़ी गढ़वाल के जर्जर भवन के मरम्मत व नव निर्माण के लिये सरकार अनुदान स्वीकृत कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह रावत–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में कांसखेत से कठूड बैंड तक के मोटर मार्ग के निर्माण की मांग

77–श्री हरक सिंह रावत–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री अवगत कराने की कृपा करेंगे कि पौड़ी गढ़वाल में कांसखेत से कठूड बैंड तक अधूरे पड़े मोटर मार्ग के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बहराइच स्थित ग्राम राजा बौण्डी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकृत करने का प्रस्ताव

78–श्री तेजभान सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बहराइच स्थित ग्राम राजा बौण्डी मे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत करके 25 बिस्तर वाले अस्पताल के बनाने की शासन की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव कब हुआ तथा धनराशि शासन से कब निर्गत हुयी ? उक्त कार्य का प्रारम्भ कब से हुआ ? यदि कार्य नहीं शुरू हुआ, तो उसके क्या कारण हैं ? क्या उक्त प्रस्ताव द्वारा निर्मित होने वाले चिकित्सालय को वहां से अन्यत्र हटा दिया गया है ? यदि हां, तो किसके आदेश से तथा किन कारणों से ?

श्री बलराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ० प्र० सरकार के अधीन कार्यरत डेन्टल सर्जनों के प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध विषयक आदेश की जानकारी

79–श्री तेजभान सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेगे कि उ० प्र० सरकार के अधीन कार्यरत डाक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस अनुमन्य है तथा नर्सिंग होम में काम करने की अनुमति है ? यदि हां, तो किस आदेश के तहत तथा किस तिथि से ? क्या शासन ने इनको प्राइवेट प्रैक्टिस तथा नर्सिंग होम में काम करते रहने देने का आदेश कर रखा है ? यदि नहीं, तो क्या इसे समाप्त कराने के लिये शासन ने कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो शासन द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस की फीस तथा मरीजों की संख्या क्या निर्धारित की गयी है ? क्या चिकित्सक रोगी को वसूले गये पैसे की रसीद देते हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार सतर्कता की दृष्टि से समय-समय पर इनकी जांच हेतु कार्यवाही करेगी ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं ।

अधिसूचना संख्या 5774/सेक–14-5-323/83 दिनांक 30-8-83 द्वारा पी० एम० एस०, पी० एच० एस०, पी० एम० एच० एस०, उत्तर प्रदेश डेन्टल सर्जन के प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

नियमानुसार इस संबंध में कार्यवाही की जाती है।

जनपद बस्ती के मेंहदावल विधान सभा क्षेत्र के कतिपय ब्लाकों में नये अतिरिक्त नलकूप लगाने की मांग

80–श्री चन्द्र शेखर सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद बस्ती के मेंहदावल विधान सभा क्षेत्र में मेंहदावल, बघौली एवं सेमरियांवा ब्लाकों में ट्यूबवेलों की संख्या बहुत कम है ? क्या उन ट्यूबवेलों में से 90 प्रतिशत कहीं नालियों के कारण, कहीं बिजली के कारण व कहीं मशीनरी की खराबी के कारण तथा ट्रान्सफार्मर की कमी के कारण बन्द पड़े हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन ट्यूबवेलों को ठीक कराकर चलाने की कार्यवाही करेगी ? क्या सरकार वहां अतिरिक्त नये ट्यूबवेल लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मेंहदावल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ब्लाक मेंहदावल बघौली एवं सेमरियावां में क्रमशः 56, 30 व 30 नलकूप हैं।

जी नहीं, सप्ताहान्त 10-2-94 को यांत्रिक दोष से 2 तथा विद्युत दोष से 19 अर्थात् कुल 21 नलकूप बन्द थे तथा ब्लाक मेंहदावल का एक नलकूप सुधारात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत है।

जी हां।

जनपद प्लान में वित्तीय प्राविधान व जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन के पश्चात् ही नलकूप का निर्माण किया जाता है।

जनपद बस्ती के ब्लाक मेंहदावल में करमैनी-बेलोली बांध को कटान से बचाने के लिए ठोकर का निर्माण

81–श्री चन्द्र शेखर सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि जिला बस्ती के मेंहदावल ब्लाक में करमैनी-बेलोली बांध पर राप्ती नदी में लगाये गये ठोकर अपर्याप्त हैं जिससे नौगों, बेलौहा, छपिया, बिसुनपुर, तिवारीपुर, बांध डूमर, बद्या, ठाठर एवं बेलौली आदि गांव कटने के कगार पर हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बरसात के पूर्व इन्हें बनवाने की कोई प्रभावशाली कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जिला बस्ती के मेंहदावल ब्लाक में करमैनी-बेलोली बांध पर नदी में लगाये गये ठोकर बाढ़ के लिये पर्याप्त है ।

जनपद लखनऊ स्थित उ० प्र० राजकीय आयुर्वेदिक यूनानी औषधि निर्माणशाला मोहान रोड के तत्कालीन अधीक्षक श्री राज नरायन मिश्रा के विरुद्ध शिकायती पत्रों की जांच एवं कार्यवाही

82–श्री उमाकान्त यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राजकीय आयुर्वेदिक यूनानी औषधि निर्माणशाला मोहान रोड, लखनऊ के तत्कालीन अधीक्षक, श्री राज नरायन मिश्रा द्वारा किये गये भारी अनियमितता व ओवर बजटिंग, जो शासन की नीति के विरुद्ध है, के संबंध में मा० पूर्व विधायक मुक्तिनाथ द्वारा लिखित शिकायती पत्र जो सचिव, चिकित्सा शिक्षा को सपा विधान मण्डल दल के पत्र संख्या 473, दिनांक 12-10-93 व मा० सदस्य, विधान परिषद् दयाराम चौधरी आदि द्वारा लिखित शिकायती-पत्र सपा के पत्र संख्या 474 सचिव, सतर्कता विभाग को दिनांक 12-10-93 को भेजा गया था ? यदि हां, तो क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी को मौके पर भेजकर जांच कराने व दण्डित करने का कष्ट करेंगे ?

श्री बलराम यादव–

जी हां, उक्त दोनों पत्र चिकित्सा शिक्षा विभाग में ही प्राप्त हुए हैं । उक्त पत्रों के आधार पर अलग से जांच कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया, क्योंकि श्री मिश्रा के विरुद्ध प्राप्त इसी प्रकार की शिकायतों के विषय में करायी गयी जांच में जांच आख्या शासन को प्राप्त हो गयी है, जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के खाली भवनों में कार्यालय का खोला जाना

83–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल का पूर्व मुख्यालय नरेन्द्र नगर से अधिकांश विभागों के कार्यालय नई टिहरी चले गये हैं ? यदि हां, तो उक्त खाली भवनों में कौन से कार्यालय खोले गये हैं ? क्या सरकार इन खाली भवनों में कोई दूसरे कार्यालय खोलने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक अन्य कार्यालय यहां पर शिफ्ट कर दिये जायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद टिहरी गढ़वाल के पूर्व मुख्यालय नरेन्द्र नगर से कार्यालय, आंशिक रूप से, नई टिहरी अन्तरित किये गये हैं । उक्त खाली कार्यालय भवनों पर टिहरी से अन्तरित निम्नलिखित 4 कार्यालय एवं परगना मजिस्ट्रेट न्यायालय व तहसील नरेन्द्रनगर के नये कार्यालय स्थापित किये गये हैं :-

(1) अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड–2

(2) अधिशासी अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, सिंचाई विभाग ।

(3) सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र ।

(4) विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी (स० स०)

खाली भवनों में उक्त कार्यालय खोले जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर स्थित नेत्र चिकित्सालय में कार्यरत अधीक्षक डा० जे० सी० बोस की सेवा वृद्धि का प्रकरण

84–श्री मित्रसेन यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जे० सी० बोस अधीक्षक, सीतापुर नेत्र चिकित्सालय, सीतापुर में विगत कितने वर्षों से कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि उनकी आयु वर्तमान में 80 वर्ष है ? यदि हां, तो शासन द्वारा उनकी सेवा में 20 वर्ष तक की सेवा वृद्धि कर देने का कारण क्या है ? क्या सरकार उक्त संस्था के बाईलाज की एक प्रति सदन के पटल पर रखते हुए तथा नेत्रों की शल्य चिकित्सा के संवेदनशील कार्य को देखते हुए, किसी नये डाक्टर को उक्त संस्था का अधीक्षक मनोनीत करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

डा० जे० सी० बोस, अधीक्षक सीतापुर नेत्र चिकित्सालय, बरेली शाखा में लगभग 47 वर्ष से कार्यरत हैं।

जी नहीं।

जी नहीं। ट्रस्ट द्वारा सेवा वृद्धि जनहित में दी गई है।

संस्था के बाइलाज के सुसंगत अंश संलग्न हैं। सीतापुर नेत्र चिकित्सालय सीतापुर आई हास्पिटल ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जाता है जो एक स्वायत्तशासी संस्था है। नेत्र चिकित्सकों की नियुक्ति ट्रस्ट द्वारा की जाती है। शासन द्वारा किसी को मनोनीत किये जाने का प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 172 पर)

जनपद शाहजहांपुर के जिला कुष्ठ अधिकारी द्वारा प्रकाशित विज्ञप्तियों के अनुरूप चयन/साक्षात्कार न होने की शिकायतें

85–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह –

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कुष्ठ अधिकारी, शाहजहांपुर के यहां 43 पैरा मेडिकल वर्कर नियुक्त किये जाने हेतु 11 अक्टूबर, 1993 तथा उसके बाद नवम्बर, 1993 में समाचार-पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी ? यदि हां, तो इन विज्ञप्तियों के अनुरूप कितने प्रार्थना-पत्र जिला कुष्ठ अधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुए ? क्या इन प्रार्थना-पत्रों के साथ अभ्यर्थियों से आठ रुपये का डाक टिकट लगा लिफाफा अभ्यर्थियों से मांगा गया था ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि 9-12-93 को इस संबंध में जिला कुष्ठ अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा साक्षात्कार कर लिया गया ? यदि हां, तो उक्त साक्षात्कार में प्रकाशित विज्ञप्तियों के अनुरूप प्रार्थना-पत्रों के अभ्यर्थियों को न बुलाकर सेवायोजन कार्यालय, शाहजहांपुर से सूची मंगाकर, सूची के ही अभ्यर्थियों को बुलाकर बेरोजगार व्यक्तियों का आर्थिक व मानसिक शोषण किया गया है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं तथा उनके लिये शासन स्तर से क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बलराम यादव--

जी नहीं, जिला कुष्ठ अधिकारी शाहजहांपुर के यहां 43 पैरामेडिकल वर्कर नियुक्त किये जाने हेतु विज्ञापन दिनांक 11 अक्टूबर, 1993 व नवम्बर, 1993 में नहीं अपितु पहली बार 27 जून, 1993 को तथा दूसरा विज्ञापन पहले विज्ञापन को निरस्त करते हुए दिनांक 6 सितम्बर, 1993 को समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया गया था।

प्रथम विज्ञापन दिनांक 27-6-1993 के विपरीत कुल 1898 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे, जिन्हें दूसरे विज्ञापन दिनांक 6-9-1993 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। दूसरे विज्ञापन के विरुद्ध कुल 14 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इनके अतिरिक्त सेवायोजन कार्यालय शाहजहांपुर से भी 247 अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त हुयी थी।

जी हां।

जी हां। दिनांक 9-12-93 व 10-12-93 को दिनांक 6-9-93 के विज्ञापन द्वारा प्राप्त 14 आवेदन पत्रों तथा सेवायोजन कार्यालय शाहजहांपुर से प्राप्त 247 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार चयन समिति द्वारा किया गया था, जिसमें जिला कुष्ठ अधिकारी शाहजहांपुर भी एक सदस्य थे।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जैतीपुर में की गयी फर्जी नसबन्दी की जांच

86–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में मेरी स्टोप्स क्लीनिक शाहजहांपुर तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जैतीपुर (शाहजहांपुर) में फर्जी नसबन्दी किये जाने सम्बन्धी श्री सुभाषचन्द्र गुप्ता, निवासी मोहल्ला मौजापुर, तिलहर (शाहजहांपुर) का एक शिकायती पत्र दिनांक 28-12-92 को शासन को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस शिकायती पत्र पर 26-8-93 को उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रथम, शाहजहांपुर ने मेरी स्टोप्स क्लीनिक के विरुद्ध जांच की थी ? यदि हां, तो इस जांच में क्या तथ्य पाये गये तथा दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सत्य है कि इस शिकायती पत्र पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जैतीपुर के विरुद्ध किसी प्रकार की जांच नहीं की गयी ? यदि हां, तो इसके लिये कौन अधिकारी दोषी है ? उक्त दोषी अधिकारी के विरुद्ध शासन स्तर से क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बलराम यादव–

जी हां।

जी हां।

उपमुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जांच में शिकायत असत्य एवं निराधार पायी गयी है। शिकायती पत्र में उल्लिखित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जैतीपुर को फर्जी नसबन्दी की शिकायत की जांच मण्डलीय अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बरेली मण्डल, बरेली द्वारा की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र पनियरा में रोहिन नदी पर बांध निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा देने की मांग

87–श्री गनपत सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र पनियरा (महराजगंज) में रोहिन नदी पर बांध निर्माण में किसानों की जो जमीन निकाली गयी है ? आज तक मछली गांव, करीमनगर, चन्दीपुर, मौसबारी, मोहनाम, असगरपुर के किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन उन किसानों का मुआवजा देने का आदेश करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

बांध हेतु ग्राम करीमनगर तथा असगरपुर में कोई भूमि नहीं ली गयी । ग्राम मछलीगांव, मौसबारी (भौराबारी) तथा मोहनाम ग्रामों की ली गयी भूमि हेतु धन उपलब्ध न होने के कारण प्रतिकर वितरण अभी नहीं हुआ है । ग्राम चन्दीपुर की 16.06 एकड़ भूमि चकबन्दी में सामूहिक कटौती के माध्यम से अभी प्राप्त नहीं हुयी है ।

88–श्री गनपत सिंह–

। 4थे बुध के लिये स्थगित ।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर में अखोप माइनर से निकली नहर की सफाई तथा पानी पहुंचाने की मांग

89–श्री मुक्तिनाथ–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद बलिया के अन्तर्गत विकास खण्ड सीयर में अखोप माइनर से निकली नहर जो ग्राम सभा पतनारी तरछापार, बीबीपुर आदि गांव से होकर बहोरवा तक जाती है, के सम्बन्ध में श्री जयराम यादव, सामाजिक कार्यकर्ता, बिल्थरा रोड द्वारा उक्त नहर में कभी सफाई न होने तथा पानी न दिये जाने की शिकायत की गयी है ? क्या किसानों द्वारा अपनी फसल की सिंचाई न करने पर भी हर साल नहर सफाई के नाम पर पेमेन्ट होता है ? क्या यह सही है कि बाजार में बैठकर सींचपाल द्वारा नहर के किनारे खेतों की पड़ताल करके किसानों पर बकाया धन दिखा दिया जाता है ? क्या इस सम्बन्ध में एक लिखित शिकायती पत्र, जिस पर विधायक श्री राधेश्याम वर्मा द्वारा कवरिंग पत्र लगाकर सिंचाई मंत्री को स०पा०, विधान मण्डल के पत्र संख्या 201 व सचिव, सिंचाई को 202. दिनांक 18-11-92 को भेजा गया है ? उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों के माध्यम से जांच कराकर दोषी लोगों को दण्डित करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ स्थित उ० प्र० राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला मोहान रोड के तत्कालीन अधीक्षक श्री आर० एन० मिश्रा द्वारा की गयी कथित अनियमितताओं की जांच आख्या पर नियमानुसार कार्यवाही

90–श्री मुक्तिनाथ–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, मोहान रोड, लखनऊ के तत्कालीन अधीक्षक, श्री आर० एन० मिश्र द्वारा की गयी अनियमितता तथा राजकीय धन का दुरुपयोग व ओबर बजटिंग शासन की नीति के विरुद्ध है ? क्या उक्त के सम्बन्ध में एक शिकायती पत्र श्री सुनील कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा विधायक श्री रमाकान्त व रामेश्वर दयाल बाल्मिकी के कवरिंग पत्र सहित समाजवादी पार्टी विधान मण्डल के पत्र संख्या–319 सलाहकार श्री आर० डी० सोनकर को दिनांक 10-6-93 को व सचिव चिकित्सा शिक्षा को स० पा० के पत्र संख्या–320 दिनांक 10-6-93 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों के माध्यम से क्या सरकार किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराकर दोषी को दण्डित करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

श्री आर० एन० मिश्रा द्वारा की गयी कथित अनियमितताओं आदि की शिकायतों पर जांच आख्या शासन को प्राप्त हो गयी है, जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जी हां ।

उक्त पत्रों के आधार पर अलग से जांच कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया क्योंकि श्री मिश्रा के विरुद्ध प्राप्त इसी प्रकार की शिकायतों के विषय में करायी गयी जांच में जांच आख्या शासन को प्राप्त हो गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर में कार्यरत फार्मेसिस्टों को स्थायी करने की मांग

91–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मिर्जापुर में कितने फार्मेसिस्ट तीन वर्ष से अधिक की निरन्तर सेवा पूर्ण कर चुके हैं और उनको शासनादेशानुसार अब तक स्थाई नहीं किया गया है ? उनका स्थाईकरण कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? शासनादेश के बावजूद उक्त मामले में विलम्ब के लिये क्या जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक और क्या ?

श्री बलराम यादव–

जनपद मिर्जापुर में कुल 34 फार्मासिस्ट कार्यरत हैं जो तीन वर्ष से अधिक की निरन्तर सेवा पूर्ण कर चुके हैं ? इनमें से 19 का स्थायीकरण कर दिया गया है और शेष 15 का स्थायीकरण किया जाना है ।

शेष 15 फार्मेसिस्ट को अपेक्षित औपचारिकताओं के पूर्ति सुनिश्चित करते हुये नियमानुसार यथाशीघ्र स्थायी किये जाने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारी को दे दिये गये हैं। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड सुमेरपुर, हमीरपुर करार व मुस्करा में राजकीय नलकूप लगाने की योजना

92–श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड सुमेरपुर, हमीरपुर करार व मुस्करा में सिंचाई का पर्याप्त अभाव है ? क्या यह सही है कि मुश्किल से 10 प्रतिशत खेती में ही सिंचाई वहां सम्भव हो पाती है ? यदि हां, तो पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था हेतु नये राजकीय नलकूप वहां पर लगवाने की शासन की कोई योजना है ? यदि हां, तो इसका प्रारूप क्या है और उसे कार्यरूप में परिवर्तित करा देने की अवधि क्या रखी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलयम सिंह यादव–

जी हां।

जी हां। राजकीय नलकूपों द्वारा कुल कृषि योग्य क्षेत्र के लगभग 10 प्रतिशत क्षेत्र की सिंचाई हो पाती है।

इन विकास खण्डों विशेष में राजकीय नालकूपों के लगाने की वार्षिक जनपद योजना के अतिरिक्त अलग से कोई योजना नहीं है।

जनपद योजना में धन की उपलब्धतानुसार प्रत्येक वर्ष जनपद के विभिन्न विकास खण्डों में राजकीय नलकूपों का निर्माण सिंचाई सलाहकार समिति के स्वीकृति पर जिला चयन समिति द्वारा स्वीकृत के पश्चात कराया जाता है।

प्रदेश में अशिक्षित (झोला छाप) डाक्टरों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के आदेश

93–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अशिक्षित (झोला छाप) डाक्टरों के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ? क्या इस सम्बन्ध में सरकार की कोई अभियान चलाकर उक्त अयोग्य व अशिक्षित डाक्टरों के खिलाफ कार्यवाही करने की भी योजना है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

श्री बलराम यादव–

प्रैक्टिस प्रबंधित है।

जी नहीं। ऐसे अशिक्षित (झोला छाप) डाक्टरों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने के आदेश विद्यमान हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में नहर के छोर तक पानी पहुंचाने का प्रयास

94–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की नहरों में छोर तक पानी पहुंचाने के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि शाहजहांपुर जनपद की किसी भी नहर के छोर तक पानी नहीं पहुंच रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रदेश की नहरों में अन्तिम छोर तक पानी पहुंचाने हेतु वर्तमान रबी 1401 फसल में विशेष अभियान चलाया गया है जिसके अन्तर्गत नहरों की सफाई कराने तथा नहरों में अनाधिकृत रूप से होने वाली कटिंग की रोकथाम के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही की गयी है।

शाहजहांपुर जनपद में शाहजहांपुर ब्रांच, निगोही ब्रांच हरदोई ब्रांच एवं खीरी ब्रांच नहर प्रणालियों की कुल 121 नहरें हैं जिनमें से वर्तमान रबी फसल में 76 नहरों के अन्तिम छोर तक पानी पहुंचा है। शेष नहरों के अन्तिम छोर तक पानी पहुंचाने के कार्यों हेतु शासन प्रयत्नशील है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर में प्रश्नकर्ता के क्षेत्र गौरीगंज में चीनी के थोक विक्रेताओं को निर्गत लाइसेन्सों का विवरण

95–श्री तेजभान सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि शासनादेश संख्या 3392/29–ख–11–चीनी–110/86, दिनांक 30-11-90 द्वारा प्रत्येक जनपद में चीनी के थोक व्यापारी में निर्गत लाइसेन्सों की 50 प्रतिशत अतिरिक्त दुकानें स्वीकृत की जानी थी ? यदि हां, तो जनपद सुल्तानपुर में कुल कितनी दूकानें तथा कितने थोक लाइसेन्स हैं ? उसका 50 प्रतिशत कितना होता है ? क्या यह भी बतायेंगे कि कुल कितने अतिरिक्त लाइसेन्स निर्गत किये गये तथा कहां-कहां पर ? क्या अतिरिक्त लाइसेन्सों को तहसील स्तर पर देना आवश्यक था ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सारे लाइसेन्स सुल्तानपुर सदर में दे दिये गये ? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है ? क्या उसके विरुद्ध कार्यवाही होगी ? प्रश्नकर्ता के क्षेत्र गौरीगंज में कितने अतिरिक्त लाइसेन्स 50 प्रतिशत के अधीन दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

जनपद सुल्तानपुर मे कुल 9 थोक विक्रेता कार्यरत थे।

उसका 50 प्रतिशत $4\frac{1}{2}$ होता है।

अतिरिक्त थोक लाइसेन्स का 50 प्रतिशत $4\frac{1}{2}$ होता है, $4\frac{1}{2}$ लाइसेन्स के विरुद्ध कुल 4 लाइसेन्स निर्गत किए गये जो निम्नवत् हैं :–

क्रमांक	स्थान का नाम	संख्या
1–	सुल्तानपुर सदर	एक
2–	जगदीशपुर	दो
3–	अमेठी	एक

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नकर्ता के क्षेत्र (गौरीगंज) में कोई लाइसेन्स निर्गत नहीं किया गया है और न ही कोई प्रार्थना पत्र विचाराधीन है।

प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के उपाय

96–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिये अभी तक क्या-क्या उपाय किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिये भारत सरकार की सहायता से राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण व नगरीय दोनों क्षेत्रों में लक्ष्य दम्पत्तियों को गर्भनिरोधक विधियों/साधनों सम्बन्धी समस्त सेवायें (नसबन्दी–पुरुष/महिला, कापर-टी निवेशन, निरोध व ओरल पिल्स का वितरण तथा चिकित्सीय गर्भ-समापन) निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती हैं । उनमें छोटे परिवार की अवधारणा की ग्राह्यता एवं स्वीकार्यता के विस्तार के लिये सूचना, शिक्षा एवं संचार कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है । परिवार कल्याण कार्यक्रम को जन-आन्दोलन का स्वरूप प्रदान करने हेतु गैर सरकारी एवं स्वैच्छिक संस्थाओं का भी सहयोग प्राप्त किया जा रहा है । यू० एस० ए० आई० डी० की सहायता से एक 10 वर्षीय अभिनवी परियोजना भी इसी वर्ष से प्रदेश में प्रारम्भ की गयी है जिसमें सरकारी तंत्र के साथ-साथ गैर सरकारी एवं स्वैच्छिक संगठनों की सक्रिय सहभागिता प्राप्त करने तथा स्थायी विधियों के साथ-साथ समयान्तर विधियों पर विशेष बल दिया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली में सीतापुर नेत्र चिकित्सालय की शाखा बहेड़ी में संचालित नेत्र उपचार कैम्प में मृत सुश्री दुलारी व मकुरम को मुआवजा देने की मांग

97–श्री मित्रसेन यादव–

क्या सरकार को जानकारी है कि सीतापुर नेत्र चिकित्सालय, सीतापुर द्वारा बरेली जनपद की शाखा के माध्यम से बहेड़ी जनपद बरेली में संचालित किये जाने वाले माह दिसम्बर, 1993 के नेत्र उपचार कैम्प में सुश्री दुलारी व मकुरम की मृत्यु नेत्र की शल्य चिकित्सा के दौरान हो गयी है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में दोषी चिकित्सक/अधीक्षक/अनट्रेन्ड नर्सेज के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या यह सही है कि उक्त कैम्प में एक्सपायर्ड एनेस्थिसिया का प्रयोग करने से उक्त दोनों रोगियों की मौतें हुई हैं ? यदि हां, तो उनको शासन द्वारा कब तक मुआवजा प्रदान किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त कैम्प श्री जे० सी० बोस, सुपरिन्टेन्डेन्ट सीतापुर नेत्र चिकित्सालय, सीतापुर के सौजन्य एवं तत्वावधान में लगाया गया था ? यदि हां, तो शासन उक्त 80 वर्षीय वृद्ध सर्जन को कब तक उस पद से हटवायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद लखनऊ स्थित संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इन्सटीट्यूट में स्वीकृत स्टाफ की जानकारी एवं कोटा पूर्ण करने की मांग

98-श्री मित्रसेन यादव-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इन्सटीट्यूट, रायबरेली रोड, लखनऊ में भर्ती किये जाने वाले मरीजों के इलाज के साथ-साथ आहारीय समस्या के समाधान हेतु कुल कितना स्टाफ स्वीकृत है ? क्या यह सही है कि उसमें अनुसूचित जाति/जन जाति का कोटा पूर्ण नहीं है ? यदि हां, तो डाइटीशियन/वेयर/मसालची कुक आदि के कितने कुल पद हैं ? उन पदों के अधीन कुल कितने कर्मचारी अलग-अलग श्रेणी के वर्तमान समय में वहां पर तैनात हैं ? क्या सरकार वहां पर स्वीकृत स्टाफ जल्दी ही नियुक्त करने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

प्रश्नगत कार्य हेतु संस्थान में डायटीशियन के 2 (एक पद अकादमिक शाखा हेतु) किचन सुपरवाइजर का एक तथा हेड कुक के केवल 2 पद हैं । इन पदों की संख्या अत्यल्प होने के कारण कोई आरक्षण कोटा नहीं बनता है । कुक कम हेल्पर के 8 पद हैं जिनमें आरक्षण कोटा का 1 पद है, किन्तु चूंकि यह कार्य वर्तमान में संविधा के आधार पर कराया जा रहा है, अतः कुक-कम हेल्पर के पदों को नहीं भरा जाना है ।

उत्तर प्रदेश कृषि निदेशालय के कर्मचारी श्री मोतीलाल की सेवा समाप्ति का निर्णय

99-श्री विश्वनाथ-

विधान सभा 1992 के प्रथम सत्र के दूसरे बुधवार के लिये निर्धारित तथा दिनांक 25-3-92 को नत्थी "घ" के अन्तर्गत पुनः निर्धारित अता० प्रश्न संख्या-17 के उत्तर के संबंध में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि तत्कालीन कृषि मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि कृषि निदेशालय उ० प्र० के कर्मचारी श्री मोतीलाल से संबंधित प्रकरण की जांच शासन द्वारा कृषि निदेशक से करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या जांचकर्ता होने के नाते उनके द्वारा श्री मोतीलाल की सेवायें समाप्त किये जाने का निर्णय नियम विरुद्ध है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे अमान्य घोषित करने की कार्यवाही करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

जी नहीं,

सेवा में 5 वर्ष की निरन्तर अनुपस्थिति अवधि पूर्ण हो जाने पर वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम 18 के अधीन सेवा समाप्त की गयी ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में पी० आर० डी० इ्यूटी मस्टररोल में फर्जी व्यक्तियों के भुगतान का मामला

100–श्री मित्रसेन यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि मुख्य विकास अधिकारी, फैजाबाद कार्यालय में कतिपय लिपिकों की जागरूकता से माह जनवरी, 1991 में पी० आर० डी० इ्यूटी मस्टररोल में फर्जी व्यक्तियों के भुगतान का मामला प्रकाश में आने से शासकीय धनराशि का दुरुपयोग होने से बचाया जा सका है ? यदि हां, तो उन लिपिकों के नाम तथा पद क्या-क्या हैं ? इसी से संबंधित मुख्य विकास अधिकारी, फैजाबाद के पत्रांक 1009/आ०लि०/दिनांक 11 जनवरी, 1991 में कितने फर्जी व्यक्तियों की कितनी राशि का मामला प्रकाश में आया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

श्री राम प्रताप गुप्ता, लेखा लिपिक एवं श्री जगदीश कुमार, जनपद लेखाकार । 121 पी० आर० डी० जवानों के लगभग रु० 64,952 के इ्यूटी भत्ते के भुगतान का मामला प्रकाश में आया ।

लखनऊ–कानपुर रोड पर बनी बस स्टेशन से बौरी खेड़ा लिंक रोड को बनाने की मांग

101–श्री सतीश भाटिया–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ कानपुर रोड पर बनी बस स्टेशन से बौरी खेड़ा लिंक रोड जो कि नहर के किनारे से श्री राम प्रधान के मकान तक प्रस्तावित थी और लगभग दो वर्ष पूर्व ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा सर्वे कराकर इस्टीमेट बनाया गया था ? उक्त सड़क का निर्माण अभी तक न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार क्षेत्रीय जनता की कठिनाइयों को देखते हुए इसका निर्माण वर्ष 1994-95 में सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

लखनऊ कानपुर रोड पर बनी बस स्टेशन से बौरी खेड़ा लिंक रोड का प्राक्कलन ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा नहीं बनाया गया है बल्कि रामेश्वर मंदिर से बौरी खेड़ा होते हुए श्री राम प्रधान के मकान के पास से बाल्हेमऊ तक । कि०मी० लम्बाई में से 500 मीटर का प्राक्कलन ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा बनाया गया था ।

आवंटित धनराशि के सापेक्ष्य मिट्टी का कार्य करा दिया गया है ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के पास निर्माण कार्यों हेतु अपना कोई बजट नहीं है । अन्य विभागों/योजनाओं से धन उपलब्ध कराये जाने पर कार्य कराया जाता है । इस कार्य हेतु धन उपलब्ध नहीं है ।

जनपद मिर्जापुर में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत कार्यरत पात्र चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड देने की मांग

102–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 10 वर्ष तथा 16 वर्ष की निरन्तर सेवा पर सेलेक्शन ग्रेड तथा पदोन्नति वेतनमान दे दिया गया है ? कितने पात्र कर्मचारियों का उक्त देय अवशेष है ? उन कर्मचारियों के उक्त देयों का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासनादेशों के बावजूद उक्त मामले में बिलम्ब के लिये जांच करायेंगे ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या और कब तक कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां, 10 वर्ष की सेवा पर 135 कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड दिया जा चुका है और 10 को दिया जाना शेष है।

16 वर्ष की सेवा पर 101 कर्मचारियों को पदोन्नति वेतनमान दिया जा चुका है तथा 25 कर्मचारियों को दिया जाना शेष है।

औपचारिकतायें पूर्ण कर अवशेष देयों का भुगतान शीघ्र किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग

103–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा, स्वास्थ्य एंवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत तीन वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण किये हुए कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं ? क्या अभी तक उनका स्थायीकरण नहीं हुआ है ? क्या शासनादेशानुसार उनका स्थायीकरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या स्थाईकरण के संबंध में शासनादेश की अवहेलना किये जाने की जांच करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? क्या दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो क्या और कब तक ?

श्री बलराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद मिर्जापुर के चिकित्सालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में प्राप्त शिकायती पत्र की जांच आदि

104–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जिलाचिकित्सालय, मिर्जापुर में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेशीय राज्य कर्मचारी महासंघ, जिला शाखा मिर्जापुर ने दिनांक 20-9-93 को पंजीकृत डाक से शिकायती पत्र सचिव, लोक शिकायत, गृह सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्रमुख चिकित्सा स्वास्थ्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को प्रेषित किया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि की जायेगी तो कब तक ?

श्री बलराम यादव–

जी हां । उक्त पत्र चिकित्सा विभाग में प्राप्त हुआ है ।

शिकायती पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं के संबंध में अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाराणसी मण्डल, वाराणसी से जांच कराई गई । जांच आख्या प्राप्त हो गई है जो विचाराधीन है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर में कार्यरत स्टाफ नर्सों को स्थायी करने की मांग

105–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में कितनी स्टाफ नर्सों की निरन्तर संतोषजनक सेवायें तीन वर्ष से अधिक हो चुकी हैं ? क्या उनका स्थायीकरण अब तक नहीं हुआ है ? शासनादेश के अनुसार उनका स्थायीकरण कब तक किया जायेगा ? क्या स्थायीकरण में शासनादेश की अवहेलना किये जाने के संबंध में जांच करायेंगे ? यदि हां, तो क्या दोषी पाये जाने वाले के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक और क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री बलराम यादव–

मिर्जापुर जनपद में इस समय 42 स्टाफ नर्सें कार्यरत हैं और इन सभी की सेवायें तीन वर्ष से अधिक अवधि की हो चुकी हैं ।

इन स्टाफ नर्सों का महानिदेशालय के शासनादेश संख्या–19फ/237_एन/46/6028, दिनांक 4-1-94 द्वारा स्थायीकरण किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ में शारदा सहायक खण्ड–32 में रसूलाबाद माइनर की टेल तक पानी पहुंचाने की मांग

106–श्री मोहम्मद अरशद खान–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में शारदा सहायक खण्ड–32में रसूलाबाद माइनर के टेल तक पानी न देने का क्या कारण है ? टेल तक पानी कब तक दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

रसूलाबाद माइनर के कि०मी० 4.900 से 7.200 तक 2.3 कि०मी० की लम्बाई में गैप होने के कारण पानी टेल तक नहीं जाता है । गैप की खुदाई होने के उपरान्त ही टेल तक पानी दिया जा सकेगा।

शारदा सहायक खण्ड–32 के माइनर निजामपुर का निर्माण कार्य

श्री मोहम्मद अरशद खान–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खण्ड–32 के निर्माणाधीन माइनर निजामपुर का कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

फूलपुर राजबाहा प्रणाली में जल उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए नई अल्पिकाओं के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है । अतः निजामपुर माइनर का निर्माण नहीं कराया जायेगा ।

शारदा सहायक खण्ड–32 की तकिया माइनर व रसूलाबाद माइनर टेल तक खुदाई से प्रभावित कतिपय ग्रामों के किसानों को मुआवजा देने की मांग

108–श्री मोहम्मद अरशद खान–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खण्ड–32 की तकिया माइनर व रसूलाबाद माइनर की टेल तक खुदाई का कार्य कब हुआ था ? क्या सभी किसानों की भूमि का मुआवजा अब तक नहीं दिया गया ? सभी किसानों को कब तक मुआवजा दे दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

शारदा सहायक खण्ड-32 की तकिया माइनर व रसूलाबाद माइनर (कि०मी० 4.900 से 7.200 तक) गैप छोड़कर टेल तक खुदाई का कार्य वर्ष 1978 से 1980 के बीच हुआ था ?

सभी किसानों को भूमि का मुआवजा अभी नहीं दिया गया है ।

तकिया माइनर पर 22 गांवों की भूमि है, जिसमें से 5 गांवों को मुआवजा बांटा जा चुका है ।

6 गांवों का मुआवजा बांटने की प्रक्रिया चल रही है । शेष 11 गांव चकबन्दी प्रक्रिया में हैं ।

रसूलाबाद माइनर पर 7 गांवों की भूमि है जिसमें से 2 गांवों का मुआवजा बांटा जा चुका है । एक गांव का मुआवजा बांटने की प्रक्रिया चल रही है तथा शेष 4 गांव चकबन्दी प्रक्रिया में हैं ।

शारदा सहायक खण्ड-32 की कोराघटमपुर माइनर में बराबर पानी देने की व्यवस्था

109–श्री मोहम्मद अरशद खान–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खण्ड–32 की कोराघटमपुर माइनर में बराबर पानी न देने के क्या कारण हैं ? क्या बराबर पानी देने की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

कोराघटमपुर माइनर की पैतृक नहर तकिया माइनर में पानी की कमी के कारण, रबी फसल में पानी नहीं जा सका, तत्पश्चात् प्रयास कर अब इस माइनर में पानी दिया जा रहा है ।

110–श्री स्वयंवर चौधरी–

[4थे गुरु में अता० प्र० सं० 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बाराबंकी की कतिपय ड्रेनों की सफाई की मांग

111–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के इन्हौना, किरसिया, गोमियाताल, सोनिकपुर, शिवनाम, रायपुर, शिवगढ़, कोलहदा आदि ड्रेनों की खुदाई एवं सफाई कार्य करवाये जाने का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद बाराबंकी में सोनिकपुर ड्रेन का आंशिक सफाई कार्य हो चुका है । किरसिया नाम की कोई ड्रेन नहीं है । शेष कथित ड्रेनों की सफाई का कार्य आवश्यकतानुसार यथासमय धन उपलब्धता पर सम्भव होगा ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जकोली में भूमि संरक्षण इकाई खोलने की मांग

112–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड जकोली, टिहरी गढ़वाल में भूमि संरक्षण इकाई खोलने का प्रस्ताव जिले से शासन में आया है ? यदि हां, तो कब तक यह भूमि संरक्षण इकाई वहां खोल दी जायेगी ;

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद महराजगंज के सिसवा बाजार में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में अंशकालिक पद पर कार्यरत महिला दाइयों के अवशेष वेतन के भुगतान की व्यवस्था

113–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री की जानकारी में है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिसवा बाजार, महराजगंज में परिवार कल्याण योजना के अन्तर्गत 50 रुपया प्रतिमाह पारिश्रमिक वेतन पर अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति एवं निर्बल वर्ग के महिलाओं को प्रा० स्वास्थ्य केन्द्र पर लगभग 12 वर्षों से दायी के पद पर तैनात रखा गया है ? क्या यह सही है कि उन महिला दाईयों से लगभग 3 वर्ष से बिना वेतन दिये ही सेवा ली जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार बकाया वेतन दाईयों को तत्काल भुगतान कराने तथा उन्हें अस्थाई पद पर नियुक्त करने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

सितम्बर, 1992 तक रु० 50 प्रतिमाह मानदेय के रूप में भुगतान किया गया है । अवशेष के भुगतान हेतु धनराशि की व्यवस्था की जा रही है । चूंकि यह पद अंशकालिक हैं अतः अस्थायी पद पर नियुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ स्थित सिंचाई विभाग मुख्यालय में कार्यरत कतिपय प्रारूपकारों की संगणक के पद पर पदोन्नति सम्बन्धी कार्यवाही की प्रगति

114–श्री बची सिंह रावत–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि मुख्यालय सिंचाई विभाग, लखनऊ में अनुसूचित जाति के जिन कर्मचारियों की सेवायें प्रारूपकार के पद पर सात वर्ष पूर्ण हो जाती हैं, उन्हें संगणक के पद पर पदोन्नति किया जाता है ? यदि हां, तो ऐसे कितने अनुसूचित जाति कर्मचारी हैं, जिनकी सेवायें प्रारूपकार पद पर सात वर्ष पूर्ण हो जाने पर भी उनकी संगणक पद पर पदोन्नति नहीं की गयी है ? क्या आरक्षण को ध्यान में रखते हुए उनकी पदोन्नति शीघ्र की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

यह कहना सही नहीं है कि मुख्यालय सिंचाई विभाग, लखनऊ में अनुसूचित जाति के प्रारूपकारों जिनकी सेवा 7 वर्ष पूर्ण हो जाती हैं, को संगणक के पदों पर पदोन्नति कर दिया जाता है । नियमानुसार ही पदोन्नति में आरक्षण इन कर्मचारियों को मिलता है तथा यह पदोन्नति रिक्त स्थानों की संख्या पर निर्भर करती है । वर्तमान में अनुसूचित जाति के ऐसे प्रारूपकारों जिनकी सेवा 7 वर्ष हो चुकी है उनकी संख्या 24 है ।

संगणक के पदों पर पदोन्नति सम्बन्धी कार्यवाही प्रगति पर है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में पिनाकोट नहर के निर्माण में विलम्ब तथा धन के दुरुपयोग के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

115–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में पिनाकोट नहर कब से अधूरी पड़ी है ? इसके लम्बित होने के क्या कारण हैं ? इस नहर पर अभी तक कुल कितना कार्य हुआ और कितनी धनराशि व्यय हुई ? क्या इसमें सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है ? यदि हां, तो विभाग ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद रायबरेली में शारदा सहायक खण्ड–41 के अन्तर्गत कादू नाला ड्रेन में वर्णित वर्षों में कराये गये कार्यों के भुगतान का विवरण

116–श्री तेजभान सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खण्ड–41, रायबरेली के अन्तर्गत कादू नाला ड्रेन में वर्ष 1990-91,91-92, 92-93में वर्क आर्डर टेण्डर द्वारा क्या-क्या कच्चे कार्य, किन-किन ठेकेदारों द्वारा कराये गये ? प्रत्येक कि०मी० पर प्रत्येक वर्ष में कितना-कितना भुगतान, किस जू० इंजीनियर की देख रेख में कराया गया ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

कादू नाला ड्रेन पर वर्ष 1990-91 तथा वर्ष 1991-92 में कोई कार्य कार्यादेश व अनुबन्ध से नहीं कराया गया । वर्ष 1992-93 में 4 कार्यादेशों से मिट्टी का कार्य कराया गया जिसमें से दो कार्यादेशों से कार्य मै० विकास कान्सट्रक्शन कम्पनी, जगदीशपुर तथा दो कार्यादेशों से कार्य श्री किताउल्ला, रायबरेली के ठेकेदारों से कराया गया । इस ड्रेन पर वर्ष 1992-93 में 41.00 कि०मी० स्थित पुल पर मिट्टी का कार्य श्री सुभाष चन्द, अवर अभियन्ता की देखरेख में कराया गया । उक्त कार्य पर रु० 20,750.00 का व्यय किया गया ।

117–श्री तेजभान सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद गढ़वाल स्थित जड़ी बूटी शोधन एवं विकास संस्थान गोपेश्वर (चमोली) द्वारा विलुप्त बहुमूल्य जड़ी बूटियों का संरक्षण

118–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोपेश्वर, चमोली गढ़वाल में संस्थागत जड़ी बूटी शोधन संस्थान किस लक्ष्य से सरकार द्वारा स्थापित किया गया ? इसका प्रारम्भ में स्वरूप क्या था ? क्या इस स्वरूप को समेटकर छोटा बना दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसके वृहद् स्वरूप पर ही कार्य करने के बारे में विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर (चमोली) की स्थापना का मुख्य लक्ष्य उत्तराखण्ड से विलुप्त हो रही जड़ी बूटियों के संरक्षण, संवर्धन, वैज्ञानिक विदोहन तथा व्यापक पैमाने पर उनके कृषिकरण किये जाने तथा इसके साथ-साथ वहां पर प्राप्त होने वाली बहुमूल्य जड़ी बूटियों पर चिकित्सकीय शोध एवं अनुसंधान करना है ।

संस्थान का मुख्यालय 1993 में गोपेश्वर में स्थापित किया गया । इसके प्रारम्भिक स्वरूप के अन्तर्गत 4 शोध संकायों की प्रस्तावना की गई । मूलभूत सर्वेक्षण संकाय, संसाधन विकास संकाय, द्रव्यगुण संकाय तथा चिकित्सा संकाय । जी नहीं । इसके स्वरूप को छोटा नहीं बनाया गया है । इसका मूलरूप पूर्ववत है।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चमोली में कर्ण प्रयाग के समीप पुजारी गांव के कटाव को रोकने हेतु परियोजना का प्रस्ताव

119–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद चमोली में कर्ण प्रयाग के समीप पुजारी गांव को अलकनन्दा नदी के द्वारा हो रहे लगातार कटाव के कारण भारी खतरा पैदा हो गयी है ? यदि हां, तो

उक्त कटाव को रोकने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, कथित कटाव को रोकने हेतु परियोजना तैयार कर तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा दि० 31-1-94 को अनुमोदिन कर दी गई है । योजना की वित्तीय स्वीकृति तथा धन आवंटन के पश्चात् निर्माण की कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देहरादून के अन्तर्गत कतिपय मोटर मार्गों को पक्का कराने की मांग

120–श्री प्रीतम सिंह–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत चकराता–त्यूनी मोटर मार्ग व त्यूनी–कथियान मोटर मार्ग को लेपन स्तर तक पक्का करने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त दोनों मोटर मार्ग कब तक पक्के करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी, नहीं ।

चकराता त्यूनी मोटर मार्ग कि०मी० 92 से 105 तथा 106 से 115 एवं 126 से 135 व कि०मी० 136 से 155 तक पक्कीकरण स्वीकृत है ।

इसी प्रकार त्यूनी–कथियान मोटर मार्ग कि०मी० 16 से 32 तक पक्कीकरण स्वीकृत है ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण समय सीमा के निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता है ।

वित्तीय संसाधनों की कमी ।

लखवाड़ बांध परियोजना के विस्थापितों को देय प्रतिकर का भुगतान

121–श्री प्रीतम सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखवाड़ बांध परियोजना के विस्थापितों के सभी परिवारों को सरकार द्वारा उनके प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जिन विस्थापित परिवारों को देय प्रतिकर का अभी तक भुगतान नहीं मिल पाया है उन्हें यह धनराशि भुगतान की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? लखवाड़ बांध परियोजना का कार्य पुनः कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विस्थापितों को आंशिक भुगतान धन की उपलब्धता के अनुसार किया गया है ।

जी हां, अभी भुगतान हेतु धन उपलब्ध नहीं हो सका है ।

अभी परियोजना हेतु धन उपलब्ध नहीं हुआ है । अतः कार्य पुनः आरम्भ होने के संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहना सम्भव नहीं है ।

लखनऊ मण्डल में वर्णित वर्ष में किये गये पोस्टमार्टम का विवरण

122–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ मण्डल में जिला वार माह अक्टूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर, 1993 में प्रतिमाह अलग-अलग कितने-कितने पोस्टमार्टम किये गये ?

श्री बलराम यादव–

लखनऊ मण्डल में माह अक्टूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर, 1993 में जनपदवार निम्न प्रकार पोस्टमार्टम किये गये :––

	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
1–लखनऊ	185	186	188
2–हरदोई	67	41	38
3–खीरी	66	91	58
4–रायबरेली	40	24	36
5–सीतापुर	85	50	63
6–उन्नाव	63	64	69

जनपद गढ़वाल में क्षतिग्रस्त राजकीय बालिका इण्टर कालेज के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि

123–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गढ़वाल में राजकीय बालिका इण्टर कालेज, वीरोखाल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और उस विद्यालय की छात्राओं को खुले आसमान के नीचे बैठ कर पढ़ाई करनी पड़ रही है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा कब तक उक्त विद्यालय भवन का निर्माण किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

राजकीय बालिका इण्टर कालेज, वीरोखाल का भवन क्षतिग्रस्त हो चुका है और छात्राओं के पठन-पाठन हेतु मात्र 3 कक्षा-कक्ष उपलब्ध हैं ।

शासनादेश संख्या–5859/28-2-93-4(47)/92, दिनांक 26 नवम्बर, 1993 द्वारा दो कक्षा-कक्षों के निर्माण हेतु एक लाख रुपये की धनराशि सवीकृत की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

124–125–श्री लल्लू सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

संयुक्त सचिव (वर्तमान में चिकित्सा अनुभाग–4) द्वारा की गयी यात्राओं पर व्यय धनराशि का विवरण

126–श्री विश्वनाथ–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त सचिव, चिकित्सा अनुभाग–4 ने वर्ष 1992 व 1993 में दिल्ली/गाजियाबाद की कुल कितनी यात्रायें की ? उक्त यात्राओं में कितना सरकारी धन व्यय हुआ है ? क्या उक्त अधिकारी का निवास स्थान भी गाजियाबाद में है ?

श्री बलराम यादव–

संयुक्त सचिव (वर्तमान में चिकित्सा अनुभाग–4) द्वारा वर्ष 1992 व 1993 में दिल्ली की 18 तथा गाजियाबाद की 2 (कुल 20) यात्रायें की गई । उक्त यात्राओं में कुल 20.161.10 की धनराशि व्यय हुई। उक्त अधिकारी का निवास स्थान गुलिस्तां कालोनी, लखनऊ है तथा उनका गृह जनपद देहरादून है।

जनपद टिहरी गढ़वाल के देव प्रयाग में स्थित राजकीय अस्पताल में महिला चिकित्सक की नियुक्ति की मांग

127–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय अस्पताल, देव प्रयाग, टिहरी गढ़वाल में महिला चिकित्सक का पद शासन द्वारा स्वीकृत है ? यदि हां, तो यह पद कब से रिक्त है ? क्या सरकार महिला चिकित्सक का पद राजकीय अस्पताल देव प्रयाग, टिहरी गढ़वाल में भरने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक यह पद भर लिया जायेगा ?

श्री बलराम यादव–

जी हां । एक पद स्वीकृत है ।

लगभग एक वर्ष छः माह से रिक्त है ।

जिला टिहरी गढ़वाल में चार महिला चिकित्सकों की नियुक्ति दिनांक 30-9-93 को की गई थी जिसमें से तीन चिकित्सा अधिकारियों (महिला) ने अभी कार्यभार ग्रहण नहीं किया है । इनके कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त पद भर जायेगा ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के देव प्रयाग ओरानन्द के सरस्वती महाविद्यालय को अनुदान सूची में रखने की मांग

128–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ओरानन्द सरस्वती महाविद्यालय, देव प्रयाग, टिहरी गढ़वाल को 1989 से अब तक स्थायी मान्यता न दिये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इस महाविद्यालय को अनुदान सूची में रखने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बहराइच में आदर्श संस्कृत आयुर्वेद महाविद्यालय से सेवानिवृत्त श्री मेवाराम पाण्डेय शास्त्री को पेंशन प्रदान करने की मांग

129–श्री तेजभान सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आदर्श संस्कृत आयुर्वेद महाविद्यालय, बहराइच से 30 जून, 1983 को श्री मेवाराम पाण्डेय शास्त्री, सेवा निवृत्त हुए थे ? यदि हां, तो नियमानुसार उनकी पेंशन कब प्रदान की जानी चाहिए थी ? क्या उनको पेंशन प्रदान की गयी ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ? क्या पेंशन प्राप्त न होने के बारे में संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी की लापरवाही हेतु उसके दायित्व का निर्धारण करके उसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जिला बहराइच में इस विभाग के अन्तर्गत कोई आदर्श संस्कृत आयुर्वेद महाविद्यालय संचालित नहीं है। अतः अन्य कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद टिहरी गढ़वाल स्थित रा० इ० का० किलकिलेश्वर के निर्मित कमरों के देखरेख का प्रकरण

130–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रा० इ० का० किलकिलेश्वर, टिहरी गढ़वाल का भवन निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था ? कितना निर्माण कार्य हो चुका है ? कितना निर्माण कार्य अब भी अवशेष है ? क्या सम्प्रति निर्माण कार्य बन्द है ? यदि हां, तो क्यों ? निर्मित कमरों की देखरेख कौन कर रहा है ? यदि निर्मित कमरों की देखरेख कोई नहीं कर रहा है, तो क्यों ? इसके लिये कौन उत्तरदायी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड महराजगंज के ग्राम्य विकास अधिकारी श्री भारत सिंह को पुनरीक्षित वेतन भुगतान में बरती गई उदासीनता से सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध आरोपों की जांच

131–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि श्री भारत सिंह, ग्राम्य विकास अधिकारी, विकास खण्ड महराजगंज, जनपद रायबरेली का शासनादेशानुसार दिनांक 1-7-79 से पुनरीक्षित वेतनमान जिसे अपर जिलाधिकारी (विकास), रायबरेली द्वारा निर्धारित किया गया था तथा पुनः 1-1-86 को शासनादेशानुसार पुनरीक्षित वेतनमान की अवशेष धनराशि का भुगतान सम्बन्धित कर्मचारी को आज तक प्राप्त नहीं हो सका है ? यदि हां, तो उक्त उदासीनता के प्रति कौन उत्तरदायी है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की

जा रही है ? उक्त कर्मचारी के बकाया अवशेष समस्त धनराशि का भुगतान कब तक सुनिश्चित करा दिया जायेगा ?

श्री श्रीराम यादव–

जी हां । प्रश्नगत ग्राम्य विकास अधिकारी का दिनांक 1-7-1979 से तथा 1-1-86 से तत्कालीन अपर जिलाधिकारी (विकास), रायबरेली के आदेशों से वेतनमान पुनरीक्षित करके वेतन निर्धारण किया गया है परन्तु अवशेष देयकों से संबंधित बीजक की अवधि कालातीत हो जाने के कारण सम्पूर्ण अवशेष धनराशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ।

प्रश्नगत कार्मिक के अवशेष देयकों के भुगतान में बरती गई उदासीनता के लिये प्रथम दृष्टया श्री चन्द्र कुमार त्रिपाठी वरिष्ठ लिपिक, विकास खण्ड सलोन तथा वहीं के खण्ड विकास अधिकारी श्री सुरेश्वरी प्रसाद उत्तरदायी पाये गये है । वरिष्ठ लिपिक श्री त्रिपाठी को जिला विकास अधिकारी, रायबरेली के पत्र संख्या–1172/स्था/(1)पी०एफ०/94, दिनांक 23 फरवरी, 1994 द्वारा निलम्बित करके उनके विरुद्ध आरोपों की जांच के लिये जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है जबकि खण्ड विकास अधिकारी श्री प्रसाद का स्पष्टीकरण मुख्य विकास अधिकारी, रायबरेली के पत्र संख्या–1173/एस०टी०(वि०)/94, दिनांक 23 फरवरी, 1994 द्वारा मांग लिया गया है ।

अवशेष सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान दिनांक 30-4-1994 तक करा दिया जायेगा ।

जनपद फिरोजाबाद स्थित परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक प्रा० स्वा० केन्द्र उसायनी में कार्यरत श्री सन्तोष चन्द्र श्रीवास्तव से सम्बन्धित प्रकरण अधिकरण में विचाराधीन

132–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सन्तोष चन्द्र श्रीवास्तव, परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक, प्रा० स्वा० केन्द्र उसायनी, जनपद फिरोजाबाद को प्रसार शिक्षक पद पर प्रोन्नति किये जाने विभागीय उच्च वेतनमान, वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता के अनुसार सही स्थान अवशेष वेतन भुगतान, स्थायीकरण आदि के संबंध में दाखिल पिटीशन नं०–16/11/1990 पर पारित ट्रिब्युनल कोर्ट द्वारा दिनांक 22-2-91 के आदेश के अनुसार कार्यवाही कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? ट्रिब्युनल द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-2-91 के अनुसार कार्यवाही कब तक करा दी जायेगी ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं ।

प्रश्नगत एक पक्षीय निर्णय को निरस्त कराने के लिये लोक सेवा अधिकरण में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

अधिकरण में मामला विचाराधीन है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के चारधार (इडवालस्यू) में एलोपैथिक चिकित्सालय खोलने की मांग

133–श्री हरक सिंह रावत–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चारधार (इडवालस्यू), पौड़ी गढ़वाल के चिकित्सालय हेतु 4 नाली जमीन दी गयी है ? क्या सरकार द्वारा इस पर शीघ्र एलोपैथिक चिकित्सालय खोले जाने की कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

चारधार में चिकित्सालय स्थापित नहीं है । मात्र एक उपकेन्द्र है, जो किराये के भवन में है । उपकेन्द्र निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है । जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के डाडामण्डी में क्रीड़ास्थल निर्माण संबंधी प्रकरण

134–श्री हरक सिंह रावत–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डाडामण्डी, पौड़ी गढ़वाल के क्रीड़ास्थल हेतु बींठा वालों ने जमीन दान दी है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्रीड़ास्थल बनाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ?

गंडक योजना के अन्तर्गत नलकूपों हेतु क्रय किये गये मोटरों की गुणवत्ता की जांच

135–श्री सुधीर कुमार बालियान–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गण्डक योजना के 176 नलकूपों के लिये क्रय किये गये केवल मोटरों (पम्प को छोड़कर) एवं अन्य सामग्री का प्रयोग ई० ई० सी० योजना पर किया जा सकता था ? यदि हां, तो क्या ऐसा न करने के लिये प्रबन्ध निदेशक को स्थानान्तरित कर गण्डक स्टोर में पड़ी एक करोड़ की लागत की सामग्री की गुणवत्ता की जांच कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महराजगंज में गण्डक योजना के अन्तर्गत नलकूप निगम में पी० वी० सी० पाइप की चोरी की जांच पर कार्यवाही करने के निर्देश

136–श्री सुधीर कुमार बालियान–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप निगम द्वारा गण्डक योजना के जनपद महराजगंज में निर्मित नलकूपों से पी० वी० सी० पाइप की चोरी की रिपोर्ट निगम द्वारा अब तक दर्ज नहीं करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच सतर्कता अधिष्ठान से कराकर शासन के 10 लाख की क्षति के लिये दोषी व्यक्ति को दण्डित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

नलकूप निगम द्वारा गण्डक योजना के जनपद महराजगंज में निर्मित नलकूपों से पी० वी० सी० पाईप की चोरी होना पाया गया है ।

मामले में फिलहाल विभागीय जांचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया/गोरखपुर में गण्डक योजना के अन्तर्गत नलकूप के निर्माण में दोषी प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध जांच के आदेश

137–श्री सुधीर कुमार बालियान–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गण्डक योजना के अन्तर्गत जनपद गोरखपुर/देवरिया में निर्मित नलकूपों में से 4 नलकूपों के पम्प गृह तोड़े जाने पर कितना एम० एस० बार मिला है ? क्या निर्माण के वक्त लगायी गयी मात्रा से कम मिला है ? यदि हां; तो दोषी व्यक्ति की सत्यनिष्ठा संदग्धि है ? यदि हां, तो क्या उन्हें दण्डित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अब तक दण्डित न किये जाने के लिये प्रबन्ध निदेशक दोषी है ? यदि हां, तो क्या इनका स्थानान्तरण कर जांच कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

गण्डक संवर्धन नलकूपों की योजना के अन्तर्गत जनपद गोरखपुर/देवरिया में असिंचित क्षेत्र के सिंचन हेतु निर्मित नलकूपों में से 4 नलकूपों के पम्प गृह तोड़े जाने पर प्राप्त एम० एस० वार की स्थिति निम्नवत् है जो लगाई गई मात्रा से कम है :––

नलकूप सं०/निर्माण वर्ष	12/92 से 3/93 में तोड़ने पर एम० एस० वार की मात्रा
1–20 एन० बी० जी०/81	18 कि०ग्रा०
2–22 एन० बी० डी०/81	16 कि०ग्रा०
3–24एन० बी० डी०/85	15 कि०ग्रा०
4–3 एन० बी० डी०/81	16 कि०ग्रा०

दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर के ब्लाकों के सभी ग्रामों में राजकीय नलकूप लगाने की मांग

138–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जनपद के कौन-कौन ब्लाक में प्रत्येक गांव में ट्यूबवेल सिंचाई के लिये उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो कब तक सभी ग्रामों में ट्यूबवेल का निर्माण कर दिया जायेगा ? सन् 1992-93 तथा 1993-94 की समाप्ति तक कितने ट्यूबवेल निर्माण किये जायेगें ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद मिर्जापुर में कोई ब्लाक ऐसा नहीं है, जिसके प्रत्येक गांव में राजकीय नलकूप का निर्माण हुआ है ।

जनपद प्लान में वित्तीय प्राविधान तथा जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के पश्चात् ही राजकीय नलकूप का निर्माण किया जा सकता है ।

वर्ष 1992-93 में जनपद योजना के अन्तर्गत 4 नये राजकीय नलकूप का निर्माण किया गया है तथा वर्ष 1993-94 में 2 नये राजकीय नलकूप का छिद्रण किया गया है ।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड तुलसीपुर एवं हरैया सतघरवा में वर्णित वर्षों में सिंचाई मद में व्यय की गई धनराशि का विवरण

139–श्री रिजवान जहीर खां–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्डों क्रमशः तुलसीपुर एवं हरैया सतघरवा में सिंचाई मद में कुल कितनी धनराशि वर्ष 1991-92 एवं 1992-93 में व्यय की गयी है एवं वर्ष 1993-94 में कितनी धनराशि किस सिंचाई योजना के अन्तर्गत व्यय की जा रही है ? इस धनराशि के व्यय किये जाने पर कुल कितनी भूमि को सिंचाई लाभ प्राप्त हुआ और कृषि उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई अथवा वृद्धि की सम्भावना है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड हरैया सतघरवा क्षेत्र में सिंचाई एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

140–श्री रिजवान जहीर खां–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड हरैया सतघरवा के सम्पूर्ण क्षेत्र में न तो सिंचाई की पर्याप्त सुविधा है और न ही पेयजल ही सामान्यतः प्राप्त हो पाता है जिससे मनुष्यों एवं पशुओं को अत्यन्त कष्ट है ? यदि हां, तो क्या इस समस्या के निवारण हेतु संदर्भित क्षेत्र में "रिंग बोरिंग" द्वारा भूगर्भ जल प्राप्त करने के प्रयास वर्षों पूर्व किये गये थे एवं क्षेत्र का व्यापक सर्वेक्षण भी किया गया था, उक्त प्रयासों एवं सर्वेक्षण का निष्कर्ष क्या है ? उपरोक्त संदर्भित विकास खंड में सिंचाई एवं पेयजल हेतु "रिंग बोरिंग" द्वारा भूगर्भ जल प्राप्त करने की क्या किसी योजना पर विचार व कार्य हो रहा है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद टिहरी गढ़वाल, ए० एन० एम० सेन्टर दुआधार के रिक्त भवन का सदुपयोग

141–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ए० एन० एम० सेन्टर, दुआधार, टिहरी गढ़वाल का भवन बनाया गया है ? यदि हां, तो इस भवन में कौन व्यक्ति रहता है ? यदि यह भवन खाली पड़ा है तो क्यों ? इसके लिये कौन व्यक्ति उत्तरदायी है ? क्या इस भवन का सदुपयोग किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

निर्मित ए० एन० एम० के भवन में वहां पर कार्यरत ए० एन० एम० रह रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के अंशकालिक पद पर डा० विमल चन्द्र कटियार की नियुक्ति विषयक प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करने हेतु निदेशक को भेजा जाना

142–श्री शिव कुमार बेरिया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या–वी-23/सेक/15/पांच-91/134/87 टी० सी०, दिनांक 27-2-91 द्वारा अंशकालिक होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर नियुक्त करने के संबंध में निदेशक (होम्योपैथी) को आदेश दिया गया था ? निदेशक (होम्योपैथी) को उक्त शासनादेश प्राप्त होने के उपरान्त प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में अंशकालिक होम्योपैथी चिकित्साधिकारी के पदों पर किस-किस को और कहां-कहां नियुक्ति प्रदान की गयी है ? निदेशक (होम्योपैथी) ने उक्त शासनादेश के अनुपालन में नियमानुसार पर्वतीय जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी को आदेश निर्गत न किये जाने के क्या कारण हैं ? शासनादेश दिनांक 27-2-91 तथा स्वास्थ्य मंत्री के आदेश दिनांक 22-3-91 तथा 29-3-91 का क्रियान्वयन करने में क्या कठिनाई है ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं ।

शासन का पत्र दिनांक 27-2-91 डा० विमल चन्द्र कटियार के अंशकालिक होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर नियुक्ति विषयक प्रार्थना-पत्र पर निदेशक को नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु भेजा गया था ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

शासन के पत्र दिनांक 27-2-91 के द्वारा पर्वतीय जनपद में नियुक्ति हेतु कोई आदेश नहीं दिये गये। अतः पर्वतीय जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी को आदेश निर्गत किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

शासन के पत्र दिनांक 27-2-91 के विषय में स्थिति उपरोक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है । तत्कालीन मा० स्वास्थ्य मंत्री जी के आदेश दिनांक 22-3-91तथा 29-3-91 शासन में प्राप्त नहीं हुए थे । अतः उसके क्रियान्वयन का प्रश्न नहीं उठता है ।

निदेशक (होम्योपैथी) द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति का अनुमोदन की जानकारी

143–श्री शिव कुमार बेरिया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध होने के दौरान निदेशक (होम्योपैथी) द्वारा कितने व्यक्तियों की तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में की गयी नियुक्तियों का अनुमोदन किया गया है ?

श्री बलराम यादव–

कोई अनुमोदन नहीं किया गया है ।

मुरादाबाद शहर के पश्चिम में एलोपैथिक अस्पताल खोले जाने की मांग

144–श्री समर पाल सिंह

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि मुरादाबाद शहर के पश्चिम में एक बड़े इलाके में अस्पताल की कोई सुविधा नहीं है जिसके कारण निवासियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त क्षेत्र में सभी सुविधाओं से युक्त एक एलोपैथिक अस्पताल खोले जाने के आदेश प्रदान करेगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

चिकित्सालय की स्थापना क्षेत्र के आधार पर नहीं की जाती है । मुरादाबाद शहर में 300 शैय्यायुक्त पंडित दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय विद्यमान है जिसमें मेडिसिन विभाग, शल्य विभाग, अस्थि विभाग, नेत्र विभाग, दंत विभाग, बाल रोग, नाक कान गला, पैथोलाजी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, हृदय रोग, चर्म रोग एवं रति रोग, होम्योपैथी, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी इकाई, आटो एनालाइजर तथा स्त्री एवं प्रसूति रोग से संबंधित सामान्य एवं विशिष्ट चिकित्सीय सेवायें जनपद के समस्त निवासियों हेतु उपलब्ध करायी जा रही हैं । चिकित्सालय में 24 घण्टे आपातकालीन सेवायें भी उपलब्ध हैं साथ ही सचल चिकित्सा इकाई की भी सुविधा उपलब्ध है ।

जी नहीं ।

उपर्युक्त वर्णित सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए सम्प्रति एक और चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड जलालपुर के ग्राम बराई एवं पुरैव के किसानों की शारदा नहर की केराकत राजबहा हेतु अधिग्रहीत की गयी भूमि का मुआवजा देने की मांग

145–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि शारदा नहर की केराकत राजबहा की खुदाई कब हुई थी ? क्या यह सत्य है कि इस राजबहा की प्रथम खुदाई के कुछ ही वर्षों पश्चात् इसे और चौड़ा करके, इसका पुनर्निर्माण कराया गया था ? क्या उपरोक्त राजबाहा में ली गयी भूमि का मुआवजा सभी सम्बन्धित

कृषकों को दे दिया गया है ? क्या यह सत्य है कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर के अन्तर्गत ग्राम बराई एवं पुर्रेव के कृषकों की उक्त कार्य हेतु ली गयी भूमि का मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? किनको कितना-कितना और मुआवजा शेष है और कब तक दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

खुदाई का कार्य वर्ष 1955-56 में हुआ था ।

जी नहीं । रजबहा के पुनरोद्धार का कार्य वर्ष 1976-77 में प्रारम्भ किया गया ।

मूल निर्माण हेतु अर्जित भूमि का मुआवजा सभी कृषकों को दिया जा चुका है किन्तु पुनरोद्धार कार्य हेतु ली गई भूमि का मुआवजा अभी सभी कृषकों को नहीं दिया गया है । ग्राम बराई तथा पुर्रेव में ली गई भूमि का प्रतिकर भुगतान उक्त ग्रामों के चकबन्दी के अधीन रहने तथा धारा 4 व 6 की विज्ञप्तियों के प्रकाशन की कार्यवाही न होने के कारण नहीं हो सका । धारा–52 के प्रकाशन के बाद ग्राम पुर्रेव में आपसी समझौते से 74 कृषकों के प्रतिकर की कुल धनराशि रुपये 4,16,183.00 में से 12 कृषकों की कुल प्रतिकर की धनराशि रु० 1,35,725.000 का भुगतान किया जा चुका है । ग्राम बराई के कृषकों के अनुरोध पर आपसी समझौते से ली गई 33 कृषकों की भूमि का प्रतिकर वितरण नहीं हुआ है । प्रतिकर की धनराशि का वितरण भी अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

146–श्री ऊदल–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

नलकूप निर्माण खण्ड महराजगंज के तृतीय उपखण्ड में कार्यरत श्री रामराज, वरिष्ठ लिपिक के निलम्बन का मामला

147–श्री शिव प्रताप शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामराज, वरिष्ठ लिपिक, तृतीय उपखण्ड, नलकूप निर्माण खण्ड, महराजगंज को निलम्बित किया गया है ? क्या निलम्बन आदेश–दिनांक 26-4-93 अधिशासी अभियन्ता द्वारा दिया गया ? क्या उक्त अधिकारी निलम्बन आदेश पारित करने के अधिकारी हैं ? यदि नहीं, तो सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ? क्या सरकार प्रभावित कर्मचारी के उत्पीड़न को बन्द करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लिपिक अब निलम्बित नहीं है ।

प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में लैब टेक्नीशियनों के रिक्त पदों पर प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग

148–श्री शिव प्रताप शुक्ल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989-90 में 240 लैब टेक्नीशियनों को ट्रेनिंग दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उसमें से 155 लोगों की नियुक्ति दिसम्बर, 1991 तक की जा चुकी है ? क्या अभी भी प्रदेश में 180 उक्त रिक्तियां हैं ? यदि हां, तो क्या शेष लैब टेक्नीशियन को सरकार अविलम्ब नियुक्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

दिसम्बर, 1991 तक 155 नहीं वरन् केवल 115 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को लेबोरेटरी टैक्नीशियन के पद पर नियुक्ति प्रदान करने के आदेश जारी किये गये हैं ।

वर्तमान में प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में लेबोरेटरी टैक्नीशियन के 180 नहीं अपितु 123 पद रिक्त हैं ।

लेबोरेटरी टैक्नीशियन संवर्ग की सेवा नियमावली का प्रख्यापन गतिमान है, उसके प्रख्यापन के पश्चात् ही रिक्त पदों पर नियुक्तियां करना नियमानुसार सम्भव है ।

जनपद सीतापुर मुख्यालय पर निर्माणाधीन स्पोर्ट्स स्टेडियम को पूरा करने की मांग

149–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या खेलकूद मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिला मुख्यालय पर निर्माणाधीन स्पोर्ट्स स्टेडियम कब तक पूर्ण हो जायेगा ? क्या यह भी बतायेंगे कि उसे कब तक पूर्ण हो जाना चाहिए था ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नगत निर्माण कार्य सितम्बर, 1994 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है । लागत की सम्पूर्ण धनराशि जिला योजना में उपलब्ध हो जाती तो यह कार्य मार्च, 1991 तक पूर्ण हो सकता था ।

थोक तथा फुटकर दवाओं की बिक्री का लाइसेन्स जारी करने के संबंध में समय सीमा

150–श्री सतीश भाटिया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या थोक तथा फुटकर दवाओं की बिक्री का लाइसेन्स बनवाने पर शासन द्वारा प्रतिबन्ध लगाया गया है ? यदि नहीं, तो आवेदन करने के कितने दिन के भीतर मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय से लाइसेन्स दिये जाने का प्राविधान है ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं ।

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत प्राविधानित शर्तों को पूर्ण कर दिये जाने के उपरान्त वांछित औषधि लाइसेन्स जारी किया जाता है । उक्त अधिनियम में औषधि लाइसेन्स जारी करने के संबंध में समय-सीमा निर्धारित नहीं की गयी है ।

151–श्री तेजभान सिंह तथा श्री जगदम्बा–

[2सरे सोम में अता० प्र० सं० 57 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

वर्ष 1992-93 में जनपद अल्मोड़ा में नये/पुराने मोटर मार्गों व पैदल पुलों के निर्माण की स्वीकृति

152–श्री बची सिंह रावत–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में किन-किन नये मोटर मार्गों के निर्माण, पुराने मोटर मार्गों के डामरीकरण व पैदल पुलों के निर्माण की वित्तीय वर्ष 1992-93 में तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी थी ? क्या शासन द्वारा इन योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ करने की स्वीकृति दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद अल्मोड़ा में 1992-93 में किसी नये मोटर मार्ग की स्वीकृति नहीं दी गयी । उक्त अवधि में एक पैदल पुल की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी और दो मार्गों के नवनिर्माण, 3 पुराने मार्गों का डामरीकरण व 5 पुलों की तकनीकी स्वीकृति दी गयी ।

उपर्युक्त स्वीकृति के अनुसार कार्य प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चमोली स्थित लघु सिंचाई विभाग द्वारा बन्द गूलों को चलाने की मांग

153–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि चमोली जनपद में अधिकतर लघु सिंचाई की गूलें बन्द पड़ी हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार इन्हें चालू कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जी हां ।

भूस्खलन एवं अतिवृष्टि के कारण प्रायः योजनायें क्षतिग्रस्त होती हैं ।

प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि जनपद चमोली स्थित लघु सिंचाई योजनान्तर्गत 600.20 कि०मी० गूल एवं 1439 हौज निर्मित की गयी । लघु सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित सिंचाई गूलें पूर्ण होने के पश्चात् संबंधित ग्राम सभाओं को स्थानान्तरित कर दी जाती हैं । इन योजनाओं की देख रेख का दायित्व संबंधित ग्राम सभा का होता है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में लघु सिंचाई की विभिन्न मदों से वर्णित वर्षों में व्यय की गयी धनराशि का विवरण

154–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी में लघु सिंचाई विभाग की विभिन्न मदों से विगत पांच वर्षों में कुल कितनी धनराशि की कितनी लम्बी गूलें बनायी गयी हैं ? क्या यह सही

है कि मानक के हिसाब से इन गूलों की लम्बाई के अनुसार ही विभाग ने पेमेन्ट किया है ? यदि नहीं, तो ऐसी कितनी योजनायें हैं, जिनकी लम्बाई कार्य स्थल पर तो कम है, किन्तु अभिलेखों में उनका भुगतान अधिक हुआ है ?

श्री श्रीराम यादव–

जनपद पौड़ी गढ़वाल में विगत पांच वर्षों में (वर्ष 1988-89 से वर्ष 1992-93 तक) विभिन्न मदों के अन्तर्गत 455.5 लाख रु० की धनराशि व्यय की गई, जिसके विपरीत 233.135 कि०मी० गूल एवं 64 हौजों का निर्माण किया गया ।

जी हां ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

गढ़वाल मण्डल में कार्यरत आई० टी० आई० कालेजों में रिक्त पदों पर अनुदेशकों की नियुक्ति तथा साज सज्जा की व्यवस्था पूरा करने की मांग

155–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मण्डल में कुल कितने आई० टी० आई० कालेज हैं ? इनमें से कितने ऐसे कालेज हैं, जो अपने निर्धारित स्थान पर नहीं चल रहे हैं और क्यों ? क्या इन सभी आई० टी० आई० में अनुदेशकों और सामान की पूरी व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक यह व्यवस्था पूरी हो सकेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

गढ़वाल मण्डल में कुल 34 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं ।

इनमें से 10 संस्थान अपने निर्धारित स्थान पर नहीं चल रहे हैं, क्योंकि उन स्थानों पर प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त भवन उपलब्ध नहीं है ।

जी नहीं, इन संस्थानों में 227 अनुदेशक कार्यरत हैं, 146 अनुदेशक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को भेज दिया गया है । इन संस्थानों में प्रशिक्षण हेतु महत्वपूर्ण साज-सज्जा की व्यवस्था कर ली गयी है । अवशेष साज-सज्जा के क्रय की कार्यवाही हेतु उद्योग निदेशालय, कानपुर से स्वीकृति प्राप्त की जा रही है । यह स्वीकृति प्राप्त होते ही इसे क्रय कर संस्थानों को उपलब्ध करा दिया जायेगा । इस संबंध में कोई निश्चित समय सीमा/तिथि निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

रुद्रप्रयाग में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की स्वीकृति तथा उसे श्रीनगर में चलाने का औचित्य

156–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आई० टी० आई०, रुद्रप्रयाग कब स्वीकृत हुई थी तब से आज तक वह कहां चल रही है इसको श्रीनगर में चलाने का क्या औचित्य है ? क्या रुद्रप्रयाग की आई० टी० आई० तत्काल श्रीनगर से रुद्रप्रयाग स्थापित की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

रुद्रप्रयाग में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के स्थापना की स्वीकृति अगस्त, 1989 में दी गई है ।

तब से उक्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान श्रीनगर के अपने निजी भवन में चल रही है ।

चूंकि रुद्रप्रयाग में संस्थान के संचालन हेतु अभी तक निजी एवं किराये का उपयुक्त भवन उपलब्ध नहीं हो पाया है, जबकि श्रीनगर में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निजी भवन उपलब्ध है । ऐसी स्थिति में इसे श्रीनगर में संचालित किया जा रहा है ।

रुद्रप्रयाग में उपयुक्त भवन की अनुपलब्धता के कारण फिलहाल उक्त संस्थान को रुद्रप्रयाग में स्थापित किया जाना संभव नहीं है ।

जनपद अल्मोड़ा स्थित नेशनल इण्टर कालेज रानीखेत में वाणिज्य वर्ग की मान्यता

157–श्री बची सिंह रावत–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री को जानकारी है कि नेशनल इण्टर कालेज, रानीखेत, जिला अल्मोड़ा में वाणिज्य वर्ग की मान्यता मिले 3 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी वहां प्रवक्ता पदों का सृजन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में वाणिज्य प्रवक्ता पदों का सृजन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विद्यालय वाणिज्य वर्ग में हाई स्कूल तक मान्यता प्राप्त है और हाई स्कूल स्तर का प्रवक्ता के पद नहीं होते हैं ।

जनपद अल्मोड़ा स्थित राजकीय इण्टर कालेज जौरासी में साहित्य वर्ग की मान्यता

158–श्री बची सिंह रावत–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या राजकीय इण्टर कालेज, जौरासी, जिला अल्मोड़ा में केवल विज्ञान वर्ग से इंटर की मान्यता दी गयी है ? यदि हां, तो साहित्य वर्ग की मान्यता वहां पर प्रदान न किये जाने का कारण क्या है ? क्या सरकार राजकीय इण्टर कालेज, जौरासी को साहित्य वर्ग से मान्यता प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

सीमित वित्तीय संसाधन ।

फिलहाल वित्तीय वर्ष 1993-94 में संभव नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीमित वित्तीय संशाधनों के कारण ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के कतिपय विकास खण्डों के क्षतिग्रस्त बेसिक विद्यालय के भवनों की निर्माण योजना

159–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड थलीसैंण, विकास खण्ड वीरोखाल, विकास खंड पोखड़ा स्थित क्षतिग्रस्त बेसिक विद्यालय भवनों के पुनः निर्माण के लिये सरकार द्वारा कोई योजना बनायी गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या छात्रों के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए विद्यालय भवनों का पुनः निर्माण किया जा रहा है ? क्या आगामी समय में भी विद्यालय भवनों का पुनः निर्माण किया जायेगा ? यदि हां, तो कहां-कहां कितने भवनों का और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद चमोली के कतिपय विकास खण्डों में जूनियर विद्यालयों की संख्या बढ़ाने की मांग

160–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली के अन्तर्गत विकास खण्ड गैरसैण, विकास खण्ड कर्णप्रयाग, विकास खण्ड नारायणबगड़ की कमीरी पट्टी एवं विकास खण्ड अगस्तमुनी की धनपुर पट्टी में कुल कितने जूनियर विद्यालय मौजूद हैं ? इनमें से कितने विद्यालयों में भवन उपलब्ध हैं ? वर्तमान एवं आगामी समय में कुल कितनी ग्राम सभाओं में नये विद्यालय खोले जायेंगे ? क्या यह संख्या पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्या इनकी संख्या बढ़ाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कहां-कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद देहरादून के अन्तर्गत जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की मांग

161–श्री प्रीतम सिंह–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि देहरादून जनपद के अन्तर्गत अनुसूचित जन जाति क्षेत्र मे स्थापित दो ब्लाक चकराता व कालसी में एक नये डिग्री कालेज के खोलने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विकास नगर डाक पत्थर (देहरादून) में राजकीय महाविद्यालय स्थापित हो चुका है जो कालसी एवं चकराता जनजाति बाहुल्य क्षेत्र से अधिक दूरी पर नहीं है । अतएव इन क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की व्यवस्था हो चुकी है ।

अंशकालिक चिकित्साधिकारी (होम्योपैथिक एवं आयुर्वेद) के पदों पर तदर्थ नियुक्ति का प्रकरण

162–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि 17-5-90 के बाद से अंशकालिक चिकित्साधिकारी (होम्योपैथ एवं आयुर्वेद) के पद पर नियुक्त डाक्टरों की तदर्थ नियुक्ति का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? क्या यह भी सही है कि इसी अवधि के दो डाक्टरों [डा० अशोक नरायण मिश्रा (होम्यो०) तथा जसबीर सिंह चौहान (आयु०)] की तदर्थ नियुक्ति क्रमशः सितम्बर और मई, 93 में की गयी है ? यदि हां, तो इसी आधार पर अन्य डाक्टरों की तदर्थ नियुक्ति न करने का क्या औचित्य है ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं ।

जी हां ।

डा० अशोक नारायण मिश्रा तथा जसवीर सिंह चौहान रिट याचिका सं०–10480/90 के याची थे । उक्त रिट याचिका पर रिट याचिका सं०–4886/90 के साथ मा० उच्च न्यायालय खण्ड पीठ लखनऊ के आदेश दि० 11-2-92 पारित हुए, जिसके समादर में उक्त डाक्टरों को तदर्थ नियुक्ति दी गयी हैं । अन्य डाक्टर उक्त रिट याचिकाओं के याची नहीं हैं, अतः उक्त आधार पर इन्हें तदर्थ नियुक्ति देने का कोई औचित्य नहीं हैं ।

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड-बदलापुर के ग्राम सभा गौरा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि में बरती गयी अनियमितताओं की जांच

163–श्री तेजभान सिंह तथा श्री जगदम्बा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा गौरा, विकास खण्ड बदलापुर, जौनपुर में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 92-93 में कितनी धनराशि गांव सभा को अवमुक्त की गयी है ? कितने कार्य गांव सभा द्वारा कराये गये हैं और उनका विवरण क्या है ? क्या यह सही है कि वर्ष 92-93 में उक्त गांव सभा में जवाहर रोजगार योजना में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में जिला विकास अधिकारी द्वारा वर्ष 92 में कोई जांच की गयी थी और जांच में काफी अनियमिततायें पायी गयीं ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री श्रीराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-सिधौली के ग्राम सभा मऊ हेतु जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत अवमुक्त की गई धनराशि का विवरण

164–श्री श्यामलाल रावत–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सीतापुर में विकास काण्ड सिधौली की ग्राम सभा मऊ को विगत वर्ष 1993 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत अवमुक्त किये गये धन का आंशिक धन ग्राम प्रधान श्री छोटई द्वारा ग्राम सभा के संयुक्त खाते में जमा कराया गया है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि बाकी धन हड़प लिया गया है ? यदि हां, तो कुल कितना धन अवमुक्त किया गया और कितना धन खाते में नहीं जमा किया गया ?

श्री श्रीराम यादव–

जी हां ।

वित्तीय अनियमितता से आच्छादित होने के कारण वर्ष 1992-93 में अवमुक्त कुल रु० 58,095.00 में से रु० 35,575.00 गांव सभा के खाते में तथा रु० 22,520.00 विकास खण्ड के माध्यम से गांव सभा में व्यय किये गये ।

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड-बदलापुर के ग्राम सभा-गौरा में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का विवरण

165–श्री तेजभान सिंह तथा श्री जगदम्बा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा गौरा, विकास खण्ड बदलापुर, जनपद जौनपुर में ग्राम सभा की बैठक में बिना प्रस्ताव पास किये हुए कितने कार्य वर्ष 91-92, 92-93 में कराये गये हैं ? उक्त ग्राम सभा की कितनी खुली बैठकें की गयीं तथा कितने लोग उन बैठकों में उपस्थित हुए ? कुल कितने प्रस्ताव पास हुए और उन प्रस्तावों के अनुसार कितने कार्य कराये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि ग्राम सभा की बैठक में न बुलाये जाने पर उक्त गांव सभा में जवाहर रोजगार योजना में की गयी अनियमितताओं के संबंध में वर्ष 1991-92 में जांच अधिकारी, जिला विकास अधिकारी जौनपुर से गांव सभा के बहुत से लोगों ने शिकायत की थी ? यदि हां, तो उसके बाद भी ग्राम सभा की बैठक न बुलाने और प्रस्ताव के बिना कार्य कराये जाने हेतु दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

4 सम्पर्क मार्ग, एक हैण्ड पम्प, 2 पेयजल कूप मरम्मत, एक पुलिया तथा निर्बल वर्ग आवास निर्माण कराया गया ।

ग्राम सभा गौरा विकास खण्ड बदलापुर में ग्राम सभा को जवाहर रोजगार योजना की कार्य योजना स्वीकृत कराने हेतु खुली बैठकें नहीं बुलाई गई और न ही कोई प्रस्ताव पास हुये ।

जी हां ।

ग्राम सभा की बैठक न बुलाये जाने और बिना प्रस्ताव पास कराये कार्यों के सम्पादन की जांच कराई गयी जिसके आधार पर संबंधित ग्राम सभा का खाता बन्द कर दिया गया है तथा दोषी पाये गये

ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अलीगढ़ के विकास खण्ड-चन्दौस के अन्तर्गत ग्राम सभा-वामौती हेतु जवाहर रोजगार योजना में प्राप्त धनराशि द्वारा कराये गये कार्यों की जांच की मांग

166–श्री हरी शंकर माहौर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में विकास खण्ड चन्दौस के अन्तर्गत ग्राम सभा वामौती के लिए जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कितना रुपया ग्राम के विकास के लिए श्री भरत सिंह प्रधान के कार्यालय में प्राप्त हुआ है ? उक्त प्रधान ने इस पैसे से कितने मीटर खड़न्जा आदि किस-किस मद में गांव के विकास के लिए किन-किन मजदूरों के द्वारा कितनी-कितनी मजदूरी दर्शाकर धन व्यय किया है ? क्या कोई फर्जी मस्टररोल बनाकर भी पेमेंट किया गया है ? क्या सभी गांव के सही विकास की जांच करा ली गयी है ? क्या गांव के विकास कराने में धन का दुरुपयोग किया गया है ? क्या मौजूदा प्रधान ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कुछ ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा किया है ? यदि हां, तो उक्त प्रधान के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मऊ के विकास खण्ड फतेहपुर मण्डाव के ग्राम सभा लउआसाथ के प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना में प्राप्त धन का कथित दुरुपयोग और जांच की मांग

167–श्री उमाकान्त यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद मऊ के अन्तर्गत विकास खण्ड फतेहपुर मण्डाव के ग्राम सभा लउआसाथ के ग्राम प्रधान द्वारा वर्ष 1989 से वर्ष 1993 तक जवाहर रोजगार योजना व अन्य मदों से पैसा लेकर दुरुपयोग किया है ? क्या सरकार यह बतायेगी कि उक्त ग्राम प्रधान द्वारा बिना कार्य कराये ही लाखों रुपये का दुरुपयोग किया है ? क्या सरकार इनके द्वारा कराये गये पूरे कार्यों की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराकर दण्डित करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

168–श्री उमाकान्त यादव–

। पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।

जनपद रायबरेली के ब्लाक डीह के ग्राम सभा-दोहरी के ग्राम प्रधान द्वारा कराये गये कार्यों की विवरण

169–श्री हरेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा दोहरी, ब्लाक डीह, जनपद रायबरेली के प्रधान श्री शिवनाथ सिह को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक कितना धन दिया गया ? उस धनराशि से क्या-क्या कार्य अब तक कराये गये ? क्या यह सही है कि उक्त प्रधान ने जवाहर

रोजगार योजना का पैसा विकास कार्यों में खर्च न करके अपना पक्का मकान उक्त धन से बनवा लिया है ? यदि हां, तो क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

ग्राम सभा दोहरी, ब्लाक डीह, जनपद रायबरेली को वर्ष 1989-90 से 1993-94 तक कुल धनराशि रुपये 1.80.012.45 पैसा जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत दी गई ।

उक्त धनराशि द्वारा सम्पर्क मांग निर्माण, सम्पर्क मार्ग मरम्मत, खड़न्जा निर्माण, कूप मरम्मत, सिंचाई नाली खुदाई, निर्बल वर्ग आवास निर्माण आदि कार्य कराये गये ।

उपलब्ध अभिलेखों की जांच एवं स्थलीय सत्यापन से पुष्टि में प्रधान धन के दुरुपयोग में दोषी नहीं पाये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आदर्श किराया नियन्त्रण कानून का प्रारूप

170–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रेषित "आदर्श किराया नियन्त्रण कानून" का प्रारूप उसे प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो वह प्रारूप क्या है ? क्या राज्य सरकारों को किराये संबंधी सभी मौजूदा कानूनों को रद्द करके नया विधान बनाने को कहा गया है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रारूप संलग्न है । †

जी हां ।

प्रश्नगत मामले में कार्यवाही प्रगति पर है ।

जनपद आगरा की तहसील किरावली स्थित खारी नदी पर जैंगारा बसैया और खेड़ा बाकनदा के घाटों पर बांध बनाकर बरसाती पानी रोकने तथा खारे पानी को मीठा बनाने की व्यवस्था की मांग

171–श्री बदन सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा की तहसील किरावली स्थित खारी नदी के दोनों किनारों पर बसे ग्रामों का जल स्तर नीचे चला गया है ? यदि हां, तो क्या उस जल स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और खारे पानी को मीठा बनाने के लिए खारी नदी पर जैंगारा बसैया और खेड़ा-बाकनदा के घाटों पर बांध बनाकर बरसाती पानी को रोकने की व्यवस्था की जायेगी ?

---

† छापा नहीं गया ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मथुरा के जिलाधिकारी को प्रश्नगत संस्था की भूमि न देने के निर्देश

172–श्री ऊदल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले में तत्कालीन भाजपा सरकार ने 27 हेक्टेयर जमीन साध्वी ऋतम्भरा के आश्रम बनाने हेतु एक रुपया सालाना दर पर 99 वर्ष का पट्टा दिया है ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता ने राजस्व मंत्री को दिनांक 17-12-93 को एक पत्र लिखा है ? उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार पट्टे को रद्द करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । तत्कालीन प्रशासन द्वारा लगभग 17.26 हेक्टेयर अर्थात् 43.15 एकड़ भूमि पर प्रशक्ति पीठ, 27/15, राधेश्याम पार्क, दिल्ली को एक रुपये सालाना किराये पर 99 वर्ष के पट्टे पर हस्तान्तरित करने के आदेश दिनांक 7-11-92 को जारी किये गये थे । लीजडीड दिनांक 3-12-92 को पंजीकृत की गयी थी । किन्तु दिनांक 26-12-92 को निदेशक/जिलाधिकारी को भूमि का कब्जा उक्त संस्था को न देने के निर्देश दिये गये हैं ।

जी हां ।

मा० सदस्य के पत्र की जांच कराकर सूचित करने की अपेक्षा की गई थी, तदनुसार स्थिति की सूचना इस उत्तर के माध्यम से दी जा रही है ।

पट्टे के संबंध में विधिक परीक्षण कराया जा रहा है जिसके उपरान्त यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

जनपद टिहरी गढ़वाल के बस्ती टिहरी में रंगीन टी० वी० कारखाना खोले जाने की मांग

173–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टेहरी गढ़वाल में 4 करोड़ रुपये की लागत का कलर टी० वी० कारखाना शासन द्वारा स्वीकृत है ? यदि हां, तो यह कारखाना कब तक खोला जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । फैक्ट्री की विनियोजन लागत 3.44 करोड़ रुपये है । जिसके विरुद्ध 2.93 करोड़ रुपये अंश पूंजी के रूप में स्वीकृत किये गये हैं ।

अभी यह कारखाना नई टिहरी में प्रयोगात्मक रूप में, किराये के भवन में खोला गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र कर्ण प्रयाग में उद्योगों को स्थापित करने की प्रयास

174–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत वित्तीय वर्ष में कर्णप्रयाग विधान सभा क्षेत्र में कहां-कहां और कितने उद्योगों की स्थापना की गयी है ? यदि नहीं, तो उद्योगों की स्थापना वहां पर न होने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार द्वारा कर्णप्रयाग क्षेत्र, जनपद पौड़ी के पावो, पैठाणी,

थलीसैंण, स्रंसी, पोखड़ा, चोपट्टाखाल, खिर्सू काण्डई में तथा जनपद चमोली के रुद्रप्रयाग, गोचर, लंगासु, सिमली, गैरसैंण में उद्योगों की तत्काल स्थापना की जावेगी ? यदि हां, तो कौन-कौन से उद्योग और कब तक स्थापित किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

कर्णप्रयाग विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के वीरोखाल, एकेश्वर, पोखड़ा, थैलीसैण, पावों, खिर्सू विकास खण्ड तथा जनपद चमोली के कर्णप्रयाग, गैरसैंण, एवं नारायण बगड़ विकास खण्ड आते हैं।

विगत वित्तीय वर्षों में कर्णप्रयाग विधान सभा क्षेत्र में कुल 519 लघु उद्योग इकाइयां स्थापित की गई हैं।

विवरण निम्नलिखित है :–

जनपद	विकास खण्ड	इकाइयों की संख्या
पौड़ी	1–वीरोखाल	105
	2–एकेश्वर	60
	3–पोखड़ा	49
	4–थैलीसैंण	46
	5–पावौ	29
	6–खिर्सू	160
चमोली	1–कर्ण प्रयाग	
	2–गैरसैंण	70
	3–नारायणबगड	

पैंठाली, स्यूसी, चौवहाखाल, कण्डाई, रुद्र प्रयाग गोचर, लंगासू, सिमली उपरोक्त विकास खण्डों में है।

स्थानीय संसाधन व आवश्यकता के आधार पर निजी उद्यमियो को प्रोत्साहन कर लघु औद्योगिक इकाईयां स्थापित करने का निरन्तर प्रयास किया जाता है।

जनपद फैजाबाद में अप्रशिक्षित स्वयं सेवकों से ड्यूटी लेने की शिकायत की जांच के आदेश

175–श्री मित्रसेन यादव–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के 7वें मंगल के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–96 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जमुना सिंह, सदस्य, मंत्रि-परिषद्, भा० क० पा०, फैजाबाद के शिकायती-पत्र दिनांक 6-4-91 पर जांचोपरान्त श्री विजय नरायन तिवारी के विरुद्ध अब तक कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज कराकर कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार श्री तिवारी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? क्या श्री राम चन्द्र तिवारी डी० ओ० के समस्त भुगतान रोकने बताये लिखित तथ्य पर उनके

भुगतान रोकने के पत्र की प्रति उपलब्ध करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या श्री सिंह के संदर्भित पत्र दिनांक 6-4-91 में गैर प्रमाणित चरित्र के व्यक्तियों से भी इयूटी लेने की शिकायत की गयी थी ? यदि हां, तो क्या इस तथ्य पर अब तक कोई जांच की गयी ? यदि हां, तो क्या-क्या तथ्य प्रकाश में आये ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसकी जांच कब तक पूर्ण करायी जा सकेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्री विजय नरायन तिवारी को प्रादेशिक विकास दल संगठन से दिनांक 26-9-91 को निष्कासित कर दिया गया है । इनके विपरीत धोखाधड़ी करने का मुकदमा कोतवाली, नगर फैजाबाद में दर्ज करा दिया गया है ।

संबंधित पत्र दिनांक 3 सितम्बर, 1991 तथा दिनांक 10 सितम्बर, 1991 की प्रतियां संलग्न हैं ।

पत्र दिनांक 6-4-91 में अप्रशिक्षित स्वयं सेवकों से इयूटी लेने की शिकायत की गयी ।

जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 173–174 पर)

176–श्री मित्रसेन यादव–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड नरेन्द्र नगर में चूना पत्थर के सदुपयोग हेतु योजना की मांग

177–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री को जानकारी है कि विकास खण्ड नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल मे सबसे ज्यादा चूना पत्थर का पहाड़ मौजूद है ? यदि हां, तो क्या जिला उद्योग केन्द्र टिहरी गढ़वाल ने इस चूना पत्थर के सदुपयोग हेतु कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो कौन सी योजना तैयार की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चूना पत्थर के उद्योगों में उपयोग का मुख्य आधार उनमें उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम की मात्रा होती है । ऐसे लाइम स्टोन जिनमें कैल्शियम आक्साइड की मात्रा 42 प्रतिशत से कम तथा मैग्नीशियम आक्साइड की मात्रा 4 प्रतिशत से अधिक हो किसी उद्योग हेतु उपयोगी नहीं होते । नरेन्द्र नगर क्षेत्र में पाया जाने वाला अधिकतर चूना पत्थर इसी श्रेणी का है ।

नैनीताल विधान सभा क्षेत्र में वर्णित मोटर मार्गों पर कार्य प्रारम्भ करने की मांग

178–श्री बंशीधर भगत–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दिनों जो नैनीताल विधान सभा में काठगोदाम, हैडाखान, बबियाड़ व काठगोदाम-अना, बनना, बबियाड़ तथा घुग्गूखान सौंड़-बासी कोटाबाग

व नथुवाखान, सुयालबाड़ी मोटर मार्ग स्वीकृत हुए हैं, उनमें कार्य प्रारम्भ होगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीमित वित्तीय संसाधन ।

जनपद अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ के मोटर मार्गों पर अवरुद्ध निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने की मांग

179–श्री बची सिंह रावत–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ में कितने मोटर मार्गों का निर्माण कार्य अवरुद्ध है? क्या इन मोटर मार्गों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुमति मिल चुकी है ? यदि हां, तो इन मोटर मोर्गों का निर्माण कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अल्मोड़ा में 30 मोटर मार्ग तथा पिथौरागढ़ में 36 मोटर मार्गों का निर्माण कार्य अवरुद्ध है ।

उपरोक्त में से अल्मोड़ा के 5 मार्गों की औपचारिक अनुमति मिल चुकी है ।

उपरोक्त 5 मार्गों में से 4 मोटर मार्गों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा एक मार्ग पर कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विकास खण्ड भीमताल में ओखलदुग्गा पेयजल योजना में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता की जांच तथा दोषी कर्मचारी को दण्डित किया जाना

180–श्री बंशीधर भगत–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार भीमताल विकास खण्ड में ओखलदुग्गा पेयजल योजना पर कब तक कार्य कराना प्रारम्भ करा देगी ? उक्त पेयजल योजना में जो लाखों रुपयों का घोटाला हुआ है, इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या सरकार कोई कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

ओखलदुग्गा पेयजल योजना पर कार्य जून, 1987 में प्रारम्भ हुआ था एवं लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर योजना अक्टूबर, 1990 में कुमायूं जल संस्थान को रखरखाव हेतु हस्तान्तरित की जा चुकी है । शेष कार्य प्रगति पर है ।

योजना मे लाखों रुपये का घोटाला नहीं हुआ है । मात्र मुख्य जलाशय हेतु एकत्रित की गई सामग्री की गुणवत्ता असंतोषजनक पाये जाने की जांच कराई गई । निर्माण कार्यों में प्रकाश में आये प्रतिकूल तथ्यों के संबंध में की गई जांच में दोषी पाये गये कर्मचारी को दण्डित किया जा चुका है ।

पौड़ीनगर में पेयजल की कमी को दूर करने हेतु नयी पम्पिंग योजना

181–श्री हरक सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पौड़ीनगर में पेयजल की कमी को दृष्टिगत रखते हुए नई पम्पिंग योजना बनायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

पौड़ीनगर में पेयजल की कमी को देखते हुये अलकनन्दा नदी से पम्पिंग योजना, जिसकी अनुमानित लागत 11.45 करोड़ है, जल निगम, उ० प्र० द्वारा बनाई गई है । योजना शासन के विचाराधीन है ।

परसुडाख्याल (पौड़ी) की जनता को रिछौली पेयजल योजना से पेयजल की व्यवस्था

182–श्री हरक सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा परसुडाख्याल (पौड़ी) में जनता के लिए पेयजल की कोई व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो कैसी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, परसुडाखाल (पौड़ी) की जनता को "रिछौली पेयजल योजना" से पेयजल की व्यवस्था की जा चुकी है ।

पाइप पेयजल व्यवस्था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

183–श्री बालेश्वर त्यागी–

[दिनांक 23-2-94 को अता० प्र० सं० 2 द्वारा उत्तरित]

184–श्री राम औतार मिश्र–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड भदैया के ग्राम सभा अभियाकला, जादीपुर, रामपुर, हनुमानगंज तथा बरुई में जवाहर रोजगार योजना के धन का दुरुपयोग की शिकायतें

185–श्री राम औतार मिश्र–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत ब्लाक भदैया के गांव सभा बरुई, पन्नाटीकर, रामपुर, हनुमानगंज, जादीपुर, अभियाकला में विकास के लिए जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1986 से 1991 तक सरकार द्वारा जो धन दिया गया था, उसका उपयोग न करके प्रधानों द्वारा अपने निजी कामों में धन लगाकर आहरण कर लिए जाने पर, पूर्व विधान सभा सदस्य, श्री बच्चा पाठक ने लिखा था, जिस पर जांचोपरान्त दोषी पाये गये व्यक्तियों को दण्डित कर दिये जाने की सूचना जिलाधिकारी द्वारा सदन को दी गयी ? प्रधानों के ऊपर आरोप सिद्ध होने पर अधिकारियों द्वारा वैधानिक कार्यवाही कौन सी करने का आदेश हुए ? क्या पुनः विकास के लिए धन दिया है ? क्या उक्त गांव सभा के जवाहर रोजगार योजना के धन का दुरुपयोग किये जाने की जांच आख्या सदन के पटल पर रखेंगे ? प्रधानों में जिन्होंने धन का गबन किया है उनमें से किस प्रधान के ऊपर कितना आहरण सिद्ध हुआ था ? उसकी वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कार्यवाही

नहीं की गयी तो उसका दोषी कौन है ? क्या दोषी व्यक्तियों को दण्डित करके धन की वसूली करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

इसकी जानकारी विभाग को नहीं है ।

सम्बन्धित प्रधानों को परगनाधिकारी सदर, सुल्तानपुर द्वारा निलम्बित कर दिया गया किन्तु सम्बन्धित ग्राम प्रधानों ने मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ में रिट याचिका दायर किया । जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने उपरोक्त रिट याचिकाओं पर प्रश्नगत आदेश का क्रियान्वयन स्थगित अथवा निरस्त कर दिया । जी हां । ग्राम सभाओं को जनहित में पुनः धन आवंटित किया गया ।

जांच आख्या मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है ।

प्रधान ग्राम सभा अभियाकला रु० 15478.80, ग्राम सभा जादीपुर रु० 35004.00, रामपुर हनुमानगंज रु० 41075.50, बरुई रु० 50238.00 एवं ग्राम सभा पन्नाटीकर 31748-92 जवाहर रोजगार योजना के धन का दुरुपयोग पाया गया ।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन अथवा निरस्त के आदेश हो जाने के फलस्वरूप प्रधानों से वसूली की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड-भदैया के कतिपय ग्रामों के ग्राम प्रधानों द्वारा जवाहर रोजगार योजना के धन का दुरुपयोग/आहरण करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग

186–श्री राम औतार मिश्र–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के 127 विधान सभा के सम्मानित पूर्व विधायक श्री शिव नरायन मिश्रा के ब्लाक भदैया के गांव सभा बरुई, रामपुर, हनुमानगंज, पन्नाटीकर, अभियाकलां, जादीपुर के प्रधानों द्वारा जवाहर रोजगार योजना के धन का आहरण कर लिए जाने पर, जनता की मांग पर दिनांक 17-11-92 को जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, सुल्तनानपुर को तथ्यों के साथ वैधानिक कार्यवाही किये जाने की मांग की थी ? यदि हां, तो श्री मिश्र जी के पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध होने के उपरान्त क्या वैधानिक कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो विलम्ब का कारण क्या है ? क्या सम्पूर्ण तथ्यों को सदन में विवरण देकर अवगत करायेंगे ?

श्री श्रीराम यादव–

जी हां ।

जांचोपरान्त ग्राम प्रधानों तथा ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा जवाहर रोजगार योजना में धन का अपहरण किये जाने के संबंध में उन्हें दोषी पाये जाने पर निलम्बित किया गया था, परन्तु प्रधानों ने मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ बेंच में रिट याचिका दायर करके आदेश को निरस्त तथा स्थगित करा दिया जिसके कारण प्रधानों के विरुद्ध अन्य कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं की गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के कतिपय ग्रामों को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि तथा गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं

187–श्री मित्रसेन यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र जो ग्राम हरदोइया व बसवारकला, विकास खण्ड हरिहरगंज तथा ग्राम भखौली, विकास खण्ड अमानीगंज, फैजाबाद में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत की गयी गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के सन्दर्भ में जिलाधिकारी, फैजाबाद के पत्र संख्या–67/एस०टी०/जनप्रतिनिधि/90, दिनांक 24-9-1990 के अन्तर्गत जिला पंचायत राज अधिकारी एवं अधि० अभि०, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, फैजाबाद को क्या-क्या आदेश निर्गत किये थे ? उक्त सन्दर्भ में कार्यवाही का सम्पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री श्रीराम यादव–

दिनांक 14-9-1990 को जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी एवं अधिशासी अभियता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को आदेश दिया था कि ग्राम सभा हरदोइया, बसवारकला तथा भखौली में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत अनियमितताओं की स्थानीय एवं अभिलेखों के आधार पर तत्काल जांच कर अनियमितताओं के लिये दोषी प्रधानों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का तथा माननीय सांसद को स्थिति से अवगत कराने का आदेश दिया था ।

ग्राम सभा हरदोइया की जांच के पश्चात मु० 1834–00 का अन्तर आया था जिसे प्रधान ने गांव सभा खाते में जमा कर दिया है । इस कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

ग्राम सभा बसवारकला की जांच कराई गई । कोई अनियमितता नहीं पायी गई ।

ग्राम सभा भखौली की जांच, जांच दल द्वारा कराये जाने पर मु० 92,788–89 पैसे का व्ययपहरण पाया गया । इस धनराशि को जमा करने हेतु नोटिस निर्गत की जा चुकी है । इस गांव के खाते का संचालन किसी सहायक विकास अधिकारी को सौंपकर विकास कार्यों को कराने हेतु खण्ड विकास अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है । कोई भी कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया ।

जनपद सुल्तानपुर में दोषी ग्राम प्रधानों से जवाहर रोजगार योजना की धनराशि को वसूल करने की मांग

188–श्री राम औतार मिश्र तथा श्री राम विशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के अपर जिला अधिकारी, परियोजना के पत्रांक–6493/वि०स०प्र०/92-93, दिनांक 12 मई, 1992 जो परगनाधिकारी, सदर, सुल्तानपुर को लिखे एवं निर्देशित किये थे कि तत्काल दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करके जवाहर रोजगार योजना के राजकीय धन की वसूली करायें ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या दोषी व्यक्तियों से धन की वसूली हुई ? यदि नहीं, तो विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री श्रीराम यादव–

जी हां ।

जांचोपरान्त सम्बन्धित ग्राम प्रधानों एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया ।

जी नहीं ।

सम्बन्धित ग्राम प्रधानों ने मा० उच्च न्यायालय लखनऊ बेन्च में रिट याचिका दायर किया, जिसमें मा० उच्च न्यायालय ने उपरोक्त रिट याचिकाओं पर प्रश्नगत आदेश का क्रियान्वयन स्थगित अथवा निरस्त कर दिया । मा० उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच के आदेशों के फलस्वरूप प्रधानों से वसूली की कार्यवाही स्थगित कर दी गई ।

189–श्री राम औतार मिश्र–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।

जनपद सुल्तानपुर के कतिपय ग्राम सभा के ग्राम प्रधानों से जवाहर रोजगार योजना की वसूली की जाने वाली धनराशि का विवरण

190–श्री राम औतार मिश्र–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के परगनाधिकारी, सदर ने अपने पत्रांक संख्या-मेमो/आशुप०-30, सदर, दिनांक 15-5-92 में खण्ड विकास अधिकारी, भदैया को निर्देशित किया था कि जवाहर रोजगार योजना के धन के आहरण करने के संबंध में प्रधान बरुई से रुपया 50,231.00 अभियाकलां से रुपया 15,470.00, जादीपुर से रुपया 35,004.00 पन्नाटीकर से रुपया 31,748.92, हनुमानगंज से रुपया 41,075.50 की तत्काल वसूली करके प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायें ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी तथा वसूली के लिए क्या व्यवस्था की गयी ? यदि नहीं, तो किस स्तर पर विलम्ब हुआ एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आदेश के उपरान्त भी कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ? क्या अविलम्ब दोषी अधिकारी एवं प्रधानों को निलम्बित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्रीराम यादव–

जी हां ।

खण्ड विकास अधिकारी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु थानाध्यक्ष कोतवाली-देहात हनुमानगंज से सम्पर्क किया किन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न हो सकी । तीनों प्रधान निलम्बित किये गये । मा० उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच द्वारा ग्राम प्रधान बरूई की रिट याचिका में कार्यवाही स्थगित कर दिया गया तथा प्रधान ग्राम सभा-जादीपुर, पन्नाटीकर, रामपुर हनुमानगंज एवं अभियाकला के प्रधानों का निलम्बित आदेश निरस्त कर दिया गया । उपरोक्त स्थिति में मा० उच्च न्यायालय के आदेश के सम्मान में अग्रिम कार्यवाही स्थगित हो गयी ।

तीनों प्रधानों के निलम्बन की कार्यवाही की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महराजगंज की तहसील निचलौल के ग्राम बूढ़ाडीह के निवासी श्री भोला पुत्र श्री रामनाथ द्वारा जवाहर रोजगार योजना की धनराशि की अनियमितता की जांच कराने के सम्बन्ध में प्रेषित शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

191–श्री दौलत राम–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि तत्कालीन सभापति अनु० जाति/जन जाति समिति के पत्र दिनांक 20-2-92 के साथ श्री भोला पुत्र श्री रामनाथ, निवासी ग्राम बूढ़ाडीह, तहसील निचलौल, जनपद महराजगंज का पत्र जो जवाहर रोजगार योजना की शिकायत संबंधी पत्र तत्कालीन मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र किस तिथि को मिला तथा उस पर मंत्री द्वारा कब तथा क्या आदेश किये गये ? संबंधित जांच अधिकारी को आदेश किस तिथि को मिले ? क्या जांच अधिकारी ने मौके की जांच की ? यदि नहीं, तो विलम्ब का कारण क्या है ? क्या-क्या अनियमिततायें जांच में पायी गयीं ? योजना में कितना पैसा स्वीकृत था तथा कितनी धनराशि का लाभ हुआ ? क्या निर्माण एवं कार्य की जांच टी०ए०सी० से करायेंगे ? उक्त कार्य ठेके पर कराया गया या सरकारी तन्त्र से ?

श्री श्रीराम यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विकास खण्ड कुड़वार के ग्राम सभा कोटिया के ग्राम प्रधान श्री शेर मोहम्मद के विरुद्ध जवाहर रोजगार योजना की धनराशि की गम्भीर अनियमितता के संबंध में प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र पर जांच

192–श्री मित्रसेन यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम प्रधान, ग्राम सभा कोटिया, विकास खण्ड कुड़वार, श्री शेर मोहम्मद के विरुद्ध जवाहर रोजगार योजना की धनराशि की गम्भीर अनियमितता के सन्दर्भ में प्रश्नकर्ता द्वारा की गयी शिकायत के आधार पर मुख्य विकास अधिकारी, सुल्तानपुर की जांच आख्या क्या है ? क्या उन्होंने अपने पत्रांक 2466/ज० रो० यो० शि० जांच/93-94, दिनांक 28 सितम्बर, 1993 परगनाधिकारी, सदर, सुल्तानपुर को कार्यवाही हेतु प्रेषित है ? यदि हां, तो उक्त सन्दर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? उक्त शिकायती-पत्र के मुख्य-मुख्य बिन्दु क्या थे ? जांच कार्यवाही में कौन-कौन सी अनियमिततायें प्रकाश में आयी हैं ? उक्त के सन्दर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीराम यादव–

जांच आख्या के अनुसार ग्राम प्रधान, ग्राम सभा कोटिया, विकास खण्ड कुढ़वार श्री शेर मोहम्मद तथा श्री बद्री प्रसाद मिश्र, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरी लाल श्रीवास्तव दोषी पाये गये ।

उन्होंने अपने पत्रांक 2468/ज० रो० यो० शि० जांच/93-94, दिनांक 28 सितम्बर, 1993 परगनाधिकारी सदर, सुल्तानपुर को प्रेषित है ।

उक्त संदर्भ में सरकार धन के दुर्विनियोजना के संबंध में प्रधान श्री शेर मोहम्मद के विरुद्ध आरोप पत्र जारी कर दिया गया है ।

उक्त शिकायती पत्र में मुख्य आरोप ग्राम प्रधान द्वारा विकास कार्यों में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत लाखों रुपये की अनियमिततायें बरतने का था ।

जांच आख्या के आधार पर मुख्य रूप से आर० एल० ई० जी० पी० एवं जवाहर रोजगार योजना अन्तर्गत किये गये कार्यों में 26097 ईंट (कीमत मु० 19573.00 आंकी गई है) का दुरुपयोग संबंधित प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किया गया ।

ग्राम प्रधान से जवाहर रोजगार योजना से सम्बन्धित खाता पर रोक लगाकर खण्ड विकास अधिकारी कुड़वार को अपने स्तर से कार्य करानेके निर्देश दिये गये हैं । प्रधान के विरुद्ध परगनाधिकारी सदर के न्यायालय में मुकदमा लम्बित है । संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आरोप पत्र जारी कर दिया गया है ।

193–श्री बचनू राम पटेल–

[दूसरे मंगल में अता० प्र० सं० 100 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

194–श्री राम सरन वर्मा–

[दिनांक 23-2-94 को अता० प्र० सं० 190 द्वारा उत्तरित]

जनपद गोरखपुर की तहसील खजनी के अन्तर्गत कुआनों नदी के दाहिने हाथ पर बने बन्धे से प्रभावित ग्रामों के किसानों की अर्जित भूमि के प्रतिकर का भुगतान

195–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में खजनी तहसील के अन्तर्गत कुआनों नदी के दाहिने हाथ पर बने बांध में रामपुर, छितौना, मिसिया, मरसी, वरपरवा, त्रिलोकापुर, बह्मसारी, झीनखीनी, पड़री तथा सोपाई आदि ग्रामों में किन-किन कास्तकारों की कौन-कौन से नम्बर की जमीनें ली गयी हैं ? क्या संबंधित काश्तकारों को उसका मुआवजा दिया जा चुका है ? क्या राजस्व अभिलेखों से उनके नाम और नम्बरान खारिज कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उक्त बांध हेतु ग्राम रामपुर में कोई भूमि अर्जित नहीं की गई । ग्राम सोपाई में अर्जित भूमि के कृषकों का प्रतिकर वितरण किया जा चुका है जिससे संबंधित कृषकों के नाम तथा उनकी भूमि नम्बरान राजस्व अभिलेखों से खारिज कर दिये गये हैं । अन्य ग्रामों के कृषकों का प्रतिकर वितरण धनाभाव के कारण अभी नहीं हुआ है । इसी कारण इन ग्रामों के कृषकों के नाम तथा भूमि के नम्बरान राजस्व अभिलेखों से खारिज नहीं हुए हैं । इन ग्रामों के कृषकों के नाम, इनकी भूमि के नम्बरों के उपलब्ध विवरण मेरे कार्यालय कक्ष में प्रश्नकर्ता महोदय द्वारा सुविधानुसार किसी भी कार्य दिवस में अवलोकित किये जा सकते हैं ।

(अधिष्ठाता श्री अशोक बाजपेई के सभापतित्व में 12 बजकर 39 मिनट पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

* श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, मेरा प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न है, मैंने लिखकर भी दिया है।

श्री अधिष्ठाता–

हां बताइये, आपकी क्या व्यवस्था है ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, यह पीठ हम लोगों के अधिकारों की रक्षक है और पूरा सदन इस प्रदेश के लिये उत्तरदायी है। जब से विधान सभा चली है, तब से लगातार अधिकांश समय अकारण जाया होता रहा है। देखने में यह आता है कि जरा सी बात पर माननीय अध्यक्ष जी नाराज हो जाते हैं....

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह पीठ के लिये व्यवस्था नहीं हो सकती। यह गलत परम्परा होगी।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मैं सदन के अच्छे संचालन के लिये यह बात कह रहा हूं वैसे पीठ के लिये पूरी श्रद्धा है, पूरा विश्वास है और जो भी पीठ आदेशित करेगी, उसका पालन करेंगे और करते भी हैं। अगर सदन में कोई अव्यवस्था है तो पीठ को नियम 299 के अन्तर्गत बहुत से अधिकार दिये गये हैं, उसके अन्तर्गत सदन में किसी भी सदस्य को, जिसका व्यवहार अध्यक्ष के अनुकूल नहीं है, उसको सदन से बाहर करने के लिये कह सकता है, निलम्बित कर सकता है। शांति व्यवस्था स्थापित करने का पूरा दायित्व पीठ का होता है। जब पीठ ही नाराज हो जाय तो हम शिकायत किससे करें ? पूरा प्रदेश आज हम लोगों की तरफ देख रहा है कि जहां इतना पैसा खर्च हो रहा है, पूरे क्षेत्र से प्रतिनिधि चुनकर यहां आते हैं, क्षेत्र की समस्याओं को उठाने के लिये। मान्यवर, 299 के अन्तर्गत सारी व्यवस्थायें हैं। मैं पीठ के लिये कोई आक्षेप नहीं करना चाहता, पीठ के लिये मेरी पूरी श्रद्धा है। लेकिन मैं इस प्रश्न को सिर्फ इसलिये उठा रहा हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश की पैनी निगाहें हम लोगों की ओर देख रही हैं, उसकी हम लोगों से अपेक्षा है कि हमने जिन प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा है, वह सदस्य वहां बैठकर क्या कर रहे हैं ? यदि जरा-जरा सी बात पर 1-1 घन्टा सदन स्थगित होगा और माननीय अध्यक्ष जी कुर्सी पर बैठ जायेंगे और कहेंगे कि बोलते रहो, बोलते रहो तो इस तरह सदन कैसे चलेगा ? मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं। इस विषय पर बालचन्द्र मिश्र जी ने भी लिखकर दिया है, उनको भी सुनने की कृपा करें।

श्री बालचन्द्र मिश्र–

मान्यवर, पूरे प्रदेश की आशाओं और आकांक्षाओं, समस्याओं को उठाने के लिये हम लोग यहां आते हैं और क्षेत्र की जनता ने हम लोगों को यहां चुनकर भेजा है। हम लोग इस सर्वोच्च पीठ के लिये नतमस्तक होते हैं। जब हम आते हैं तो भी नमन करते हैं और जाते हैं तो भी नमन करते हैं। आपकी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्यवस्था भी शिरोधार्य करते हैं। करोड़ों रुपये प्रतिदिन इस सदन के संचालन पर खर्च हो रहा है, वह जाया न हो और पीठ का सम्मान भी बना रहे साथ ही माननीय सदस्यों की भावनाओं का भी सम्मान होता रहे, इसलिये सदन का सुचारु रूप से चलना बहुत जरूरी है। मैं तीसरी बार इस सम्मानित सदन का सदस्य होकर आया हूं। पिछले समय में भी अनेक बार इस तरह की स्थितियां आयी हैं, जब माननीय सदस्य कूप में आये हैं, उन्हें समझा-बुझाकर, पीठ से निर्देशित करके वापस भेजा गया है मेरा अनुरोध है कि प्रदेश के इतने बड़े महत्वपूर्ण विषय पर जो वार्ता चल रही है और अगर सदन अव्यवस्थित हो जाता है तो नियमावली में तमाम प्राविधान दिये गये हैं, नियम दिये गए हैं। उन सारे नियमों की अवहेलना करते हुए अगर श्रीमन्, आप बैठ जायें और इस पर कोई कार्यवाही न करें और एक-दो माननीय सदस्यों के किसी आचरण से सदन के समक्ष यह स्थिति आ जाये कि सदन स्थगित हो जाये और सदन का अत्यन्त महत्वपूर्ण समय व्यर्थ हो तो यह बहुत ही कष्ट का विषय होगा। मान्यवर, जब भी इस सदन में प्रश्न पूछा जाता है तो बार-बार मा० सदस्य पिछली सरकार पर आक्षेप लगाते हैं और प्रश्नों का संगत उत्तर नहीं देते हैं, घुमा-फिराकर बात को टाल देते हैं। यह मैं अनुभव कर रहा हूं। मान्यवर, हम लोगों के हितों का संरक्षण नहीं हो पा रहा है, आपकी दृष्टि हम लोगों की तरफ होनी चाहिये, लेकिन आपकी दृष्टि उधर ही सरकार की तरफ ही रहती है और हम लोग आपकी संरक्षण से बिल्कुल ही वंचित रह जाते हैं।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, ये बार-बार अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं कि पीठ का और सदन का ध्यान इधर रहता है, मान्यवर, यह सही है। लेकिन संसदीय परम्पराओं में ह्यूमर का भी स्थान होता है, अगर यह ह्यूमर नहीं समझते हैं, तो इनको मेरे कक्ष में भेज दीजिये, मैं समझा दूंगा।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, यह जवाब दे रहे हैं।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। अल्पसूचित प्रश्नों का समय 20 मिनट का होता है प्रश्न प्रहर माननीय सदस्यों के अधिकार क्षेत्र की बात है। मान्यवर, आज तारांकित प्रश्न एक भी नहीं आया और तारांकित प्रश्नों में पहला सवाल मेरा था। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जैसे स्वास्थ्य विभाग का सवाल अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः कृपया इसे अगले बुधवार को पुनर्जीवित करने की व्यवस्था की जाये ताकि जो जिज्ञासा अनुपूरक है वह पूरी हो जाये।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, यह जो चिन्ता व्यक्त की है उस चिन्ता के साथ मैं अपनी चिन्ता को जोड़ता हूं। मैंने नये सदस्यों से सुना है कि कुछ लोग ही इस सदन का ज्यादा समय लेते हैं और नये सदस्यों को कम समय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

मिलता है । माननीय प्रमोद तिवारी जी, माननीय नरेश अग्रवाल जी और श्री पाल साहब को नये सदस्य समय माफिया के रूप में सदन में कहने लगे हैं । तीनों माननीय सदस्य, व्यवस्था चाहे कोई अन्य सदस्य उठा रहा हो, यह उसमें बोलते रहते हैं, चाहे सवाल किसी का हो । यहां तक कि अपने दल के किसी नये सदस्य को बोलने का मौका नहीं देते हैं । सदन के अन्दर एक समय-माफिया पैदा हो गया है, इसलिये आप इस समय खाने वाले लोगों की तरफ भी ध्यान दें तथा जो नये माननीय सदस्य हैं उनको भी बोलने का मौका मिलना चाहिये । नये सदस्यों की जो चिन्ता है, उसे मैंने यहां पर रख दिया है ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–2 के संबंध में नियम–49 के अन्तर्गत चर्चा की मांग (क्रमागत)

* श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, नियम–49 के अन्तर्गत अभी जो प्रश्न चल रहा था वह बहुत ही महत्वपूर्ण था । उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, खासतौर से चीनी व मिट्टी का तेल । इसका कारण यह है कि आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह से विफल हो गई है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्नों के संबंध में अगर आपकी कोई व्यवस्था है तो वह आप कहें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैंने लिखकर दिया है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था के लिये आपने लिखकर नहीं दिया है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, इसी संदर्भ में मैंने नियम–49 के अन्तर्गत लिखकर दिया है कि आप इस विषय पर आधे घण्टे की चर्चा करवा लें ।

श्री अधिष्ठाता–

यदि नियम–49 में लिखकर आपने दिया है तो उस पर व्यवस्था दी जायेगी ।

प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, श्री किरन पाल सिंह जी ने हम लोगों को समय का माफिया कहा है । इसलिये हम अपना स्पष्टीकरण देंगे । हम अपने को समय माफिया स्वीकार करते हैं, परन्तु ये तो दल विघटन माफिया बन गये हैं ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, हमने कभी दल बदल नहीं किया है । यह गलत कह रहे हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मैंने दल बदल नहीं कहा । मैंने तो दल विघटन कहा । मान्यवर, बुद्धि और विधायक में फर्क होता है । जब आपके दल के नेता ही स्वीकार करते हैं कि उन्हें समय नहीं मिल पाता है तो उसके लिये हम क्या करें ? इसलिये मान्यवर, हम आपसे चाहते हैं कि आप दल के नेता को कहें कि वह नियमों को पढ़कर आयें, जिससे उन्हें समय मिल सके ।

श्री अधिष्ठाता–

सभी से इसकी अपेक्षा की जाती है ।

* श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, प्रश्नों के बारे में जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है, उसके संबंध में, आपके माध्यम से चिन्ता व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि प्रश्नों का समय बहुत महत्वपूर्ण है । आज अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों का समय उसकी सीमा से काफी बाहर चला गया और जो तारांकित प्रश्न लगे हुए थे, वह एक भी टेक-अप नहीं हो सके । 20 तारांकित प्रश्नों को रखा जाता है । आप कम से कम ऐसी तो कोई व्यवस्था कर दें जिससे 5-10 तारांकित प्रश्न लिये जा सकें । तारांकित प्रश्नों व अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों में जो सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिये भी एक मापदण्ड निर्धारित कर दें । होता यह है कि जिसका प्रश्न है वह पहला प्रश्न तो पूछता ही है और आखिर में भी एक प्रश्न पूछता है और इस बीच में उस पर सप्लीमेन्टरीज होती रहती हैं । इसका नतीजा यह होता है कि तारांकित प्रश्न नहीं आ पाते हैं । इसलिये आज जो तारांकित प्रश्न नहीं टेक-अप हो सके हैं, उन्हें अगली तिथि के लिये परिवर्तित कर दें ।

* श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, सदन व्यवस्थित रूप से चले, सदन के समय का ज्यादा से ज्यादा हम प्रयोग करें यह सुनिश्चित होना चाहिये और आज जो प्रश्न छूट गये हैं उसके संबंध में मैं इस भावना से सहमत हूं कि इन प्रश्नों को अन्य दिन लेने की व्यवस्था आपकी तरफ से होनी चाहिये ।

अभी माननीय प्रमोद तिवारी जी ने अपनी बुद्धि का परिचय दे दिया जब हमारे दल के नेता खड़े हुए और उन्होंने जो बात कही जो नये सदस्यों के बारे में थी और उनकी बुद्धि में समा गया कि वह उनके बारे में कह रहे हैं । मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि थोड़ा बुद्धि का विकास कर लें कि कौन क्या कह रहा है उसकी जानकारी कर लें तब कहा करें । नये सदस्यों की चिन्ता व्यक्त करने का काम हमारे नेता ने किया उसको अन्यथा वह न लें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों ने प्रश्न प्रहर के संबंध में चिन्ता व्यक्त की । सदन व्यवस्थित चले यह दायित्व सभी माननीय सदस्यों का बनता है । प्रश्न प्रहर मूल रूप से माननीय सदस्यों का अधिकार होता है इसमें अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर आ जायं यह माननीय सदस्यों की जिज्ञासा रहती है । लेकिन माननीय सदस्यों से सहयोग की भी अपेक्षा की जाती है एक ही प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न ज्यादा होंगे तो उसमें समय ज्यादा लगेगा जिससे महत्वपूर्ण तारांकित प्रश्न के रूप में जो होते हैं रह जाते हैं । माननीय सदस्यों से अपेक्षा करूंगा कि जो अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों के लिये 20 मिनट का समय निर्धारित है उस 20 मिनट में महत्वपूर्ण अनुपूरक प्रश्न करे उसमें 20 मिनट से अधिक समय न लें । तारांकित प्रश्नों के समय महत्वपूर्ण अनपूरक प्रश्न करें क्योंकि उसमें और महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर आना होता है । सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि प्रश्न प्रहर में उन प्रश्नों पर जिनका अनुपूरक आवश्यक है वही प्रश्न उठायें । निरन्तर अनुपूरक प्रश्न उठाकर ज्यादा समय लगता है । मैं माननीय मंत्रिगण से भी अनुरोध करूंगा प्रश्नों के उत्तर के संबंध में अधिक से अधिक तैयारी करें जिससे माननीय सदस्य जिस जिज्ञासा से प्रश्न करते हैं वह संतुष्ट हो जायं ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं नियम 301 की सूचनायें ले रहा हूं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, हमने जो नियम 49 की सूचना दी है उसका क्या हुआ ?

श्री अधिष्ठाता–

नियम 49 की जो सूचना मिली है उसको सुरक्षित रखा है । माननीय अध्यक्ष जी से बात करने के बाद निर्णय होगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

तारांकित प्रश्न जो आज के एजेण्डा में थे । इस पर व्यवस्था दे दें उसको बाद में लेंगे या नहीं ? माननीय मित्रसेन यादव जी, ने माननीय श्याम देव राय चौधरी जी ने और मैंने भी कहा कि एक भी प्रश्न नहीं हो पाये इसको पुनर्जीवित करने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर माननीय अध्यक्ष जी से बात करने के बाद निर्णय होगा, मैंने कहा । आज दिनांक 2 मार्च, 1994 को नियम 301 के अन्तर्गत कुल 23 सूचनायें प्राप्त हुई जो इस प्रकार हैं :–

पहली सूचना श्री विश्राम सिंह की हरदोई के बिलग्राम क्षेत्र के ज्यूरी गांव के सामने पुल बनवाने के सम्बन्ध में ।

दूसरी सूचना श्री रमेश पोखरियाल "निशंक" की पौड़ी गढ़वाल में दैलीसैंण तहसील के रौली-बन्याडी ग्राम में निरन्तर हो रहे भू-स्खलन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

तीसरी सूचना श्री बदन सिंह के आगरा की तहसील किरावली में स्थित देवसारी माइनर में हो रहे रिसाव के कारण हजारों एकड़ में रबी की फसलें नष्ट हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

चौथी सूचना श्री मित्रसेन यादव की जनपद फैजाबाद के विकास क्षेत्र अमानीगंज (खंडासा) के कई गांवों में पेयजल अभाव से उत्पन्न गम्भीर संकट के संबंध में।

पांचवीं सूचना श्री मुन्नू लाल कुरील की बांदा के मानिकपुर क्षेत्र के कई गांवों में दिनांक 5-2-94 को हुई भारी ओलावृष्टि से प्रभावित लोगों को राहत देने के संबंध में।

छठीं सूचना श्री रंगनाथ की वाराणसी के औराई थानान्तर्गत रज्जूपुर के निवासी श्री बालकृष्ण बिन्द की हत्या किये जाने एवं श्रीमती मालती धोबिन के साथ किये गये बलात्कार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

सातवीं सूचना श्री राजीव कुमार की नैनीताल के काशीपुर क्षेत्र में दो नाबालिग लड़कियों के अपहरण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

शेष अस्वीकार हुईं । सूचना, प्रतीक्षा सूची की सूचनायें इस प्रकार हैं–

पहली सूचना श्री हृदय नारायण की उन्नाव जनपद में कुओं/हैण्ड पम्पों का जलस्तर गिरने से उत्पन्न पेयजल संकट के संबंध में।

दूसरी सूचना श्री सतीश महाना की कानपुर छावनी क्षेत्र के खराब पड़े हैण्ड पम्पों की मरम्मत कराने एवं कैनाल रोड स्थित जल संस्थान के जोनल पम्पिंग स्टेशन की खराब हो गई मोटर की मरम्मत कराने के संबंध में।

जिनकी सूचनायें अस्वीकार की गईं वह इस प्रकार हैं :–

1–श्री ऊदल, 2–श्री कुंवर सर्वराज सिंह, 3–श्री राम बिशुन आजाद, 4–श्री जगदम्बा, 5–श्री सतीश भाटिया, 6–श्री श्याम देव राय चौधरी, 7–श्री बच्ची सिंह रावत, 8–श्री जगदीर सिंह, 9–श्री मारकण्डेय सिंह, 10–श्री मुक्तिनाथ, 11–श्री चेतराम, 12–श्री राम प्रसाद टम्टा, 13–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल, 14–श्री मातवर सिंह कण्डारी की हैं।

(निम्नलिखित सूचनायें पढ़ी हुई मान ली गयीं।)

जनपद हरदोई के बिलग्राम क्षेत्र के ज्यूरी गांव के सामने पुल बनवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री विश्राम सिंह–

। माननीय, हरदोई जनपद की 90–बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र में हरपालपुर से सवायजपुर जाने वाली सड़क पर ज्यूरी गांव के सामने पुल न बनने से ज्यूरी, सुहौआपुर, सतौथा कुंडिया, गौटिया बररामा नेवादा गांवों में जल भराव हो जाता है जिससे इन गांवों की खेती पूरे वर्ष पानी से भरी रहती है और सैलाब आने पर गांवों के डूबने की नौबत आ जाती है जिससे इस इलाके में तबाही मच जाती है जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है, रोजी-रोटी की समस्या पैदा हो जाती है जिससे जनता में काफी आक्रोश रहता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

नोट :–। यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व की इस समस्या को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही करने की मांग करता हूं।।

पौड़ी गढ़वाल में थैलीसैंण तहसील के रौली बग्वाड़ी ग्राम में भूस्खलन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

।आपकी महोदय, जनपद पौड़ी गढ़वाल में थैलीसैंण तहसील के अन्तर्गत रौली–बग्वाड़ी ग्राम निरन्तर हो रहे भू-स्खलन से संकट में आ गये हैं। वहां के लोगों का जीवन खतरे से बिल्कुल खाली नहीं।

भूमि संरक्षण विभाग को इस क्षेत्र में कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु विभाग ने रिपोर्ट दी है कि वहां कार्य करने की स्थिति नहीं क्योंकि वह सारा ही क्षेत्र बुरी तरह धंस रहा है। जिसे रोक पाना सम्भव नहीं है।

ऐसी स्थिति में यह विषय हजारों लोगों के जीवन-मरण का प्रश्न बन गया है। क्षेत्र की जनता लगातार गुहार कर रही है उन्हें अन्यत्र कहीं भी पुनर्वासित किया जाय, किन्तु आज तक भी शासन प्रशासन ने इसे अति संवेदनशील और इस अविलम्बनीय लोक महत्व के बिन्दु पर अपना ध्यान केन्द्रित नहीं किया।

हजारों लोगों के जीवन के महत्व को देखते हुए तत्काल ही रौली-बग्वाड़ी के पुनर्वास के आदेश सरकार को देने का कष्ट करेंगे।।

जनपद आगरा की तहसील किरावली स्थित देवनारी माइनर में रिसाव से रबी की फसल नष्ट हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बदन सिंह–

।महोदय, जनपद आगरा की तहसील किरावली में स्थित देवनारी माइनर में आजकल भारी सीपेज (रिसाव) हो रहा है। जिसके कारण देवनारी हन्सपुरा, वरनावई, बदनपुर आदि गांव की कई हजार एकड़ भूमि में खड़ी रबी की फसल नष्ट हो गई है। नष्ट होने वाली फसलों में गेहूं, लाहा, जौ, बरसीम, आलू आदि बोई हुई फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो जाने के कारण वहां का किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। उनमें भारी चिन्ता इस बात की है कि उसके बाल बच्चे और पशु अन्न व चारे के अभाव में भूखे मरेंगे। सिंचाई विभाग ने देवनारी माइनर हेड से लेकर रिसाव होने तक के स्थल तक इस रिसाव को रोकने के लिये अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। मूकदर्शी बनकर जिला प्रशासन उक्त गांवों की दुर्दशा को देख रहा है। किसानों में हाय-हाय मची हुई है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–। ।यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।–

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को शासन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि देवनारी माइनर हेड से लेकर पूरे रिसाव स्थल तक माइनर को पक्की करावे और फसल की बरबादी के लिये किसानों को मुआवजा दिलावे तथा दोषी सिंचाई अभियन्ताओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करे ।]

जनपद फैजाबाद के विकास क्षेत्र अमानीगंज (खण्डासा) के ग्रामों में पेयजल अभाव से उत्पन्न गम्भीर संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मित्रसेन यादव–

[मान्यवर, जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत विकास क्षेत्र अमानीगंज (खण्डासा) की न्याय पंचायत पालपुर और पूरा सिधारी के गांव में पेयजल का गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है । अभी तक जो पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी गयी है, वह बिल्कुल अपर्याप्त है । जल स्तर इतना नीचे चला गया है कि कुएं सूख गये हैं और इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पाइप भी पानी देना बंद कर दिया है । इस प्रकार अभी तक सेचूरेशन स्कीम के तहत जो हैण्ड पाइप लगाये गये हैं वह मुख्य रूप से राजस्व गांव की मुख्य आबादी में ही लगाये गये है और उन गांवों के मजरे (पूरवे) उक्त सुविधा से वंचित रह गये हैं । अधिकतर मजरों में एक भी हैण्ड पाइप नहीं लगाये गये हैं । परिणामस्वरूप पालपुर न्याय पंचायत के 8 ग्राम सभाओं के 35 मजरों में पानी पेयजल का गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है । जिला प्रशासन के संज्ञान में जानकारी होने के बाद भी कोई कारगर कार्यवाही नहीं की गयी है ।

हमारी आप से मांग है कि युद्ध स्तर पर उपरोक्त वर्णित बस्तियों में पेयजल संकट निवारण हेतु हैण्ड पाइप इण्डिया मार्का-2 लगाने हेतु कार्यवाही की जाय ।]

मानिकपुर (बांदा) क्षेत्र के ग्रामों में भारी ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मन्नू लाल कुरील–

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर, बांदा के ग्राम गाहुर, मड़हा, तुरगवां, खोहेर, गोइया कला, गोइया खुर्द में दिनांक 5-2-94 को भारी ओलावृष्टि से किसानों की सम्पूर्ण फसल पूरी तरह नष्ट हो गई ।

किसानों का एक मात्र आर्थिक सहारा उनकी फसल ही होती है, इस ओलावृष्टि ने उनके आर्थिक पक्ष को पूरी तरह नष्ट कर दिया है, अभी तक भी सरकार ने उक्त गांवों के किसानों को किसी प्रकार की कोई राहत अथवा मुआवजा प्रदान नहीं किया है ।

आपसे विनम्र निवेदन है कि तत्काल शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त गांवों के किसानों को राहत प्रदान करवाने का कष्ट करें ।]

नोट :– [यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनपद वाराणसी के औराई थानान्तर्गत रज्जूपुर निवासी श्री बालकृष्ण बिन्द की हत्या एवं श्रीमती मालती धोबिन के साथ हुए बलात्कार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री रंगनाथ–

[महोदय, औराई थानान्तर्गत (जनपद वाराणसी) रज्जूपुर के निवासी श्री बालकृष्ण बिन्द एम० एस-सी० के छात्र की 15 जनवरी को हत्या कर दी गई उसके परिवार को न मुआवजा दिया गया और न ही अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई । श्री बिन्द को जो एक अविवाहित होनहार बी० एच० यू० का छात्र था क्रिकेट का खेल देखने गया था 8 जनवरी को उसके सिर पर लोहे के राड से मारा गया था वह उसी दिन थाने में जाकर अपने हाथ से लिखकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराना चाहता था किन्तु थाने में कोई ध्यान नहीं दिया गया तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, औराई में गया तो मलहम पट्टी कर छोड़ दिया गया गम्भीरता से डाक्टर ने नहीं लिया जिससे एक होनहार छात्र की मृत्यु हो गयी ।

इसी प्रकार इसी थानान्तर्गत श्रीमती मालती धोबिन ग्राम तितराही नामक एक दलित महिला के साथ चाकू की नोंक पर 4 फरवरी को दो युवकों ने बलात्कार किया । इस पीड़ित महिला को भी कोई मुआवजा नहीं दिया गया और अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती नहीं की । दोनों घटनाओं से दूसरे सम्प्रदाय के लोगों का हाथ होने से क्षेत्र में तनाव बना रहता है ।

इसलिये आपसे आग्रह है कि उपरोक्त मामले में अपनी व्यवस्था दें तथा सदन में चर्चा कराने का कष्ट करें ।]

जनपद नैनीताल के काशीपुर क्षेत्र में दो नाबालिग लड़कियों के अपहरण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राजीव कुमार–

[आदरणीय महोदय, मेरी नियम 301 की सूचना पर संबंधित मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करने की कृपा करें :—

1–मेरे विधान सभा क्षेत्र काशीपुर में निम्न दो नाबालिग लड़कियों के अपहरण की घटनायें पिछले 15 दिनों के अन्दर हुई है :–

(अ) जसपुर विकास खण्ड के अन्तर्गत कलियावाला ग्राम में पंजाब से अपनी रिश्तेदारी में आयी हुई नाबालिग लड़की का अपहरण ग्राम के ही लोगों द्वारा किया गया है । नाम दर्ज रिपोर्ट होने पर भी मात्र खाना पूर्ति हेतु अभियुक्त को पकड़कर चालन करके जेल भेज दिया गया । उससे यह जानने का प्रयास नहीं किया गया कि लड़की कहां है अधिक जानकारी करने पर परिवार के सदस्यों का स्पष्ट आरोप है कि दसपा के जिला स्तर के नेता द्वारा पुलिस उप

नोट :– [यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

महानिरीक्षक कुमायूं पर नाजायज दबाव डालकर घटना को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि घटना धीरे-धीरे जाट सिक्ख और राय सिक्ख के रूप में बनती जा रही है। क्योंकि अभियुक्त व बसपा के नेता राय सिक्ख है और लड़की जाट सिक्ख की है। क्षेत्र में भयंकर तनाव की स्थिति है।

(ब) काशीपुर विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम हरीनगर में एक हरिजन नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया गया है। इसमें भी नामदर्ज होने के बाद अभियुक्तों पर सख्ती नहीं हो रही है। इसमें अभियुक्त तो हरिजन है लेकिन प्रभाव क्षेत्र के ही एक कांग्रेस के पूर्व मंत्री के परिजनों का पड़ रहा है। जिसके कारण लड़की बरामद नहीं हो पा रही है।

इन दोनों घटनाओं से क्षेत्र में काफी तनाव है। पूरे विधान सभा क्षेत्र में बलात्कार, अपहरण एवं चोरी की घटनायें एकाएक बढ़ गयी हैं। यदि इन पर प्रभावशाली ढंग से रोक नहीं लगायी गयी तो पूरे क्षेत्र की गिनती भी पूरे उत्तर प्रदेश के आपराधिक रिकार्ड से जुड़ जायेगी।

अतः अविलम्ब महत्व देते हुए इस पर शासन का ध्यान केन्द्रित करने का कष्ट करें।]

नियम 311 की सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित किये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता–

नियम 300 के अन्तर्गत (व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, 311 की सूचनायें पहले ले लें चूंकि नियमों को निलम्बित करके आवश्यक प्रस्ताव की सूचनायें दी गयी हैं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अध्यक्ष महोदय ने नियम 311 की सूचनाओं को नियम 56 के अन्तर्गत सुने जाने का निर्णय लिया है। इसलिये नियम 311 की सूचनाओं को निरस्त किया।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, अपनी बात रखने के पहले ही निर्णय कैसे हो गया ? (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठ जायें, जब नियम 56 आयेगा तो सुना जाएगा। अध्यक्ष महोदय का जो निर्णय है उसे हमने बता दिया और अब उस पर पुनर्विचार करना सम्भव नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

नियमों में व्यवस्था है नियम 56 में सदस्य सूचना दे सकते हैं। मान लिया उसी सूचना को 311 में भी दिया और नियम 56 में भी दिया है, चूंकि सदस्य को अधिकार है और इस प्रकार दो सूचनायें हो गयी हैं। आपकी व्यवस्था से मैं समझ लूं कि नियम 311 की सूचना को नियम 56 में मर्ज कर दिया गया है इसलिये दोनों सूचनाओं को नियम 56 में सुना जाएगा कि नहीं, यह बता दें ?

श्री अधिष्ठाता–

एक मा० सदस्य की एक ही सूचना पर सुना जाएगा और नियम 56 जब आएगा तो निर्णय लिया जाएगा।

श्री बदन सिंह–

नियम 311 के अन्तर्गत जो सूचनाएं दी गयी थीं आज उसके लिये आदेश हो गये हैं कि नियम–56 में सुना जायगा और नियम 56 में पहले ही सूचनायें दी गयी हैं। इसलिये व्यवस्था चाहता हूं कि नियम 56 की सूचनाओं के पश्चात् नियम 311 की सूचनाओं पर सुना जाएगा कि नहीं ?

श्री अधिष्ठाता–

नियम 311 की सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है और नियम 56 में जो ग्राह्य हो गयी हैं उसमें सुना जाएगा।

(व्यवधान)

श्री बदन सिंह–

मैं व्यवस्था चाहता हूं कि कौन सी सूचनाएं पहले सुनी जायेंगी ?

श्री अधिष्ठाता–

नियम 56 में जो सूचनायें दी गयी हैं वह 56 में हैं और नियम 311 में जो सूचनायें दी गयी हैं उन्हें नियम 56 में माननीय अध्यक्ष महोदय ने परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। इसलिये सभी सूचनाओं को नियम 56 में सुना जाएगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि नियम 311 में साफ-साफ लिखा है कि "किसी विशेष प्रस्ताव पर नियमों को निलम्बित किया जाता है।" तो विशेष प्रस्ताव नियम 311 में दिये गये हैं और इसलिये उन पर सुने बिना कोई निर्णय यदि ले लिया जाता है तो यह उचित नहीं है। इसलिये नियम 311 का अधिकार जो सदस्यों को दिया गया है उस अधिकार के इस्तेमाल की अनुमति सदस्य को मिलनी चाहिए और जिस नियम के तहत सूचना दी गयी है उसके अन्तर्गत ही सुना जाना चाहिए। इसलिये निवेदन है कि नियम 311 में जो सूचनायें दी गयी हैं उन्हें नियम 311 में ही आप सुनने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी, अध्यक्ष महोदय ने पहले से निर्णय दे रखा है नियम 311 की सूचनाओं के बारे में और आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप जानते हैं कि नियम 311 की सूचनाएं कभी-कभी एक बार आया करती थीं लेकिन इधर सारी सूचनायें नियम 311 के अन्तर्गत प्रतिदिन आ रही हैं। इसलिये आप देखें कि जो व्यवस्था नियम 311 में दी गयी हैं उसके अनुसार किसी विशेष परिस्थिति के लिये, अपरिहार्य परिस्थिति में सदन की सारी कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाय, ऐसा प्राविधान किया गया था, इसलिये उसकी जो गम्भीरता है उसको बनाये रखने का दायित्व हमारा है और नियम 311 में इस तरह सामान्य सूचनायें दी जायेंगी तो कार्य-संचालन नियमावली का कोई औचित्य नहीं रह जायेगा। इसलिये जो इसमें

निर्णय माननीय अध्यक्ष ने दे रखा है उस पर पुनर्विचार करना हमारे लिये सम्भव नहीं है । अतः आप कार्यवाही को आगे बढ़ने दें । आज गैर-सरकारी दिवस है, इसलिये मैं चाहता हूं कि आप लोगों की जो जिज्ञासा है वह एक-एक करके व्यक्त कर लेंगे और प्रयास होगा कि ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्यों को सुना जाए । आप निरन्तर व्यवस्था का प्रश्न उठायेंगे तो आगे की कार्यवाही रुकी रहेगी ।

(व्यवधान)

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अध्यक्ष महोदय के अधिकार को हम चुनौती नहीं देते हैं कि वह अपने चेम्बर में हमारी सूचनाओं को अग्राह्य कर सकते हैं लेकिन जो व्यवस्था हो गयी हैं उसमें स्पष्ट जानना चाहता हूं कि उन्होंने नियम 311 की सूचनाओं को निरस्त नहीं किया है बल्कि यह कहा है कि नियम 56 में जोड़ दिया जाएगा । लेकिन यदि नियमों के निलम्बन के प्रस्ताव को तत्काल नहीं सुना जाएगा तो नियम 311 की इस्प्रिट (मूल भावना) ही समाप्त हो जाएगी ।

मानयवर, जो कहा गया है कि नियम 311 में इधर सूचनायें प्रतिदिन आ रही हैं तो स्थिति सामान्य हो तो सूचनायें नहीं आयेंगी किन्तु जब स्थिति असामान्य हो गयी है, शासन कुशासन हो गया है जिससे असामान्य घटनायें हो रही हैं और हमें प्रस्ताव लाना पड़ रहा है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप व्यवस्था पर बोल चुके हैं, अब समाप्त करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, व्यवस्था चाहता हूं कि चाहे आप मा० अध्यक्ष से परामर्श कर लें लेकिन नियम 311 को पहले लें और नियम 56 उसके बाद लें । आप सदन की भावना से उन्हें अवगत करा दें चूंकि मात्र चैम्बर में बैठकर निरस्त करने का निर्णय नहीं लिया गया है । इसलिये उसके बारे में प्रार्थना करने का हमारा अधिकार है, इस पर आप व्यवस्था दें ।

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, गुप्त जी को समझाने की आवश्यकता नहीं है । नियम 311 को देखें जिसमें लिखा है – "कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेंगे कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित कर दिया जाय । और नियम 56 कहता है कि सदन की पूरी कार्यवाही स्थगित करके चर्चा कराने का अनुरोध किया जाता है लेकिन यह इस पिछले सदन में थोड़ी गलत परम्परा ज्यादा विकसित हो गयी है, तो हम लोगों पर ही उसे नियंत्रित करने का उत्तरदायित्व है । जब हम अपनी बात नियम 56 में पूरी कर सकते हैं, तो फिर जो नियम 311 भी है उसमें उसे लाने का कोई औचित्य नहीं है । इस तरह से जो विशेष घटनाएं होती हैं, जिस पर जनता की प्रतिक्रियाएं होती हैं,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उसको कम करने का प्रयास हम कर रहे हैं । जब पूरी कार्यवाही स्थगित करने का हमें अधिकार है । इसलिये हमारा और आपका सबका दायित्व है कि जब वे नियम संगत सूचनाएं आती ही नहीं कि किस नियम को लम्बित करने की बात है ? तो मान्यवर, यदि किसी नियम विशेष का लम्बित करने की बात हो तो उसको संज्ञान में आप लें, वरना नहीं, और शेष सूचनाएं 56 में आप सुनें । इस तरह जितना महत्व हम उन विषयों को देना चाहते हैं, वह उनको मिल जाएगा और सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण भी आ जाएगा ।

पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रदेश में दंगों को रोकने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गयी कार्य योजना की घोषणा सदन के बाहर किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता–

नियम 300 के अन्तर्गत आज 9 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना प्रमोद तिवारी, जगदम्बिका पाल और नरेश अग्रवाल जी है, पुलिस महानिदेशक द्वारा समाचार-पत्रों के माध्यम से दिनांक 1 मार्च, 1994 को प्रदेश में दंगों को रोकने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गयी कार्य योजना पर केवल कानपुर में साढ़े 6 करोड़ रुपये व्यय किये जाने के संबंध में ।

* श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, इस सदन के द्वारा बराबर यह निर्देश जाते रहे हैं कि जब विधान सभा का सत्र चल रहा हो, तो कोई भी ऐसा निर्णय जो मंत्रि-परिषद् से जुड़ा हो या नीति विषयक हो, उस पर कोई मंत्री या अधिकारी सदन के बाहर घोषणा नहीं करेगा । अभी कल और परसों सदन में शिक्षा मंत्री और परिवहन मंत्री से सम्बन्धित कुछ घोषणाओं के बारे में प्रश्न यहां उठे थे और उस पर कहा गया था कि मंत्री लोग इस तरह की घोषणाएं सदन के बाहर न किया करें । किन्तु कल उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा यह घोषणा की गयी, कराई गई कि इस सरकार ने प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिये एक विशेष योजना लागू की है । यह घोषणा उनके विभाग तक से सीमित होती तब भी ठीक था, किन्तु उन्होंने बाद में उससे दूसरे विभाग से संबंधित बात का भी उल्लेख करते हुए यह कहा कि कानपुर महानगर को सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र कहा है और यह भी कहा है कि यहां यह योजना लागू करने में साढ़े 6 करोड़ रुपये का व्यय आयेगा । इसमें यह भी सुनिश्चित हो गया है तो इसका मतलब यह हुआ कि इस पर मंत्रि-मंडल में निर्णय लिया गया है और यह व्यय उसमें स्वीकार किया गया है ।

दिनांक 21 फरवरी को प्रदेश की साम्प्रदायिक और जातीय स्थिति तथा कानून व व्यवस्था की स्थिति पर जो बहस हुई, उसके आधार पर यदि यह मंत्रिमंडल में तय हुआ था तो पहले इस सदन में मुख्य मंत्री जी को इसकी घोषणा करनी चाहिए थी, जिससे सदन का अपमान न होता । अब इन्होंने एक नया तरीका निकाला है मंत्रियों पर तो रोक लगी है, लेकिन विभाग के अधिकारियों को यह अधिकार दे दिया है, इससे यह और भी गम्भीर मसला हो गया है । यह नौकरशाही इस प्रदेश के सदन का और हमारा अपमान करेगी तो एक गम्भीर स्थिति पैदा हो जाएगी । मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से चाहूंगा कि वह इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि पुलिस महानिदेशक ने जो यह घोषणा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की है, तो पूरे प्रदेश में कितने जिलों को उन्होंने संवेदनशील माना है और कितना रुपया मंत्रिमंडल ने उसके लिये स्वीकार किया है ? उसकी सूचना सदन में मंत्री द्वारा क्यों नहीं दी गयी तथा अधिकारी द्वारा सदन के बाहर क्यों दी गई ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं उन बिन्दुओं पर ग्राह्यता पर बल नहीं दूंगा, जिन पर नरेश जी उल्लेख कर चुके हैं । यह विषय आज जो आ रहा है उसमें कोई भी नीतिगत निर्णय की घोषणा शासन के मंत्री या किसी विभाग के उच्च पदस्थ अधिकारी उन सारी घोषणाओं को सदन के सदस्यों को विश्वास में लेकर किया जाना चाहिए । लेकिन मान्यवर, ऐसा हो रहा है कि कोई न कोई विषय औचित्य के प्रश्न के रूप में यहां रोज उठाये जा रहे हैं और संसदीय कार्य मंत्री जी अपने अनुभवों के आधार पर और संसदीय ज्ञाता होने के नाते रोज यह कह देते हैं कि यह नीतिगत है ही नहीं । मान्यवर, आज यहां इस विषय पर चर्चा करवा लें कि कौन विषय नीतिगत है और कौन विषय नीतिगत नहीं है ?

श्री अधिष्ठाता–

आप संक्षेप में उसकी ग्राह्यता पर कहें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पर कहा था कि कानून व्यवस्था सामान्य है और दूसरी तरफ पुलिस महानिदेशक ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश में जबकि भारत के राष्ट्रपति ने अयोध्या विवाद को 143(ए) के अन्तर्गत सुप्रीम कोर्ट को सुपुर्द कर दिया है और इस पर सुनवाई प्रारम्भ हो गयी है । यह सुनवाई प्रारम्भ होने से सांप्रदायिता की स्थिति काफी बढ़ गई है पूरे प्रदेश का माहौल काफी गरम हो गया है । कानपुर, मथुरा, अयोध्या, काशी के बारे में कहा है । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं ? माननीय मुख्य मंत्री जी सदन के अन्दर कहते हैं कि प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है और प्रदेश के पुलिस महानिदेशक का कहना है कि कानपुर ज्यादा संवेदनशील है, वहां के लिये कार्य योजना तैयार की गई है । उस कार्य योजना के अन्तर्गत उन्होंने कानपुर के लिये परिव्यय की बात भी बताई है । मान्यवर, इस तरह से गृह विभाग की सारी नीतियों का खुलासा हो रहा है । अयोध्या प्रकरण 143(1) के अन्तर्गत सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिये गया है और उस पर सुनवाई प्रारम्भ हो गई है । ऐसी स्थिति में गृह विभाग की क्या स्थिति है ? कार्य पालिका के मुखिया होने के नाते कानून व्यवस्था की क्या जिम्मेदारी है इसे बतायें ? मान्यवर, मैं चाहता हूं कि यह महत्वपूर्ण बिन्दु है, इसको ग्राह्य कर लिया जाय।

*श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह बहुत गम्भीर संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है । 21 तारीख को सदन में चर्चा होती है तो हमारे राज्य के नवनिर्वाचित मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि न जातिगत संघर्ष है

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और न साम्प्रदायिक संघर्ष है, हमने पूरी तरह से स्थिति पर नियंत्रण कर लिया है और मान्यवर, दूसरी तरफ इनके अधीन काम करने वाले पुलिस महानिदेशक कहते हैं कि जातिगत संघर्ष पर काबू पा लिया है।

श्री अधिष्ठाता–

आप ग्राह्यता पर बोलें। बाकी बातें अग्रवाल जी और पाल जी कह चुके हैं।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, अभी मैंने कहना शुरू ही किया है और बात सुने बिना ही आप पूरी बात समझ गये। मान्यवर, मैं कह रहा था कि मुख्य मंत्री जी के कहने और पुलिस महानिदेशक दोनों की कथनी में अन्तर है। मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि कोई जातिगत संघर्ष नहीं है और पुलिस महानिदेशक का कहना है कि हमने जातिगत संघर्ष पर काबू पा लिया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जातिगत संघर्ष हुआ है। यह सबसे बड़ी चिन्ता की बात है। मैं औचित्य के प्रश्न पर बल देता हूं। आपकी पीठ से बार-बार कहा जाता रहा है कि नीतिगत प्रश्नों की सदन में ही घोषणा की जाय 21 तारीख को कानून व्यवस्था की बहस के बाद इसकी घोषणा माननीय मुख्य मंत्री या मंत्रि-परिषद् के सदस्यों द्वारा इस सम्मानित सदन में की जानी चाहिये थी परन्तु यह घोषणा सदन के बाहर पुलिस महानिदेशक द्वारा की जाती है। इससे सदन का अपमान हुआ है। यह अनुचित है। मैं सिर्फ इतनी बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। आज साम्प्रदायिकता का माहौल कौन गरमा रहा है यह चिन्ता का विषय है। कौन अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा के मुद्दे को उठा रहा है इससे सम्पूर्ण सदन ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण प्रदेश चिन्तित है। आखिर वह कौन है जिनकी दुकानें अयोध्या मुद्दे के बाद बन्द होने पर अब वह मथुरा और काशी के मुद्दे पर सारे प्रदेश को साम्प्रदायिकता की आग में झोंक देना चाहता है। तो यह बात मंत्रि-परिषद् को सारे सदन को बतानी चाहिये कि इसके लिये कौन से कदम उठा रहे हैं। यह सदन पुलिस महानिदेशक को सुनना नहीं चाहता है। इसकी घोषणा संसदीय कार्य मंत्री जी करें। कौन काशी, मथुरा के नाम पर अपनी राजनीतिक दुकानें खोलना चाहता है। उन दुकानों को रोकने के लिये कौन सी योजना है, यह हम सरकार से सुनना चाहते हैं। और जब संसदीय कार्य मंत्री जी घोषणा करें कि साम्प्रदायिक ताकतों को अशांति न पैदा करने देने के लिये कौन से कदम उठाने जा रहे हैं तो इस पर प्रकाश डालें।

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, श्री तिवारी जी, श्री अग्रवाल जी और पाल साहब ने कानून व्यवस्था के संबंध में अपनी बात रखने के लिये बड़े ही कौशल पूर्ण ढंग से नियमों का इस्तेमाल किया है। श्रीमन्, इसीलिये हम यहां पर आते भी हैं यह न तो नीतिगत घोषणा है और न ही यह विवाद की बात है। कदाचित जहां तक हम समझ पा रहे हैं, यह नीतिगत घोषणा नहीं है। यह जिम्मेदारी पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी होने के नाते, उनकी होनी चाहिये। अब तक चार, पांच साल तक जो इस प्रदेश में साम्प्रदायिक माहौल बनाकर यहां पर औद्योगीकरण के वातावरण को खराब करते रहे हैं और सामाजिक वातावरण को खराब करते रहे हैं उनके मनोबल को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। इसके लिये सतत प्रयत्नशील रहना होगा। जो पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी हैं अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उन्होंने यह घोषणा की है, जो कि

कदाचित नीतिगत नहीं है । लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा श्री तिवारी जी को वह हमारे साथी हैं कि वह बिल्कुल आश्वस्त रहें कि राजनीति के जो मूल उद्देश्य हैं उनसे हटकर, सिर्फ वोट की राजनीति को जिन्दा रखने के लिये, उनकी आड़ में अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिये जो प्रयास पिछले दिनों किया गया था वह प्रयास यह सरकार करने नहीं देगी और श्री तिवारी जी के सहयोग से वह दुकान कभी नहीं खुल पाएगी । साम्प्रदायिकता के राक्षस से लड़ने के लिये जो शक्तियां हमारा साथ देंगी हम उनको साथ लेंगे इसके लिये कांग्रेस पार्टी को मैं धन्यवाद दूंगा कि वह इस काम में वह हमारा सहयोग कर रही है । मैं श्री तिवारी जी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि प्रदेश में साम्प्रदायिक शक्तियां अगर किसी से डरती हैं तो वह मुलायम सिंह यादव से डरती हैं ।

* नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सिर्फ एक मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं । मैं बराबर देख रहा हूं कि जब माननीय प्रमोद तिवारी जी खड़े होते हैं तो वह माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी और उनकी सरकार की प्रशंसा करते हैं और जब माननीय बेनी प्रसाद जी खड़े होते हैं तो वह माननीय प्रमोद तिवारी जी की प्रशंसा करते हैं इस संबंध में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा । उष्ट्रनाम् विवाहेषु गायन्ति गीत गर्दभा । परस्परं प्रशंसन्ति अहो रूपमहो ध्वनि ।।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में लिखा है, रामायण का अध्ययन हमारे लोग अच्छा करते हैं । फूलहिं फलहिं न बेंत, जदपि सुधा बरसहिं जलधि ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री प्रमोद तिवारी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री नरेश अग्रवाल ने नियम 300 के अन्तर्गत जो सूचना दी है, उसे औचित्य के रूप में अस्वीकार किया जाता है ।

दूसरी सूचना श्री शिव प्रताप शुक्ल, श्री बेचन राम की पूर्वी उत्तर प्रदेश का औद्योगिक दृष्टि से विकसित करने के लिये गोरखपुर में प्रारम्भ की गई गीडा योजना के संबंध में ।

तीसरी सूचना श्री रंगनाथ की परिवहन मंत्री द्वारा वाहनों की जांच का काम केवल आर० टी० ओ० द्वारा कराये जाने के संबंध में है ।

चौथी सूचना श्री प्रणतपाल सिंह की न्यायालय के आदेश का पालन कराये जाने पर पुलिस अधीक्षक, मथुरा द्वारा विधायक श्री प्रणतपाल सिंह के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने के बारे में है । पांचवीं सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की जिलाधिकारी, हरदोई के कार्यालय में आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस के हजारों प्रार्थना-पत्र लम्बित होने के बारे में है । छठी सूचना श्री रविन्द्र प्रताप मल्ल की पूर्वान्चल विकास निधि के धन का 70 प्रतिशत विद्युत, 15 प्रतशित पेयजल एवं 15 प्रतिशत स्वास्थ्य संबंधी कार्यों पर खर्च किये जाने के बारे में है । सातवीं सूचना श्री बालेश्वर त्यागी की विधान सभा का गठन हो जाने के बावजूद जल निगम द्वारा लगाये जाने वाले हैण्ड पम्पों के स्थल चयन का कार्य विधायकों से न कराये

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जाने के बारे में है । आठवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की प्रश्नकाल में प्रारम्भ में किये जाने वाले प्रश्नों पर ही अधिक समय दे दिये जाने के कारण अन्य तारांकित प्रश्नों को सदन में न लिये जाने के बारे में है । नवीं सूचना श्री मातवर सिंह कण्डारी की विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के दूसरे बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–1 का सही उत्तर न दिये जाने के बारे में है ।

यह सारी सूचनायें नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती हैं, अतः अस्वीकार की जाती हैं ।

श्री रंगनाथ–

मान्यवर, मैंने एक सूचना नियम 300 में दी थी वह लोकहित से जुड़ी हुई है । यह विधायकों के अधिकारों से संबंधित है ।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता–

कौन सी अव्यवस्था हुई है जो आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, जो नये विधायक आये हैं वह महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करना चाहते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आज गैर सरकारी दिवस है ।

वाहनों की जांच का काम केवल आर० टी० ओ० द्वारा कराये जाने के आदेशों के बावजूद पुलिस द्वारा जांच करने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* श्री रंगनाथ–

मान्यवर, मेरी सूचना महत्वपूर्ण है उस पर सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

उस पर मेरा निर्णय हो चुका है ।

श्री रंगनाथ–

मान्यवर, नये सदस्यों के अधिकारों की अवहेलना हो रही है । आपने सूचना निरस्त कर दिया । मा० प्रमोद तिवारी, मा० जगदम्बिका पाल का नाम आ जाता है तो चर्चा हो जाती है । हमने 9 बजे सूचना दी, लाइन लगायी । बिना खाये पिये आते हैं और सूचना निरस्त हो जाती है तो फिर काहे को हम यहां आये हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, सदन नियमों के अन्तर्गत चलता है। अगर आपकी सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है तो आपको कैसे सुना जायगा ? उस पर जो निर्णय हो चुका है उसको स्वीकार कीजिये।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, इनकी सूचना को कल सुन लीजियेगा।

श्री अधिष्ठाता–

सुने लेता हूं।

श्री रंगनाथ–

मान्यवर, आपने जो मौका दिया उसके लिये आभारी हूं। माननीय परिवहन मंत्री जी ने एक घोषणा की थी कि वाहनों के कागजातों के अवलोकन का कार्य सिर्फ आर० टी० ओ० करेंगे इस संबंध में जो पुलिस के अधिकार थे उनको निरस्त कर दिया गया है। लेकिन पुलिस के लोग कागजों को चेक कर रहे हैं और अनावश्यक रूप से गाड़ियों को बंद कर रहे हैं। जो बसें चल रही हैं, उसमें जनता जब बैठ जाती है किराया देकर और अपने गन्तव्य और निश्चित स्थान पर पहुंचना चाहती है, तो रास्ते में पुलिस बस को रोक लेती है, क्योंकि इनकी घोषणा के अनुसार प्राइवेट बस मालिक इनको महीना देना बन्द कर दिये हैं। आज प्राइवेट बसों की भरमार हो गयी है। जनता को यह पता नहीं है कि इनके पास परमिट है या नहीं, जनता तो सिर्फ इतना जानती है कि उसे जैसे वाराणसी से इलाहाबाद जाना है, तो वे उसे डिटेन करके गाड़ियों को बन्द कर दे रहे हैं, इसलिये वह जनता अपने निश्चित स्थान, अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पा रही है और न ही उसका किराया वापस किया जा रहा है। पुलिस से जब पूछा जाता है, वह कहती है कि हमको कोई ऐसा आदेश नहीं है कि हम चेकिंग न करें। इसलिये मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न बनता है। इस नाते इसे औचित्य के प्रश्न के रूप में लेकर इस पर चर्चा कराई जाय।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ध्यान आकर्षित किया। मैं आपके द्वारा बता देना चाहता हूं कि जो शासन के द्वारा अतिरिक्त महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) से कहा गया है। शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार अतिरिक्त महा निदेशक (कानून व्यवस्था) द्वारा समस्त पुलिस अधीक्षकों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों एवं अन्य पुलिस अधिकारियों को दिनांक 15-1-94 के टेलेक्स द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि पुलिस विभाग के कर्मचारियों द्वारा परमिट, इंश्यूरेंस पेपर एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र की चेकिंग न की जाय। पुलिस के द्वारा केवल यातायात नियमों के उल्लंघन के मामलों की ही चेकिंग की जाय। उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायगा और कहीं पर कोई शिकायत माननीय सदस्यों को मिली है, तो उसकी सूचना हमको दे दें या परिवहन मंत्री जी को दे दें, तो उस पर निश्चत रूप से कार्यवाही होगी। यह मान्यवर, औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से विकसित करने हेतु गोरखपुर में प्रारम्भ की गई योजना के संबंध में औचित्य का प्रश्न

(श्री शिव प्रताप शुक्ल के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय शुक्ल जी, आपकी सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है ।

* श्री शिव प्रताप शुक्ल–

श्रीमन् एक मिनट सुन लें । एक गोरखपुर इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी के नाम पर गोरखपुर में एक योजना लाई गयी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो माननीय कल्याण सिंह जी ने वहां पर जाकर शिलान्यास किया था । उसके बारे में निर्णय यह लिया गया था कि जिनकी जमीन वहां पर ली गयी है, उसको प्रति एकड़ एक लाख रुपया दिया जायगा और कुछ किसानों को भुगतान भी किया गया, लेकिन इधर राजस्व परिषद् ने एक आदेश पारित करके उन किसानों के पास यह सूचना भेज दी गयी कि चूंकि वर्तमान सरकार एक एकड़ की जगह पर एक हेक्टियर तय कर दिया है यानि 40 हजार रु० प्रति एकड़ के हिसाब से कर दिया है, उससे ढाई गुना का अन्तर पड़ रहा है और जो किसानों ने पैसा ले लिया है, उसको खजाने में जमा कर दिया जाय । इस नाते मान्यवर, पूरी-पूरी अव्यवस्था हो गयी है और औद्योगिक विकास पूरी तरह से ठप हो जाने की स्थिति बन गयी है । इस नाते यह औचित्य का प्रश्न बनता है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने औचित्य के सारे प्रश्न देख लिये हैं, कोई औचित्य के प्रश्न नहीं बनते हैं ।

जल निगम द्वारा लगाये जाने वाले हैण्ड पम्पों के स्थल चयन का कार्य विधायकों से न कराये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री बालेश्वर त्यागी–

माननीय अधिष्ठाता जी, हैण्ड पम्प लगाने के लिये स्थान चयन का अधिकार विधायकों का है । विधान सभा का गठन हो चुका है । अब विधायकों को यह अधिकार पुनः मिलना चाहिये । राज्यपाल शासन के दौरान वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर परगनाधिकारी को यह अधिकार दिया गया था, अब विधान सभा का गठन हो चुका है, तो यह अधिकार विधायकों को मिलना चाहिये । यह विधायकों के अधिकारों के अतिक्रमण का मामला है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं सरकार का ध्यान आपके प्रश्न की ओर आकर्षित करता हूं ।

पूर्वांचल विकास निधि के धन को अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से खर्च किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, पूर्वान्चल विकास निधि में जो पैसा .....

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप किस नियम के अन्तर्गत बोलने लगे ?

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, विधायकों के अधिकार का सवाल है । मैं सूचना की ग्राह्यता पर बोल रहा हूं । मुझे एक बार मौका दे दिया जाये । मैं कहना चाहता हूं कि पूर्वान्चल विकास निधि में सरकार द्वारा आदेश दे दिये गये हैं कि जो भी वहां का विधायक आवश्यक कार्य समझेगा, उसको किया जायेगा, लेकिन अधिकारियों ने मनमाने ढंग से कार्य करना शुरु कर दिया है । उसमें ऐसा है कि जो कुछ विधायक चाहेगा, वही कार्य होगा, लेकिन सरकार ने एक आदेश पारित कर दिया है कि 70 प्रतिशत बिजली 15 प्रतिशत स्वास्थ्य और 15 प्रतिशत पेयजल पर खर्च किया जायेगा । इस आदेश के नाते बड़ी अव्यवस्था हो गयी है । दूसरे कार्य जो इनसे भी महत्व के हैं वह बन्द हो गये हैं । पुलों और सड़कों का बनना और उनके विस्तार और पूर्व प्रस्तावित निर्माण के कार्य बन्द हो गये हैं । इस नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार को निर्देश दिया जाये कि इन कार्यों पर भी पैसा खर्च किया जाये । मार्च का अंतिम दिन आने वाला है और सारा का सारा पैसा आदेश संशोधन न होने से लैप्स ले जायेगा । इसलिये आप सरकार को निर्देश दें कि विचारों के प्रस्ताव के अनुसार ही कार्य कराये जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना निरस्त की जाती है ।

एस० एस० पी० झांसी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न एवं सुरक्षार्थ गनर दिये जाने की मांग

श्री अधिष्ठाता–

शुक्ल जी ने एक प्रश्न उठाया है, उसको माननीय अध्यक्ष के विचारार्थ रख दिया जायेगा और जो भी वह निर्णय करेंगे, उसके अनुसार सुनवाई होगी ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

आप सदन में मेरी बात को नहीं सुनेंगे और सदन के बाहर मुझे मार दिया जायेगा, तो क्या होगा ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अध्यक्ष के विचारार्थ स्वीकार कर लिया गया है । सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जायेगी और इसके लिये सरकार सजग है ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

नहीं की जा रही है । मेरा गनर हटा लिया गया है । एस० एस० पी० ने कहा है कि एल० आई० यू० की रिपोर्ट है कि मेरे जीवन को खतरा है और एस० एस० पी० ने कहा है कि संभल कर रहियेगा और उन्होंने यह भी कहा कि जाको राखे साइयां, मारि सकै न कोई । वह मेरी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इसी तरह से अतीक अहमद का मसला उठा था । अतीक अहमद को [illegible]

प्रदान की जानी थी और हमारी सरकार ने उनको सुरक्षा प्रदान की थी । झांसी पाकिस्तानी खुफिया का केन्द्र बन गया है और वहां पर साम्प्रदायिक दंगा कराने की कोशिश की जा रही है और यह कोशिश की जा रही है कि विधायक को मार दिया जाये और जिससे लोगों को राजनैतिक लाभ मिले । इसलिये मैं कह रहा हूं कि मुझे तुरन्त गनर मुहैया कराया जाये । हम लोग क्षेत्र में जाते हैं और वहां से दो बजे रात में लौटकर आते हैं और अगर मेरी हत्या कर दी गयी तो माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी को दो मिनट मौन होकर यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित कर देंगे । मान्यवर, यह मामला मेरा व्यक्तिगत है । एस० एस० पी० ने कहा है कि हमारे ऊपर दबाव है इसलिये मैं गनर नहीं दे सकता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता हूं ।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

नियम 56 के अन्तर्गत 15 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना श्री कल्याण सिंह, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्रीमती प्रेमलता कटियार, श्री सतीश महाना, बाल चन्द्र मिश्र जी, श्री नीरज चतुर्वेदी और श्री राकेश सोनकर की है ।

श्री प्रणत पाल सिंह के साथ पुलिस अधीक्षक, मथुरा द्वारा अभद्र व्यवहार विषयक सूचना उठाने का प्रयास

* नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन्, मैं बहुत कम समय लूंगा इस पर अपनी बात कहने के लिये क्योंकि कानपुर के कई सदस्य हैं जो कुछ कहना चाहेंगे । आपकी इजाजत से इस विषय से पूर्व 2 वाक्य और कहूंगा । एक तो प्रणतपाल सिंह जी का किसी न्यायालय की अवज्ञा का मामला है, इसको भेज दीजियेगा, शासन देख लेगा और दूसरा श्री रवीन्द्र शुक्ल जी ने अपनी जान के खतरे के बारे में शासन का ध्यान आकृष्ट किया है, मैं आशा करता हूं कि उसकी नोटिस शासन ने लिया होगा ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

यही लोग माइक को खराब कर डाले हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, मैं एक गम्भीर और महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह ठीक है कि सरकार उस विषय को गम्भीरता से न लेकर हंसी मजाक में उड़ाती रहे कौन जाने कि आज उस विषय को हंसी मजाक में लेने की कोशिश करें। श्रीमन्, कानपुर में एक दलित और भाजपा के कार्यकर्ता श्री कालाबच्चा की निर्मम हत्या हुई।

(हंसी)

मैं जानता हूं कि यह हंसने वाले वही लोग हैं जो इंसान की जान की कीमत नहीं जानते और किसी की हत्या पर हंसने के लिये इस बेशर्मी के साथ मुंह फैला देते हैं, यह लज्जा का विषय है। श्रीमन्, चाहे किसी की हत्या हो और आप मुंह फाड़कर हंस दें, यह शोभा नहीं देता है। माननीय सदन में अपनी बात कहने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। यह विषय मजाक में लेने का नहीं है और हम इस बात को उठाते रहेंगे कोई ताकत हमको इस बात को उठाने से रोक नहीं सकती है। काला बच्चा की हत्या हुई उसके बारे में पूरे प्रदेश भर में उसका विरोध करने के लिये, उसको श्रद्धांजलि देने के लिये भाजपा की राज्य इकाई ने एक निर्णय लिया कि 26 फरवरी को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर या तहसील मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे, शांतिपूर्वक धरना देंगे प्रदेश इकाई के कार्यक्रम के अनुसार, कानपुर की भाजपा इकाई ने 26 तारीख को धरना और प्रदर्शन करने की बात कही थी जिसकी सूचना भी एक दिन पहले कानपुर के ए० सी० एम० को लिखित रूप से दे दी गयी थी, धरना भी कोई संवेदनशील स्थान पर नहीं था। यह चावला मार्केट, गोविन्दनगर, कानपुर में स्थान चयन किया गया था। मैं कभी नहीं चाहता कि शांति व्यवस्था समाप्त हो लेकिन श्रीमन्, वहां की पुलिस प्रशासन ने, यह चावला मार्केट मोहल्ला, गोविन्द नगर जो हमारी कांस्टीट्युएन्सी पड़ता है, लाठियों के बल पर बाजार बन्द कराया और जब सतीश महाना जो वहां के विधायक हैं कानपुर के, वे पहुंचे तो उनके साथ पुलिस के अधिकारियों ने अभद्र व्यवहार किया। महिला पुलिस नहीं थी। लाठियां जब बरसाई गयी तो केवल विधायकों, भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं पर ही नहीं लाठियां बरसाई गयी, राहगीरों पर भी बरसाई गयीं। घोड़े दौड़ाये गये, अंग्रेजों के जमाने में इस तरह का दमनचक्र चलता था, निर्दोषों पर घोड़े दौड़ाये जाते थे। यह सरकार अंग्रेजों के जमाने से दो कदम आगे निकल कर एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं पर उनके नेताओं पर घोड़े दौड़ाती है। रास्ते चलते हुए, जिनका इस प्रदर्शन और धरने से संबंध नहीं है, उन पर घोड़े दौड़ाये जाते हैं। वहां इस तरह की घटना हुई है कि विधायकों, कार्यकर्ताओं और महिलाओं को चोटें आयी हैं, यह निर्ममतापूर्वक पिटाई उचित नहीं है। हम लोकतंत्र में रह रहे हैं किसी तानाशाही के युग में नहीं रह रहे हैं।

आज अफसोस इस बात का है कि सरकार तानाशाही का रवैया अपना रही है। लोकतंत्र में हर दल को अपनी बात कहने का अधिकार है। लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी बात जनता तक पहुंचाने का अधिकार है। संविधान ने विचारों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी दी है। हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने जा रहे थे, लाठी चलायी गयी, निर्ममतापूर्वक पिटाई करके घोड़े दौड़ाये गये इससे हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है। सरकार कहेगी कि धारा 144 लगी हुई थी, वे लोग धरने पर बैठ रहे थे, प्रदेश की यह कोई अनोखी घटना नहीं है, अनेक प्रसंग ऐसे इसमें आये होंगे जब धारा टूटी होगी उसमें गिरफ्तारी कर ली जाती है, आप गिरफ्तार कर सकते थे। यह किसने अधिकार दिया कि घोड़े दौड़ा रहे थे, शांतिपूर्वक बात करने गये विधायकों और कार्यकर्ताओं पर गोलियां चलायी जायेंगी, महिलाओं को पीटा जायेगा यह सब अधिकार किसने दे दिया था कि राहगीरों पर घोड़े दौड़ाकर उन्हें पीटा जायेगा। सरकार तानाशाही के रास्ते पर जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रही है ताकि सरकार की पोल न खुल सकें। सरकार को खतरा है, राजनीतिक दृष्टि से एक सबल दल उनके सामने जो खड़ा है, हम यहां 176 लेकर बैठे हैं उनको खतरा इसी दल से है, कहीं

भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या करायी जा रही है कहीं महिलाओं पर घोड़े दौड़ाये जा रहे हैं । यह हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकारों का हनन हुआ है । इस अविलम्बनीय लोक महत्व के गम्भीर विषय पर हम चर्चा की मांग करते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने एक महत्वपूर्ण बात की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है । भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है कि जनता की जनतांत्रिक और शांतिपूर्वक तरीके से उठायी जाने वाली आवाज को बलपूर्वक रौदने नहीं दिया जायेगा । हम सरकार की चुनौती को स्वीकार करते हैं । अगर महिलायें धरने पर बैठ गयीं तो महिला पुलिस को क्यों नहीं बुलाया गया । महिला पुलिस बुलायी जानी चाहिये थी, घोड़े दौड़ाने का औचित्य क्या है । वहां विधायकगण विराजमान थे । वे शांतिपूर्वक तरीके से वहां बैठे हुए थे, क्या हमको अपनी आवाज उठाने का अधिकार नहीं है । सरकार आवाज को रौंदने का काम कर रही है । केवल कानपुर में नहीं हुआ, कानपुर के रूप में एक घटना का उल्लेख होना आवश्यक था, प्रदेश के अनेकों स्थानों पर हो रही घटनाओं की सूचना हमारे पास है । हमने आवाज उठायी है सरकार के काले कारनामों को उजागर किया है वहीं पर पुलिस ने जोर जुल्म के बल पर कार्यकर्ताओं की आवाज को दबाने का काम किया है, प्रयास किया है, हम उसकी घोर निन्दा करते हैं ।

(व्यवधान)

एक सदस्य–

रामसनेही घाट पर जो हुआ उसको भी कह दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह कहना चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री इनको समझा दें नहीं तो फिर कोई बोल नहीं पायेगा हमारी उदारता को मजबूरी न समझा जाय, इसका अन्जाम अच्छा नहीं होगा, यह आप उन्हें बता दें ।

मान्यवर, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मामला है, यह एक अत्यन्त गम्भीर विषय है, कृपया सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा अवश्य करा दें ।

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, 26 तारीख को राज्य इकाई की ओर से निर्देशित कार्यक्रम के अनुसार शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग बैठने जा रहे थे । मैं स्वयं 11.10 बजे उपस्थित हुई थी, मेरे साथ इस सदन के माननीय सदस्य श्री बाल चन्द्र मिश्र जी थे । जिस तरह से उस दिन पुलिस का रवैया था मैंने तो अंग्रेजों का राज्य नहीं देखा केवल पढ़ा है, एक जलियांवाला काण्ड है उसे तो नहीं देखा है, लेकिन उससे कम वीभत्स दृश्य वहां नहीं था । सी० आर० पी० के लोग सैकड़ों की संख्या में एक किलोमीटर की रेन्ज में इस धरनास्थल को कवर किये हुए थे । वहां पर अघोषित कर्फ्यू जैसे लगा हुआ था, एक भी जीवित व्यक्ति को निकलना वर्जित था । मैं जिस समय वहां पहुंची सी० आर० पी० के लोगों ने दौड़ कर वार करने का प्रयास किया । मैंने कड़ाई से इसका विरोध किया और यह कहा कि यह न्यायपूर्ण नहीं है, महिला पुलिस को आप बुलायें और उस वार को मैंने बचाने का प्रयास किया यदि वह प्रयास न करती तो आज आपके सामने घायल अवस्था में होती । उन्होंने किसी सीमा तक दुर्व्यवहार करने में कोताही नहीं की और जब प्रेस के लोगों ने पूछा जैसा कि एस० एस० पी० का वर्जन 27 तारीख के अखबारों में बड़ी गैरजुम्मेदारी के साथ छपा है, तो उन्होंने कहा कि लाठी चार्ज नहीं हुआ है । और फिर कहां चूंकि घटना इतनी वीभत्स हुई थी, 5 घण्टे तक हुई थी और भाजपा के लोग ही नहीं आम जनता भी इससे प्रभावित हुए हैं और जब देखा हम इस घटना को छिपा नहीं पायेंगे तो कानपुर का एस० एस० पी० कहता है कि उस समय वहां के अधिकारियों को जो उचित लगा होगा, किया होगा । वहां पर 4-5 विधायक मौजूद थे, एक सांसद भी मौजूद थे, 4-5 घण्टे यह काण्ड चला, महिलाओं के ऊपर बर्बरतापूर्ण तरीके से

लाठियां मारी गयीं, दर्जनों निर्दोष लोग मारे गये और कानपुर के एस० एस० पी० को पता नहीं था वह कहते हैं कि जैसा उचित लगा होगा किया होगा । यह 26 तारीख की घटना है ।

मान्यवर, प्रकारान्तर से पूरे प्रदेश में वर्तमान सरकार की नीति है कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दमन किया जाय । मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जैसा कि कानपुर के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में छपा है कि यह संवेदनशील जिला बन गया है । कानपुर शहर और वह साम्प्रदायिकता के मुहाने पर आज बैठा है ।

मान्यवर, जिस तरीके से सुरक्षा बलों पर थानों पर जाकर एक वर्ग विशेष के द्वारा हमला करना और उनके नहीं दूसरों के घरों में घुसकर पुलिस ने जो व्यवहार किया है उससे कानपुर का इतिहास सही उजागर हुआ है । मेरी मांग है कि माननीय सदन से, माननीय सरकार से और माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कि इसकी जांच करायी जाय । वहां पर पूरे क्षेत्र के निवासियों के घरों में घुसकर जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के घर नहीं थे उनके घरों में भी घुसकर पुलिस ने जिस तरह का व्यवहार किया है और वहां के इन्सपेक्टर (गोविन्द नगर) ने उसने जिस प्रकार का वहशियाना व्यवहार किया है उसको निलम्बित करके इस प्रकरण की जांच कराने की कार्यवाही की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

यह उस घटना को देखते हुए 10वां हिस्सा भी कार्यवाही नहीं होगी । इसी के साथ मैं इस गम्भीर विषय पर चर्चा की मांग करती हूं ।

* श्री सतीश महाना–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अपने इस लोकतांत्रिक देश में किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हो सकती है, यह 26 फरवरी की घटना इसका जीता जागता उदाहरण है । अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को है, अत्याचार करके, उत्पीड़न करके उसे दबाया नहीं जा सकता । जैसा कि अभी हमारे नेता विरोधी दल ने कहा कि किस प्रकार अंग्रेजों के शासनकाल में इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जुल्म होते थे, उसी तरह का एक उदाहरण 26 फरवरी को कानपुर में देखने को मिला । मान्यवर, इधर के जब सदस्य कोई भी बात कहने के लिये खड़े होते हैं तो उसका तुरन्त उधर से उदाहरण आ जाता है, आपने यह किया था, वह किया था, कोई न कोई सच-झूठ बात कह देते हैं । सरकार की तरफ से इस बात का मानक तय हो जाय कि विधायकों की रक्षा कैसे हो सकती है, विधायकों के साथ बेइज्जती करने का शासन को प्रशासन को अधिकार है, वह भी स्पष्ट हो जाना चाहिये । यहां पर सरकार के नेतागण अवश्य कहते हैं कि सही बात होगी तो जांच करायेंगे । पिछली 26 तारीख को कानपुर के गोविन्द नगर क्षेत्र में धरने का कार्यक्रम था । मैं अपनी मारुति कार से वहां पर गया, वहां कार से उतरते ही मेरे ऊपर लाठीचार्ज किया गया । वहां के संबंधित थानाध्यक्ष/एक सब इन्सपेक्टर, जिनको अभी पोस्ट किया गया है, ने रिवाल्वर निकाल ली । गोविन्द नगर इन्सपेक्टर लेविल का थाना है, वहां सब इन्सपेक्टर इस उम्मीद में हैं कि उन्हें प्रमोशन देकर इन्सपेक्टर बना दिया जायेगा, उन्होंने मेरे साथ अत्यन्त अभद्रता का व्यवहार किया, क्या इसी तरह के आचरण करने के सरकार की ओर निर्देश दिये गये है ? लोगों को वहां एक-डेढ़ किमी० तक दौड़ाया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गया । घोड़ों को इस तरह दौड़ाया गया, मानो रेसकोर्स में घोड़े दौड़ रहे हों । जमकर लाठियां बरसाई गयीं, खूब अत्याचार-जुल्म हुआ । लोगों को घरों से निकालकर, गलियों में घुसकर मारा गया । घरों के अन्दर से बूढ़ी औरतों व बुजुर्गों को निकालकर बेरहमी से पिटाई की गयी । इस सब घटना की सूचना महामहिम राज्यपाल महोदय को कर दी गयी । इसकी सूचना सरकार को भी दे दी गयी थी, लेकिन खेद है कि बीच में 3-4 दिन सदन नहीं रहा, उसके बाद भी इस विषय में कोई कार्यवाही नहीं की गयी । इस पर कार्यवाही किया जाना आवश्यक है, इसलिये मैं आपसे अनुरोध करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि इस पर चर्चा कराई जाय ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

श्रीमन्, मैं उस घटनाक्रम को, जिसको माननीय नेता विपक्ष ने रखा है, दोहराना नहीं चाह रहा हूं । मैं कुछ गम्भीर विषयों की तरफ आपका ध्यान कम समय में लेना चाहता हूं । श्रीमन् आज तक के अपने जीवनकाल में, पहली बार 26 फरवरी को गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र, जो मेरा विधान सभा क्षेत्र है, मैंने यह देखा कि शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बाजारबन्दी कराई जा रही थी । अब तक जितने भी जन आन्दोलन व बन्द आवाह्न होते थे, उसमें सरकार दुकानों को खुलवाने का प्रयास करती थी । गोविन्द नगर में 11 बजे धरने का कार्यक्रम प्रस्तावित था, वहां साढ़े नौ बजे से ही रैपिड एक्शन फोर्स, सी० आर० पी०, पी० ए० सी०, यू० पी० पी० के काफी जवानों को तैनात कर दिया गया था और इन्हीं लोगों के साथ थानाध्यक्ष गोविन्द नगर ने जबरन दुकानों को बन्द करवाना शुरू कर दिया था, जिससे गोविन्द नगर में कर्फ्यू जैसी स्थिति हो गयी । दिन में 11 बजे के करीब मुझे इस बात की सूचना मिली कि धटनास्थल को पूरा छावनी का रूप बना दिया गया । वहां पर एक तरह से कर्फ्यू का दृश्य था, जब मैंने जानना चाहा कि ऐसी कौन सी विशेष बात हो गयी, कौन सा ऐसा तनाव का वातावरण आ गया जिससे वहां कर्फ्यू की स्थिति खड़ी हो गयी, जब मैं वहां जाने लगा तो मुझे जाने नहीं दिया जा रहा था, बहुत दूर तक घेराबन्दी की गयी थी । श्रीमन्; जो सबसे भयंकर स्थिति की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस सरकार में लोकतन्त्र की हत्या का प्रयास किया जा रहा है । लोकतन्त्र में अपनी विचार-अभिव्यक्ति का संवैधानिक अधिकार छीना जा रहा है और इस सरकार में बैठे हुये हत्यारे लोग आज लोकतंत्र की, दलितों की ओर कमजोर वर्ग के लोगों की हत्या करा रहे हैं । जब इन घटनाओं पर सम्मानित सदन के भीतर चर्चा उठायी जाती है तो जरा सामने के लोगों की गम्भीरता देखिये श्रीमन्, सामने बैठे हुये लोगों के चेहरों पर मुस्कराहट आ रही है और चर्चा का उपहास उड़ाया जा रहा है ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि 10-15 हजार से ज्यादा की भीड़ चारों ओर मौजूद थी लेकिन वहां पर नो मैनसलैण्ड बना दिया गया । सामान्य नागरिक जो स्कूटर से जाना चाहता था, उसको वहां से वापस करते समय 2-3 लाठियां लगायी जाती उसके बाद उसे वापस भेजा जाता । मान्यवर, हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया और 2-3 सौ कार्यकर्ता घायल हुये, महिला कार्यकर्ताओं को भी गम्भीर चोटें आयी और उन चोटों का अस्पताल में मुआयना भी हुआ है । श्रीमन्, अखबारों में छपी ये फोटो साक्ष्य देंगे कि किस प्रकार से घोड़े दौड़ाये गये । वहां की पुलिस ने घर के अन्दर घुसकर ऊपरी तल पर चढ़कर कार्यकर्ताओं को, महिलाओं को और उनके बच्चों को पीटा है । श्रीमन्, उधर से राम सनेही घाट की बात कही गयी है । मैं बताना चाहता हूं कि अयोध्या में शान्ति स्थापित करने की दृष्टि से, साम्प्रदायिक तनाव को रोकने की दृष्टि से राम सनेही घाट से आगे बढ़ने के लिये अवरोध किया गया

था, हमने न तो लाठी चार्ज किया था और न घोड़े दौड़ाये गये । श्रीमन्, हमने भी सरकार चलायी है, विपक्ष के लोगों को पूरा मौका दिया गया है, हमने उन्हें प्रतिबन्धित नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप अपनी बात समाप्त करें, बहुत हो गया है ।

श्री बाल चन्द्र मित्र–

श्रीमन्, एक मिनट लेकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं । गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र की एक विशेष बात है कि गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र में ही उ० प्र० में सबसे अधिक मत वहां के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है और यही कारण है कि गोविन्द नगर की जनता और वहां के मतदाताओं को प्रताड़ित करने के लिये योजनाबद्ध तरीके से वर्तमान सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है ताकि वहां के मतदाता यह महसूस करें कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रबल समर्थन देकर अपराध किया है, जिसकी उन्हें सजा दी जा रही है । जिस काला बच्चा की हत्या की चर्चा अभी की गयी वह मेरे विधान सभा क्षेत्र का है । मान्यवर, यह विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का है । मैं बल देते हुये आपसे निवेदन करता हूं कि इस पर चर्चा कराने की अनुमति प्रदान करें ।

(श्री राम दास पाल के खड़े होने पर व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री राम दास पाल–

मान्यवर, बहुत ही गम्भीर आरोप लगाया है, मैं भी वहीं का रहने वाला हूं, जहां घटना घटित हुई है । .....(व्यवधान)

एक सदस्य–

क्या मान्यवर, चर्चा की अनुमति दी गयी है ?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आपकी पार्टी से पांच लोग बोल चुके हैं । अब मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला लिया है ।

(सत्ता पक्ष व विपक्ष के सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर-व्यवधान)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने अपने संसदीय अवसर का लाभ उठाते हुए इस घटना को दुबारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है । वैसे कानपुर की घटना पर यहां विस्तार से चर्चा हो चुकी है और माननीय मुख्य मंत्री जी का उस पर उत्तर भी आ गया है । 26 तारीख की घटना का उल्लेख किया गया है । कानपुर की घटना के बाद 26 तारीख को आपका शहीद दिवस मनाने का कार्यक्रम था । शहीद दिवस कार्यक्रम को मनाने के पीछे एक प्रकार से कानपुर की कानून-व्यवस्था को चुनौती देने की भी उसमें मंशा थी । इसलिए जिला प्रशासन की भी जिम्मेदारी थी कि कानपुर में तमाम प्रयासों के बावजूद भी अशान्ति उत्पन्न न होने पाये । वहां पर जो स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास किया गया था, उस पर जल्दी ही काबू पा लिया गया ।

हम चाहे पक्ष में बैठे हों या विपक्ष में बैठे हों, प्रदेश में शान्ति-व्यवस्था स्थापित करने की जिम्मेदारी हम सभी की होती है और इसे हमें महसूस भी करना चाहिये । अगर राजनैतिक लाभ के लिए शान्ति-व्यवस्था को खराब करने का काम किया जायेगा तो निश्चित रूप से मजबूरी में जिला प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा । काला बच्चा की हत्या के बाद वहां पर किस तरह से साम्प्रदायिक वातावरण बनाने की कोशिश की गई । सरकार की भी एक धैर्य की सीमा होती है । माननीय मंत्री जी के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ, उनकी गाड़ी को फूंक दिया गया । अगर उस घटना की भी निन्दा नेता प्रतिपक्ष की तरफ से आ जाती तो कदाचित हम समझते कि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही रूप में कर रहे हैं और शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए हमें सहयोग कर रहे हैं । इस घटना के बाद वहां पर शहीद दिवस मनाकर साम्प्रदायिक माहौल पैदा करने की चेष्टा की गई । बिना अनुमति के यह वह कार्यक्रम वहां पर करने जा रहे थे । शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी प्रशासन की थी । कम से कम वहां के प्रशासन की व पुलिस प्रशासन की हम सभी लोगों को थोड़ी सी प्रशंसा तो करनी ही चाहिये कि तमाम प्रयासों के बावजूद भी साम्प्रदायिक माहौल वहां का बिगड़ नहीं पाया । जिस तरह से वहां पर प्रतिगामी शक्तियों द्वारा साम्प्रदायिकता बढ़ाकर पूरे प्रदेश में साम्प्रदायिक उन्माद पैदा करने का जो काम किया गया या जो इसके लिए प्रयास कर रहे थे, वह उसमें सफल नहीं हो पाये । यह कोई राजनैतिक मुद्दा नहीं होता है ।

हम सब का राजनीतिक घोषणापत्र होता है अगर हम नीति और कार्यक्रम के आधार पर गलती कर रहे हैं तो उसे रोके लेकिन प्रदेश जब बहुत बड़े अंधकार से उबर चुका हो, सांप्रदायिक संकट से उबर चुका हो उसमें दुबारा राजनीतिक लाभ लेने के लिये प्रदेश को झोंकना हम समझते हैं कि किसी भी राजनीतिक का दायित्व नहीं होता है । श्रीमन्, कानपुर में काला बच्चा की हत्या हुई उस पर हमने पहले ही कहा खेद भी है, दुख भी है उसको हम प्रशासनिक चुनौती भी मानते हैं । माननीय बाबूराम जी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसके बारे में कोई शब्द इस तरह का आज तक माननीय नेता विरोधी दल ने नहीं कहा । माननीय नेता विरोधी दल और माननीय नेता सदन यही तो सदन के दो प्रमुख व्यक्ति होते हैं, कुछ मुद्दों पर दलगत लाभ हानि से ऊपर उठ कर सोचना चाहिये । जिस घटना का उल्लेख किया गया है उसमें राजनीतिक लाभ हानि को दृष्टि मे रखकर किया गया है तो प्रशासन की जो जिम्मेदारी थी शांति-व्यवस्था कायम करने के लिये उस व्यवस्था का निर्वहन किया है । श्रीमन् यह नियय 56 या 311 के अन्तर्गत नहीं आता है इसको निरस्त किया जाय ।

श्री कल्याण सिंह–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपके माध्यम से स्मरण कराना चाहता हूं कि जिस समय कानपुर काण्ड की यहां चर्चा हो रही थी और माननीय बाबूराम जी का प्रकरण सामने आया था मैंने उसी समय कहा था मैं उस घटना की निन्दा करता हूं और आज भी उसकी निन्दा करता हूं । जैसा सुना उसमें जो कुछ महिलायें रही उनके संबंध में माननीय बाबूराम जी ने कहा इन सबको कोठे में होना चाहिये । जिससे उत्तेजना पैदा हो गयी जो उत्तेजना पैदा हुई उसके बाद जो घटना हुई उसकी मैं आज भी निन्दा करता हूं । जो संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो कुछ कहा है, जो कुछ मैंने कहा है उसमें आरोप प्रत्यारोप नहीं होते यदि शांति पूर्वक जो कार्यकर्ता जिसमें महिलायें भी थी काम करना चाहते थे उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ है । तो क्या सरकार इसकी न्यायिक जांच कराने के लिये तैयार है जिसका दोष होगा सामने आ जायेगा ।

* राजस्व मंत्री (श्री बाबूराम यादव)–

जितना मैं माननीय नेता सदन का सम्मान करता हूं उतना ही ज्यादा नेता विपक्ष का भी सम्मान करता हूं। मैं बहुत ज्यादा माननीय कल्याण सिंह जी का बहुत पहले से सम्मान करता हूं और आज भी करता हूं। मेरी निगाह में बहुत बड़ा सम्मान है (व्यवधान) पिछड़े वर्ग का ही सही लेकिन बहुत बड़ा सम्मान है। इस सदन में दो तीन बार वह टिप्पणी कर चुके हैं जो बहुत ही मिथ्या है लेकिन मैंने कोई बात नहीं कही वहां पर इनके सारे विधायक एम० पी० उसका संचालन कर रहे थे आपकी विधायिका जी जो बहुत प्रिय हैं यह भी संचालन कर रही थी। मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन नाम लिया गया जिस बात का जिक्र किया गया है वह मिथ्या है क्योंकि वहां पर जो महिलायें मेरी कार जला रही थी मैं दूसरी तरफ खड़ा था यह क्यों मिथ्या लाप करते हैं ? मैं आपका सम्मान करता हूं लेकिन इस तरह की बात कहना कहां तक उचित है। आपने एक फोन भी करके पूछ लिया होता, फोन तक नहीं किया आप हमारे नेता विपक्ष के हैं, मेरे भी रिश्तेदार हैं आप पूछ लिये होते बाबूराम क्या हुआ ? मेरे ऊपर इतने पत्थर फेंके गये भगवान जानता है क्या बीती ? आपकी एम० एल० ए० और एम० पी० उसका संचालन कर रहे थे मेरे साथ जो घटना हुई उस पर किसी भाजपा० नेता ने फोन पर भी नहीं पूछा, मुझे तो इसका बहुत दुख है। आप गलत तरीके से मिथ्या आरोप लगा रहे हैं मैंने कभी चींटी तक नहीं मारी आप इस तरह की बात कह रहे हैं मेरे ऊपर जो बीती उसके बारे में किसी ने फोन तक नहीं किया थोड़ी सहानुभूति अगर होती, मैं तो दुखी हूं इसकी पूरी तरह से आपकी जिम्मेदारी बनती है।

श्री अधिष्ठाता–

दूसरी सूचना श्री बदन सिंह जी की है।

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

मान्यवर, मैं अभी आज की घटना के बारे में आपसे सदन में कुछ कहना चाहती हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

देखिये इस समय नियम 56 चल रहा है, बैठें, ऐसे नहीं सुना जाएगा। मैंने बदन सिंह जी को बुला लिया है।

श्रीमती राज लक्ष्मी वर्मा–

ऐसा नहीं हो सकता है, बड़ी गम्भीर घटना है, जो अभी महिलाओं के साथ घटी है। आपको सुनना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा।

श्री जगदम्बिका पाल–

इन प्रश्नों के विषय में अध्यक्ष जी ने यह कहा है कि अब जो माननीय सदस्यों के प्रस्ताव आएंगे, उन पर समय डाला जाएगा। जो आए हैं, उसमें हमारे दल का दूसरे नम्बर पर है। आप देख लें जो अध्यक्ष जी ने फैसला दिया है कि जो भी प्रश्न आएंगे, उन पर समय दिया जाएगा और उन्हें उसी के क्रम में लिया जाएगा। पहली सूचना भारतीय जनता पार्टी की थी, उसको आपने सुन लिया, अब उसके बाद मेरा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचनाएं तो नियम अनुसार शलाका द्वारा निकाली गई हैं, उसी के क्रम में मैं माननीय सदस्यों को बुला रहा हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हमारे दल की राजलक्ष्मी जी जो आपसे निवेदन करना चाहती हैं, कर नहीं पाई, वह बहुत ही दुखद विषय है। इस सरकार के बड़बोलेपन के कारण पुलिस के हौसले बहुत अनाप शनाप बढ़ गये हैं। अभी जी० पी० ओ० पार्क, हजरतगंज में हमारे दल की महिला मोर्चा की महिलाएं शान्तिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रही थीं। किन्तु पुलिस ने वहां पहुंचकर बड़ी निर्ममता से महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, उनहें घसीट-घसीट कर बन्द किया। वहां उनके साथ बड़ी ज्यादती और उनका उत्पीड़न पुलिस के हाथों हुआ है। इसकी पराकाष्ठा हो गई है।

श्री अधिष्ठाता–

यह आप किस नियम में कह रहे हैं, आप तो नियमों के ज्ञाता हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यह उसी नियम में है जिसमें अगर तत्काल ऐसी कोई घटना घट जाती है, तो उसको सदन में तत्काल रखने का प्रयास करते हैं, जिससे स्थिति को सुधारा जा सके। ऐसी घटनाओं को बराबर सुना जाता है।

श्री अधिष्ठाता–

नियम 56 अपनी तत्कालिकता और लोकमहत्व के कारण लिया जाता है और नियम 56 की सूचनाएं इस समय ली जा रही हैं, और उसके अन्तर्गत मैंने आपके ही दल के बदन सिंह को बुलाया है।

श्री जगदम्बिका पाल–

इस सदन में बराबर इस सदन में रोज काला बच्चा हो रहा है। वही प्रकरण बराबर चला करता है और उन्हीं लोगों की बातें सुनी जाती हैं, इससे मुझे बड़ी आपत्ति है। मालूम पड़ता है कि प्रदेश में और कोई किसी की कोई समस्या ही नहीं रह गयी है। न बुनकरों की कोई समस्या है और न किसानों की कोई समस्या शेष रही है। उनकी बात के अलावा किसी की बात को नहीं सुना जा रहा है, इसके विरोध में तो इस सदन का त्याग कर रहा हूं।

(श्री जगदम्बिका पाल सदन त्याग कर चले गये।)

श्री कल्याण सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, अभी जो राजलक्ष्मी जी ने प्रश्न उठाया है और राजेन्द्र गुप्त जी ने जिसके समर्थन में कुछ कहा है, इस सम्बनध में मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि सरकार के इस तानाशाहीपूर्ण रवैये और बड़बोलेपन के आचरण आज अराजकता की स्थिति प्रदेश में पैदा हो गई है। जी० पी० ओ० पार्क में आज हमारे दल के महिला मोर्चा की महिला सदस्यताएं नारियों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में विरोध प्रदर्शन करने के लिए आई थीं। उनको घसीट-घसीट कर दौड़ा कर बेरहमी से पीटा गया, डंडों से पीटा गया है। उन्हें अपमानित किया गया है, मैं इसके विरोध में अपने दल के साथ इस सदन से वाक-आउट करता हूं।

(श्री कल्याण सिंह, नेता विरोधी दल श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त एवं अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से चले गये ।)

[समय–2 बजकर 20 मिनट]

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, आप यह कार्यवाही से लिखवा दीजिये कि इन्होंने सदन का बहिष्कार नहीं किया ।

श्री बदन सिंह–

मैंने बहिष्कार की औपचारिकता पूरी की और मैंने अपने नेता से इसके लिये आज्ञा ले ली । मान्यवर, दिनांक 27/28 फरवरी की रात्रि के 11.30 बजे सी० ओ० डी० आगरा के पास स्थित 64/255 से लेकर 64/259 तक के घरों में एक लेफ्टिनेंट कर्नल के नेतृत्व में 80–90 फौजी जवानों ने घरों में घुसकर तेज धारदार हथियारों से स्त्रियों और पुरुषों को घायल कर दिया । उनकी हड्डियां तोड़ दी गई हैं उनके सिरों में गम्भीर चोटें आई हैं । इतना ही नहीं मान्यवर, सम्पूर्ण मकानों को घेर दिया गया और उनके पशुओं को ईटों, पत्थरों से घायल कर दिया गया और घायल लोगों ने सदर थाने में जाकर रिपोर्ट कराई । पुलिस मौके पर पहुंची और उसने इसे गम्भीर माना है लेकिन फौजी जवानों के विरुद्ध वहां की पुलिस कोई भी कार्यवाही करने में सक्षम नहीं है । वहां पर रोजाना फौजी जवानों द्वारा आस-पास बसे मोहल्लो मौनाचावली, हस्तनापुर मधनगर अफोह आदि से स्कूल जाने वाली लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं । चर्म उद्योग में लगे हुए कर्मचारियों से रोजाना उनके जूते व माल लूट लेते हैं, दूधियों से दूध लूटकर पी जाते हैं । आम आदमी का सड़क पर चलना दूभर हो गया है, यह उनके साथ बदसलूकी करते हैं । यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है । यह महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि वहां आम नागरिक का जीवन वहां पर इन फौजी जवानों की बर्बरता के कारण दूभर हो गया है । उनमें इन फौजियों का मुकाबला करने की कोई शक्ति नहीं रह गई है । उत्तर प्रदेश की सरकार को चाहिए कि वहां के नागरिकों की सुरक्षा के लिये तत्काल कदम उठाये और उन फौजी जवानों की इन हरकतों पर अंकुश लगाये ताकि वहां के नागरिक एक आम नागरिक सा जीवन व्यतीत कर सकें अन्यथा मान्यवर, उनको वहां से पलायन करना पड़ेगा । इसलिये मैं चाहता हूं कि सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं । तीसरी सूचना मातवर सिंह कंडारी जी की है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, जो ग्राह्य की गई हैं, उसकी घोषणा तो कर दें । लाटरी में पांच सूचनाएं निकाली जाती हैं । उन सूचनाओं की सूचना तो सदन को दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं उसी के अनुसार उन ग्राह्य सूचनाओं को ही बुला रहा हूं ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं नियम संगत बात कर रहा हूं । मान्यवर, आप मेरी जिज्ञासा को शान्त कर दें । मैं यह जानना चाह रहा हूं कि शलाका के आधार पर कौन-कौन सी सूचनाएं ग्राह्य की गई हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, आप बैठें । आपने प्रश्न किया है मैं उसके अनुसार बता रहा हूं । पहली सूचना हो गई, दूसरी सूचना भी हो गई । तीसरी सूचना मातवर सिंह कण्डारी की है, चौथी सूचना श्री विकल और पांचवीं सूचना प्रमोद तिवारी जी की है ।

नियम–311 की सूचनाओं को नियम–56 में परिवर्तित किये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, यह व्यवस्था दी गई थी कि नियम 311 में जो सूचनाएं दी गई हैं उनको नियम 56 में ले लिया जाएगा । और आपने यह भी कहा था कि नियम 311 की सूचनाओं को नियम 56 की सूचनाओं में जोड़ लिया जाएगा और नियम 56 की सूचनाओं के पहले उनको लिया जाएगा ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने कहा था कि जो सूचनाएं नियम 311 में दी गई हैं उनको भी नियम 56 में परिवर्तित कर दिया जाएगा । यही किया गया है । दोनों को मिलाकर शलाका के आधार पर सूचनाएं निकाली गई हैं ।

श्री किरन पाल सिंह–

अधिष्ठाता महोदय, आपने यह कहा था कि नियम 311 में जो सूचनाएं दी गई हैं उनको नियम 56 से पूर्व जोड़ कर सुन लेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

जो सूचनाएं मिली हैं, उस पर नियमों के आधार पर शलाका के द्वारा सूचनाएं निकाली गई हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

अधिष्ठाता महोदय, मैं इस पर व्यवस्था चाहूंगा यह व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 311 के अन्तर्गत जितनी सूचनाएं दी गई इनमें 311 की सूचनाओं को कार्यस्थगन में बदल दिया गया । नियम 311 की सूचनाओं को शलाका के आधार पर नहीं लिया जाता है ऐसी व्यवस्था अभी तक नहीं है । नियम 311 के अन्तर्गत जो सूचनाएं दी गई हैं वह तो अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर करता है और वह इस पर अपने विवेक से निर्णय लेते हैं । और उसको शिरोधार्य किया गया है । मैं कहना चाहता हूं कि नियम 311 के अन्तर्गत दी हुई सूचनाओं में सबको आप सुन लें । ताकि कार्यस्थगन की जितनी सूचनाएं दी गई हैं उस पर आप लाटरी कर लें ।

श्री अधिष्ठाता–

ऐसी परम्परा रही है कि अध्यक्ष के विवेक का सदन समादर करता है । सभी लोकतांत्रिक देशों में अध्यक्ष के विवेक पर ही सारी चीजें आधारित होती हैं । अध्यक्ष जी ने जो निर्णय लिया उसका समादर करना सभी सदस्यों का कर्तव्य बनता है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री किरन पाल सिंह–

अधिष्ठाता महोदय, आपकी बात सही है लेकिन अगर अध्यक्ष किसी कारण वश भूल जायं तो याद दिलाना हमारा फर्ज बनता है । नियम 311 पर हमने इसलिए प्रेस नहीं किया कि नियम 56 से जोड़कर हम सुनेंगे वरना तभी हम प्रेस करते । आपने इसको शलाका में डाल दिया । मान्यवर, यह महत्वपूर्ण विषय है इसीलिये नियम 311 में इसे दिया गया आपको उसी नियम पर सुनना चाहिए लेकिन अगर आपने इसे नियम 56 में डाल दिया तो इसको पहले सुनना चाहिए । इसीलिए इस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर व्यवस्था आ चुकी है आप धैर्य रखें ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता–

सदन में कौन सी अव्यवस्था उत्पन्न हो गई है ? जिसमें आप व्यवस्था चाहते हैं ।

श्री श्याम देव राम चौधरी–

यह सदन नियमों से संचालित होता है । नियम 301 के अन्तर्गत जो प्रश्न शलाका के आधार पर निकलता है उस पर यह व्यवस्था है कि जो माननीय सदस्य उस समय चाहें, उपस्थित रह सकते हैं लेकिन मैं पिछले दो दिनों से देख रहा हूं कल भी और आज भी । जब 9.00–10.00 बजे के बीच जब मैं अध्यक्ष के कमरे में गया, जहां से शलाका निकाली जाती है तो दरवाजा अन्दर से बन्द था । पूछने पर यह बताया जाता है कि अन्दर डिस्कशन हो रहा है यह कार्य संचालन नियमावली का अतिक्रमण हो रहा है । दरवाजा बन्द करके शलाका निकाले जाने का कोई औचित्य नहीं है । यह हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठ जायं । आपके दल के सदस्य को ही मैंने बुलाया है अब आप स्थान ग्रहण कर लें ।

श्री श्याम देव राम चौधरी–

आपने बुलाया तो कोई कृपा नहीं कर रहे हैं । मैं नियमों के अन्तर्गत अपनी बात कर रहा हूं । शलाका निकाले जाते समय कोई भी माननीय सदस्य वहां उपस्थित रह सकता है । इस पर पीठ से आप कोई निर्देश देने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप इस संबंध में अध्यक्ष के कक्ष में जाकर बात कर लें ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

सदस्यों के अधिकारों को कुचला जा रहा है इसके पीछे कोई बदनीयती हो सकती है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा । जब कभी इस तरह की सूचनाएं जाती हो चाहे नियम 311 की हों या नियम 56 की हों तो दलगत स्वरूप का भी ध्यान रखा जाना चाहिए । ताकि दूसरे दलों के सदस्य भी अपनी बात कहने से वंचित न होने पाएं । क्योंकि 5 में से 4 सूचनाएं एक ही दल की हैं । अगर दलगत स्वरूप को सामने रखकर निर्णय नहीं लिया जायेगा तो किसी दल विशेष के लोगों को ज्यादा समय मिलेगा और दूसरे दलों के लोगों की उपेक्षा होगी ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

* श्री मातवर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान उत्तरांचल में राजकीय हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट की ओर ले जाना चाहता हूं यह सर्वविदित है कि उत्तरांचल में राजकीय विद्यालय तो हैं लेकिन अशासकीय विद्यालय बहुत कम हैं । किसी भी राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज और किसी भी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पूरा स्टाफ नहीं है । किसी स्कूल में प्रिंसिपल का पद खाली पड़ा हुआ है । विज्ञान, गणित, अंग्रेजी और संस्कृत जैसे कठिन विषयों के अध्यापकों के पद खाली पड़े हुए हैं, इससे शिक्षा का स्तर गिर गया है और विद्यालयों में अनुशासनहीनता बढ़ रही है सारे विद्यालयों में अव्यवस्था व्याप्त हो गई है । मेरा सरकार से निवेदन है कि जो पद खाली पड़े हुए हैं उनको शीघ्र भर दिया जाए, ताकि शिक्षा का स्तर सुधरे तथा उत्तरांचल मे राजकीय हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज में सुचारु रूप से चल सके ।

माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री शारदानन्द अंचल)–

माननीय सदस्य ने बहुत ही उपयोगी बात कही है और हमारी सरकार इस रास्ते पर कदम उठा रही है । रुके हुए पदों को शीघ्र भर दिया जायेगा हम इस पर कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

अधिष्ठाता महोदय, मैंने यह सूचना नियम 56 में प्रदेश की जनता के जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवाल पर दी है । मान्यवर, इस समय पूरे प्रदेश की जनता भीषण मंहगाई की मार से पीड़ित है । हमारे प्रदेश की आबादी में 80 प्रतिशत से अधिक की आबादी उन लोगों की है जो या तो गरीबी की रेखा के नीचे अपना जीवन जी रहे हैं । या गरीब हैं या फिर निम्न एवं मध्यम वर्गीय हैं । 80 से अधिक प्रतिशत की आबादी वाली इस प्रदेश की जनता, जिसके लिए आज इस बढ़ती हुई मंहगाई में अपना व अपने परिवार के बच्चों का पेट पालना दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा है जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में हुई वृद्धि से त्रस्त है । मान्यवर, अभी कुछ ही महीनों में मंहगाई आसमान छूने लगी है। चीजों के दाम बढ़े हैं । गेहूं, चावल, चीनी, डीजल, पेट्रोल आदि चीजों के दाम बहुत अधिक बढ़ गए हैं । खुले बाजार में इन चीजों के दाम 20 से 30 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं । इस समय चीनी खुले बाजार में 13 रुपये से लेकर 14 रुपये प्रति किलो मिल रही है । राशन की दुकान पर जो चीनी 8.30 प्रति किलो के हिसाब से मिलती थी आज वह 9.05 प्रति किलो के हिसाब से मिल रही है । यह सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह प्रदेश की जनता को कम कीमत पर यह सामान दिलाए । किन्तु अव्यवस्था की हालत यह है कि दुकानों में राशन नहीं होता है । सरकारी प्रबन्ध की अकुशलता व

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वित्तीय अव्यवस्था के चलते राशन की दूकानों पर भारी अव्यवस्थाएं हो रही हैं। लोगों के राशन कार्ड दुकान पर रख लिए जाते हैं किन्तु उनको सामान नहीं मिलता है। चीनी और मिट्टी का तेल खुले बाजार में बेच लिया जाता है। मान्यवर, इसका प्रमाण है। आज इस सदन में जब मिट्टी के तेल के भावों की बात हो रही थी तो यह कहा जा रहा था कि मिट्टी का तेल केवल राशन की दुकान पर मिलता है बाहर नहीं बेचा जाता है परन्तु ऐसा नहीं है। मिट्टी के तेल की दोहरी मूल्य व्यवस्था के कारण खुले बाजार में इसकी कीमत ज्यादा है। राशन की दूकानों का मिट्टी का तेल काला बाजारी में जाता है। आज ही सत्ता पक्ष के एक विधायक ने कहा था कि वे सात रुपया लीटर बाजार से तेल खरीदते हैं। यह प्रमाण है आज की दुर्व्यवस्था की। सुदूर गांवों में गरीब की झोपड़ी में इसलिए अंधेरा है कि उसको जलाने के लिए मिट्टी का तेल नहीं मिल पा रहा है। ईंधन जलाने के लिए उसके पास मिट्टी का तेल नहीं है। आज हालत यह है कि लोगों के पास मिट्टी का तेल नहीं है, गेहूं नहीं हैं, चावाल नहीं हैं।

मान्यवर, इस प्रदेश को जितनी चीनी और चावल आवंटित होता है सरकार उसको उठा नहीं रही है। दिसम्बर, 1993 तक मान्यवर, 5 लाख 12 हजार टन का कोटा था किन्तु 2 लाख 37 हजार टन चावल उठाया गया है। यह पूरा सामान ले नहीं पा रहे हैं। राशन दुकान पर मिलता नहीं है। पूरे प्रदेश के 14 करोड़ लोगों में से लगभग 10-11 करोड़ लोगों के सामने भीषण महंगाई के कारण और जीवित रहने का संकट पैदा हो गया है और प्रदेश सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। लोग भूख से पीड़ित हैं। मान्यवर, यह जन-जन से जुड़ा हुआ मामला है इसलिए आपके माध्यम से इस सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जा रहा है। यह सरकार इस समय हाथ पर हाथ धरे बैठी है और अपने दायित्व का पालन नहीं कर रही है।

मान्यवर, जनता के जीवन से जुड़ी हुयी यह महत्वपूर्ण एवं आवश्यक समस्या है। महंगाई से लोगों का जीना दूभर हो रहा है। जिनको 1 हजार तनख्वाह मिलती है जो नौकरी के पेशा करने वाले लोग हैं वह अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं। इसलिये इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा कराने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

* नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन्, बेतहाशा बढ़ती हुयी महंगाई के संबंध में माननीय सत्य प्रकाश विकल ने जो विषय उठाया है मैं उस पर बहुत संक्षेप में अपनी बात कहने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस समस्या के दो पहलू हैं एक पहलू केन्द्र सरकार से संबंधित है और दूसरा पहलू राज्य सरकार से संबंधित है। मैं यह मानकर चलता हूं कि किसी भी प्रदेश में महंगाई घटना तथा बढ़ना बहुत कुछ केन्द्र की नीतियों पर, केन्द्र के निर्णय पर, केन्द्र के बजट पर अवलम्बित होता है। राज्य सरकार अकेले चाहे भी तो वह महंगाई नहीं रोक सकती है। इस कठिनाई को शासन में रहकर मैं समझ चुका हूं। केन्द्र सरकार ने श्रीमन्, गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी के तेल के दाम बढ़ाये और लगभग साढ़े 6 हजार करोड़ रुपये का भार आम जनता पर डाल दिया। हाल ही में जो बजट आया है उसने तो कोढ़ में खाज का काम किया है। रेल बजट में पहले ही काफी वृद्धि की गयी है यह जो बजट आया है इसने महंगाई बढ़ने का रास्ता साफ कर दिया है लेकिन राज्य सरकार का दायित्व यह है कि वह अपने राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीब

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनता को सस्ते मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराये । श्रीमन्, जो कीमतें बढ़ी हैं उसका कुप्रभाव खुले बाजार में हो रहा है । उपभोक्ता सामग्री के ऊपर लगभग 30 प्रतिशत वृद्धि डेढ़-दो माह में हुयी है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली आज भ्रष्टाचार में डूबी हुयी है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली अक्षम हो गयी है, अकुशल साबित हो गयी है और लुंज-पुंज हो गयी है । हमें सूचना मिली है कि राशनकार्ड नहीं बनाये जा रहे हैं । जब तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली चुस्त-दुरुस्त और भ्रष्टाचार मुक्त नहीं बनायी जाती है तब तक राज्य सरकार अपने दायित्व का अनुपालन नहीं करायेगी ऐसा मेरा मानना है । हमें सूचना है दिसम्बर, 1993 तक केन्द्र सरकार ने 8.49 लाख टन गेहूं आवंटित किया था लेकिन उसके विपरीत राज्य सरकार ने केवल 3.33 लाख टन गेहूं उठाया । इसी प्रकार से चावल 5.12 लाख टन केन्द्र सरकार ने आवंटित किया जिसके विपरीत राज्य सरकार ने 2.37 लाख टन चावल उठाया । जहां तक तेल का प्रश्न है, दोहरी मूल्य नीति के कारण आज तेल ब्लैक में जा रहा है और उसकी भी कीमत बहुत बढ़ गयी है । मैंने दो पहलू रख दिये । केन्द्र द्वारा अपनायी गयी नीति के कारण जो महंगाई बढ़ रही है उसके लिये सरकार को दोष नहीं देता परन्तु इस सरकार के खाते में जो जिम्मेदारी है उससे यह सरकार पूरी तरह से विफल हो गयी है । सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चुस्त नहीं कर पायी, भ्रष्टाचार मुक्त नहीं कर पायी और केन्द्र सरकार द्वारा जो चावल और गेहूं आवंटित किया गया था वह नहीं उठा पायी इस कारण से आज पूरे प्रदेश में जनता का जीवन दूभर हो गया है । मेरा कहना है कि सारे प्रदेश में व्यापक, बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है और सरकार इसे रोकने में विफल हो गयी है । जन-जीवन से जुड़ा हुआ, गरीबों के जीवन से जुड़ा हुआ यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर आज चर्चा कराने की अनुमति देने की कृपा करें ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, यह तो ऐसा विषय है, जिस पर सामान्य बजट पर भी माननीय नेता विरोधी दल कह सकते थे, राज्यपाल के अभिभाषण पर कहे ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ सुधार के लिए उनसे अपेक्षा करूंगा । माननीय नेता विरोधी दल से, और लोग कहें, तो कहें, लेकिन आपको बहुत जिम्मेदारी सम्भालनी चाहिए । विगत दिनों उपभोक्ता वस्तुओं, रसोई गैस, डीजल तथा पेट्रोल के मूल्यों में केन्द्र सरकार द्वारा बढ़ोत्तरी की गयी है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत निर्गत किये जाने वाले गेहूं, चावल एवं चीनी के मूल्यों में केन्द्र सरकार द्वारा वृद्धि की गयी है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न की उठान हो रही है । प्रदेश को मिट्टी के तेल का लगभग 1 लाख कि० ली० प्रति माह का कोटा प्राप्त हो रहा है और इसका सुचारु रूप से वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है । मिट्टी के तेल के मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई है । इसका मूल्य 2.85 रु० से रु० 3.05 प्रति लीटर है । मिट्टी का तेल शतप्रतिशत राज्य नियंत्रक वस्तु है, इसकी कोई दोहरी मूल्य नीति नहीं है । माननीय सदस्य की यह सूचना सही नहीं है कि राशन कार्ड बनाना रोक दिया गया है, वरन् स्थिति यह है कि इस समय प्रदेश में राशन कार्ड बनाये जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, सभी जनपदों में प्रचुर मात्रा में राशन कार्ड उपलब्ध हैं और नियमानुसार बनाये जा रहे हैं । प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं का कोई अभाव नहीं है, सभी वस्तुएं सुचारु रूप से उपलब्ध हैं । जहां तक महंगाई बढ़ने का प्रश्न है यह अवगत कराना है कि पिछले एक माह में आवश्यक वस्तुओं का औसत फुटकर भाव 2.1 प्रतिशत से 5.7 प्रतिशत के मध्य ही आंशिक वृद्धि हुई है । अतः यह कहना सही नहीं है कि मूल्यों में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । किसी भी सरकार को इस वृद्धि के प्रति सतर्क रहना चाहिए । मैं जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दूंगा कि काला बाजारी या वितरण प्रणाली में जो भी लोग अव्यवस्था पैदा करते हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय ।

श्री कल्याण सिंह–

हमारी सूचना है कि 1993 तक केन्द्र ने 8.40 लाख टन आवंटित किया और राज्य सरकार 3.33 लाख टन उठा पायी । चावल 5.12 लाख टन आवंटित किया गया और राज्य सरकार 2.37 लाख टन उठा पायी । अगर ये गेहूं और चावल उठा लिये होते, तो गरीब आदमियों को कुछ अधिक खाद्यान्न मिलता ।

श्री अधिष्ठाता–

पांचवीं सूचना माननीय प्रमोद तिवारी, माननीय नरेश अग्रवाल जी की है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन् इस प्रदेश के अन्दर तमाम समस्यायें हैं, मान्यवर, जो नगरीय क्षेत्र में रहते हैं, पिछली सरकार ने जो 89 में सरकार बनी थी, उसने दस हजार रुपये कर्जे की माफी की घोषणा की थी, लेकिन उसमें कुछ लोगों को छोड़ दिया गया और वे भुखमरी के कगार पर हैं । मैं अपने इस कार्य-स्थगन के प्रस्ताव के माध्यम से कहना चाहता हूं कि राज्यपाल के शासन में सरकार ने 18 जुलाई को गोरखपुर में यह घोषणा की थी कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले बुनकर लोग जो हैं, उनके 10 हजार रुपये के कर्जे सरकार माफ करेगी । उसका मान्यवर, आंकलन किया गया तो 46 करोड़ रु० कर्जे के रूप में निकला और जिसका अंशदान 24 करोड़ रु० केन्द्र सरकार ने दे दिया और 22 करोड़ तत्कालीन महामहिम राज्यपाल की सरकार ने उसकी ऐडवाइजरी कमेटी नय करके एक जी० ओ० लागू कर यह निश्चित कर दिया कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले बुनकरों पर जो बकाया है, वह माफ कर दिया जायगा और मेरी निश्चित जानकारी है कि अपेक्स बैंकों में उनका खाता खोला गया था और बुनकरों पर जो कर्जा है, वह माफ कर दिया जायेगा। मान्यवर, मुझे दुख है कि इस लोकप्रिय सरकार ने और समाज के कमजोर वर्ग की हितैषी कहलाने वाली सरकार ने एक और आदेश जारी कर दिया है, 25 जनवरी, 1994 को एक और आदेश जारी कर दिया है और उसके द्वारा जो बुनकरों को कच्चा माल उपलब्ध कराया जाता था, उसके दाम और बढ़ा दिये गये हैं । मान्यवर, इसी के साथ ही साथ इस सरकार ने एक और निर्णय लिया है कि वह 9 मीटर की धोती नहीं खरीदेगी, उसके स्थान पर 10 मीटर की धोती खरीदेगी । धोती की लम्बाई बढ़ जाने के कारण बुनकरों को और घाटा हो रहा है और इस कारण प्रदेश के बुनकर तबाही के कगार पर चले गये हैं । मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि कानपुर के बुनकरों पर 87 से जो बकाया चला आ रहा था, उसकी वसूली की नोटिसें जारी कर दी गयी हैं, उसकी नोटिसें निकल गयी हैं, जिससे बुनकर परेशानी में पड़ गये हैं । उनको बन्द किया जा रहा है । मल्लावां, जो माननीय श्री राम आसरे वर्मा जी का क्षेत्र है, वहां पर नोटिसें बुनकरों के ऊपर जारी हो गयी हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, बुनकरों पर नोटिसें जारी हो गयी हैं, तो और क्या चीज ग्राह्यता पर बोली जाये । उनका उत्पीड़न हो रहा है । मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किस-किस जनपदों में कितने-

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कितने लोगों के कर्जे माफ किये गये और किस-किस बैंक में कितनी-कितनी धनराशि जमा की गयी है और क्या वसूली रोकने के लिये सरकार स्पष्ट निर्देश देगी । यह महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि नगर क्षेत्र में रहने वाले बुनकरों से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है, जो गरीबी रेखा से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि लोक-महत्व के इस प्रश्न पर तत्काल चर्चा करायें और सरकार को स्पष्ट निर्देश दें कि बुनकरों पर होने वाले उत्पीड़न को रोका जाये ।

* श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, ग्राह्यता के लिये दो चीजें आवश्यक होती हैं, एक तो अवलम्बनीयता और दूसरा लोक-महत्व । मान्यवर, आप देखें कि यह प्रदेश के लाखों बुनकरों का प्रश्न है, जो जनता से जुड़ा हुआ है, इसलिये लोक-महत्व का प्रश्न बनता है और आज की तारीख में और आज से पहले से लगातार उन बुनकरों को जेल भेजा जा रहा है, जिन पर बकाया है, इसलिये यह अविलम्बनीय है । मान्यवर, यह भ्रम की स्थिति क्यों पैदा हो गयी है । मान्यवर, राष्ट्रपति शासन के दौरान लाखों बुनकरों को केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के अंशदान से 46 करोड़ रुपया दिया गया, जिससे बुनकरों का कर्जा माफ हो सके और वह अपना व्यवसाय प्रारम्भ कर सकें और नीति के रूप में प्रदेश सरकार ने स्वीकार किया है, लेकिन भ्रम जो है वह यह है कि जो धनराशि आयी है, इसकी सूचना जनपदों में नहीं पहुंच पायी है, इसलिये बुनकरों को नोटिस जारी कर दिये गयें हैं । जो निजी बुनकर थे और जो सहकारी बुनकर थे, दोनों पर नोटिस जारी हो गये हैं और सबसे ज्यादा महत्व की बात यह है कि जो 6 हजार और 9 हजार के बकायेदार हैं, उन पर भी नोटिस जारी हो गयी है । मान्यवर, जो धन आया है वह जनपदों में नहीं पहुंच पाया है, जहां के लिये आवंटन हैं, वहां वह धन नहीं पहुंच पाया है, इसीलिये यह काले बादल के रूप में मौजूद हैं । आज इस प्रदेश के बुनकरों का व्यवसाय पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हुआ है क्योंकि पिछले साल की अपेक्षा 40 प्रतिशत सूती धागों पर दाम भी बढ़ गये हैं । इसलिये मैं इसको देखते हुए माननीय नरेश अग्रवाल जी की बात पर बल दे रहा हूं क्योंकि यह लाखों बुनकरों से जुड़ा हुआ सीधा प्रश्न है और उनको गिरफ्तार करके जेलों में रखा जा रहा है उससे भय की स्थिति उत्पन्न हो गयी है और पूरा हैंडलूम उद्योग बन्द होने की कगार पर पहुंच गया है । इसलिए मेरा निवेदन है कि इस तत्कालिक लोक-महत्व के प्रश्न पर सदन में सारे नियमों को स्थगित करते हुए चर्चा कराई जाय । या तो शासन यह आश्वासन दे दे कि जब तक यह नहीं हो रहा है तब तक वसूली नहीं होगी ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, हम पूरी जानकारी दे देंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय नरेश अग्रवाल ने मेरे क्षेत्र का नाम लिया इसलिए उस पर एक बिन्दु जो छूट रहा है, मैं सदन का ध्यान आकर्षित कर दूं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम आसरे वर्मा–

इतनी देर में तो सदन का ध्यान मैं आकर्षित कर चुका होता । मान्यवर, मैं सदन का ध्यान एक बिन्दु की ओर आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि 1989 में जब सरकार ने यह निर्णय लिया था कि बुनकरों का कर्ज माफ किया जायेगा तो माफ नहीं हुआ था लेकिन एक आदेश यह जारी कर दिया था कि उनसे कर्जे की वसूली न की जाय । उसका नतीजा यह हुआ कि जो बुनकर पैसा दे भी रहे थे वह भी उन्होंने बन्द कर दिया तो मान्यवर, इस तरह से वह पैसा बढ़ते-बढ़ते काफी बढ़ गया -ब्याज पेनाल्टी सब कुछ लगाकर और अब उनको नोटिस जारी की जा रही है । तो यहां पर सरकार इस बात का निर्णय करे कि उनके कर्जे को माफ किया जाता है या अन्यथा कोई निर्णय हो वहां इस बात को ध्यान में रखा जाय कि 1989 में जो आदेश शासन की ओर से किया गया है उसको भी ध्यान में रखा जाय ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, यह प्रदेश का महत्वपूर्ण मसला है जिसकी ओर ध्यान आकर्षित किया माननीय तिवारी जी, माननीय नरेश अग्रवाल जी ने और जबरदस्ती हस्तक्षेप किया वर्मा जी ने । मैं इसकी विस्तृत जानकारी देना उचित समझता हूं ।

बुनकरों की ऋण माफी के सम्बन्ध में दिनांक 7 अक्टूबर, 1994 को शासनादेश संख्या–127क(1)/18-10-12 (एच)/93 व शासनादेश संख्या–127क(2)/18-10-12 एच/93 तथा दिनांक 11 अक्टूबर, 1993 को शासनादेश संख्या–103(1)/वि(ब)/93 जारी किया गया था । 24.00 करोड़ रुपये की धनराशि सहकारी बैंक को अवमुक्त की जा रही है । बुनकरों के विरुद्ध उत्पीड़क कार्यवाही न किये जाने के संबंध में राजस्व विभाग ने आदेश संख्या–5024/1-7-93-राजस्व–7 दिनांक 3 अगस्त, 1993 द्वारा पहले ही समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिये थे इसलिए बुनकरों की ऋण वसूली के सम्बन्ध में उत्पीड़क कार्यवाही न किये जाने के आदेश शासन ने पहले ही कर रखे हैं । बुनकरों के विरुद्ध उत्पीड़क कार्यवाही उपरोक्त शासनादेश के अन्तर्गत नहीं हो सकती है, यदि ऐसा कहीं हो रहा है तो सम्बन्धित जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिये जायेंगे ।

ऋण माफी योजना वर्ष 1990 में लागू की गयी थी । इसमें अर्द्धशहरी एवं शहरी क्षेत्र में बुनकरों को छूट दी गयी उन्हीं बुनकरों को वर्ष 1993 में उपरोक्त शासनादेश द्वारा राहत दी गयी है । 2-10-1989 तक जो धनराशि बकाया थी वह 10 हजार रु० की सीमा तक माफ किया जायगा । जनपदों को यह आदेश जारी कर दिये गये थे कि वह बुनकर राहत योजना के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय समिति से ऋण माफी की कार्यवाही करायें और उनके दावे राज्य स्तर पर हथकरघा निदेशक को भेजे जायं । इन दावों के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा सहकारी बैंकों को धनराशि दी जानी है जो कि दी जा रही है ।

जनता वस्त्र नीति जो कि भारत सरकार द्वारा बनायी जाती है । अक्टूबर, 1993 से परिवर्तित कर दी गयी है । इस नीति के अनुसार ग्रे क्लाथ जिसको कि जनता धोती कहा जाता है केवल 10 प्रतिशत तक ही बनायी जा सकती है । पूर्व में अधिकांशतः यही कपड़ा पूरे प्रदेश में बनाया जा रहा था । नयी जनता नीति के अन्तर्गत अब अच्छी गुणवत्ता का महंगा कपड़ा बनाना है जो कि बुनकरों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो और जो माल बने वह उच्च स्तर का हो । भारत सरकार द्वारा लागू की गयी नीति के अनुसार उत्पादन कार्यक्रम जारी कर दिया गया है और बुनकरों द्वारा तदनुसार उत्पादन किया जा रहा है । यह स्वाभाविक है कि पुरानी जनता नीति से नयी जनता नीति में उत्पादन कार्यक्रम को बदलने में

थोड़ी कठिनाई होगी परन्तु इससे बुनकरों की आर्थिक स्थिति में आने वाले समय में सुधार होगा और उत्पादकता गुणवत्ता भी अच्छी होगी । यूपिका तथा हथकरघा निगम द्वारा बुनकरों का भुगतान अद्यावधिक कर दिया गया है । इस संबंध में हथकरघा निगम ने यह अवगत कराया है कि उनके द्वारा बुनकरों का समस्त भुगतान कर दिया गया है तथा यूपिका द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा नवम्बर तक का भुगतान कर दिया गया है तथा दिसम्बर का भुगतान किया जा रहा है । पुरानी जनता वस्त्र नीति के अन्तर्गत यूपी–29 धोती का जोड़ा 9 मीटर का बनाया जाता था जिसकी बिक्री में कठिनाई थी क्योंकि साढ़े चार मीटर की धोती बिक नहीं पाती थी । इसलिए बाजार को ध्यान में रखते हुए पांच मीटर की धोती बनायी जा रही है । अब धोती का जोड़ा 10 मीटर का बनेगा ।

सूत के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि कपास की फसल अच्छी न होने तथा कपास के मूल्य में वृद्धि के कारण हुई है । इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कपास का निर्यात बन्द किया है और आयात करने का भी निर्णय लिया है । राज्य स्तर पर सरकारी/सहकारी निगम द्वारा यूपिका तथा हथकरघा निगम को 2 प्रतिशत कम दाम पर सूत उपलब्ध कराये जाने का निर्णय शासन ने लिया है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाह रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

स्पष्टीकरण नहीं होता है नियम 56 में ।

श्री प्रमोद तिवारी–

वसूली रोकने के लिये कोई आदेश जारी कर देंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

उन्होंने उत्तर में कह दिया कि जिलाधिकारियों को निर्देश दिये जा रहे हैं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

जो उत्तर में आया है उसका पालन नहीं हो रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

इसको दिखलाने की आवश्यकता है कि पालन हो रहा है कि नहीं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए यह आदेश पहले दे दिये गये हैं । फिर लिखकर के भेज दिया जायेगा कि उत्पीड़न की कार्यवाही किसी बुनकर के साथ न की जाय ।

जनपद मथुरा के चौमुखा के टाउन एरिया के चेयर मैन की हत्या के संबंध में

श्री अधिष्ठाता–

श्री तेजपाल सिंह जी की जो सूचना है उस पर मैं शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

(श्री किरनपाल सिंह व श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री श्याम देव राय चौधरी––

मान्यवर, हमने 311 में सूचना दी थी आपने 56 में परिवर्तित करने की बात कही थी । अगर शलाका की बात होती तो इनकी भी वंचित हो जाती है । आप हमको भी सुनने का कष्ट करें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

जीभ में खुजली रहती है जब तक बोल न लें ।

मान्यवर, हाईस्कूल और इण्टरमीटिएट की परीक्षा होनी है इन परीक्षाओं के लिये व्यक्तिगत परीक्षार्थी 14-9-93 की तारीख निश्चित थी फार्म जमा करने की । उसके बाद तमाम अखबारों में यह सूचित किया गया कि तारीख बढ़ाकर 21-9-93 तक कर दी गयी है उसके मुताबिक व्यक्तिगत छात्रों के फार्म जमा कराये गये । फिर यह जानकारी मिली कि जिन्होंने 14-9-93 के बाद 21-9-93 तक फार्म जमा किये हर्जाना न दिये होंगे उनको निरस्त करके परीक्षा से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है । तो मान्यवर, सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि शासन इसका मूल्यांकन कराये कि जिन लोगों ने फार्म 21-9-93 तक जमा कर दिया है चालान शुल्क के साथ उनको परीक्षा में सम्मिलित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये ।

श्री श्याम देवराय चौधरी–

मान्यवर, हमने भी नियम–311 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी कृपया हमको भी बोलने का मौका दिया जाये । मान्यवर, यह 26/27 फरवरी, की घटना है इसमें हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गयी है यह बहुत ही गम्भीर मामला है...

श्री अधिष्ठाता–

मैंने आपकी सूचना अस्वीकृत कर दी है आपको अनुमति नहीं दी जाती है ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, जितनी शलाका के अन्तर्गत सूचनाएं ली गयी थीं वह तो पूरी हो गयी हैं फिर किन नियमों के अन्तर्गत आप माननीय श्री राम आसरे वर्मा जी की सूचना को सुन रहे हैं । कृपया उन्हीं नियमों के अन्तर्गत हमें भी मौका दें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस सूचना को स्वविवेक से सुन रहा हूं । आप कृपया बैठ जायें क्योंकि आपकी सूचना अस्वीकृत हो चुकी है । मैंने श्री किरनपाल सिंह जी को बोलने के लिए कह दिया है ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, इसमें दो मिनट का समय दे दें क्योंकि यह बड़ा ही संवेदनशील मामला है ।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, यदि माननीय कल्याण सिंह जी ने जो विषय मैं उठाना चाहता हूं उसे सुना होता, जो कि सारे प्रदेश का मसला है तो उसे एक घटना से जोड़कर उसका मूल्यांकन नहीं करते । मान्यवर, मुझे यह कहना है सारे प्रदेश में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट में बहुत बड़ी संख्या है । मान्यवर, फार्म जमा करने की अंतिम तारीख 14-9-93 थी । समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ कि

14 तारीख से बढ़ाकर 21 तारीख विलम्ब शुल्क सहित जमा करने की कर दी गयी है । इतना ही नहीं, मान्यवर, जब विद्यार्थी पहुंचे सरकारी दफ्तर में, बुलन्दशहर के जिला विद्यालय निरीक्षक ने टिप्पणी दी प्रधानाचार्य के लिए, उसमें लिखा कि विलम्ब शुल्क की अंतिम तारीख 21-9-93 है अतः चालान निर्गत करने का कष्ट करें । मान्यवर, सारे जगह आदेश हो गये और 14 तारीख की जगह 21 तारीख फार्म भरने की अंतिम तिथि हो गयी और सब विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी में जुट गये थे लेकिन इसी माह यह सूचना आयी कि आप लोगों ने चूंकि फार्म 14 तारीख को नहीं भरा है इसलिए आप परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं । मान्यवर, यह 20-9-93 की टिप्पणी है कि फार्म भरने की अंतिम तिथि 21-9-93 है और अचानक यह आदेश आ गये कि आपने चूंकि फार्म नियम समय पर नहीं भरा है इसलिए आप परीक्षा में नहीं बैठ सकते । मान्यवर, 10-12 हजार छात्रों का इसमें सवाल है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, नौकरी देने का काम नहीं है । विधिवत् फार्म भरे गये हैं, आप उन्हें अनुमति प्रदान कर दें । 21 तारीख तक एक हफ्ते की बात है इसके लिए सरकारी अधिकारियों के भी आदेश हैं, मैंने आपको प्रतिलिपि भी भेजी है, मिल गयी होगी । मेरा आपसे निवेदन यह है कि आप उन परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें । विद्यार्थियों में बड़ा असंतोष है और सारे प्रदेश का मामला है, अविलम्बनीय भी है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, जो विषय किरन पाल जी ने उठाया है, वह अत्यन्त गंभीर है । इसमें सरकार के लिये कोई समस्या भी नहीं है । केवल भ्रम की स्थिति पैदा हो गयी है । समाचार-पत्रों के माध्यम से भी एक हफ्ता बढ़ा दिया गया था । केवल छात्रों में ही नहीं, शिक्षा विभाग के अधिकारियों में भी इससे भ्रम हो गया, जिसे उन लोगों ने स्वीकार भी किया है । अब पैसे ले लिये गये हैं, चालान भी जमा हो गया है । आप उनको स्वीकार कर लें, यह आपकी सदाशयता होगी, आप उन लोगों को परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस सूचना तथा श्री श्याम देव राय चौधरी की सूचना की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं । नियम–56 के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं जो प्राप्त हुयीं जिसमें सुन्दर लाल दीक्षित, श्री रंगनाथ, श्री नरेश अग्रवाल, श्री प्रीतम सिंह की, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल की तथा श्री सुरेश कुमार खन्ना की है, को अस्वीकार किया जाता है ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मेरे विषय पर सरकार क्या करने जा रही है, इस पर उत्तर तो दिलवा दें । आप तो शिक्षा मंत्री भी रहे हैं ।

(मद संख्या–8 पुकारे जाने पर) (व्यवधान के मध्य)

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, इसका उत्तर तो दिलवा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी, आपके विषय को अध्यक्ष जी ने स्थगित कर दिया है, इस पर उनका निर्णय सुरक्षित है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

कोई कारण तो दर्शाये होंगे ?

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, हम लोगों के विषय का उत्तर तो दिलवा दें ।

श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, आदरणीय वरिष्ठ सदस्यों ने जो बताया है, सदन के संज्ञान में लाये हैं, उसको दिखवा लेंगे, आप लिखकर भेज दीजिए ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के शब्दों पर गौर करें । यहां पर सारी बात आ गयी । मैंने बात उठाई, माननीय किरन पाल जी ने बात उठाई, प्रमोद तिवारी ने भी कह दिया ।

श्री शारदानन्द अंचल–

समाधान कर लिया जायेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, हजारों छात्रों का भविष्य अन्धकार में है । सरकार इस निर्णय की घोषणा करे कि जिनके फार्म 21-9-93 तक जमा हो चुके हैं, उनको परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

किरन पाल सिंह जी ने जो विषय उठाया है, उसके संबंध में पूरी सूचना नहीं आ पाई है । पूरी सूचना मंगवाकर आपकी अपेक्षानुसार इस पर कार्यवाही कराने का प्रयास करेंगे ।

व्यापार एवं तटकर सामान्य समझौता के सन्दर्भ में विचाराधीन सर आर्थर डंकल के प्रस्ताव को अमान्य कर दिये जाने के सम्बन्ध में संकल्प रखने की मांग

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपने माननीय अध्यक्ष जी का नाम लिया इसलिये मुझे कोई टिप्पणी तो नहीं करनी है लेकिन मैं आपका ध्यान जरूर आकृष्ट करना चाहूंगा, नियमों का कोई उल्लेख नहीं करना चाहूंगा । मेरा जो संकल्प है–"यह सदन केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करता है कि व्यापार एवं तटकर सामान्य समझौता (जनरल एग्रीमेंट आन ट्रेड एण्ड टैरिफ) के संदर्भ में विचाराधीन सर आर्थर डंकल के प्रस्ताव को अमान्य कर दिया जाय ।" आप स्वयं नियमों के जानकर हैं । मैंने सूचना 16 फरवरी को दी, 21 फरवरी को शलाका में आ गया और 22 तारीख को यह प्रपत्र मिल गया कि यह सूचना स्वीकार हो गयी है । आज 2 तारीख है, जब एक बार यह कार्यसूची में प्रस्ताव आ गया तो उसके बाद कार्यसूची में प्रस्ताव को स्थगित करने का कोई औचित्यपूर्ण कारण होना चाहिए । अगर कार्यसूची में परिवर्तन करना है तो कार्य मंत्रणा समिति है, उसके अनुसार एक पूरक कार्यसूची जारी होनी चाहिए और बिना कारण के उसको

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

स्थगित कर दिया गया । मान्यवर, माननीय अध्यक्ष की पीठ से जारी किये गये 1952-57 तक निर्देश पुस्तक में यह व्यवस्था दी गयी है कि जो भी संकल्प आयेंगे वह संकल्प एक के निस्तारित होने के बाद ही दूसरा निस्तारित किया जायेगा । जो शलाका में नम्बर एक पर स्वीकृत हुआ है तो उसका निस्तारण हो जाना चाहिए उसके बाद दूसरा नम्बर लेना चाहिए । बिना प्रथम संकल्प के निस्तारण के दूसरे नम्बर का कोई औचित्य पैदा नहीं होता । प्रस्ताव मेरा पूरा नियम संगत है । आप गैर सरकारी संकल्पों पर नियम देख लें ।

मैं समझता हूं कि जिसकी [illegible] मैंने सुनी है कि संकल्प के बारे में आपत्ति की गयी है, राज्य सरकार से सम्बद्ध नहीं है, हम उसे स्वीकार करते हैं । लेकिन आप नियमों को देख लें और पढ़ लें, संकल्प सिफारिश करने योग्य भी हो सकते हैं, इसकी परिपाटी है । आप स्वयं भिज्ञ हैं । अनेक ऐसे संकल्प पेश किये गये हैं जिनकी सिफारिश की गयी है । यह पूरी तरह से नियम संगत है । पूर्व दृष्टान्त के हिसाब से भी संगत है । आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि जब तक इसका निस्तारण न हो जाये आप दूसरा न लें अन्यथा एक विधिक स्थिति उत्पन्न हो जायेगी, एक असामान्य स्थिति की ओर ध्यान दीजिये, आज एक नम्बर पर संकल्प स्थगित कर दिया गया और नम्बर-2 ले लिया श्री हृदय नारायण जी का अगर यह निस्तारित नहीं हुआ तो अगली बार उसी पर चर्चा जारी होगी, तो क्या जो हमारा यह संकल्प स्थगित हो गया उसको कब लिया जायेगा । इस तरह से तो नियम 315 भी परिवर्तित करना पड़ेगा । इसलिये पुनः इस बात पर बल देना चाहता हूं, तथा आपके निर्णय की अपेक्षा करता हूं कि जब तक प्रथम संकल्प निस्तारित न हो जाये आगे का कोई संकल्प न लिया जाये, इसका कोई औचित्य नहीं है ।

* श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, सदन नियमानुसार चलता है और यहां ऐसी कोई बात नहीं कही जा सकती जो भारत के संविधान के विरुद्ध हो । भारत का संविधान ले लें, जिसके सातवीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अन्तर्गत सूची एक में यह स्पष्ट किया गया है कि कौन सा विषय भारत सरकार के अन्तर्गत है यह बात संविधान के पृष्ठ 153 पर है, जिसमें जो विषय भारत सरकार के अधीन आते हैं वह विषय दिये गये हैं, उसे कृपया आप पढ़ लें । उसी सूची के 13 और 14 में स्पष्ट उल्लेख है । 13 में दिया गया है कि अन्तराष्ट्रीय सम्मेलनों, संगमों और अन्य निकायों में भाग लेना और उनमें किए गये विनिश्चयों का कार्यान्वयन और 14 में विदेशों में संधि और करार करना और विदेशों से की गयी संधियों, करारों और अभिसमयों का कार्यान्वयन । यह विषय केन्द्र के विषय है । इसके बाद मान्यवर, सूची दो में जो राज्य की सूची है उसके अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय संबंध नहीं आता है । इसके साथ ही मान्यवर, कृपया पढ़ने का कष्ट करें संविधान का अनुच्छेद 253 क्या कहता है । यह "इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुये भी, संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गयी किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गये किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिये भारत के सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिये कोई विधि बनाने की शक्ति है । अनुच्छेद-254 " यदि किसी राज्य के विधान मण्डल द्वारा बनायी गयी विधि का कोई उपबंध संसद द्वारा बनाई गई विधि के, जिसे अधिनियमित करने के लिये संसद सक्षम है, किसी उपबंध के या समवर्ती सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में विद्यमान विधि के किसी उपबंध के विरुद्ध है तो खण्ड (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुये, यथा स्थिति, संसद द्वारा बनायी गई विधि चाहे वह ऐसे राज्य के अधीन विधान-मण्डल द्वारा बनायी गयी, उस विरोध की मात्रा तक शून्य होगी ।

[समय-3 बजकर 20 मिनट]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

स्पष्ट कहा गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय करार या इसी तरह का कोई और समझौता पूरी तरह से केन्द्र सरकार का विषय है । यदि प्रदेश सरकार अन्तर्राष्ट्रीय करारों के संदर्भ में कोई बात कहता है तो वह उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है । इसलिए डंकल का जो भी प्रस्ताव है, वह पूरी तरह से केन्द्र सरकार का विषय है । इसको करने का पूर्ण रूप से अधिकार केन्द्र सरकार/संघीय सरकार को है । अगर प्रदेश सरकार कोई प्रस्ताव भेजती भी है तो उसके कोई मायने नहीं होंगे । उसको हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है । माननीय श्री गुप्ता जी, जिस मामले को लाये हैं, वह संविधान विरुद्ध है । संविधान विरुद्ध कार्य करने की इनकी पुरानी आदत है । आप लोगों को अपने नेताओं का ही विश्वास नहीं हैं । आपके नेता भारत के संसद में बैठे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप व्यवस्था पर बोलें । टीका-टिप्पणी करने की अनुमति आपको नहीं देता हूं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, अगर कल रेलवे के किराये बढ़ गये, पेट्रोल के दाम बढ़ गये और उसमें भी आप अपना सुझाव देने लगे तो इस आदरणीय सदन का जो कीमती समय है, वह जाया ही जायेगा । इस प्रकार के विषय प्रदेश की कार्यसूची में नहीं आते हैं । इसलिए इन विषयों पर अनावश्यक चर्चा करके समय को क्यों जाया किया जाय ? जिस विषय पर आपको राय देने का अधिकार भी नहीं है । यदि कानून बनाया भी जाता है तो संघ कानून के बन जाने के बाद वह स्वयं शून्य हो जायेगा । इसलिए माननीय श्री गुप्ता जी ने जो प्रस्ताव यहां पर पेश किया है, संविधान विरुद्ध है ।

श्री हृदय नारायण–

मान्यवर, विधान सभा की प्रक्रिया एवम् कार्य संचालन नियमावली के नियम–23 को देखने का कष्ट करें । इसकी उपधारा (2) में लिखा है "जब अध्यक्ष ने उप नियम (1) के अन्तर्गत पूर्वोक्त रीति से अन्यथा निदेश दिया हो तो ।" अभी तो माननीय अधिष्ठाता जी ने बताया है कि माननीय श्री गुप्ता जी के संकल्प को स्थगित कर दिया गया है । निरस्त तो किया नहीं है । इसके आगे लिखा हुआ है "वह नेता सदन से परामर्श करके असरकारी सदस्यों के कार्य के लिए किसी सप्ताह में कोई अन्य दिन नियत कर सकेंगे । "

माननीय श्री गुप्ता जी का जो संकल्प है, वह किसी कारण वश या फिर माननीय श्री तिवारी जी ने जो विषय यहां पर उठाया है, कोई और विषय हो सकता है, संकल्प को स्थगित किया गया है । माननीय श्री गुप्ता जी धारा 23(2) को देखने का कष्ट करें । जो बात कही गई है वह नियम संगत है । आपका संकल्प स्थगित हुआ है । इसलिए क्या मान्यवर, मुझे अपने विषय को रखने की अनुमति देने की कृपा करेंगे ।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय श्री तिवारी जी ने जो बात यहां पर कही है, मैं पहले उसका उत्तर दे दूं । श्री दीक्षित जी ने नियमावली के नियम–23 (2) का उल्लेख करते हुए कहा कि "जब अध्यक्ष ने उप नियम (1) के अन्तर्गत पूर्वोक्ति रीति से अन्यथा निदेश दिया हो तो वह नेता सदन से परामर्श करके असरकारी सदस्यों के कार्य के लिए किसी सप्ताह में कोई अन्य दिन नियत कर सकेंगे ।" माननीय नेता सदन की अनुपस्थिति में माननीय संसदीय कार्य मंत्री हैं वह भी कदाचित अपना मत व्यक्त करना चाहें । मान्यवर, 1952 से 1967 तक आपकी पीठ से हुई रूलिंग का जो संकलन है उसके पृष्ठ 552 को देखने की कृपा करें जिसमें 24 सितम्बर, 1954 को प्रदेश में बेकारी दूर करने के हेतु उद्योगों के पुनः संगठन के सबंध में संकल्प प्रस्तुत हुआ तब श्री वीरेन्द्र पति यादव ने उसके उपस्थित किये पर आपत्ति की, जिस पर माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने कहा,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हृदय नारायण–

यह आपत्ति का मामला नहीं है, यह माननीय अध्यक्ष के विनिश्चय का मामला है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जैसी आपत्ति माननीय तिवारी जी ने की तो उस समय जो हमारे इस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं पंडित नारायण दत्त तिवारी जी बजाय उधर के इधर बैठते थे उन्होंने जो अपना मत व्यक्त किया उसे पीठासीन अधिकारी ने स्वीकार किया । माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने इस आक्षेप के जवाब में यह कहा कि प्रस्ताव जो होगा वह केवल सिफारिश की तरह होगा, तो मेरा जो प्रस्ताव हैं वह पब्लिक ओपीनियन क्रियेट करने के लिये है । यहां से पास होकर जायेगा तो वह केन्द्र सरकार पर बाध्यकारी नहीं होगा क्योंकि वह अपने निर्णय से काम करेंगे क्योंकि हम केवल सिफारिश कर सकते हैं । तो तिवारी जी के जवाब में कहना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव सिफारिश की शक्ल में केवल अपनी राय जाहिर करना है । तो उस प्रस्ताव को पीठासीन अधिकारी ने वैधानिक करार दिया है । तो मैं बताना चाहता है कि केन्द्र सरकार के कार्यालय के बारे में सदन में सिफारिश करने का अधिकार है ।

इसके पहले भी अनेकों अवसरों पर चर्चा हुई हैं (व्यवधान) मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज इस पूरे दिवस को स्थगित कर दें । माननीय अध्यक्ष ने खुद इसे स्वीकार किया है मैंने इसके लिये कोई दबाव नहीं डाला अध्यक्ष जी की व्यवस्था का पालन किया जा रहा है रूलिंग और नियमों को आप देखें । जैसा माननीय हृदय नारायण जी ने कहा नेता सदन से परामर्श कर दूसरा दिन तय कर लें अन्यथा यह निर्णय पूरे सदन की भावना के खिलाफ होगा ।

एक बात और कहना चाहता हूं यह भी नियम है कि माननीय अध्यक्ष को पूरा अधिकार है कहीं विसंगति है तो वह उसके लिये सक्षम हैं । लेकिन जो लोकहित का मामला हो उस पर यहां पहले भी चर्चा हुई है । जब चीन का हमला हुआ उस समय भी इस सदन में चर्चा हुई थी, अनेकों अवसरों पर चर्चा करते रहे हैं, जो मामले सब्जूडिस होते हैं उनकी परिस्थितियों पर चर्चा करते रहे हैं, चर्चा करने में कोई बंधन नहीं है । माननीय नेता सदन के प्रतिनिधि के रूप में माननीय संसदीय कार्य मंत्री विद्यमान हैं वह भी अपना मत व्यक्त करें उससे जानकारी मिलेगी कि आखिर शासन की नीति क्या है डंकल प्रस्ताव पर यहां पर चर्चा हो जाय । सरकार क्यों कतरा रही है इससे कांग्रेस के लोग परेशान क्यों हैं ? यह काला कानून की तरह है इससे हिन्दुस्तान के किसान, अर्थशास्त्री परेशान हैं क्योंकि यह हमारे किसानों की आर्थिक नीलामी का पैगाम लेकर आया है, हमारे अर्थशास्त्री, शिक्षाविद्, उद्यमी सब इसके खिलाफ हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इसकी खिलाफत की है । 28 ता० के केन्द्रीय बजट पर माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा यह केन्द्र की मजबूरी है । तो यहां कौन सी मजबूरी है जो विचार नहीं करेंगे ? माननीय मुलायम सिंह यादव जी की मजबूरी है कि आज इनकी बैशाखी पर यह सरकार चल रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय गुप्त जी मैं ने संकल्प पर बोलने के लिये नहीं कहा आप केवल औचित्य पर बोलें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के विचार भी जानना चाहते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

मा० गुप्ता जी ने संकल्प का प्रस्ताव किया लेकिन मा० अध्यक्ष ने निर्देशित किया कि इस संकल्प को आज की कार्यवाही में स्थगित किया जाता है । इस पर गुप्त जी ने आपत्ति उठायी, कांग्रेस दल के नेता श्री हृदय नारायण दीक्षित को भी इसमें सुना । नियमावली के नियम 314 के अन्तर्गत यह प्राविधानित है कि–"किसी संकल्प या प्रश्न की अनुज्ञा के बारे में या किसी अन्य विषय में अध्यक्ष का जो विनिश्चय हो, उस पर कोई आपत्ति नहीं की जायेगी ।" इसी तरह नियम 24 में दूसरे पैराग्राफ में लिखा है–"परन्तु अध्यक्ष नेता सदन के परामर्श से कार्य के क्रम में परिवर्तन अथवा संशोधन कर सकेंगे ।"

माननीय गुप्त जी से निवेदन है कि इस प्रकार केवल आपका संकल्प स्थगित किया गया है, उसे निरस्त नहीं किया गया है । इस पर अध्यक्ष जी गम्भीरता से विचार कर लेंगे और फिर अपना विनिश्चय करेंगे । इस पर कोई आपत्ति नहीं आयी है । इस प्रकार इस पर अध्यक्ष जी का निर्णय सुरक्षित है । इसलिए अब मैं अगला विषय ले रहा हूं ।

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, अध्यक्ष जी ने जो भी निर्णय किया है, उस पर मैं टिप्पणी करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, विधान सभा के नियम जनहित के प्रश्नों पर अपने विचार मंथन के लिए हैं और चूंकि यह संकल्प पहले स्वीकार किया जा चुका है, शलाका में निकल चुका है और कार्य सूची में भी है इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी दल के नेता इस पर अपने-अपने दृष्टिकोण प्रकट करें । मैं उस विषय वस्तु पर नहीं बोलना चाहता हूं लेकिन हमारा दृष्किोण डंकल प्रस्ताव पर है और जिनका प्रस्ताव है उनका मैं समर्थन करता हूं ।

मान्यवर, यह सदन आज उत्तर प्रदेश की जनता का प्रतिनिधित्व करता है । उत्तर प्रदेश की जनता को यह हक है लोकतंत्र में कि विभिन्न राजनीतिक दलों का दृष्टिकोण इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर जाने । अब अगर आज यह प्रस्ताव स्थगित हो गया तो पता नहीं कब आयेगा । इसलिए आग्रह है कि मा० अध्यक्ष के साथ हम सब नेतागण और नेता सदन एवं संसदीय कार्य मंत्री जी बैठकर विचार कर लें और मा० अध्यक्ष जी को हम लोग कन्विन्स करेंगे कि इस संकल्प को आज ले लिया जाय । आज गैर सरकारी दिवस है और उसे पूरा स्थगित करके इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा हो जाये । मान्यवर, मैं कांग्रेस के मित्रों की कठिनाई मान सकता हूं चूंकि केन्द्र सरकार ने इसका समर्थन किया है और यह सरकार कांग्रेस की बैसाखियों पर चल रही है, इसलिए मा० मुख्य मंत्री जी खुलकर इसमें नहीं बोलेंगे । लेकिन डंकल प्रस्ताव पर किस दल का क्या मत है इसे जनता को जानने का हक है चूंकि यह विधान सभा समूचे प्रदेश का जनप्रतिनिधित्व करती है । इसलिये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न को टालना ठीक नहीं है और आज टल गया तो पता नहीं फिर कब आएगा और पता नहीं आएगा कि नहीं और 13 अप्रैल को डंकल प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार हस्ताक्षर करने जा रही है । इसलिये सदन को सिफारिश करने का अधिकार है कि केन्द्र सरकार उस पर हस्ताक्षर न करे । इसलिये 13 अप्रैल से पहले इस पर चर्चा होती है तो चर्चा का अर्थ है अन्यथा इस पर चर्चा का कोई अर्थ नहीं होगा । अतः गैर सरकारी दिवस को स्थगित करके मा० अध्यक्ष से विचार करके तय कर लिया जाए और फिर उनका जो निर्णय होगा वह शिरोधार्य होगा ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता प्रतिपक्ष ने गैर सरकारी दिवस को स्थगित करने को कहा है और इसमें सरकारी संकल्पों पर चर्चा होती है, इसलिये आपका जो सुझाव है, उससे मैं आंशिक रूप से सहमत हूं। यह पहला संकल्प है, इस पर अध्यक्ष जी से तथा नेताओं से विचार करके जिस निर्णय पर पहुंचेंगे, वह स्वीकार होगा। लेकिन शेष संकल्पों पर चर्चा कराई जाएगी और इसकी मैं अनुमति देता हूं।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, सरकार ने इस महत्वपूर्ण विषय पर मौन रहकर सिद्ध कर दिया है कि यह सरकार किसान विरोधी है, जनता विरोधी है और देश विरोध है। इसलिये मैं इसका विरोध करते हुए सरकार के इस स्टैण्ड के विरोध में अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(श्री कल्याण सिंह अपने दल के साथ सदन त्याग किया)

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, यह किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं। डंकल प्रस्ताव पर आफिशियल सिग्नेचर हो चुके हैं और पोलिटिकल सिग्नेचर बाकी है। आफिशियल सिग्नेचर जिस समय हो रहा था, तो सबसे ज्यादा उसका विरोध हमारी समाजवादी पार्टी ने पूरे देश में किया था। और उस समय इनके सबसे बड़े नेता लालकृष्ण अडवानी जी विदेशों में घूम घूम कर सरकार की इस उदारीकरण नीति की सराहना कर रहे थे। यह डंकल प्रस्ताव उसी का एक अंश है। जिसकी सराहना यह कर चुके हैं। अब यह इसका विरोध इसलिये कर रहे हैं कि राजनीति में जो इनको हताशा और पराजय प्राप्त हुई है, उसमें जनता इनको राहत दे सके। यह आर्थिक उदारीकरण नीति के समर्थक थे। प्रधान मंत्री जी से अनुरोध किया गया है कि डंकल प्रस्ताव में जो किसान विरोधी अंश हैं, उन पर विचार करने के लिए सभी मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाई जाए। तो इस प्रकार का अनुरोध हमारे मंत्री जी ने किया है और इस सम्बन्ध में प्रणव मुखर्जी जी ने बयान दिया है कि मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाई जाए। मैं समझता हूं कि किसानों की जो समस्याएं हैं, जो लाभ हैं, उनके प्रति हम चिंतित हैं और इस पर कोई विचार करके डंकल प्रस्ताव में जो किसान विरोधी अंश हैं उन पर मुख्य मंत्री सम्मेलन में अवश्य कोई निर्णय ले लिया जाएगा।

श्री प्रमोद तिवारी–

एक बात यह है कि जिन लोगों ने सदन का इस पर बहिष्कार किया है, ये वह लोग हैं, वह दल है जो विदेशों के इशारे पर विदेशी पैसा लेकर देश को सम्प्रदायिकता की आग में झोंकने वाले हैं और देश की अखंडता को तोड़ने वाला यह दल है। यह जो बर्हिगमन करके गए हैं, यह वही लोग हैं जिन्होंने संविधान और न्यायालय तक को कभी नहीं माना है। 6 दिसम्बर को इन्होंने न्यायालय की और संविधान की घोर अवहेलना की। यह इनका प्रयास था कि संविधान को तोड़कर ऐसी परम्परा खड़ी करते जिससे प्रदेश और केन्द्र में जो सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बना हुआ है, उसमें दरार पड़ती और यह सरकार छिन्न भिन्न होती। मैं इसके लिए मान्यवर, आपको बधाई देना चाहता हूं कि उनकी इस साजिश को आपने रोका और मैं आपके माध्यम से पूरे सत्ता पक्ष को बधाई देता हूं।

राज्य विधान सभा उत्तर प्रदेश के सदस्यों द्वारा अपनी चल एवं अचल सम्पत्ति का ब्योरा प्रस्तुत किये जाने विषयक संकल्प

श्री हृदय नारायण–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि राज्य विधान सभा, उत्तर प्रदेश के सदस्यों द्वारा अपनी चल एवं अचल सम्पत्ति का ब्यौरा सदस्य चुने जाने के । माह के भीतर विधान सभा सचिवालय में प्रस्तुत न किये जाने पर उन्हें विधान सभा की सदस्यता से निरर्ह घोषित करने के लिए भारत के संविधान में यथावश्यक संशोधन करें ।

श्रीमन्, बहुत महत्वपूर्ण संकल्प पर आपने विचार व्यक्त करने की अनुज्ञा जब दी थी, उस समय मुझे उम्मीद थी कि इस सदन के आदरणीय नेता प्रतिपक्ष और उत्तर प्रदेश विधान सभा के दूसरे विपक्षी दल हमारे संकल्प पर सोचेंगे और अपने विचार व्यक्त करेंगे । मगर प्रदेश के सबसे बड़े विपक्षी दल के लोग चले गए हैं । श्रीमन्, यह विषय जो मैं आपकी अनुज्ञा से उठा रहा हूं यह विषय किसी भी प्रकार से दलगत भावना से जुड़ा हुआ नहीं है । हम विधायकगण अपने-अपने क्षेत्रों से निर्वाचित होकर जब इस आदरणीय सदन में आते हैं तो समूचे उत्तर प्रदेश की निगाहें हमारे क्रिया कलापों पर होती हैं । जनता हमसे उम्मीद करती है कि हम न केवल उसके दुःख और दर्द को, उसके कष्ट को देखें । उसके दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं को यहां उठायें बल्कि उसके नेता के रूप में अपनी बात यहां रखें ।

(भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्य बर्हिगमन के पश्चात् "किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी," "डंकल समर्थक यह सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी" के नारे लगाते हुए लाबी से निकल कर सदन के अन्दर से होते हुए बाहर चले गये)

श्रीमन्, हम लोगों से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता यह उम्मीद करती है कि हम अपने जीवन में आदर्श प्रस्तुत करें और जो इस देश के संविधान बनाने वाले लोगों की मंशा थी, इच्छा थी, आकांक्षाएं थीं उनको श्रीमन्, हम पूरा करें । मान्यवर, आज कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं लगभग दो दशक से कि हम लोग जो यहां चुनकर आते हैं, उनके सम्बन्ध में आम जनता की धारणा यह बन गई है कि एक प्रकार से व्यंग बोलते हैं । इस आदरणीय सदन के चुने हुए सदस्य गण हों या हमारे दूसरे सदन के लोग किसी न किसी तरह से कहीं न कहीं से सम्पत्ति अर्जित करते हैं । हम सारे लोग अपने निजी जीवन में भ्रष्ट हैं और हमारे निजी जीवन स्वच्छ और पवित्र नहीं हैं । स्वच्छ जीवन की पवित्रता को अक्षुण बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि हम सारे लोग जो यहां चुनकर आते हैं जिस तारीख में आते हैं उस समय हमारे पास जो चल-अचल सम्पत्ति है, हमारा जो कारोबार है, हमारे पास कितनी गाड़ियां हैं, हमारे पास कितना रुपया है वह सब विधान सभा सचिवालय को लिखकर दे दें और उसका किसी तरह किसी से प्रकाशन हो सके और क्षेत्र जनता से आपत्तियां आ सकें तो अच्छा है ताकि हमारे उपर जो आरोप लगाये जाते हैं उनकी जांच हो सके । हम इस आदरणीय सदन में उत्तर प्रदेश की कोटि-कोटि जनता के लिये विधि और व्यवस्था बनाने के लिये यहां बैठते हैं अपने सम्बन्ध में भी अनुशासन विषयक कुछ नियमावली बनाने की सोचते हैं, ऐसा सन्देश उत्तर प्रदेश की आदरणीय जनता के पास जायेगा तो अच्छा होगा । मैं आपके अपने साथ हुई घटना सुनाकर आपको यह बताना चाहता हूं कि हम विधायकों के प्रति जनता के मन में क्या छवि बनी है ? एक दिन की बात है मैं अपनी जीप से उन्नाव की तरफ जा रहा था । मेरी जीप रास्ते में बिगड़ गई वहां पर मेरे मित्र कुछ मिले वह मुझसे कहने लगे कि आप तो चौथी बार विधायक हैं और खटारा जीप रखते हैं । मान्यवर, ऐसा सोचना है लोगों का कि चौथी बार के विधायक के पास एयर कंडीशन्ड कार होनी चाहिए । पहली बार के विधायक के पास जीप, दूसरी बार

एक और मारूति और तीसरी चौथी बार के विधायक के पास बहुत बड़ा महल होना चाहिए और जो भूतपूर्व मंत्री रह चुके हों उनके पास तो बड़ी सम्पत्ति होनी चाहिए।

मान्यवर, आज आम जनता के मन में जो ऐसी धारणा बैठी है, उसको किस तरह से तोड़ा जाय ? अपने जीवन को स्वच्छ और पवित्र कैसे रखा जाय कैसे हम उनकी धारणा को मोड़ सकें कि हम भी महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया और जय प्रकाश नारायण जो इस देश को बनाने वाले थे, देश और समाज की सेवा में जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया हम भी उन्हीं के पद चिन्हों के पथिक हैं। कैसे सार्वजनिक जीवन में काम कर सकें कि हम पर भ्रष्ट आचरण के आरोप न लगे। यह आवश्यक नहीं कि इस पर कोई विधि ही बने, यह भी आवश्यक नहीं कि जिस प्रकार से मैं प्रस्ताव कर रहा हूं उसी के अनुरूप कोई संविधान में संशोधन ही केन्द्र सरकार कर देगी। लेकिन हमें बेचैनी होती है जब कोई मित्र या समाज के लोग यह टिप्पणी करते हैं कि एक साल की छोटी सी अवधि में इतनी सम्पत्ति कैसे अर्जित कर ली जाती है ? श्रीमन् मुझे भी कभी कभी आश्चर्य होता है कि विधायक होकर लखनऊ, कानपुर में सम्पत्ति अर्जित कर लेते हैं उनके पास निजी व्यवसाय, मिल या कोई बड़ा कारखाना भी नहीं चलता वह किस प्रकार से बहुत बड़ी सम्पत्ति के स्वामी बन जाते हैं। हमारे सामने कभी-कभी इस प्रकार का प्रश्न-वाचक निशान लगता है।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में एक अधिनियम है उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायकों की आस्तियों व दायित्वों का प्रकाशन अधिनियम जो इसी सदन में सन् 1975 में बना था। मेरे पास इसकी कापी नहीं है। उसमें यह व्यवस्था है कि कोई सदस्य जब इस आदरणीय सदन के लिये चुना जाता है तो एक निर्धारित अवधि के भीतर उसको अपनी चल और अचल सम्पत्ति, आस्तियों और दायित्वों का ब्यौरा विधान सभा में पेश करना होता है। जो सदस्य ब्योरा पेश करते हैं और जो सदस्य ब्योरा नहीं पेश करते हैं उनके विवरण को [illegible] राजकीय गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है। मान्यवर, इस अधिनियम में दंड की व्यवस्था नहीं है। जिन सदस्यों ने अपने विवरण को नहीं दिया है उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। श्रीमन्, इस आदरणीय सदन में तमाम दलों के लोग बैठे हैं जिसे जिम्मेदार विपक्ष कहना चाहिये वह लोग अपनी गैर जिम्मेदारी का प्रदर्शन करके यहां से अनुपस्थित हो गये हैं। मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं कि जो पहले से कानून मौजूद है उसमें भी त्रुटि है। अगर उसमें कोई दंड की व्यवस्था होती तो हम पर अंकुश लगता। श्रीमन्, मैं यह नहीं कहता हूं कि मैंने ब्यौरा समय पर दे दिया है। लेकिन विधि में कोई इस प्रकार की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये जिससे कोई अंकुश हो। हम इस देश की विधि से ऊपर नहीं हैं। हम यहां कानून बनाने आते हैं, हमारे मत से सरकार बनती है और गिरती है और इसीलिये हमको विशेषाधिकार भी दिया गया है लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि हम बाहरी संपत्ति अर्जित करें, साल दो साल में बड़े आदमी बन जायं और कोई पत्र प्रतिनिधि टिप्पणी कर दे तो हम विशेषाधिकार का नोटिस दे दें और हम परे रहकर जो अन्य सेवाओं के लोग हैं, जिलाधिकारी हैं, पुलिस कप्तान हैं, इंजीनियर्स हैं उनको भ्रष्ट कहकर अपने को पवित्र आचरण वाला सिद्ध करें, यह उचित नहीं।

सार्वजनिक जीवन में शुचिता, पवित्रता लाने के लिये श्रीमन् मैंने यह संकल्प पेश किया है और चूंकि इस सम्बन्ध में इस आदरणीय सदन को विधि बनाने का अधिकार नहीं है, अगर आदरणीय सदन में ऐसा अधिकार अंतर्निहित होता तो मैं यहां गैर सरकारी विधेयक लाता और उस पर चर्चा होती। लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं है इसलिये मैंने अपने संकल्प में यह बिन्दु रखा है कि यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करे कि भारत के संविधान में यथा आवश्यक, यथाविधि संशोधन किया जाय और जो

माननीय सदस्य इस प्रकार का विवरण न दें उन्हें अयोग्य घोषित किया जाय । अभी तो मैंने विषय रखा है लेकिन जो सदन की मंशा होगी, चर्चा आ जायगी ? लेकिन मेरा मत है कि कोई न कोई ऐसा अंकुश होना चाहिए ऐसा न समझा जाय कि हम कमाने खाने वाले लोग हैं । यहां पर जो लोग उपस्थित हैं और जो लोग अनुपस्थित हैं मैं सबके श्रीचरणों में श्रद्धान्वित होकर निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी भावनाओं को समझने की कृपा करें ।

आदरणीय सदस्यगण, मैं किसी पर कोई टीका-टिप्पणी नहीं कर रहा हूं । लेकिन सम्पत्ति का अर्जन जैसा विषय ऐसा है जैसे हम कहीं सड़क पर जा रहे हों, तो आम जनता की निगाह हम पर रहती है कि यह तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है । श्रीमन् यह ऐसी स्थिति है जो बड़ी हास्यास्पद है, क्योंकि जो लोग हमको चुनते हैं, वे सब जानते हैं और समझदार हैं, वे भले ही किसी दबाव में न कहें, लेकिन जानते हैं कि ये पैसे वाले हो गये हैं । तमाम तरह की भाव वाचक बातें हैं और तथ्य परक बातें हैं । श्रीमन् इस संबंध में अगर और भी अधिक नैतिक बातें नहीं होंगी, अन्यथा मतदाता यह कहेगा कि अगर वह सम्पत्ति का अर्जन नहीं पाये हैं, तो वह मूर्ख हैं । आपसे भी कभी-कभी कुछ लोग कहते होंगे कि आप मंत्री रहे, मगर हम आप चिरकुट हैं । मैं समझता हूं कि यहां पर बहुत ऐसे लोग उपस्थित हैं, जो हमारी भावना को समझ गये होंगे । जब तक हम अपने ऊपर कोई अंकुश नहीं लगायेंगे, तब तक उत्तर प्रदेश के अन्दर बगैर गनर के हम कहीं पर नहीं जा पायेंगे, क्योंकि पहले के लोग अपने ऊपर बड़ा अंकुश लगाते थे । श्री जय प्रकाश जी का जीवन आप देख लीजिए । आप भी बड़े-बड़े लोगों के सम्पर्क में रहे हैं ।

माननीय जय प्रकाश जी के जीवन में एक सादगी और शालीनता रहती थी और अब हम लोग जब कहीं जाते हैं, तो ट्रकों से आदमी मंगाने पड़ते हैं, क्योंकि लोग हमको सुनना पसन्द नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी बातों में बड़े अलंकार हैं और अलंकारिक भाषा है और तमाम तरह के शब्द विन्यास बनकर बातें आती हैं, जिससे कोई फायदा होने वाला नहीं है । हमारा आचरण उपनिषद के ऋषियों जैसा होना चाहिये कि बगैर बोले बता दें श्रीमान बीमारी की तरह ईमानदारी भी संक्रामक होती है हमारी ईमानदारी संक्रामक होनी चाहिए और आत्म नियंत्रण, अंकुश और ईमानदारी के लिए यदि हम कोई इस प्रकार का संकल्प लाते हैं, तो इससे बगैर बोले जनता के बीच हमारा आचरण परिलक्षित होगा और साथ ही हमारे सार्वजनिक जीवन में भी एक सुगन्ध निकलेगी और प्रदेश का बहुत बढ़िया वातावरण बनेगा और यह देश के जनमानस के बीच एक नया उदाहरण प्रस्तुत होगा कि देश की सभी विधान सभाओं में उ० प्र० विधान सभा ने सबसे पहली यह मिसाल पेश की है मैं आदरणीय सदस्यों से यह विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि यह मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं अपने को ईमानदार और दूसरे को ईमानदार नहीं समझता हूं । जब आप इस विषय को उचित मानते हैं, आदरणीय मानते हैं, तो मेरी प्रार्थना है कि मेरे संकल्प को पारित करें । धन्यवाद ।

* श्री निरवेन्द्र कुमार ''मुन्ना''–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय श्री हृदय नारायण द्वारा रखे गये संकल्प पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं । अभी हमारे बड़े भाई समान दीक्षित जी ने अपने विचार प्रकट किये हैं, मैं उनके विचारों से अपने को सम्बद्ध

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करता हूं और इसी संबंध में कहना चाहता हूं कि यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि आये दिन इस आदरणीय सदन में यह आवाज उठा करती है कि माननीय सदस्यों का सम्मान घट रहा है, उनकी असुरक्षा हो रही है और अधिकारी उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, उसी के तारतम्य में यहां पर सबसे ज्यादा समस्या खड़ी हो जाती है । जनता यह चाहती है कि उसके द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि जनता के द्वारा यहां पर भेजा गया प्रतिनिधि ईमानदार हो । जनता चाहे जितनी बेईमान हो, लेकिन वह यह चाहती है कि उसके द्वारा चुना गया प्रतिनिधि ईमानदार हो और जब यह समझती है कि उसके द्वारा चुना गया प्रतिनिधि ईमानदार नहीं रह गया है, तो उसका उसके ऊपर से विश्वास उठने लगता है और उसी के परिणाम स्वरूप जन प्रतिनिधि को अंग रक्षक की और गनर की आवश्यकता महसूस होने लगती है ।

आज माननीय दीक्षित जी ने एक संकल्प के जरिये इस संबंध में एक सुधार लाने का प्रयास किया है । जब जन प्रतिनिधि मर्यादित होगा और ईमानदार होगा, तो जनता में उसके प्रति विश्वास बनेगा और जनता उसका सम्मान करेगी और जनता में उसके कार्यों का मूल्यांकन किया जायेगा । अगर कोई जन प्रतिनिधि धन को आधार मानता है और धन जोड़ने का प्रयास करता है, तो लोगों के मन में एक सन्देह की भावना पैदा होगी और जनता में उसके प्रति विश्वास उठ जायेगा और उसकी जनता में साख घटेगी । मैं यह कहना चाहता हूं कि व्यक्ति की मर्यादा सबसे अधिक है और उसकी साख होनी चाहिए और धन को प्राथमिकता दी जाती है तो व्यक्ति का सम्मान कम हो जाता है और हमारी पार्टी के नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी ने यह चाहा है कि जन प्रतिनिधियों की साख अच्छी हो और वह ईमानदार हों और अगर वह ईमानदारी पर चलते हैं तो उन्हें अपनी सम्पत्ति की घोषणा चुनाव जीतने के तुरन्त बाद कर देनी चाहिए । इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि जो संकल्प माननीय दीक्षित जी लाये हैं, उसको पारित किया जाये ।

श्री छोटे लाल–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया । मान्यवर, मैं अपने माननीय सदस्य हृदय नारायण दीक्षित के इस वक्तव्य से अपने को सम्बद्ध करते हुए साथ में थोड़ी बात और कहना चाहता हूं । जैसा कि आपने कहा कि जनता अनुकरण करती है, यह सच है । हम जो जनता से अपेक्षा करते हैं वही हमको करना चाहिए जब हम वह करेंगे तभी जनता भी करेगी । जैसा आपने सम्पत्ति के ब्यौरे की बात उठायी । यदि हम अपने सम्पत्ति की सीमा जनता के सामने रखते हैं कि इतनी सम्पत्ति है तो जनता भी उसका अनुकरण करेगी, यह भी बात सही है । दूसरी हमारी योजना परिवार कल्याण की चल रही है । साथ में हमारे सभी माननीय सदस्यों को अपने परिवार की भी सूची विधान सभा में देनी चाहिए । जो हम जनता से अपेक्षा करते हैं और जिस तरह से हमारा परिवार आगे बढ़ता है और हम अपने परिवार को सीमित करना चाहते हैं तो जनता के सामने यह आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए । जनता के समक्ष यह परिवार का आदर्श प्रस्तुत करेंगे तो जनता अनुकरण करेगी जब शासन ऐसा करेगा तो प्रशासन इसका अनुकरण करेगा और शासन और प्रशासन दोनों का अनुकरण करेगी । हम माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे कि यदि सम्पत्ति का ब्यौरा हो तो उसके साथ में परिवार का भी ब्यौरा विधान सभा के समक्ष होना चाहिए और लिखित देना चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

* श्री विश्राम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने वरिष्ठ साथी नेता दीक्षित जी के प्रस्ताव का पूरा समर्थन करता हूं। साथ ही भाई छोटे लाल जी ने अपने विचार रखे मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं। मैं यह कहता हूं कि जहां तक विधायकों के सम्मान की बात है यह तो हमारा अपना व्यवहार, तौर तरीके से हमको मिलता है। यह तो हरेक के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आजकल की जो परिस्थितियां हैं जो अपने प्रदेश में वातावरण फैला है, सारे समाज में उससे भी विधायक अपने को अलग नहीं रख पाता है। कहीं-कहीं ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जहां पर विधायक को अपने साथ में, अपनी सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए कुछ ऐसे कार्य भी करने पड़ते हैं जिससे समाज में वह सम्मानपूर्वक रह सके। जहां तक सम्पत्ति के ब्यौरे का सवाल है। पूरे एक व्यक्ति की अपनी क्या सम्पत्ति है, उसके अपने क्या साधन हैं और उसके साथ ही साथ यह भी देखना पड़ता है उसके अपने खर्चे क्या हैं, किसको कितनी आवश्यकता है, कितनी जरूरत है, उस सबके हिसाब से उसकी सम्पत्ति का निर्धारण होना चाहिए उसमें कोई सीमा रेखा बांधना सम्भव नहीं होगा। लेकिन जो एक निबम है 3 माह वाला तो यह कानून निरस्त होना चाहिए। 3 माह के अन्दर हम न दे पाये तो इसमें संशोधन होना चाहिए ताकि हमारे साथी जो किन्हीं परिस्थितियों वश या व्यस्त रहने के कारण ब्यौरा नहीं दे सके हैं इसके कारण सदन से वंचित कर दिया जाय। इसलिए मैं यह संशोधन चाहूंगा। इन्हीं संशोधनों के साथ माननीय दीक्षित जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी द्वारा जो संकल्प रखा गया है उस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, आज सचमुच जन प्रतिनिधियों की जो स्थिति समाज में हुई है वह बड़ी ही घृणित स्थिति बनी है और इसको अनायास नहीं, एक लम्बे समय से जन प्रतिनिधियों के प्रति, नेताओं के प्रति जो सम्मान कभी था वह सम्मान किन्हीं न किन्हीं कारणों से कम हुआ है। क्योंकि लोगों के पास अकूत सम्पत्ति आ गयी है या कहीं से अर्जित किया या किसी दूसरे तरीके से उसे इकट्ठा किया जिसके तहत ही यह समाज में चेहरा उभरा है। यह बहुत ही घृणित चेहरा समाज के सामने दृष्टिगोचर होता है। इस स्थिति में अपने आप नहीं, एक योजनाबद्ध तरीके से इस बात को, क्योंकि चन्द थोड़े से लोग जो हैं ज्यादा लोगों के ऊपर हकूमत करते हैं। हमेशा उनकी कुर्सी डगमगाती नजर आती है, बहुसंख्यक लोगों में से कोई चरित्रवान व्यक्ति का नेतृत्व उभरने न पाये, अगर वह नेतृत्व उभर गया, तो सारी जनता उसके पीछे खड़ी हो जायेगी और वे मुट्ठी भर लोग हुकूमत नहीं कर पायेंगे। इस पूरे समाज में नेताओं के प्रति यह भ्रम फैलाया गया है कि नेता करेप्ट होता है, नेता अपनी सम्पत्ति अर्जित करता है, पूरे समाज में जो उभरकर आया है चेहरा उसके प्रति निन्दनीय स्तर का दृष्टिकोण बना है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें और लोगों को भी बोलना है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बी० आर० वर्मा–

वह ऐसा दृष्टिकोण है जो अल्पमत वाले ज्यादातर हुकूमत करते हैं, एक योजनाबद्ध तरीके से वह दृष्टिकोण बनाया गया है, बहुसंख्यक समाज में कोई सच्चा नेता उभरा तो उस नेता के प्रति जनता के प्रति आस्था न पैदा हो सके और वह जनता में खड़ा न हो सके। लेकिन आज समाज में बहुसंख्यक समाज में चेतना आयी है समाज जाग रहा है और बहुसंख्यक का राज कायम हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, आने वाले दिनों में बहुसंख्यक का राज्य कायम होगा और इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राम दास पाल–

मान्यवर, माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी ने जो यह प्रस्ताव रखा है समर्थन करता है। भारत के वैभव को थोड़े से लोग इसका उपयोग कर रहे हैं और यह बात सही है कि सार्वजनिक जीवन में आज चाहे वह किसी सदन के प्रतिनिधि हों और चाहें किसी सदन के प्रतिनिधि न हों, जो जन सेवा करने वाले लोग हैं, उनकी प्रतिष्ठा उनके पद से निश्चित नहीं की जाती है। हिन्दुस्तान के तमाम दिलों में इन लोगों की प्रतिष्ठा व मान्यता आज लोगों के दिलों में नहीं रह गयी उसका कारण है जिस तरीके से सम्पदा का अर्जन कुछ लोग करते हैं और उसका भुगतान अधिकांश लोगों को करना पड़ता है। इसलिए मा० दीक्षित जी ने जो यह प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं चाहता हूं कि इसमें गांधी, सरदार पटेल, डा० लोहिया और चौधरी चरण सिंह और डा० अम्बेडकर का आदर्श निश्चित रूप से कहीं न कहीं से छुपा हुआ है। सदन के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि बिना किसी बहस के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

* श्री रामतेज–

मान्यवर, माननीय दीक्षित जी का जो प्रस्ताव आया है विधायक के आचरण का और जो जिम्मेदारी है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि वह अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हैं। कभी-कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती है उनके आधार पर निर्णय लेना पड़ता है। उसके सामने प्रदेश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिनको उसे निभाना होता है मगर उसमें अड़चनें भी आती हैं। विधायक लोग कभी अधिकारी के पास जाते हैं तो अधिकारी उसकी बात सुनते नहीं हैं। माननीय दीक्षित जी ने कहा कि उनका आचरण व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे महसूस न हो कि वह अपमानित कर रहा है। लेकिन जिम्मेदारियां केवल विधायकों के ऊपर ही नहीं होती हैं केवल यह उनका ही कर्तव्य नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं, अधिकारी हैं जिनके बड़े-बड़े मकान बने हुए हैं उनके दिमाग में यह बात नहीं आती है। मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूंगा कि जो कमियां हैं वह सबकी तरफ से है। समाज में और वातावरण में कुछ ऐसी बाते हैं जिससे कमियां महसूस की जाती हैं। विधायकों के सामने भी परेशानियां आती हैं। जीप के लिए लोन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

मिलता है उसमें बढ़ोत्तरी होनी चाहिए लेकिन नहीं होती । एक लाख रुपया लोन मिलता है वह काफी नहीं है उसमें जीप नहीं मिलती है । मेम्बर आफ पार्लियामेंट को जब वह अपने क्षेत्र में जाता है तो उसे जीप दी जाती है मगर हम लोगों को नहीं दी जाती है । विधायक के पास एक स्कूटर होता है वह भी टूटा होता है तो हमें भी जीप दिलवायी जाये । सरकार की तरफ से पूरा पैसा लोन का दिया जाना चाहिए और जो लोन दिया जा रहा है उसका इन्टरेस्ट भी कम किया जाना चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, जो संकल्प मा० हृदय नारायण जी ने रखा है वह जनतंत्रीय प्रणाली में एक बहुत अच्छा संकल्प है । इसका सबूत इस बात से लगता है कि जो लोग इसका विरोध करते हैं और जिनके पास अपार सम्पत्ति है, और जो इसका ब्योरा नहीं देना चाहते हैं, वह आज हमारे सामने से भाजपा के लोग कुर्सी छोड़कर चले गये हैं । मान्यवर, यह केवल सदन के सदस्यों का मामला नहीं है आज इन्द्रानगर ये पूरी लंकापुरी बनती जा रही है । अधिकारियों के पास पचास-पचास लाख से लेकर एक करोड़ की कोठियां हैं । मान्यवर, पूरे हिन्दुस्तान और खासकर उत्तर प्रदेश के लोग चाहते है कि हमारे जनप्रतिनिधि जो डा० राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेन्द्र देव, डा० भीम राव अम्बेदकर की तरह हमारे राजनेता रहें और स्वच्छ जीवन जिये । मान्यवर, जैसा कि अभी मा० हृदय नारायण जी ने कहा लोक सभा सदस्य मेम्बर आफ पार्लियामेंट को सारी सुविधायें दी जा रही हैं, उन्हें जीप खरीदने के लिए पूरा पैसा दिया जाता है । उसी तरह से विधायकों को भी जीप खरीदने के लिए पूरा पैसा दिया जाय । मान्यवर, अगर आप चाहते हैं कि विधायक मर्यादित रहें तो उन्हें सारी सुविधायें दी जानी चाहियें । जब चोर को भोजन नहीं मिलेगा तो वह चोरी करेगा ही ।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहूंगा जो ब्लैक मार्केटियर हैं और पूरे प्रदेश की दौलत को हड़प कर रखा हैं आज वही सदन से बाहर चले गये हैं, उनकी सम्पत्ति की जांच की जाय, इन लोगों ने जनता का शोषण कर अरबों की सम्पदा हड़प लिया है । इस संकल्प के माध्यम से यही मेरी मांग है ।

(सत्ता पक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा इसी विषय पर बुलवाये जाने का अनुरोध करने पर)

श्री अधिष्ठाता–

अभी कई संकल्प शेष हैं, उसमें बोल लीजियेगा । संसदीय कार्य मंत्री का उत्तर आ जाने दीजिये ।

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, हमारे साथी श्री हृदय नारायन दीक्षित जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, इससे उन्होंने कम से कम अपने दल की भावना को उजागर कर ही दिया है । जैसा कि उनका स्वच्छ राजनीतिक जीवन है, वह भी इसमें झलकता है । श्रीमन् उत्तर प्रदेश मंत्री, विधायकों की आस्तियों एवं दायित्वों का प्रकाशन अधिनियम, 1975 पहले से ही उपबंधित है और श्रीमन् प्राविधान भी है कि 3 महीने के अन्दर सभी माननीय सदस्यों को अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा विधान सभा सचिवालय में दाखिल कर देना चाहिये । अब श्रीमन् माननीय दीक्षित जी ने इस संकल्प के माध्यम से यह चाहा है कि यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करे कि संविधान में ऐसा उपबंध कर दिया जाय कि जो सदस्य 3 महीने में ब्यौरा दाखिल न करे, उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाय । हम समझते हैं और कदाचित दीक्षित जी भी सहमत होंगे कि यह बहुत कड़ा प्रतिबंध होगा । जनता के द्वारा चुने हुये लोगों के लिये इतना कड़ा दण्ड बनाना उचित नहीं होगा । इससे उनकी भावना तो पूरी तरह स्पष्ट हो ही गयी । अगर श्रीमन् संविधान में यह उपबंध हो भी जाय तो कई कारण हो सकते हैं, कोई सदस्य बीमार हो, या किन्हीं कारण जैसे नये सदस्य आते हैं, जानकारी नहीं होती, तो वह दाखिल न कर पावें और उनकी सदस्यता समाप्त हो जावे, इसीलिये हम

समझते हैं, और दीक्षित जी भी सहमत होंगे कि हम लोगों को 3 महीने के अन्दर ब्यौरा दे देना चाहिये, इससे हम लोगों की और दल की भावना तो उजागर हो ही गयी । हम सभी लोगों को प्रयास भी करना चाहिये कि 3 महीने में ब्यौरा दे दें, लेकिन कदाचित इतना सख्त प्राविधान सिर्फ उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्यों के लिये केन्द्र सरकार से सिफारिश करना, वर्तमान परिस्थितियों में उचित नहीं होगा । माननीय दीक्षित जी की इस विषय पर भावना आ गयी है, इस बहस भी हो गयी है, काफी लोगों के विचार आ गये हैं, इसलिये मैं माननीय दीक्षित जी से चाहूंगा कि वह इस संकल्प को वापस ले लें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय दीक्षित जी, आप अपना संकल्प प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री हृदय नारायण–

मैंने जिस समय आपकी अनुज्ञा से अपने विचार रखे थे, उस समय भी निवेदन किया था कि मैं जो संकल्प रख रहा हूं, उसमें संविधान में संशोधन किया जाय, मैं इस बात का पक्षधर हूं । आत्म अनुशासन और विधि बनाने वाले जो लोग यहां आते हैं, उनके ऊपर भी अंकुश रहे, इसी इच्छा का यह संकल्प है, इसी लिये मैंने यह संकल्प आपकी अनुज्ञा से पेश किया था मेरे संकल्प पर जो माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने अभी अपने विचार व्यक्त किये हैं मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं और स्वयं को सम्बद्ध

[समय 4 बजकर 20 मिनट]

करता हूं । जो उपलब्ध कानून है उसका उल्लेख मैंने इसमें किया है तथा उत्तर प्रदेश मंत्री, विधायक दायित्वों और आस्तियों का कानून है, इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई कड़ाई हो, वैसे तो मैं अपना संकल्प वापस ले रहा हूं इस निवेदन के साथ कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी इस पर विचार कर लें कि इस अधिनियम में इस प्रकार का संशोधन आगे किसी समय में अगर वह ले आयें कि जो माननीय सदस्य 3 माह के भीतर अपना विवरण नहीं देंगे उनके नाम इस आदरणीय सदन में पढ़े जायेंगे । यह अधिकार तो आपका भी है और अध्यक्ष पीठ का भी है, वह चाहें तो हमारे विधान सभा की जो समिति है उसके अधीन या किसी और माध्यम से इस भावना पर आगे कभी विचार करने का कष्ट करें । इन शब्दों के साथ इस आदरणीय सदन में उपस्थित सभी आदरणीय सदस्यों का आभारी हूं कि जो विचार मैंने आपकी अनुज्ञा से रखे, उनका उन्होंने समर्थन किया और सभी ने यह इच्छा व्यक्त की, कि राजनैतिक जीवन में स्वच्छता होनी चाहिए । मैं संसदीय कार्यमंत्री जी का आभारी हूं कि जो मैंने प्रार्थना की है उस पर वह विचार करेंगे । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय दीक्षित जी ने अपना संकल्प वापस ले लिया है मैं प्रस्तुत कर रहा हूं ? तो प्रश्न यह है कि श्री हृदय नारायण के संकल्प को वापस लेने की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में पत्थर तथा दरी उद्योग में संलग्न श्रमिकों के घातक रोगों के उपचार की व्यवस्था के सम्बन्ध में संकल्प

श्री अधिष्ठाता–

लगता है कि आपके संकल्प पर आपके दल के लोग सहमत नहीं हैं, इसलिये सब अनुपस्थित हैं ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, हमारे दल के सदस्यों के उपस्थित होने पर जब उनके विचार आयेंगे तब पता चल पायेगा कि वह सहमत हैं या असहमत । मैं अपना संकल्प सदन के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं –"इस सदन का निश्चित मत है कि जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में पत्थर तथा दरी उद्योग में संलग्न श्रमिकों को होने वाले, सांस, तपेदिक जैसे घातक रोगों के उपचार हेतु प्रभावी व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाय ।" यह बहुत महत्वपूर्ण और लोक महत्व का विषय है । मान्यवर, जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी के क्षेत्र में पत्थर उद्योग में लगभग 20 हजार श्रमिक लगे हुये हैं और मान्यवर, दरी

उद्योग में 15 हजार श्रमिक लगे हुये हैं लेकिन इन श्रमिकों के अतिरिक्त राजस्थान से जो गांव हमारे उत्तर प्रदेश से लगे हुये हैं, बहुत से श्रमिक वहां से भी आ करके इस उद्योग में लगते हैं और वह पत्थर और दरी का काम करते हैं। मान्यवर, पत्थर का जहां पर खनन होता है वह कुछपुरा, लाल दरवाजा, सांथा, बहरावती, मड़कौल, चुरियाली नगला बहरावती, मंडी सिराज खां, खेड़ा जार, सिरौली, जौताना, मंडी मुड़ में मान्यवर दरी का उद्योग फतेहपुर सीकरी और उसके आसपास के गांव में होता है। मान्यवर, यह पत्थर में जुड़े श्रमिक धरती और आकाश के बीच में कड़ी गरमी, सर्दी और बरसात में काम करते हैं। उनके लिये शताब्दियों से कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। वह इस कड़कड़ाती गरमी, चिलचिलाती धूप और बरसात से प्रभावित होते हैं लेकिन इन मौसमों का असर पत्थर उद्योग के साथ नहीं पड़ता वह दुपहरी और चिलचिलाती धूप में, जाड़े में और वर्षा की घनघोर प्रहार में भी यह लोग इस उद्योग में लगे रहते हैं।

मान्यवर, इस उद्योग में लगने पर जो पत्थर से रज निकलती है, जो पत्थर के किरचे होते हैं, उनके कारण श्रमिकों को भयंकर और घातक रोगों से ग्रसित हो जाना पड़ता है। मान्यवर, उनको तपेदिक, दमा और सांस की बीमारियां हो जाती हैं। कभी-कभी पत्थर की किरची उनके कोमल आंख के अवयव में जाकर लगती है, जिससे बहुत से श्रमिक आंख विहीन हो जाते हैं और अंधा रहकर उन्हें अपना शेष जीवन यापन करना पड़ता है साथ ही साथ खानों में बारूद के द्वारा जो पत्थर तोड़े जाते हैं तो बहुत से श्रमिक उन पत्थर की चट्टानों के नीचे दब कर मर जाते हैं। अभी हाल मे ही मेरे ग्राम खेड़ाजाट में पत्थर की एक शिला, जो हजारों-हजार व लाखों टन की थी, उन काम करने वाले श्रमिकों के ऊपर गिर गई, जिससे दर्जनों श्रमिकों की मृत्यु हो गई। अभी तक उन मृतक परिवारजनों को कोई सहायता राशि नहीं दी गई है। महीनों तक उन पत्थर की चट्टानों के नीचे से लाशों को निकालने के लिए मशीनें लगी रही परन्तु आज तक इस समस्या का कोई हल नहीं निकाला गया और न ही इस समस्या का निराकरण किया गया। पत्थर के उद्योग में लगे इन श्रमिकों को जो घातक रोग होते हैं, उससे बहुत ही कम जीवन में ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। बहुत जल्दी-बूढ़े हो जाते हैं। इस पेशा में लगे श्रमिक 40 वर्ष की आयु में बुढ़ापे को प्राप्त हो जाते हैं और जल्दी ही उनकी मृत्यु हो जाती है। जो व्यक्ति इस उद्योग में लगे हैं, वे अपनी जिन्दगी को बहुत जल्दी ही खो देते हैं, परन्तु आज तक उनके लिए कोई आवश्यक व्यवस्था नहीं की गई, जो कि आवश्यक है।

मान्यवर, इसी प्रकार दरी के उद्योग मे जो श्रमिक लगे हैं। मैं फतेहपुर सीकरी के उन मुहल्लों का नाम तो लूंगा ही परन्तु साथ ही एक ऐसे मुहल्ले का नाम लूंगा, जिसमें केवल अनुसूचित जाति के व्यक्ति रहते हैं और वह मुहल्ला है शिवपुरी। यहां पर अनुसूचित जाति के जाटव लोग रहते हैं और वे इस उद्योग में लगे हुए हैं। चाहे वह महिलायें हों या पुरुष हों। दरियों में आजकल पुराने कपड़ो को लेकर उनकी धज्जियों को उड़ाकर और फिर उससे बटकर दरियां बनाई जाती हैं। इनसे जो रज निकलती है, उनसे घातक बीमारी होती है। इस मुहल्ले में बहुत से लोग हैं जिनसे शादी करने के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं। क्योंकि लोगों की यह कल्पना रहती है कि यह व्यक्ति जल्दी ही मर जायेगा, इसलिये क्यों हम अपनी लड़की का ब्याह उससे करके, उसकी जिन्दगी बरबाद कर दें। जिन लोगों के साथ भूले-भटके शादी कर भी दी जाती है तो उनके सन्तान नहीं होती और यदि सन्तान हो भी तो कमजोर होती है। वह अधिक समय तक नहीं जी पाते हैं। उनकी जल्दी ही मृत्यु हो जाती है। इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस आदरणीय सदन से कहना चाहता हूं कि फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में इस प्राणघातक व जान लेवा उद्योग में जो श्रमिक लगे हुए हैं, इनकी संख्या 35 हजार के आसपास है, अपनी बेबसी के कारण लगे हुए हैं।

उनके सामने मजबूरी है, पेट का सवाल है। सवाल इस वजह से है कि फतेहपुर सीकरी के इस क्षेत्र में पचासों गांव ऐसे हैं जिनकी कोई सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, वह सिंचाई के साधनों से विहीन हैं जिसके कारण वहां का किसान खेती बो नही पाता है। खेती अगर बरसात समय पर हो जाने पर बो भी दी जाती है तो फिर खेती को पकने के समय पानी नहीं मिले तो वह सूख कर खतम हो जाती है। उस खेती के लिये जो उसने ऋण लिया है उससे वह और भी ऋणी हो जाता है। उसे अन्न का उत्पादन नहीं मिल पाता है। इस तरह से किसान के सामने यह काम करने की बेबसी है क्योंकि खेती का कार्य वह कर नहीं सकता है दूसरा कोई काम करने के लिये उसके पास कोई साधन नहीं है। बेरोजगारी की दशा में उसे यह काम करना पड़ता है और इस उद्योग को अपनाना पड़ता है और उसमें लगे रहना पड़ता है।

इसके साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि आपका जो श्रम विभाग है वह भी इनके हितों का संरक्षण नहीं करता है। श्रम विभाग के अधिकारी फतेहपुर सीकरी में उद्योगपतियों और पूंजीपतियों से मिल जाते हैं और जो गरीब पत्थर और दरी के उद्योग में लगे हैं उनका साथ वह नहीं देते हैं। श्रमिकों के कल्याण की बात उनकी निगाह में नहीं है। वह मजदूर जो घातक बीमारियों से पीड़ित हैं उनके लिये वहां कोई डाक्टर नहीं भेजे जाते हैं। मैंने पूर्व में भी इस प्रकार का संकल्प इस आशय से सदन में प्रस्तुत किया था कि उनके लिये धूप, गर्मी, बरसात में बैठने के लिये टीन शेड बनाने की व्यवस्था की जाय जिससे उनके स्वास्थ की रक्षा हो सके और वहां इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जाय कि जिलाधिकारी या ऊपर के अधिकारी उनके हितों की रक्षा कर सके लेकिन आज तक किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गयी है और पुराने समय से इस उद्योग में लगे हुये श्रमिक असामयिक मौत से मर जाते हैं। इसके कारण उनका परिवार असहाय हो जाता है और वह हमेशा गरीबी में रहते हैं और सदैव बीमारी से दबे रहते हैं, उनकी दशा दयनीय बनी रहती है। जो काम फतेहपुर सीकरी के श्रमिक कर रहे हैं उनके अलावा कोई लोग इस काम को बरदास्त नहीं कर सकते हैं। उनके सामने मजबूरी है, वह गरीब हैं पेट भरने के लिये रोटी के लिये इस उद्योग में लगे रहते हैं। इस कारण से वह इसके खिलाफ आन्दोलन भी नहीं चला सकते हैं यदि आन्दोलन चलाये होते तो शासन को बाध्य होकर उनके लिये आज तक कोई न कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ती। वह आन्दोलन चलाने के लिये अशक्त हैं क्योंकि पेट के लिये रोटी चाहिये उसके कारण वह इस काम में लगे रहते हैं और आन्दोलन चलाने का उनके पास समय नहीं है। हारा हुआ, कुचला हुआ, थका हुआ मनमार कर यह श्रमिक फतेहपुर सीकरी के इस क्षेत्र में लगा हुआ है। वहां खेती के लिये कोई साधन नहीं है न कोई बांध है, न बन्धा है न नहरें हैं और न राजकीय नलकूप हैं जिनसे खेती के लिये पानी मिल सके। 22 राजकीय नलकूप हमारे प्रयास से लगे थे लेकिन खारे पानी के कारण उनको खारिज करने की सिफारिश कर दी गयी है।

मैं इस संकल्प के द्वारा चाहता हूं कि यहां जो राजकीय नलकूप लगे हैं उनको खारिज न किया जाय उनकी कार्य अवधि 17 वर्ष से घटाकर 10 वर्ष कर दी जाय क्योंकि 10 वर्ष तक वह सिंचाई के लिये काम दे सकते हैं। वहां पर बरसात में जल संचय के लिये उठंगन नदी पर बांध बनाया जाय ताकि बरसात के पानी को इकट्ठा करके सिंचाई हो सके और वहां जल स्तर उससे ऊपर होगा। इससे सिरौली, नगला सराय, नगला बलेह, भौपुर, तेहरा रावत, जौताना मदनपुरा बदरौली आदि गांवों तक पलेवा चैनल निकाल कर कृषि सिंचाई हेतु व्यवस्था की जा सकती है।

इस प्रकार से वहां सिंचाई की व्यवस्था की जाए जिससे पत्थर उद्योग में लगे व्यक्ति अपनी खेती को संभाल सकें। मान्यवर, इस संकल्प द्वारा मैं यह भी मांग करता हूं कि उनके लिये डाक्टरों की व्यवस्था

की जाए जिससे उनका स्वास्थ्य का परीक्षण कराया जा सके । इसके साथ ही वहां औषधियों की भी सरकार व्यवस्था करे । इसके साथ ही साथ उनके लिये गर्मी, वर्षा और जाड़े से बचने के लिये टिन शेडों की भी व्यवस्था होनी चाहिए ।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं अपने संकल्प को प्रस्तुत करता हूं और उत्तर में जब मुझे बोलने का अवसर देंगे मैं अपने शेष विचारों को सदन में रखूंगा ।

* श्री भगवत पाल–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया । मान्यवर, पूरे प्रदेश के मजदूरों और बुनकरों का जहां तक सवाल है तो मैं भी ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां दरी, कालीन बुनने के मजदूर रहते हैं । मैं बताना चाहता हूं कि गांव में बुनकरों की स्थिति बहुत खराब है और 25 साल के होते होते उन्हें दिखाई नहीं देता है चूंकि उनकी आंखें खराब जाती हैं और वे अंधे हो जाते हैं । उन्हें 35-40 की उम्र में ही लाठी का सहारा लेकर चलना पड़ता है चूंकि उनके उपचार की वहां कोई व्यवस्था नहीं है ।

मान्यवर, पाषाण उद्योग में जो मजदूर लगे हैं उन्हे पत्थर तोड़ने के कारण उसका बुरादा उनकी आंखों में, कान में और पेट में जाता रहता है जिससे 90 प्रतिशत वहां के लोग ऐसे हैं जो थोड़ी आयु में ही मरीज हो जाते हैं और उपचार की व्यवस्था सरकार के माध्यम से न होने के कारण वे अपना इलाज नहीं करा पाते हैं । इसलिये कुटीर उद्योग तथा छोटे-छोटे उद्योग जो गांवों में लगे हैं और उनमें काम करने वाले मजदूरों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है चूंकि उनकी दयनीय स्थिति को देखने वाला कोई नहीं है, इसलिये निवेदन है कि गांवों में फैले उद्योग चाहे वह पत्थर का हो या दरी, कालीन का उद्योग हो उनमें मजदूरों के उपचार की व्यवस्था सरकार के माध्यम से होनी चाहिए । मेरी मांग है है कि सरकार इस पर विचार करे । इन शब्दों के साथ मैं श्री बदन सिंह से आग्रह करता हूं कि वह अपने प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री राम दास पाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि इस विषय पर मुझे आपने बोलने का मौका दिया । आज यह संकल्प जो श्री बदन सिंह ने रखा है मैं उनकी पीड़ा को समझता हूं जिसको उन्होंने यहां रखा । मान्यवर, घड़ियाली आंसू इसलिये नहीं कहूंगा चूंकि वह हमारी विचारधारा और हमारे पक्ष के व्यक्ति हैं और वर्षों तक स्वर्गीय चौधरी साहब के उपासक रहे हैं और उनकी नीतियों का पालन करने वाले रहे हैं । डाक्टर राम मनोहर लोहिया की नीतियों का पालन करने वाले रहे हैं, लेकिन आज माननीय बदन सिंह जी गलत लोगों के साथ किन परिस्थितियों में हो गये हैं इसको वही अच्छी तरह समझ सकते हैं । जब मैं पहले यहां आया था और जब मैंने उनको उधर बैठा देखा तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ था, लेकिन आज मुझे शकून मिला कि अब भी उनके दिल में बुनकरों, गरीबों और मजदूरों के प्रति पीड़ा है । यह पीड़ा उन्होंने अधूरी व्यक्त की है । यह विषय पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकरों के लिए होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसे फतेहपुर सीकरी तक ही सीमित कर दिया है । सम्पूर्ण मिल के विनता विभाग से सम्बन्धित लोगों व मजदूरों के सम्बन्ध में यह होना चाहिए था । फिर भी मैं इस पीड़ा का स्वागत करता हूं और पूर्वांचल के जो भी श्रमिक हैं, कम्बल वाले, कालीन या दरी वाले या पत्थर वाले, मैं उनकी भी पीड़ा से इस संकल्प को जोड़ना चाहता हूं । लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके मन में यह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विचार है, आप अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन गलत जाकर बैठ गए हैं, आप अपना सुधार कर लें । आप आज अकेले इस सदन में बैठे हैं और इतने अच्छे आपके प्रस्ताव का समर्थन करने वालों में से आपकी अपनी पार्टी का कोई भी सदस्य नहीं है । नेता सदन हमारे बीच में नहीं हैं, अतः मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से ही कहूंगा कि वह माला पहनाकर माननीय बदन सिंह जी का स्वागत करें और उन्हें अपने पक्ष में आने का मौका दें । यह भी उनसे निवेदन करता हूं कि वह अपने संकल्प को वापस ले लें ।

स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय.....

श्री बदन सिंह–

स्वास्थ्य मंत्री जी को उत्तर देने से पूर्व मैं आपसे व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि यह विषय बहुत ही गम्भीर है, जैसा अभी सत्ता पक्ष के सदस्य बोल रहे थे–उन्होंने कहा कि केवल फतेहपुर सीकरी ही नहीं पूरे प्रदेश के गरीब मजदूरों को इससे जोड़कर इसकी व्यवस्था सोचनी चाहिए, इससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं, इस पर मेरी सहमति है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण विषय होने के कारण और यह असरकारी दिवस है, इसमें प्रतिपक्ष के सदस्यों को अपनी बात व्यक्त करने का मौका मिलता है, किन्तु आज डंकल प्रस्ताव पर प्रतिपक्ष सदन का बहिष्कार करके चला गया है, इसलिए इसको रखते हुए मैं आपसे चाहता हूं कि इसको यहीं रोक कर इस पर चर्चा अगले दिवस के लिए जारी रखी जाय जिससे सम्पूर्ण प्रतिपक्ष के महत्वपूर्ण विचार इसमें आ सकें ।

श्री अधिष्ठाता–

यह कैसे हो सकता है । आपके विचार आ गये हैं आपने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, अब सरकार का भी पक्ष आ जाए, इसलिए मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन किया है, इसको आप सुनें ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मैं आपको पुराने समय से जानता हूं, आप उदार व्यक्ति हैं और आप जिस पीठ पर बैठे हैं उससे पूर्णतया आवश्यक है कि आज प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों के हितों का ध्यान रखते हुए, यह अवसर उनको दे देंगे । मैंने इसको प्रस्तुत कर दिया है, इसको प्रस्तुत मानते हुए, आगे के किसी असरकारी दिवस पर इस पर चर्चा हो, यह चर्चा जारी रखी जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

आपने संकल्प प्रस्तुत कर दिया है अपना, अब उनको जवाब देने दें ...(व्यवधान) 15 दिन का समय रहता है इसके लिए आपने प्रस्तुत कर दिया है....एजेण्डा में यह संकल्प छपा हुआ था, इससे सभी सदस्य अवगत थे । इस पर बोलने के लिए जो सदस्य यहां रहना चाहते रहते । अब कई सदस्यों की राय इस पर आ गयी है अब मैं चाहता हूं कि इस पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को आप सुन लें । सरकार का पक्ष नहीं समझेंगे तब तक इस पर कैसे प्रगति होगी । मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को आमंत्रित करता हूं ।

* श्री बलराम यादव–

श्री बदन सिंह जी ने अपने संकल्प के माध्यम से महत्वपूर्ण समस्या के संबंध में सदन का ध्यान आकृष्ट किया है । दरी उद्योग और पत्थर उद्योग में लगे हुए लोगों की बीमारियों और उनके इलाज से संबंध में कहा है । आप पुराने सदस्य हैं आपने काफी बृहद रूप से अपने क्षेत्र की समस्या को यहां पर उठाया है । इसके साथ ही साथ आपने कुछ और समस्याओं का जैसे सिंचाई की समस्या का भी जिक्र किया है । मुख्य रूप से संकल्प के रूप में जिस समस्या को उठाया है वह है दरी के कार्य में लगे हुए और पत्थर के कार्य में लगे हुए श्रमिकों को जो क्षय रोग होता है वह श्वास से संबंधित होता है । मैं इस संबंध में इनकी जानकारी के लिए इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आगरा में क्षय रोग के उपचार के लिए सभी सुविधायें उपलब्ध हैं जहां पर फतेहपुर सीकरी के श्रमिक भी सेवित होते हैं । आगरा के समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर क्षय रोग के इलाज के लिए सुविधायें, उपचार उपलब्ध हैं । इसके साथ-साथ टी० बी० डिमान्सट्रेशन सेन्टर आगरा में 16 शैय्या का अस्पताल है । इस क्षय रोग के लिए विशेष करके समुचित व्यवस्था है और मेडिकल कालेज आगरा में भी चेस्ट विभाग में 30 शैय्यों का अस्पताल है यहां पर भी चेस्ट रोग से संबंधित सभी विशेष सुविधायें हैं । फतेहपुर-सीकरी से आगरा के लिए आवागमन के साधन भी उपलब्ध हैं । इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि रोगियों को रोगोपचार नहीं मिल पा रहा है ।

मान्यवर, हमारा प्रदेश गरीब है, हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनसे हम रोगियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं । हमारे क्षेत्र में जो यह श्रमिक जो कामों में लगे हैं, बीमार हैं उन्हें किसी तरह की असुविधा नहीं हो रही है । मान्यवर, इनके क्षेत्र का मामला किसी न किसी रूप में रोज उठता ही रहता है । यह अपने दायित्व का अच्छी तरह से निर्वहन कर रहे हैं कभी अपने क्षेत्र में खारे पानी की तो कभी सिंचाई के संबंध में समस्या सदन के सामने रखते ही रहते हैं । जिस तरह से श्रमिकों की समस्याओं को गम्भीरतापूर्वक रखने का इन्होंने प्रयास किया है, हम उनके प्रयास से सहमत होते हुए भी जैसा कि उन्होंने परीक्षण करवाने की बात कही है हमारी सरकार इस बारे में जागरूक है । एक भी व्यक्ति इस क्षेत्र का हो या अन्य क्षेत्र का हो चिकित्सा के अभाव में उसे दुःखी नहीं होने दिया जायेगा । उनका आभारी हूं कि उन्होंने अपने दल के सदन त्यागने के बाद भी अपने संकल्प पर बल देने के लिए उपस्थित हैं । हम इसकी गम्भीरता को देखते हुए इसका समुचित निदान करने की कोशिश करेंगे । जिस भावना से उन्होंने यह संकल्प रखा है, जिस भावना से उन्होंने यह संकल्प प्रस्तुत किया है वह सरकार के संज्ञान में आ गया है और निश्चित रूप से इस संबंध में कार्यवाही की जायगी मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह अपने संकल्प को वापस ले लें ।

श्री अधिष्ठाता–

क्या आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं ?

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, चूंकि दूसरे और कोई बोलने वाले नहीं हैं इसलिये थोड़ा सा समय दे दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

सारी बातें आ गयी हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, केवल एक दो बातें रखना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने जो विचार इस संकल्प पर रखे हैं उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि फतेहपुर सीकरी के लोगों के दुख दर्द से उन्हें हमदर्दी है, सहानुभूति है और उनकी समस्याओं का वह निराकरण करना चाहते हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आगरे से फतेहपुर सीकरी 40 कि०मी० दूर है। वहां पर कोई डाक्टर इस प्रकार का नहीं है जो दमा, टी०बी० या सांस के रोगों का विशेषज्ञ हो और इलाज ठीक से कर सके। इस प्रकार का विशेषज्ञ डाक्टर फतेहपुर सीकरी में भेजने की कृपा करें।

दूसरे यह कि श्रमिकों के लिये खेती की व्यवस्था की जाय। इसके लिये आवश्यक है कि वहां पर पानी की व्यवस्था की जाय। जो राजकीय नलकूप हैं और खारिज किये गये हैं उस आदेश को वापस लेकर पी०वी०सी० पाइप वहां पर डाले जायं और उटंगन नदी पर बांध बनाकर नहर प्रणाली बनायी जाय ताकि सिंचाई की जा सके। इसके अलावा जो फतेहपुर सीकरी के श्रमिक हैं उनका एक सर्वेक्षण करा लिया जाय कि कितने लोग बीमार हैं और रोगों से ग्रसित हैं और सर्वेक्षण के पश्चात् उनके इलाज की व्यवस्था की जाय। इसके ऊपर मंत्री जी दोबारा स्पष्टीकरण दे दें कि वह व्यवस्था करने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, मैंने पहले ही स्पष्ट किया है वहां की क्या समस्यायें हैं माननीय सदस्य अवगत करा देगें हम उसको देख लेंगे।

श्री बदन सिंह–

मैं अपने संकल्प को वापस इसलिये नहीं ले रहा हूं कि माननीय विपक्ष के सदस्य मौजूद नहीं हैं। अगर वह होते, तो मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरीके से अपने विचार रख सकते थे।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि इस सदन का निश्चित मत है कि जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी के क्षेत्र में पत्थर तथा दरी उद्योग में संलग्न श्रमिकों को होने वाले सांस, तपेदिक जैसे घातक रोगों के उपचार हेतु प्रभावी व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकार हुआ।)

(श्री विश्वनाथ का नाम पुकारे जाने पर और उनके अनुपस्थित होने पर।)

श्री अधिष्ठाता–

मैं अगली मद ले रहा हूं।

प्रदेश के गांवों में स्थित अनुसूचित जाति की बस्तियों को मुख्य मार्ग को सड़क से जोड़ने के सम्बन्ध में संकल्प (चर्चा जारी)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश के गांवों में स्थित अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियां को मुख्य मार्ग से सड़क द्वारा जोड़ने हेतु व्यवस्था की जाय।

मान्यवर, आपने इस प्रदेश की जो दलित, गरीब, अव्यवस्थित कही जाने वाली जातियां हैं उनकी समस्याओं के बारे में इस संकल्प के माध्यम से अपनी बात रखने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, इस देश में करीब 25 प्रतिशत यानी पूरी आबादी के 1/4 इंसानों के रहने के लिये, आने जाने के लिये समस्या है। यह इतनी बड़ी समस्या है जिसका निराकरण आवश्यक है। जो इस प्रदेश के मूल निवासी हैं, जो हिन्दू हैं इस स्थिति में कैसे पहुंचे इसकी तरफ मैं सदन का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहूंगा।

आर्यों और अनार्यों के बीच एक लम्बा जो संघर्ष हुआ, जिसे देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है, उसमें जिन लोगों ने इन आर्यों की गुलामी को जल्दी ही स्वीकार कर लिया, उन्हे सछूत शूद्र कहा गया। ये उनके बर्तन को छू सकते हैं, क्योंकि इनको नौकर की आवश्यकता थी। अपने जीवन यापन के लिये ये जैसे पानी भरने के लिये, गेहूं पहुंचाने के लिए, चावल पहुंचाने के लिए, सब्जी पहुंचाने के लिए, दूध पहुंचाने के लिए रखे गये, परन्तु जो स्वाभिमानी लोग थे, जिन लोगों ने इन आर्यों से लम्बे समय तक संघर्ष करते रहे और लम्बे समय के बाद आर्यों की आधीनता, गुलामी स्वीकार की, उन्हें ये काफी खतरनाक आदमी समझे और उनसे ही घर के बाहर का काम हल चलाना, अन्न पैदा करना, दूसरे ऐसे काम करने के लिए रखे। गुलाम बनाया और इनके अन्दर स्वाभिमान पैदा न हो सका, इसका ये बराबर ध्यान रखते रहे और इनके अन्दर जन बल, बुद्धि बल, बाहु बल, धन बल, और मनोबल ये पांचों ताकतों से वंचित करके जिल्लत, जलालत की जिन्दगी जीने के लिए मजबूर कर दिये गये।

मान्यवर, हजारों साल के बाद जिल्लत, जलालत की जिन्दगी जीते रहने के बाद एक परिवर्तन हुआ और महात्मा ज्योति राव फूले ने इस समस्या के कारण को समझकर इसके निवारण करने की शुरुआत की। ये इस तरह की जिन्दगी वे लोग इसलिए जीने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि इनके पास सोचने, समझने की शक्ति, पढ़ने-लिखने से वंचित होने के कारण नहीं है। इस मर्ज को समझ कर उन्होने इनको पढ़ाने-लिखाने की व्यवस्था शुरू की और इस बात को क्षत्रपति साहू जी महाराज ने, डा० अम्बेदकर ने तथा दूसरे सोशल रिवोलूशनरियों ने आगे बढ़ाया और खासतौर से डा० अम्बेदकर की बदौलत जो लोग अपने को पशुओं से बदतर समझते थे, उनके अन्दर कुछ राजनैतिक, सामाजिक चेतना आई और लोग भी आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने के साथ ही साथ डा० अम्बेदकर की चाहत के मुताबिक वे चाहते थे कि ये जो समाज दो लोगों का गुलाम है, एक तो इस देश की ब्रह्मणवादी व्यवस्था का दूसरे अंग्रेजों का, अंग्रेजों के रहते-रहते ही इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था की गुलामी से इन्हें मुक्ति मिल जानी चाहिए, ताकि जब देश आजाद हो, तो ये लोग भी आजाद हो सकें, परन्तु ऐसा नहीं हुआ, अंग्रेज तो चले गये, परन्तु ये लोग इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के गुलाम ही रह गये। इन लोगों के दिलों में एक तमन्ना थी, एक अभिलाषा थी कि देश आजाद होगा और हमारी भी तरक्की होगी, हमारी भी सुख-सुविधा का ध्यान दिया जायगा और हम जो गुलाम हैं, हमको भी इस गुलामी से मुक्ति मिलेगी और एक अच्छी जिन्दगी जीने का मौका मिलेगा। परन्तु बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आजादी के 46 साल बाद, जब मैं यह संकल्प प्रस्तुत कर रहा हूं, आज भी सवर्ण बस्तियों तक जाने के लिए तो रास्ता बना हुआ है, परन्तु उसी सवर्ण बस्तियों के अनुसूचित जाति के लोग जो अक्सर गांव के दक्षिण रहते है, कोई रास्ता नहीं है। ये लोग दक्षिण इसलिए बसाये गये थे कि दक्षिण से कोई कभी हवा नहीं चलती है।

अगर ऐसी हवा का स्पर्श होगा, तो हम भी अछूत हो जायेंगे। मान्यवर, आज भी कोई अनुसूचित जाति का आदमी जब अपनी बेटी के हाथ को पीला करता है, उसकी शादी करता है, तो उसके दिल में भी तमन्ना होती है, खुशी होती है कि उसकी लड़की का होने वाला बर, दूल्हा भी घोड़े पर चढ़कर

आवे, बाजा को बजाते हुए आवे, खुशियां मानाते हुए आवे, परन्तु ऐसा नहीं होने दिया जाता है । इसी की परिणित आगरा में पनवारी की घटना है । यह भी बात मात्र इतनी थी कि सवर्ण लोग नहीं चाहते थे कि अनुसूचित जाति का दूल्हा उनके दरवाजे से घोड़े पर चढ़कर जाय, बाजा बजाता हुआ जाय, खुशियां मनाता हुआ जाय । उनके दिल में खुशी मनाने की चाहत होती है, कि हमारी बहन बेटी की शादी हो रही है, दूल्हा घोड़े पर सवार होकर आवे और गाड़ी से आवे और खुशियों का इजहार करता हुआ आवे । अगर दूसरा रास्ता होता तो ऐसा कर सकता था, लेकिन उनके यहां तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है । उनको दूसरे लोगों के दरवाजे से होकर गुजरना होता है और इसी कारण पनवारी जैसी घटना हुई है । मान्यवर, दूसरी ओर आप देखेंगे कि यह जो अनुसूचित जाति के लोग हैं जो दूसरों के खेतों और खलिहानों में काम करते हैं, अगर हारी बेगारी करने से मना करते हैं, तो सुनने को मिलता है कि जाओगे कहां से, निकलोगे कहां से । मान्यवर, उनके निकलने का रास्ता नहीं है । सरकारी रास्ता नहीं है, अगर सरकारी रास्ता होता तो उनको निकलने के लिए कोई दिक्कत न होती और किसी का डर न होता और उनके निकलने में अवरोध न उत्पन्न कर सकता था ।

मान्यवर, अगर उनके परिवार का कोई व्यक्ति बीमार पड़ा जाता है, तो उसको अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी नहीं पहुंच सकती है और खुशी के अवसर आये तो गाड़ी उनके दरवाजे तक नहीं जा सकती है । उनकी भी तमन्ना होती है कि उनके दरवाजे तक रास्ता हो । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उनके गांव तक रास्ता गया है, लेकिन उनके घर तक पहुंचने का रास्ता नहीं है । उस गांव सभा में जाने के लिए रास्ता है, लेकिन अनुसूचित जातियों के दरवाजे तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है । रास्ता केवल सवर्णों तक के घर तक गया है और 100 मीटर और 200 मीटर या आधा फरलांग तक रास्ता नहीं है, जहां पर अनुसूचित जातियों के मकान हैं । वह अपने घर तक मेड़ के सहारे जाते हैं और जब वह उनके खेतों से जायेगा उनकी मेड़ों से होकर जायेगा, तो निश्चित रूप से उनको सवर्णों पर निर्भर रहना पड़ेगा और यह रास्ता ही उनकी गुलामी का कारण है । उसको उनकी मर्जी से निकलना पड़ेगा और अगर वह उनकी बहन बेटियों के साथ व्यभिचार करता है और बलात्कार करता है तो उसको सहन करना पड़ता है, क्योंकि वह उनका गुलाम है ।

श्री अधिष्ठाता–

वर्मा जी अब आप समाप्त करें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं समाप्त करता हूं लेकिन यह बड़ा महत्वपूर्ण है । इसलिए इस पर अधिक समय की जरूरत है ।

अनुसूचित जाति का आदमी अगर अपनी रोजी रोटी के लिए और अपनी फसल बेचने के लिए जाना चाहेगा तो वह नहीं जा सकेगा । इसलिए मान्यवर, यह जो महत्वपूर्ण विषय है, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और इस सरकार से कहना चाहता हूं कि यह जो बहुत ही मार्मिक स्थिति है, उनके हित के लिए ज्यादा धन नहीं लगेगा और जो इस देश के उपेक्षित हैं, दबे हैं, गिरे हैं और कुचले हुए हैं और उनको समुन्नत बनाना है, तो यह चीजें करनी होगी । उनके घरों तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाना होगा और इसीलिए मैंने यह प्रस्ताव उठाया है । मैं चाहता हूं कि यह लोक प्रिय सरकार है, इस पर जरूर ध्यान देगी और इसको पारित करेगी और ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे अनुसूचित जातियों को लाभ मिलेगा और उनको सम्मान मिलेगा और उनको आज के माहौल में आने का मौका मिलेगा । इन शब्दों

के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आशा करता हूं इस संकल्प को आप सभी लोग पारित करेंगे।

श्री अक्षयवर भारती–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने माननीय वर्मा जी द्वारा रखे गये संकल्प पर बोलने का अवसर प्रदान किया। आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, यह माननीय वर्मा का संकल्प है, वह लोक महत्व का है। यह गरीबों के हित का संकल्प है। मान्यवर, यह बहुत ही मौलिक समस्या है, जिसको आज यहां पर उठाया गया है, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, हम ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहां पर मेन सड़क ही खराब नहीं है। मेन सड़क को तो छोड़ दें वहां पर अन्य सड़क पर एक अम्बेसडर कार भी नहीं जा सकती है। गवर्नमेंट का खर्च तो बहुत होता है, लेकिन उससे लाभ नहीं मिलता है और जो लाभ मिलता है वह सवर्णों को मिलता है। आप वहां पर चल नहीं सकते हैं। मान्यवर, हर आदमी के जीवन में एक ऐसा दिन आता है जो उसके जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है, जब गरीब की बहन या बेटी को शादी के दिन यह अवसर मिलता है कि वह भी गाड़ी पर बैठे, लेकिन वह मजबूर है, उसे पैदल ही चलना पड़ता है क्योंकि वहां तक गाड़ी नहीं जा सकती है, वहां तक रास्ता नहीं है। उस दिन भी वह अवसर खो देती है, वह गाड़ी पर नहीं बैठ पाती है। मैं चाहता हूं कि माननीय वर्मा जी के संकल्प को ध्यान में रखकर अनुसूचित जातियों के गांवों, मुहल्लों और घरों को सड़क से जोड़ दिया जाये, ताकि वहां तक आवागमन सुलभ हो सके और दूसरी बड़ी विषम स्थिति तब आ जाती है, जब उनके घर में कोई बीमार होता है और अगर उसको तत्काल अस्पताल नहीं पहुंचाया जाता है, तो वह वहीं पर मर जाता है, वहीं पर अपनी दम तोड़ देता है। माननीय वर्मा जी ने जो विचार रखे हैं, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। जब सवर्णों और अनुसूचित जाति के लोगों में कोई झगड़ा होता है, तो वह अपने खेतों की मेड़ों से नहीं निकलने देते हैं और लाठी लेकर खड़े हो जाते हैं, तो यह समस्या बहुत जटिल है, उसका निराकरण होना चाहिए और सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वर्मा जी के संकल्प का अध्ययन करके इस समस्या का समाधान किया जाये और गांवों को सड़कों से जोड़ा जाये। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम।

श्री हरेन्द्र सिंह (रामपुर)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण संकल्प पर बोलने का अवसर प्रदान किया। यह जो संकल्प है, बिल्कुल सही है हजारों वर्षों की लड़ाई के बाद यह देश आजाद हुआ है, जिसमें धानुक जाति के लोगों का बड़ा सहयोग रहा है, जिनको चूड़ा कहा जाता है और जिनको भंगी कहा जाता है। आज उनको सजा दी गयी है। जो देश के रक्षक थे, उनको गांव की आबादी के बाहर रखा गया है। वह हजारों सालों से मैला उठाते चले आये हैं और हजारों सालों तक ज्यादतियों को सहन करने के बावजूद भी उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया है। यह देश के असली रक्षक हैं। उन पर बहुत हमले हुए हैं, उनका उत्थान बहुत जरूरी है। गुरू गोविन्द सिंह जी ने कहा था :–

जिनकी वरण जाति, कुल माही,
सिरदारी न भई किरदारी।
तिनहूं को सिरदार बनाऊ,
तबै गोबिन्द सिंह नाम कहाऊं।

तो मान्यवर, इन लोगों को जाने का रास्ता होना चाहिए, इनके लिए बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए । यह सब चीजें इनको मुहैया कराना बहुत जरूरी है । इन्होंने अपने देश की महान सेवा की है । इनको गले लगाना है और सारी सुविधायें पहुंचानी हैं । इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं और मैं यह चाहता हूं कि यह सदन इसको पारित करे ।

श्री अधिष्ठाता–

इस संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी ।

दिनांक 1 मार्च, 1994 को सदन में हुए आरोप प्रत्यारोप के संबंध में श्री अध्यक्ष द्वारा लिए गये निर्णय के संबंध में सूचना

श्री अधिष्ठाता–

मानीय सदन को एक सूचना देनी है । माननीय अध्यक्ष ने यह निदेश दिये हैं "कि कल दिनांक 1 मार्च, 1994 को विधन सभा की कार्य सूची के नत्थी "ग" के तारांकित प्रश्न संख्या–1 के बारे में लगाये गये आरोप-प्रत्यारोप के संबंध में जो उन्होंने अपना निर्णय सुरक्षित रखा था, उस पर अपनी व्यवस्था माननीय अध्यक्ष आज दिनांक 2 मार्च, 1994 के स्थान पर कल दिनांक 3 मार्च, 1994 को सदन में देंगे ।"

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें

आज दिनांक 2 मार्च, 1994 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 8 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । इससे पहली सूचना श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की इलाहाबाद शहर के प्रसिद्ध व्यवासायी श्री गिरधर गोपाल गुंलाटी को असामाजिक तथा आपराधिक तत्वों द्वारा उत्पीड़ित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, को वक्तव्य के लिए स्वीकृत किया गया है । दूसरी सूचना श्री बैजनाथ रावत की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वैयक्तिक सहायक परीक्षा, 1992 में कथित रूप से की गयी अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकृत किया गया है । तीसरी सूचना श्री रमेश पोखरियाल व श्री मातवर सिंह कण्डारी की प्रदेश के पर्वतीय जिलों चमोली तथा टेहरी गढ़वाल में आदमखोर बाघ से जन-धन से हानि का मुआवजा नागरिकों को दिलाये जाने के संबंध में है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । अगली सूचना श्री सुन्दर लाल दीक्षित की जनपद बाराबंकी के ग्राम दुर्जनपुर पट्टी थाना सफदरगंज में दुर्जनपुर बड़ी मार्ग बनाये जाने में लोक निर्माण विभाग द्वारा किसानों की फसलों को नष्ट किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । अगली सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद शाहजहांपुर में विकलांगों और विधवाओं को पिछले एक साल से पेंशन न दिये जाने उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । इसके बाद श्री बची सिंह रावत एवं श्री रंगनाथ की सूचना को अस्वीकृत किया जाता है ।

अब हम उठते हैं, कल ग्यारह बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 10 मिनट पर ..... अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
2 मार्च, 1994

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

अनुबंध 'क'

(देखिये ता० प्र० सं० 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 13 पर)

सूची

वर्ष 1990-91 में लिए गये नमूने

1–मै० चांदा फिलिंग स्टेशन, चांदा ।
2–मै० सरजू प्रसाद महावीर प्रसाद, सिविल लाइन्स ।
3–मै० मदसूदन दास एण्ड सन्स, लखनऊ नाका ।
4–मै० सेनानी सर्विस स्टेशन, वारिसगंज ।
5–मै० सेठ ब्रदर्स, सिविल लाइन्स ।
6–मै० हर्ष आटो मोबाइल्स, शुकुल बाजार ।
7–मै० बजरंग आटोमोबाइल्स पयागीपुर ।
8–मै० मिश्रा आटो सर्विस, पयागीपुर ।
9–मै० कामर्शियल आटोमोबाइल्स, बसौटी ।
10–मै अलीगंज सर्विस स्टेशन, अलीगंज ।
11–मै० हाजी शरापत उल्ला कमालुद्दीन, अमहट ।
12–मै० किसान सेल आपूर्ति केन्द्र, गौरीगंज ।
13–मै० राना प्रताप सिंह औद्योगिक क्षेत्र, जगदीशपुर ।
14–मै० सुशील आटोमोबाइल्स, जगदीशपुर ।
15–मै० चौधरी फिलिंग स्टेशन, दुर्गापुर ।
16–मै० धर्मा आटोमोबाइल्स अमेठी ।
17–मै० सिंह एण्ड ब्रदर्स, कादीपुर ।
18–मै० हर्ष बहादुर सिंह, गौरीगंज ।

वर्ष 1991-92 में लिए गये नमूने

1–मै० आटो सर्विस, पयागीपुर ।
2–मै० सेठ ब्रदर्स, सिविल लाइन ।
3–मै० मधुसूदन दास एण्ड सन्स, लखनऊ नाका ।
4–मै० राम अंजोर सिंह, सौरमऊ ।
5–मै० बजरंग आटो मोबाइल्स, पयागीपुर ।
6–मै० राना प्रताप सिंह, औद्योगिक क्षेत्र, जगदीशपुर ।

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 25 पर)

संख्या 2826/29-7-1993

प्रेषक,

आर० पी० सिंह,

सचिव,

उत्तर प्रदश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश ।

खाद्य तथा रसद अनुभाग–7 लखनऊ, दिनांक 15 दिसम्बर, 1993

महोदय,

प्रदेश में उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समय-समय पर कार्यवाही की जाती है । इस कार्यवाही का उद्देश्य प्रदेश के उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुऐं उपलब्ध कराना है । शासन के संज्ञान में यह बात लाई गई कि छोटे-छोटे मामले मे व्यापारियों के विरुद्ध मुकदमें दर्ज कराकर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने से विभिन्न वस्तुओं के व्यापार में लगे व्यापारियों का अनावश्यक उत्पीड़न होने की सम्भावना रहती है तथ उनका मनोबल भी गिरता है ।

इस समस्या पर विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के व्यापारियों के विरुद्ध मुकदमें दर्ज न किए जाए । यह अनुभव रहा है कि प्रवर्तन की कार्यवाही में विभिन्न लाइसेसिंग आदेशों की शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने पर भी जमाखोरी और मुनाफाखोरी की प्रवृति की प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है । अतः उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये प्रवर्तन की कार्यवाही करते समय विभिन्न लाइसेसिंग आदेशों की शर्तों के अर्न्तगत ही कार्यवाही की जाये जैसे लाइसेंस फीस का जब्त किया जाना, लाइसेंस का निलम्बन/निरस्तीकरण आदि । यह भी स्पष्ट करना है कि कीमतों पर नियंत्रण एवं जमाखोरी रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये जिससे मुनाफाखोरी तथा मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण लग सके ।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

भवदीय,

ह०/-

आर० पी० सिंह,

सचिव ।

संख्या 2826(1)/29-6-1993 तद्विषयक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।

2-समस्त संभागीय खाद्य नियंत्रक उत्तर प्रदेश ।

3-समस्त सहायक आयुक्त, खाद्य तथा रसद उ० प्र० ।

4-समस्त अपर जिलाधिकारी (आपूर्ति) उ० प्र० ।

5-समस्त जिला पूर्ति अधिकारी उ० प्र० ।

6-अपर आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ ।

7-डी० आई० जी० फूडसेल जवाहर भवन, लखनऊ ।

8-खाद्य सचिव, शाखा के समस्त अधिकारी/अनुभाग ।

आज्ञा से,

ह०-

वी० के० श्रीवास्तव,

संयुक्त सचिव ।

प्रमाणित

अरविन्द सिंह,

डेस्क आफिसर-2

खाद्य तथा रसद विभाग ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० 48 का उत्तर पीछे पृष्ठ 41 पर)

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण फैजाबाद द्वारा पोषित विकास खण्ड, मिल्कीपुर एवं अमानीगंज (खण्डासा) की अधूरी परियोजनाओं की सूची

(1) विकास खण्ड, मिल्कीपुर

क्रम सं०	परियोजना/सम्पर्क मार्ग का नाम
1	रजउपुर से चन्दईतारा
2	भुलनापुर से सबदलभारी
3	रायबरेली रोड से भदोखरा
4	मुख्य नहर से पारा धमथुवा
5	तरौली गुरौली कुष्भी
6	नरेन्द्रा भादा से खरियोना
7	अस्थना गोरवा भरियारपुर
8	निमडी घाटमपुर मिल्कीपुर
9	पूरे बक्चावर सलोनी अर्थना सं० मार्ग
10	घरेहटा हरिनाथपुर देवनपारा
11	टक्सरा मेहदौना लिंक मार्ग
12	अंजरौली लिंक मार्ग
13	चमनगंज से करमडांडा
14	बर्वा लिंक मार्ग
15	इनायतनगर आस्तिकन
16	तरौली से कीन्हूपुर
17	परसांवा से पूरे बीरबल शुक्ल
18	गुजरामऊ गयासुद्दीनपुर कहुवा
19	अरयारूपी से छोटकी भटौली
20	सिद्धनाथन महुलारा तुलापुर
21	मिल्कीपुर सहुलारा कहुवा
22	हिसामुद्दीनपुर से घोसियाना
23	कुरावन चिरौली अधिकारी
24	मजनाई कानपुर तरौली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

25 कुचेरा गोठवारा से नउवादक

26 धनेचा नरेन्द्राभादा मार्ग से गोंकुला

27 कुचेरा गोठवारा बड़की भटौली

28 सरियांवा–खजुरहट रोड से ईंटगांव

29 महुलारा तुलापुर सिडसिड़ टिकरा मार्ग

30 पलिया जगमोहन से गुठवारा

31 बारून बाजार से भुलनापुर तरमा

32 चमनगंज से सारी

33 कुचेरा शाहगंज मार्ग से डोनीयारा

34 रजौरा से हल्के द्वारिकापुर

35 कुचेरा मजनाई मार्ग से पलिया गोठवारा का अवशेष

36 रायबरेली मार्ग से हाडापार मिल्कीपुर

37 गोठवारा दीवान का पुरवा सम्पर्क मार्ग

38 महुलार कहुवा साईदाता की कुटी सं० मार्ग

39 इसौली मेहदोना सं० मार्ग

40 शारदा सहायक नहर से मक्खू का पुरवा सं० मार्ग

41 खण्डासा रोड से सिधारी बाजार

42 चमनगंज पी०डब्लू०डी० मार्ग से सोधीयांवा तक खण्डजा तथा इस मार्ग से जाफर शरीफ के पास से छोटकी भटौली तक मिट्टी, पुलिया व खडंजा ।

(2) **विकास खण्ड, अमानीगंज**

1 महोली से अटेसर

2 महोली से बकचुना

3 खण्डासा मेन रोड से चुरावनपुर

4 जगदीशपुर से टोली असकरन

5 कुन्दरखाकला से इयोढी

6 मिल्कीपुर अमानीगंज मेन रोड से नन्दौली

7 ब्लाक हेड क्वार्टर से खझडासा मेन रोड तक

8 झोइवल से गुमानीगंज सं० मार्ग

9 अमानीगंज इयोडी मार्ग से कन्धईकलां

10 घोडंवल से ईमामगंज

11 राम पट्टी से अमावा सूफी

12 लिंक रोड अकमा

13 लिंक रोड उमरहर
14 अमानीगंज रोड से दयालगंज खण्डासा मार्ग
15 सिन्दौली मदरहा सं० मार्ग
16 चुरावन का पुरवा सं० मार्ग
17 रायपुर से घटौली
18 घटौली से रौतावा
19 घोड़वल से बुआपुर पूरेलाल
20 कुचेरा कुरावन अमानीगंज का अवशेष भाग
21 डीली सरैया लिंक मार्ग
22 मोहम्मदपुर लिंक मार्ग
23 कोटिया लिंक मार्ग
24 पालपुर लिंक मार्ग
25 पिठला से तुलसमपुर सं० मार्ग
26 नौगवां गद्दोपुर गेदुरही
27 गोहनिया चिरकी पल्लेपार
28 खण्डासा घोड़ावल मार्ग से पूरे भयाराम
29 तुलसमपुर दुर्गनपुर हलियापुर
30 अमानीगंज गद्दोपुर मार्ग से डिहवा सं० मार्ग
31 रायबरेली रोड से पूरे नियमा सं० मार्ग
32 मिल्कीपुर अमानीगंज मार्ग से सरौली चिरौली
33 मिल्कीपुर अमानीगंज रोड से अड़वड़ सरैया
34 डूडी पकड़िया से बेहटा
35 देवगांव मजार के पास पुलिया
36 भिटावा सं० मार्ग
37 अमानीगंज रोड से इछोई सतनापुर रोड
38 मिल्कीपुर–अमानीगंज रोड से दसौली होते हुये घुरौली सं० मार्ग
39 खण्डासा घोडवल मार्ग से पूरे भयाराम भखैली होते हुये तिलरी के भट्टे से दक्षिण होते हुये
40 अमरगंज चौराहे से मंजनपुर कोहनिया
41 कन्दईकला सं० मार्ग
42 नवगवां से मानूडीहा सं० मार्ग
43 ड्योढी अमानीगंज मार्ग पर इब्राहिमपुर से गेदुरही बाजार पर पुलिया एवं खडंजा ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं० 51 का उत्तर पीछे पृष्ठ 43 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के दूसरे बुधवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–51 के संबंध में सूचना

क्रमांक	विकास खण्ड	कूप सं०/ग्राम का नाम	स्थिति
1	बड़ागांव	129 एन०बी०जी० कुण्डी–11	माह 9/92 से फेल है। पुनः निर्माण, स्वीकृत है, आगामी जनपद प्लान में प्राविधान होने पर पुनः निर्माण प्रस्तावित है।
2	तदैव	101 एन०बी०जी० कनियर–1	नलकूप के 25 के० बी० ए० के ट्रान्सफार्मर से 19 निजी कनेक्शन दिये हुए हैं। निजी कनेक्शन को विच्छेदन कर अलग ट्रान्सफार्मर लगाने हेतु विद्युत विभाग से अनुरोध किया जा रहा है।
3	तदैव	285 एन०बी०जी० बसनी–11	खराब है।
4	तदैव	257 एन०बी०जी० कनियर–11	नाली (गूल) का जीर्णोद्धार आगामी 6 जनपद योजना में उपलब्ध धनराशि से कराना प्रस्तावित है।
5	पिण्डरा	328 एन०बी०जी० कठरवा	नलकूप का पानी खारा होने के कारणवश नलकूप असफल हो गया है।
6	तदैव	310 एन०बी०जी० पिण्डरा	वर्तमान में नलकूप का निकास बहुत कम तथा बालू की मात्रा अधिक है, नलकूप चालू है। रबी 93-94 की सिंचाई करने के उपरान्त सुधारात्मक कार्यवाही करनी प्रस्तावित है।
7	तदैव	103 एन०बी०जी० फूलपुर	नलकूप चालू है, निकास बढ़ाने हेतु सुधारात्मक कार्यवाही रबी फसल की समाप्ति के बाद की जानी प्रस्तावित है।
8	तदैव	271 एन०बी०जी० रतनपुर	नलकूप कमाण्ड के उत्तरी क्षेत्र में ग्राम-देवजी के सरहद तक कच्ची गूल जो कृषकों द्वारा बिस्मार कर दी गयी को सिंचाई हेतु नियमानुसार पुनः निर्माण कराया जा रहा है।
9	तदैव	180 एन०बी०जी० देवरई	कूप चालू है। रबी फसल की मांग समाप्त होने पर सुधारात्मक कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता० प्र० सं० 84 का उत्तर पीछे पृष्ठ 55 पर)

सीतापुर नेत्र चिकित्सालय एवं उसकी शाखाओं की नियमावली भाग–1

अध्याय–चार–सामान्य प्रबन्ध

40–क–पुनर्नियुक्ति :–ट्रस्ट की सेवा से सेवानिवृत्त होने के पश्चात् कोई व्यक्ति 60 वर्ष की उम्र प्राप्त करने के पश्चात् केवल चिकित्सालय के हित में वर्ष-प्रतिवर्ष आधार पर पुनर्नियुक्ति पा सकता है । नियमानुसार 70 वर्ष की उम्र के पश्चात् पुनर्नियुक्ति नहीं दी जायेगी । 60 वर्ष की उम्र के पश्चात् पुनर्नियुक्ति सचिव/प्रबन्ध समिति के विवेक पर निर्भर होगी । पुनर्नियुक्ति पर देय धनराशि एक नियत प्रकृति की धनराशि होगी और वह व्यक्ति द्वारा सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त होने वाली धनराशि के तीन चौथाई से अधिक नहीं होगी ।

———

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल

नत्थी 'च'

(देखिये अता० प्र० सं० 175 का उत्तर पीछे पृष्ठ 92 पर)

प्रतिलिपि

युवा कल्याण निदेशालय एवं प्रादेशिक विकास दल, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
संख्या–3241/एक–44/प्रा०वि०द०/1991 दिनांक 3 सितम्बर, 1991

श्री सुन्दर लाल यादव,
वरिष्ठ लिपिक,
मुख्यालय ।

पत्रावली संख्या–एक–44/प्रा०वि०द०/1991 के पृष्ठ–5 का उद्धहरण संलग्न करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि श्री राम चन्द्र तिवारी, सेवानिवृत्त जिला युवा कल्याण एवं प्रा० वि० द० अधिकारी, फैजाबाद जो दिनांक 30-6-91 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, के विरुद्ध शिकायतों की जांच के प्रकरण पर अन्तिम निर्णय लिए जाने तक उन्हें किसी प्रकार का ग्रेच्युटी, पेंशन अथवा अन्य कोई भुगतान न किया जाय ।

संलग्नक : यथोपरि

ह०.....
वी० एम० मधवाल,
निदेशक एवं प्रशासकीय समादेष्टा ।

प्रेषक,

निदेशक, युवा कल्याण एवं प्रशासकीय समादेष्टा,
प्रादेशिक विकास दल,
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी,
फैजाबाद ।

संख्या : 3394/एक–44/प्रा०वि०द०/1991 दिनांक 10 सितम्बर, 1991

विषय : श्री रामचन्द्र तिवारी, सेवा निवृत्त जिला युवा कल्याण एवं प्राविद अधिकारी फैजाबाद के विरुद्ध शिकायतों की जांच के फलस्वरूप की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निम्न प्रकार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु आपको निर्देशित किया जाता है :–

(1) श्री राम चन्द्र तिवारी ने जो रु० 1,29,840 का समायोजन प्रस्तुत नहीं किया है, के संबंध में श्री तिवारी से कागजात प्राप्त कर उन्हें जिला विकास अधिकारी मऊ के पत्र संख्या–185/प्रा०वि०द०, दिनांक 29-5-91 के सन्दर्भ में तुरन्त भेजें । यदि सूचना मिलने के एक सप्ताह के अन्दर श्री तिवारी समायोजन बाउचर नहीं देते हैं तो अग्रिम कार्यवाही हेतु मुख्यालय को सूचित किया जाय ।

(2) स्वयं सेवकों के लम्बित भुगतानों के संबंध में यह कहना है कि आप उचित एवं प्रमाणित मस्टर रालों का नियमानुसार भुगतान तुरन्त सुनिश्चित करायें तथा यदि किसी लिपिक को विलम्ब से भुगतान हेतु जिम्मेदार पाते हैं तो उसके विरुद्ध भी कार्यवाही करें तथा इस निदेशालय को सूचित करें ।

(3) श्री तिवारी का पेंशन प्रकरण अथवा अन्य कोई लम्बित भुगतान उपरोक्त के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर लेने के बाद ही किया जाय, यह आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी ।

भवदीय,

ह०/बी०एम० मधवाल,

निदेशक एवं प्रशासकीय समादेष्टा ।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–मुख्य विकास अधिकारी, फैजाबाद को इस अनुरोध के साथ कि श्री राम चन्द्र तिवारी के अवशेष पावनों का भुगतान उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण हो जाने के बाद ही किया जाय ।

2–जिला विकास अधिकारी, मऊ को ।

ह०/बी० एम० मधवाल,

निदेशक एवं प्रशासकीय समादेष्टा ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०–एल० 22 विधान सभा (31)–1994–813 (डी० टी० पी०) ।